1.

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] पंचम् विधान सभा के पंचम् सत्र का 20 वां दिवस [संख्या 15

बृहस्पतिवार,
21 मार्च, 1974

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन ।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(समाज कल्याण, सिंचाई, शिक्षा, फॉरेस्ट, यातायात, आयुर्वेद, सार्वजनिक निर्माण, अकाल-सहायता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, श्रम एवं नियोजन, गृह, उद्योग-विभाग)

श्री केदार नाथ (श्री गंगानगर) : इरिगेशन की डिमाण्ड है, हाउस को भी ठण्डा कर दिया ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री मूलचन्द सामरिया ।

राजकीय छात्रावासों की व्यवस्था

344. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय छात्रावासों में प्रति विद्यार्थी कितना खर्चा आता है ?

(2) क्या छात्रावासों की भोजन व्यवस्था से सरकार पूर्ण रूप से सन्तुष्ट है ?

(3) क्या निम्न स्तर की इस व्यवस्था में कुछ सुधार करने का सरकार विचार रखती है ?

(4) राज्य के छात्रावासों में हरिजन विद्यार्थी (स्वीपर्स) किस प्रतिशत में हैं ? उनकी संख्या जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

राज्य मंत्री, समाज-कल्याण (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) समाज-कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में औसतन 65 से 75 रुपया प्रति छात्र प्रति माह खर्चा आता है ।

(2) उपलब्ध साधनों के अनुसार सन्तोषप्रद है ।

(3) फिलहाल विचाराधीन नहीं है ।

(4) राजकीय छात्रावासों में महतर छात्रों का प्रतिशत 3.60 है, जिनकी जिलेवार संख्या की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

Page No. 2

2

श्री मूलचन्द सामरिया : वैसे तो 75 रु० प्रति माह एक बच्चे के खर्चे का आपने फरमाया नं० 2 में। भोजन व्यवस्था से पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हैं क्या आप ? 75 रु० में क्या पूरी व्यवस्था हो सकती है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अभी जो मापदण्ड दिया गया है कितना राशन दिया जाना चाहिये, कितनी सब्जी दी जानी चाहिये और कितनी अन्य चीजें दी जानी चाहिये, उस हिसाब से निवेदन किया है।

श्री मूलचन्द सामरिया : अब मैं यह जानना चाहता हूं 65 रु० महीने में क्या दूध, क्या उनको पौष्टिक भोजन और कितने टाइम भोजन, एक टाइम देते हैं या दो टाइम देते हैं, कितनी सब्जी आदि देते हैं, यह फरमायें।

श्री दीपंकर (लाडनूं): इसके साथ-साथ यह भी बता दें कि जो प्राइवेट छात्रावास हैं, क्या उनमें कम पैसे दिये जाते हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो अनुदानित छात्रावास हैं उनमें 90 प्रतिशत ग्रान्ट-इन-एड दी जाती है अथवा जो 55 और 60 का मापदण्ड है, जो भी कम होता है, दिया जाता है।

श्री दीपंकर : सरकारी छात्रावासों में जो खर्च करते हैं, प्राइवेट छात्रावासों में जो खर्च आता है, यह कौनसा सन्तुलन है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : 65 रु० कितने साल से बराबर चल रहा है, यह भी बता दीजिये।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया : 65 रु० कुल खर्चा आता है या केवल भोजन पर आता है, भोजन पर करते हैं, कपड़े पर करते हैं, मकान किराये पर करते हैं, क्या क्या चीजें शामिल हैं ?

एक माननीय सदस्य : जो खर्चा दिया जाता है, क्या आज की महंगाई को देखते हुए पर्याप्त है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपयुक्त साधनों के अनुसार यह उचित माना गया है, लेकिन महंगाई के अनुपात में यह ठीक नहीं पड़ता है।

एक माननीय सदस्य : आज की महंगाई को देखते हुए क्या प्रति विद्यार्थी खर्चा बढ़ाने के लिये सरकार विचार रखती है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अभी इस सम्बन्ध में कोई मुद्दा विचाराधीन नहीं है, लेकिन कम जरूर पड़ता है, यह अवश्य है।

श्री मूलचन्द सामरिया : अन्य खर्चा काटने के बाद एक्सक्ल्यूसिवली भोजन पर कितना पड़ता है ?

एक माननीय सदस्य : हर प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहता है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। यह विचारणीय प्रश्न है छात्रों का खर्चा कम पड़ता है, इसको बढ़ाया जाना चाहिये। इस खर्चे में उस ही व्यवस्था नहीं हो पाती है। प्रति छात्र जो खर्चा है, वह कम है।

श्री केदारनाथ : क्या राज्य सरकार सिद्धान्तः बेलेन्स्ड डाइट देना चाहती है ? यह तो बेयर एग्जीसटेन्स है। इस बात को मानते हैं क्या ? इसको केलक्युलेट कर लीजिये और फिर देख लीजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): यह अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता है यह सब अपर्याप्त है। इसमें लकड़ी भी शामिल है। आज लकड़ी का क्या भाव है और उसके साथ सरकार को यह भी विदित है कि आधे से अधिक तो जो मिलता है वह लोग खा जाते हैं ? ऐसी दुर्व्यवस्था है। महंगाई सुरसा की तरह मुंह फाड़ रही है। यह नगण्य, नाममात्र का राशन है, इसको बढ़ाया जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया जाय अन्यथा यह अपव्यय है और जो छात्र हैं उनको आधा राशन भी नहीं मिलता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने, मंत्री महोदय, यह केलक्युलेट कर लिया होगा यह 65 रु० कब से है ?

समाज-कल्याण मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी): यह जो अभी है उसका रिवीजन हुआ था 71 में। पहले 5-10 रुपया बढ़ाया है। अब वित्तीय स्थिति के कारण रुका हुआ है 74-75 में सोचेंगे। अभी मैं कोई कमिटमेंट देने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि वित्तीय साधनों के अभाव में इसको नहीं लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था उसका जवाब तो आया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आपका जवाब आ चुका है।

श्री मूलचन्द सामरिया : नहीं आया है। कितना भोजन व्यवस्था पर खर्च होता है, कितना कपड़े पर खर्च होता है, कितना मकान किराये पर खर्च होता है, एक्सक्ल्यूसिवली भोजन पर कितना खर्चा प्रति व्यक्ति आता है ? एक बच्चे की खुराक पर कितना खर्च करते हैं और उसमें क्या क्या शामिल हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपको लिस्ट चाहिये। ए और बी दो श्रेणी के छात्रावास हैं :—

राशन 'ए' श्रेणी	11.700 ग्राम
राशन 'बी' श्रेणी	10.300 ग्राम
नाश्ता दोनों श्रेणी	15 ग्राम
दाल दोनों श्रेणी	1 छटांक
घी दोनों श्रेणी	1 तोला
मीठा तेल दोनों श्रेणी	1 तोला
चावल दोनों श्रेणी	1 छटांक
साबुन दोनों श्रेणी	1 टिकिया...

ये सारी की सारी लिस्ट है, आप चाहें तो ले सकते हैं। जिस तरह की व्यवस्था हम करना चाहते हैं उसमें कठिनाई है। इस वित्तीय स्थिति में भी छात्रावास लगातार चलते रहें, यह हमारा लक्ष्य है। जो हमारी कमियां हैं अगले फाइनेन्शियल ईयर में पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामलाल।

मदनपुरा गांव (सरमथुरा) में बांध का सर्वे

345. **श्री राम लाल** (बाड़ी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सब-तहसील सरमथुरा के मदनपुर गांव में बान्ध बन्धवाने के लिये काफी समय पहले सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब शुरू होगा ?

सिचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : जी हां, मदनपुरा गांव के बन्धे की योजना का सर्वे कराकर तखमीना बनाया गया था। इस योजना की लागत होने वाले लाभ के अनुरूप न होने के कारण इस कार्य को अभी हाथ में नहीं लिया जा सकता।

श्री रामलाल : माननीय अध्यक्षजी, सर्वे होते हुये काफी अर्सा हो गया जबकि 70 में चार महीने वर्षा का पानी मिल जाता है। 8 महीने पानी नहीं मिलता है। मवेशियों के लिये पानी नहीं रहता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा सरकार बन्धे को बनवाने के लिये क्या इरादा रखती है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो निवेदन किया जो लागत लगती है और उसके आधार पर जितना रिटर्न आता है उससे कोई फायदा नहीं मिलता है। 3 लाख 38 हजार का खर्चा आता है और उससे इरिगेशन होती है 144 एकड़। इसके हिसाब से जो रेशो आता है वह 0.65 जबकि मिनिमम 1.5 आना चाहिये। इसलिये अभी नहीं लिया जा सकता है। आज के वित्तीय साधानः में जो लाभकारी योजना नहीं है, उसको हाथ में लेना कठिन है।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल।

श्री रामलाल : माननीय अध्यक्षजी, मंत्री महोदय ने बताया ठीक है। लाभकारी है या अलाभकारी है। जैसा आपने बताया ठीक है। क्षेत्र के लिये पीने के पानी की व्यवस्था हो जाय। सरकार का कहना है अधिक अन्न उपजाओ। क्षेत्र में पानी भी पीने को मिलेगा। आप बान्ध बनवा सकें और यह फरमा दिया जाय कब तक बनवा दिया जायगा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जहां तक पीने के पानी का सम्बन्ध है, वह सिचाई विभाग से सीधा सम्बन्ध नहीं रखता है। कितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, फसलों को क्या लाभ मिलेगा, क्या परिवर्तन आवेगा यह सब कैलकुलेट करके निकालते हैं उस स्थिति में 0.65 आता है। यह बहुत ही अलाभकारी योजना है। जब वित्तीय साधन ठीक हो जायेंगे तभी ऐसे कार्य हाथ में लेना सम्भव हो सकेगा और तब ले लेंगे।

श्री रामलाल : अध्यक्ष महोदय, सर्वे तो कराई वह ठीक है लेकिन कई हजार एकड़ जमीन को पानी पहुंचाना होगा। आपने तो एक गांव का सर्वे करा दिया है जब कि इसमें पांच-सात गांव लगते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अगर आप ऐसा समझते हैं कि सर्वे गलत है तो और करवा लेंगे।

श्री रामलाल : अध्यक्ष महोदय, कितनी जमीन की सिचाई हो सकती है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 144 एकड़ भूमि को यह सिंचित कर पायेगा।

श्री रामलाल : अध्यक्ष महोदय, पांच-सात गांव और हैं और उन गांवों के लिए भी पानी हो।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या 346

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या 347

श्री रामसिंह कुड़ी ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जयकिशन लाल ।

चाकसू–सांभर लाइन की बसें

348. **श्री जयकिशन लाल** (फागी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) चाकसू–सांभर लाइन पर कुल कितनी बसें चलती हैं ? गाड़ियों के नम्बर तथा मालिक के नाम दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि बसें अलग अलग नाम से हैं लेकिन वास्तव में एक ही व्यक्ति की हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि यह व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को परमिट नहीं लेने देता है और इसने इस लाइन पर एकाधिकार कर रखा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इसके विरुद्ध यह शिकायत है कि वह राजकीय टैक्स की चोरी करता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

यातायात मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : (1) इस मार्ग पर कुल 5 बसें हैं। सूची संलग्न है ।

(2) बसें अलग अलग नाम से हैं ।

(3) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार इस रूट पर पांच परमिटों का स्कोप तय कर रखा है और पांच व्यक्तियों को परमिट जारी किये हुए हैं ।

(4) जी नहीं, इन पांचों बसों का 31-3-74 तक कर जमा है ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री जयकिशन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो मोरीबाई नाम की स्त्री है इसके नाम से बस है क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि यह श्री जगदीश बोहरा की स्त्री है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : मुझे ज्ञात नहीं है । हमारे यहां यह इनफर्मेशन नहीं है कि कौन किसकी स्त्री है ? आर.एस.एल. 6711 उनकी गाड़ी है । अगर आपको कोई जानकारी हो तो सूचित करें । अध्यक्ष महोदय, न तो पता है और न जानकारी दी गयी है ।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, एक ही परिवार में 5 बालिग हैं और वह अलग अलग नाम से परमिट हासिल करते हैं जब कि वह संयुक्त परिवार में हैं तो उसको सरकार एक परिवार मानती है या अलग अलग व्यक्ति मानती है ?

श्री जयकिशन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह भी बतायें कि राजस्थान में ऐसे कितने रूट्स हैं जिनमें एक ही मालिक की मोनोपोली है और क्या सरकार इस प्रकार की मोनोपोली को समाप्त करने की कोशिश करेगी ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है फिर भी जो भी आप सूचना देना चाहें कि इस रूट पर इन व्यक्तियों की मोनोपोली है और एक ही व्यक्ति उनका मालिक है तो हम निश्चित

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

रूप से कार्यवाही करेंगे। यह भी प्रश्न अभी उठा है और यदि आप पहले सूचना देते कि इसकी क्या रिश्तेदारी है, किस तरह से ट्रान्सफर किया क्योंकि ट्रान्सफर्स तो जरूर होते हैं मगर आप पहले जानकारी देते तो निश्चित रूप से कार्यवाही करते।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : क्या सरकार की यह मन्शा है कि एक ही रूट पर एक ही आदमी की मानोपाली नहीं होने दी जायेगी ? इस प्रकार का सरकार का कोई नियम है या मंत्री महोदय इसका कोई निर्णय लेने वाले हैं ?

श्री नत्थासिंह (नदबई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये आपने कितने परमिट्स इश्यू किये हैं ? यह आप बताने का कष्ट करें।

श्री जयकिशन लाल : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा प्रश्न है कि जब सरकार किसी को परमिट देती है तो उसमें क्या यह देखती है कि किसी औरत के नाम से होता है तो उसके पति के संबंध में, उसके लड़के के संबंध में जानकारी नहीं लेती है क्या ? हो सकता है कि पति के नाम से बस अलग चलती हो, औरत के नाम से अलग चलती हो और बच्चे के नाम से अलग बस चलती हो। तीनों, चारों व्यक्तियों का आधिपत्य एक ही रूट पर है तो क्या यह सब देखने के पश्चात् परमिट देते हैं या सिफारिश के आधार पर देते हैं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : मंत्री महोदय यह बतायें कि आपके मोटर वेहीकल्स एक्ट में प्रावधान है कि मोटर चलाने का आपका क्या अनुभव है, वह हमेशा ध्यान में रखते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक अनुभव का सवाल है तो अनुभव का काफी व्यापक एरिया रखा गया है। सिर्फ ड्राइवर होना ही अनुभव नहीं है। मेनेजमेंट भी करना चाहिए उसकी हम जानकारी लेते हैं। दूसरा प्रश्न यह उठाया गया है कि हम जानकारी क्यों नहीं करते ? वैसे पत्नी अपना धंधा चला सकती है, पुत्र भी चला सकता है। अगर इस तरह की कोई माननीय सदस्य सूचना दें कि इसमें एक ही व्यक्ति की मोनोपोली है और वही कन्ट्रोल करता है तो सारा का सारा बेनामी है और प्रूफ दें तो अवश्य कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मूलचन्द सांखरिया : मोनोपोली को तोड़ने के लिए कोई कानून है या धांधली करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) मैं अर्ज कर रहा था कि जो सप्लीमेंट्री एक दफा आ जाये और उसमें गवर्नमेंट का रिप्लाई आ जाये उसी को दुबारा पूछने से महत्व नहीं रहता है, कृपया इसका ध्यान रखें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने सवाल पूछा था....

श्री अध्यक्ष : मैंने आपके लिए नहीं कहा है।

श्री नत्थासिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के कितने लोगों को परमिट दिया गया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, निश्चित् रूप से मॉनोपाली तोड़ने की सरकार की इच्छा है इसलिए हमारे कानून में प्रावधान रखा है कि जब भी हम रूट तय करें एरिया का सर्वे करके उसमें एक आदमी को नहीं दें। मेरा खयाल है कि माननीय सदस्य अवगत होंगे कि इस कानून में है कि जो भी रूट के लिए एप्लाई करेगा वह एक ही व्यक्ति करे और जिन्होंने, एक ही व्यक्ति ने पांच, पांच रूट ले रखे हैं तो इसके लिए सरकार निश्चित् रूप से कदम उठायेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामकिशन श्री केदारनाथ।

गम्भीर नदी के पानी को बाणगंगा में लाने की योजना

349. **श्री रामकिशन** (भरतपुर),

श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में बहने वाली गम्भीर नदी के पानी को बाणगंगा में लाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या इस योजना का सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो इस सर्वेक्षण पर कितना धन व्यय किया गया ?

(2) उक्त योजना में कितने धन के व्यय का अनुमान लगाया गया है और यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी हां। ऐसी योजना का सर्वेक्षण कराया जा रहा है और इस पर 28-2-74 तक 6367.41 रु० व्यय किया जा चुका है।

(2) इस योजना का सर्वेक्षण किया जा रहा है। क्योंकि सर्वेक्षण कार्य के पश्चात् इसका तखमीना स्वीकृति हेतु बनेगा इसलिए अभी यह नहीं बताया जा सकता कि इस योजना पर कितना धन व्यय होगा और योजना पर निर्माण कार्य कब पूरा होगा।

श्री केदारनाथ : फिफ्थ फाईव ईयर प्लान में इसको ले लिया जावेगा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यही प्रयत्न किया जा रहा है।

श्रीमती उषा प्रकाश (वैर): अध्यक्ष महोदय, इसी आशय का प्रश्न पिछले साल भी पूछा गया था तो आपके विभाग ने उत्तर दिया था "The scheme has been shelved" और जब हमने पूछा था कि आप पुनर्विचार करेंगे तो भी यही कहा गया था कि अभी सरकार इरादा नहीं रखती है। तो यह सर्वे किया है इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। यह आपने कब किया यह बताने की कृपा करेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने बताया है कि सर्वे चल रहा है और 28-2-74 तक का खर्चा भी बताया है 6367.41 रुपया और इस सर्वे में साल भर के करीब और लगेगा। हम ऐसा समझते हैं कि फरवरी, 75 तक सर्वे पूरा हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री सुरेशचन्द्र शर्मा।

कोटपुतली का डिग्री कॉलेज :

350. **श्री सुरेशचन्द्र शर्मा** (कोटपुतली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार आगामी सत्र में कितने डिग्री कॉलेज क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ?

(2) क्या कोटपुतली डिग्री कॉलेज को आगामी सत्र में क्रमोन्नत करने का राज्य सरकार का विचार है ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री फारूक हसन)
(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जी नहीं, जी नहीं, कहा तो मैंने पूछा है कि सरकार आगामी सत्र में कितने डिग्री कॉलेज को क्रमोन्नत करने का इरादा रखती है और क्या यह सही है कि जब कोटपुतली में छात्र आन्दोलन हुआ और उनका एक शिष्टमण्डल आया तो सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि अगले वर्ष में कोटपुतली कॉलेज को क्रमोन्नत कर दिया जायेगा ।

श्री फारूक हसन : कुछ कॉलेज अपग्रेड जरूर किये जायेंगे लेकिन कौन से साल में होंगे इसके लिए निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : क्या सरकार जब कॉलेज अपग्रेड करेगी तो कोटपुतली को प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री फारूक हसन : देखा जायेगा ।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : इस सदन में आश्वासन दिया गया था कि कोटपुतली को प्राथमिकता दी जायेगी और वहां पर कॉलेज में छात्र संख्या भी सबसे ज्यादा है । यह आश्वासन इसी सदन में दिया जा चुका है ।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कालेजेज को अपग्रेड करने का कोई क्राइटेरिया निश्चित करने जा रहे हैं ?

श्री फारूक हसन : जो मैरिट्स पर कॉलेज आयेगा उसके लिए जरूर विचार किया जायेगा ।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय मंत्री महोदय, जरा मैरिट की परिभाषा तो कीजिए ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ।

ग्राम खोहरी के औषधालय में वैद्य की नियुक्ति

351. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की बानसूर तहसील के ग्राम खोहरी के सरकारी औषधालय में करीब एक साल से वैद्य नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि अलवर जिले के आयुर्वेद विभाग के जिला निरीक्षक ने कई बार उपरोक्त औषधालय में वैद्य की नियुक्ति के लिये आयुर्वेद डाइरेक्टर को लिखा ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्रीमती कमला बेनीवाल):– (1) जी हां। नियुक्त वैद्य 19-2-73 से लगातार अवकाश पर रहने से वैद्य कार्यरत नहीं रहा। अनुभवी उप-वैद्य द्वारा औषधालय का कार्य सम्पादित किया जाता रहा। अब जिला आयुर्वेद अधिकारी ने पत्र संख्या 1241–47 दिनांक 7-3-74 द्वारा वैद्य श्री रामकृष्ण कौशिक की नियुक्ति के आदेश दे दिये गये हैं।

(2) जी नहीं। जिला आयुर्वेद अधिकारी ने दिनांक 12-2-74 को पहली बार वैद्य की व्यवस्था हेतु लिखा। इसके पूर्व उनके द्वारा केवल वैद्य के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई थी जिसके संबंध में निदेशालय स्तर से कार्यवाही की जा रही है। इसी सन्दर्भ में अब जिला आयुर्वेद अधिकारी ने वहां रिलिविंग वैद्य श्री रामकृष्ण को लगाने के आदेश जारी कर दिये हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस बात के लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंह।

उनियारा-इन्द्रगढ़ सड़क में आई भूमि का मुआवजा

352. **श्री राजेन्द्र सिंह** (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उनियारा से इन्दरगढ़ सड़क निर्माण के लिए कितने काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गई? क्या जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गई, उन्हें मुआवजा दिया जा चुका है? यदि नहीं तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि खसरा नं० 2507 व 2508 की जमीन इस सड़क के अन्तर्गत आ गई है? यदि हां, तो इसको अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) उनियारा से इन्दरगढ़ सड़क निर्माण के लिए 202 काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गई थी, उन सभी को मुआवजा दिया जा चुका है।

(2) यह सही है कि खसरा नं० 2507 व 2508 की भूमि सड़क निर्माण में आई है। उक्त सवाय चक भूमि का दावा किसी भी दावेदार ने पेश नहीं किया, अतः भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह भूमि जिसके लिए मंत्री महोदय ने कहा है कि सवाय चक है, यह गलत है। इसका लगान काश्तकार आज दिन तक भी देते आ रहे हैं। यह सूचना जो मंत्री महोदय को मिली है गलत है। क्या इसकी जांच दुबारा करा कर अगर उसका मुआवजा नहीं मिला है तो मुआवजा दिलाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने प्रश्न के भाग (2) में स्पष्ट कहा है कि इस भूमि पर सड़क बनी है लेकिन इस पर किसी ने भी मुआवजा क्लेम नहीं किया इसलिए इसको सवाय चक ही माना गया है और यह भूमि वास्तव में सवाय चक ही है। अगर माननीय सदस्य को यह जानकारी है कि यह किसी व्यक्ति की भूमि है तो स्पेसिफिक बता दें कि किसकी है और उससे लिखवा कर दिलादें तो उस पर जांच कर ली जाएगी और अगर वह भूमि किसी व्यक्ति की होना पाया गया तो अवश्य मुआवजा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकर लाल

शिक्षा पद्धति में परिवर्तन

353. **श्री शंकरलाल (पाली) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार वर्तमान शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना चाहती है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) राज्य की पंचम पंच वर्षीय योजना में शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाने की दृष्टि से क्या प्रावधान रखे गये हैं ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री फारूक हसन) : (1) भारत सरकार व राज्य सरकार शिक्षितों की बढ़ती हुई बेरोजगारी से चिंतित है । केन्द्रीय सरकार को शिक्षा मंत्रालय माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण (वोकेशनेलाईजेशन) करने के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है । राजस्थान शिक्षा विभाग भी माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप में आवश्यक परिवर्तन करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर रहा है ।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार शिक्षा पद्धति में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध करायेगी तो राजस्थान में शिक्षा पद्धति में आवश्यक परिवर्तन कर उसे अधिक उपयोगी बनाने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह विचार कब से शुरू हुआ है और कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री फारूक हसन : इस मामले पर बात चीत चल रही है और सेंटर एजूकेशन कमीशन ने जो कुछ भी सुझाव दिए हैं उन पर विचार हो रहा है लेकिन अर्थाभाव के कारण उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है ।

श्री शंकर लाल : यह जो आवश्यक परिवर्तन करने का प्रस्ताव है वह किस प्रकार के परिवर्तन हैं जिनको करने का विचार किया जा रहा है और उन पर कितने धन की आवश्यकता होगी पांचवी पंचवर्षीय योजना में ?

श्री फारूक हसन : अभी यह मामला विचाराधीन है और इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है ?

श्री शंकर लाल : मैं यह पूछना रहा हूं कि किन प्रस्तावों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं ?

श्री फारूक हसन : सरकार इस बात से चिंतित है ····

श्री शंकर लाल : सरकार चिंतित है वह तो ठीक है लेकिन क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, किस प्रकार की आपकी योजना है और उसके लिए राज्य सरकार ने क्या प्रस्ताव भेजे हैं, यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री फारूक हसन : अभी अण्डर डिस्कशन है और इसके फाइनल होने के बाद ही कुछ बात कही जा सकती है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको मालूम है कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में क्या कोई कमीशन बैठे हैं क्या ? एक कमीशन, दो कमीशन, तीन कमीशन, अगर आपको मालूम हो तो इनके बारे में

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
बतला दें ताकि उनका निर्धारण किया जा सके कि उन कमीशन ने क्या 2 बातें कहीं और क्या निर्णय किये ?

श्री फारूक हसन : वैसे कमीशन तो बैठे हैं लेकिन अभी भी डिस्कशन चल रहा है। आप अलग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, यदि हमारे माननीय सदस्य अपने कोई सुझाव हमारे मंत्री महोदय को इस सिलसिले में दें तो बड़ा उचित होगा ताकि वह कार्यवाही में शामिल होकर उन पर पूरा ध्यान दिया जा सके।

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर बड़ा वेग है। कोई स्पेसिफिक क्या योजना है, कौन से सुझाव हैं, क्या डिस्कशन हो रहा है और उनके लिए कितना धन चाहिए, कौनसी योजना को डिस्कस किया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : मैं तो यह जानना चाहता हूं ...

श्री मूलचन्द डामरिया : इसका जवाब ये तो दे नहीं सकते, या तो चीफ मिनिस्टर या शिक्षा मंत्री ही जवाब देंगे

श्री श्रीराम गोटेवाला : कितनी धन राशि की आवश्यकता होगी इसमें यही बतादें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री लूणाराम।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछलूं। जो शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की बात है पिछले 25 वर्षों में तो परिवर्तन नहीं हो सका। हर पांच-चार साल में लगातार यह सरकार ऐलान करती आई है कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन होगा। क्या मंत्री महोदय अब आमूलचूल परिवर्तन करने का कोई उत्साह भी रहा है। अब आपके अन्दर क्या उत्साह हो सकता है, क्या अब यह सम्भव है ?

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अगर होसला रहा भी है तो वह किन व्यक्तियों में है, उनको नामजद भी कर दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : शेरगढ़ के ठाकुर साहब हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : अगर मैं भी उधर बैठा होता और मुझ से भी यह पूछा जाता तो मैं भी किंकर्त्तव्यविमूढ हो जाता।

श्री अध्यक्ष : श्री लूणाराम।

श्री डूंगरगढ-कालू सड़क

354. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बन रही सड़क श्री डूंगरगढ से कालू पर 1973 में कराये जा रहे कार्य में घाघले पत्थर के स्थान पर मिट्टी डालने पेटियां कम वजन की डालने, सड़क कुटाई के लिए बिना पानी डाले भुगतान करने की शिकायत ग्रामीणों द्वारा जिलाधीश व उप-जिलाधीश रतनगढ को 22-8-73 को की गई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, अकाल सहायता (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : अध्यक्ष महोदय, इस

(गुलाबसिंह शक्तावत)
प्रश्न की सूचना जिलाधीश चूरू से प्राप्त नहीं हो सकी है अतः स्थगित करने का निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री गोपाल सिंह।

कस्बा खण्डेला में बाढ़ से क्षति

355. श्री **गोपाल सिंह** (खण्डेला) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कस्बा खंडेला जिला सीकर में बाजार के बीच में नदी बहती है और इसमें बाढ़ आ जाने से हर साल दुकानों में पानी भर जाता है और लाखों रुपयों के माल का नुकसान हो जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1966-67 में इस नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से दुकानों में 12 आदमी पानी में डूब कर मर गये और कई लाखों का नुकसान भी हो गया तथा तुरन्त बाद तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया मंत्रीमंडल के वरिष्ठ सदस्यों के साथ खंडेला मौके की स्थिति देख समस्या के शीघ्र हल के लिए आश्वासन देकर आये थे ?

(3) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग द्वारा इस आश्वासन के बाद खंडेला फ्लड कन्ट्रोल एण्ड इरिगेशन स्कीम बनाई गई थी मगर सिंचाई विभाग ने अभी तक इस योजना को शुरू नहीं किया ?

(4) क्या यह सही है कि इस प्रस्तावित योजना के एक चरण को "कासा" संस्था द्वारा तथा अकाल राहत कार्यों में किया जा चुका है, मगर कार्य पूर्ण नहीं होने से बाढ़ की समस्या पूर्ववत् ही बनी हुई है और जो मिट्टी का काम हुआ है उसके भी पानी में बह जाने की आशंका है ?

(5) क्या सरकार आगामी बजट में इस महत्वपूर्ण योजना का समावेश करना चाहती है और यदि नहीं तो क्यों ? और यदि हां, तो कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां, कस्बा खंडेला जिला सीकर के बाजार में से होकर एक नाला गुजरता है जिसमें कभी 2 अधिक वर्षा से पानी अधिक आ जाता है। जिससे आस पास की दुकानों में पानी आने से नुकसान हो जाता है।

(2) जी हां।

(3) सिंचाई विभाग द्वारा खंडेला बाढ़ नियंत्रण योजना बनाई गई थी व इस पर "कासा" क्रिश्चियन एसोशियेशन फॉर शोल एक्शन द्वारा कार्य शुरू कराया गया फिर इस पर अकाल राहत के अन्तर्गत कार्य कराया गया।

(4) जी हां, कार्य "कासा" संस्थान द्वारा आरम्भ किया गया तत्पश्चात् इस पर अकाल राहत के अन्तर्गत कुछ कार्य करवाया गया। किए हुए कार्य के बह जाने की संभावना नहीं है।

(5) अर्थाभाव के कारण अगले बजट इस कार्य को सम्मिलित नहीं किया जा सका है। कार्य को पूर्ण कराने के प्रयत्न किये जायेंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इस बारे में कि जो "कासा" द्वारा कार्य करवाया गया और मिट्टी डाली गई, मगर राज्य सरकार अर्थाभाव के कारण

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
स कार्य को पूरा नहीं करायेगी तो मिट्टी सारी बह नहीं जाएगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से निवेदन किया है कि वह मिट्टी नहीं बहेगी क्योंकि नाले के अन्दर अभी तक काम नहीं हुआ है। मिट्टी जो डाली गई है वह नाले के दोनों तरफ डाली गई है जिसके बहने की सम्भावना नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या आपको मालूम है कि मुख्य मंत्री महोदय ने 66-67 में यह आश्वासन दिया कि इस नाले को पूरा किया जाएगा। जिस नाले में 12 जाने गई और उस पर मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था क्या सरकार उसको अब कार्यान्वित करेगी ?

श्री गोपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस नाले की वजह से वहां पर 12 आदमी डूब गए बाढ़ में, ऐसी परिस्थिति के अन्दर भी वित्तीय साधन के बहाने से सरकार इस प्रश्न को, इस समस्या को टालना उचित समझती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बारे में कुछ कदम उठाना चाहेगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सरकार इस समस्या को टालना नहीं चाहती है और··

श्री श्रीराम गोटेवाला : और करना भी नहीं चाहती।

श्री हीरालाल देवपुरा : इस कार्य को पूरा कराने के लिए इसका सर्वे करवा कर योजना बनाई गई है। यह दो भागों में पूरी होगी। एक भाग में बांध बंधाने की और दूसरी इसके द्वारा फीडर से पानी का डाईवर्शन करने की। बांध का एस्टीमेट 2.51 लाख का है और फीडर का एस्टीमेट 6.40 लाख के करीब है। इतने बड़े एस्टीमेट के लिए सरकार साधन इतने जल्दी उपलब्ध नहीं कर सकती क्योंकि राज्य सरकार के जो भी साधन हैं सिंचाई विभाग के उनको प्राथमिकता के आधार पर उनका उपयोग करना चाहती है। सन् 67 में खंडेला में यह घटना हुई और आज सन् 74 हुआ है इस बीच में जोरों की वर्षा भी हुई लेकिन उसके बाद ऐसा कोई इंसीडेंस नहीं हुआ है खंडेला में जिससे इस प्रकार का कोई नुकसान हुआ हो। अचानक एक एक्सीडेंटल यह हो गया, वह बात सही है। लेकिन इसकी इतनी तात्कालिक आवश्यकता नहीं है कि जिसको तत्काल ही पूरा करना आवश्यक हो। बहरहाल करना जरुर है जैसा मैंने निवेदन किया कि ज्योंही साधन उपलब्ध हो जायेंगे आर्थिक, इसको टेकअप किया जाएगा। योजना बनाली गई है। हम भी चाहते हैं कि इसको जल्दी पूरा किया जाएगा और पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री गोपालसिंह : वित्तीय साधनों की कमी है लेकिन सरकार यह मानती है कि कभी वहां पर भयंकर एक्सीडेन्ट हो जाने का खतरा है और सारा गांव पानी आ जाने के कारण डूब सकता है। दस बारह हजार आदमियों की वहां पर आबादी है।. इसलिये क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि इस काम को करना जरूरी है ?

श्री मूलचन्द सामरिया : जब तक सरकार इस योजना को पूरी न करे तब तक प्रकृति की ओर से बाढ़ नहीं आवे और बाढ़ आ गई तो सरकार वहां के निवासियों को उचित मुआवजा देगी। क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी ?

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा कस्बा है। नाले के कारण से वहां पर खतरा बना रहता है। वहां पर अकाल की स्थिति भी रही है और कभी भी वहां पर भयंकर रुप से बाढ़ आ सकती है। राज्य सरकार की ओर से ऐस्टीमेट बनाये गये हैं और ऐस्टीमेट बनाने में काफी खर्चा भी किया गया है। मुख्य मंत्री वहां पधारे थे तब उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि चाहे किसी भी तरह का आर्थिक संकट हो इसको बनाया जाएगा। तीन साल के बाद भी राज्य सरकार इसको नहीं कर रही है। मैं सोचता हूं कि सरकार को इस कार्य को तत्काल हाथ में लेना चाहिए और यह आश्वासन देना चाहिए कि इस साल हम इस कार्य को पूरा कर देंगे।

श्री राम गोपाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कई ऐसे कस्बे हैं जिनको कि हर साल नदी नालों में भयंकर बाढ़ आने के कारण डूबने का खतरा रहता है और उस समय आस पास की कई बस्तियां भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्या सरकार ऐसे कस्बे और नदी नालों का सर्वे कराएगी और क्या सरकार इस समस्या के हल में विश्वास रखती है, और विचार करती है।

श्री हीरा लाल देवपुरा : माननीय सदस्य श्री रामगोपाल जी ने जो प्रश्न किया है, वह अलग से प्रश्न है।' जब वे प्रश्न पूछेंगे तो सरकार जवाब देगी। वैसे सरकार इसको देखेगी और आवश्यकता होगी तो विचार करेगी।

जहां तक इस प्रश्न का सवाल है. जो मूल प्रश्न यहां पर है, उसके बारे में मैंने निवेदन किया है और कारणों को भी बताया है कि क्यों नहीं ले पाये हैं। सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि इस प्रकार के कोई स्थान हों तो तत्काल ही कार्य किये जायेंगे, जरूर ही किया जायेगा और इस बात का पूरा ध्यान रखा जावेगा कि किसी बस्ती का नुकसान न हो। माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 20/25 साल में पानी सालाना तौर पर गिरा है, उसकी औसत निकाल कर हम देखेंगे और तात्कालिक कार्य को, आवश्यकता की ऐसी कोई बात नजर आयी तो जरूर ही इस काम को टेक-अप किया जायेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आर्थिक संकट तो आड़े नहीं आएगा। हर साल पानी आता है अचानक आता है। इसकी वजह से हानि होती है और आर्थिक संकट के नाम पर इसकी उपेक्षा कर दी जाती है।

श्री हीरालाल देवपुरा : इतना स्पष्ट कह दिया है कि करवा दिया जाएगा। इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

प्रश्न संख्या 356

दवाओं की दुकानों पर छापे

356. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत :** (गांधी नगर जयपुर) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत दिनों राज्य में दवाओं की दुकानों पर छापे मारे गए थे? यदि हां तो कहां कहां और किन किन दुकानों पर? तथा इनमें से कितनी दुकानों के मालिकों पर किन किन आरोपों में कार्यवाही की गई? और कितनों के लाइसेन्स रद्द किए गए?

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

(2) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ दुकानदारों पर। आरोप होने पर भी कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां तो क्यों?

राज्य मंत्री चिकित्सा (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां । पूर्ण विवरण सहित तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : यह सूची मेरे पास नहीं पहुंची है ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं दे दूंगी ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं बोलूंगा। कैसे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको स्थगित किया जाये ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : स्थगित नहीं किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टर रिप्लाई दे रहे हैं ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : (2) जी नहीं, कुछ मामले अभी विचाराधीन हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि दवाइयों की दुकानों पर जो छापे मारे गये और वो मेडीसन भी थी जिनका प्रोडक्शन जयपुर की किन्हीं फैक्टरियों में होता है। इसमें जयपुर को कितनी कम्पनियां थीं और उनको पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने जो तालिका तैयार करके पेश की है उसमें तमाम दुकानों का विवरण है और किस कारण से उनकी दुकानों का लाइसेन्स रद्द किया गया है उन कारणों को भी दिया है। किन कारणों से जिन दुकानों को शो-काज नोटिस दिया गया है वह भी है और उसके मुताबिक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : सूची नहीं दी गयी है। हमें मालूम नहीं है कि कितनी दुकानों का लाइसेन्स रद्द किया गया है और दवाइयों बनाने वाली कितनी फैक्ट्री इनमें हैं और क्या उनका लाइसेन्स रद्द किया गया है क्योंकि उन्होंने लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया है। उनको प्रोसीक्यूट किया जाना चाहिए । एक तरह से यह आफेन्स बनता है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कृपया आगे के लिए ध्यान दें। जो प्रश्नों के साथ सूची भेजनी हो वह समय पर भिजवा दें ताकि सप्लीमेन्टरी पूछने में सदस्यों को सुविधा रहे और सदन के समय की भी बचत हो।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : जैसा कि मैंने पूछा है, इन दवाइयों की दुकानों पर छापे मारे गये, इन दुकानों पर जो मेडिसन मिली और जिनके कारण उनके लाइसेन्स रद्द किये गये, तो क्या उस मेडिसन बनाने वालों को भी पकड़ा गया है, उन पर भी छापे मारे गये हैं जो कि इन दवाइयों का प्रोडक्शन करती है। क्या राज्य सरकार ने फेक्ट्रियों पर छापे मारे हैं। यह मेरा स्पेसिफाइड प्रश्न है ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : फेक्टरियों के ऊपर छापे मारने का कोई विवरण

Page No. 16

16

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
नहीं है। दुकानों के ऊपर छापे मारने का विवरण है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उनके नाम बताइये।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मेसर्स मल्लिक मेडिकल हॉल, जयपुर। इसका लाइसेन्स रद्द किया गया है। इसके कारण पांच, छः हैं, मियाद बाहर दुकान पर दवाइयां पाई गई और अस्पताल अंकित दवाइयां पाई गईं, औषधियां बिना लेविल के पाई गई......

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मैंने तो नाम पूछे हैं दुकानों के।

श्रीमती कमला बेनीवाल : दर्शन मेडिकल हाल, जयपुर इसका लाइसेन्स रद्द किया गया। गुरू फार्मिसी, जयपुर लाइसेन्स रद्द किया गया।

मैसर्स बाकलीवाल स्टोर, जयपुर, लाइसेन्स रद्द किया गया।

मैसर्स तारा मेडिकोज, जयपुर, लाइसेन्स रद्द किया गया।

मेसर्स महेश मेडिकल हॉल, जयपुर, लाइसेन्स रद्द किया गया।

मैसर्स श्याम मेडिकल हॉल, जयपुर, लाइसेन्स रद्द किया गया।

मैसर्स शंकर मेडिकल स्टोर्स, जयपुर, लाइसेन्स रद्द किया गया।

मैसर्स नवीन मेडिकल स्टोर्स, जयपुर, लाइसेन्स रद्द किया गया।

मैसर्स गणेश मेडिकल स्टोर्स, जयपुर लाइसेन्स रद्द किया गया।

मैसर्स परनामी ऐजेन्सिज, जयपुर, औषधियां का नमूना लिया गया, लाइसेन्स रद्द किया गया।

मैसर्स मेहता एण्ड कम्पनी, जयपुर, लाइसेन्स रद्द किया गया।

मैसर्स दुसाद मेडिकल स्टोर्स, तीन औषधियों का नमूना लिया गया। इसका मामला विचाराधीन है। शो काज नोटिस जारी किया गया है।

मैसर्स मेडिकोज, जयपुर, शो काज नोटिस जारी किया गया है।

मैसर्स निर्मल मेडिकल ऐजेन्सिज जयपुर, शो काज नोटिस जारी किया गया है।

मैसर्स चौधरी मेडिकल हॉल, शो काज नोटिस दिया गया।

मैसर्स नेशनल मेडिकल हॉल, जयपुर, शो काज नोटिस दिया गया।

मैसर्स श्याम ट्रेडिंग ऐजेन्सिज, जयपुर, शो काज नोटिस दिया गया।

मैसर्स नटवर मेडिकल हॉल, शो काज नोटिस जारी किया गया।

मैसर्स प्रकाश मेडिकल हॉल, जयपुर, शो काज नोटिस दिया गया।

मैसर्स नारायण ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर, शो काज नोटिस दिया गया।

मैसर्स भाटिया मेडिकल हाल, जयपुर, इसको भी शो काज नोटिस दिया गया।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

मैसर्स विमल मेडिकल हॉल, जयपुर, को कॉज नोटिस दिया गया। ग्रभी ग्रौर हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मैं सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं। क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि क्या फालना वार्ड कैम्प पर भी छापा मारा गया था। इसी तरह से पारस फार्मेसी, रेनवाल जो कि ग्लूकोज की फेक्टरी है, इन दोनों पर छापे मारे गये थे। यदि छापे मारे गये तो राज्य सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : सूची में फालना ग्रौर रेनवाल का कोई उल्लेख नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : तो, ग्रध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि निश्चित् रूप से मेरी जानकारी है कि ग्रापके विभाग द्वारा छापे मारे गये थे ग्रौर कोई सीजर नहीं किया गया। मेरी जानकारी है कि इनको छोड़ दिया गया। इसके साथ-साथ मैं ग्रापसे मंत्री महोदया, यह भी पूछना चाहूंगा कि जो ग्रापने ड्रग इन्सपेक्टर्स रखे हैं.....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापके पहले सप्लीमेंट्री का जवाब ग्राने दें।

चिकित्सा मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) जिन दो कम्पनियों के लिए बताया गया है कि छापे मारे गये, लेकिन ग्रनियमितताग्रों के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो गवर्नमेंट द्वारा जिन पर छापे मारे गये थे ग्रौर ग्रनियमितताएं पाई गई उनके खिलाफ जरूरी तौर पर कार्यवाही की जायगी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जिन ड्रग इन्सपेक्टर्स ने जयपुर में छापे मारे हैं, वह क्या जयपुर एलकोहल कम्पनी में 1200 रुपये महीने में नौकर थे ग्रौर वही ग्राज ड्रग इन्सपेक्टर्स की जगह 400 रुपये महीने में नौकरी ग्रापके विभाग में कर रहे हैं श्री रमेश ग्रौर माथुर ऐसे दो व्यक्ति हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह प्रश्न ग्रलग से है। ग्रगर माननीय सदस्य की जानकारी सही है तो निश्चित् रूप से कार्यवाही करूंगा ग्रौर सिचुएशन का हल करूंगा ग्रौर इनको जवाब भी दूंगा। ग्रगर ऐसी बात है कि एलकोहल कम्पनी से या दूसरी कम्पनी से उनका कोई सम्बन्ध है तो निश्चित् रूप से कार्यवाही की जायगी। यह मैं ग्राश्वासन देना चाहता हूं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : ग्रध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह जरूर कहा है कि इसकी जांच करवाऊंगा, मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं इसका सम्बन्ध इस बात से जोड़ता हूं कि पहले यह एलकोहल कम्पनी में नौकर थे ग्रौर जब ड्रग इन्सपेक्टर हुए हैं तो दवाइयां के बैच नम्बर्स एलॉट किये हैं, मैन्यूफेक्चरिंग फेक्ट्रीज को बैच नम्बर एलॉट किये हैं तो निश्चित तौर से उनका उनसे मेलजोल है, क्योंकि ग्राज तक राज्य सरकार ने जितने भी छापे मारे हैं उनमें 80 पर्सेन्ट दवाइयां नकली साबित हुई हैं। जयपुर उत्तर भारत में सबसे बड़ा सेन्टर है, जहां पर नकली दवाइयों की मैन्यूफेक्चरिंग फेक्ट्रीज हैं। ग्रापने छापे मारे उसके लिए तो मैं ग्रापको मुबारक बाद देता हूं, लेकिन जो मैन्यूफेचरिंग कम्पनी हैं ग्रौर बड़ी बड़ी फेक्ट्रीज हैं....

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक कान्क्रीट सवाल पूछना चाहता हूं कि ग्रापके यहां 5 ड्रग इन्सपेक्टर्स में से 2 के खिलाफ मैं

Page No. 18

18

(श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा)

स्थगन प्रस्ताव रखा था जिसमें मैंने दो ड्रग इन्सपेक्टर्स के लिए जयपुर की एक मैन्यूफेक्चरिंग [illegible] डिक्लेयर किया था, उसके बावजूद भी क्या कारण है कि आप आज इस स्थिति में नहीं हैं कि यह कह सकें कि एलकोहल कम्पनी में जो मैन्यूफेक्चरिंग केमिस्ट्स थे वह आपके ड्रग इन्सपेक्टर हैं, अलवर वाली मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी के केमिस्ट थे, वह आज आपके यहां ड्रग इन्सपेक्टर है। काफी समय होगया उस बात को। क्या आपने इस बात की जानकारी प्राप्त की ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि मंत्री महोदय ने अपने प्रश्न के उत्तर में बताया था कि एक ड्रग कम्पनी के यहां पर आपने छापा मारा तो अस्पताल के लिए बताई गई दवाइयां मिलीं। जब वह अस्पताल की दवाइयां वहां पर थीं तो वह चोरी से उनके पास आई हैं जिनको वह बेचते थे। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह 411 सेक्शन, आई० पी० सी० के तहत जुर्म बनता है तो क्या सरकार उनके खिलाफ 411 में मुकद्दमा दायर करने का इरादा रखती है या नहीं ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक तो यह है कि आपने जो सूची दी है तो उसमें एडल्टर्ड ड्रग्स के कितने हैं और दूसरा यह बताने का कष्ट करें कि क्या हास्पिटल में इस बात का इन्वेस्टीगेशन करके कि हास्पिटल में मरीज दवाइयों के अभाव में मरते रहें और वहां की दवाइयां केमिस्टों के [illegible] बाहर बेच दी जायं, तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही आपने प्रारम्भ की, और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का या उनको प्रोसीक्यूट करने का इरादा रखते हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : एक क्वेश्चन मेरा भी है। जो स्पूरियस दवाइयां पाई गई उन कारखानों को छोड़ क्यों रखा है ? अगर कारखानों पर रेड किया गया है तो उनके नाम बताने की कृपा करें। आपने जो प्रगतिशील कदम उठाया है इसलिए आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि दूसरा भी सही कदम उठायेंगे और उन कारखानों को कम से कम कठघरे में लाकर खड़ा करें, क्योंकि वह ज्यादा खतरनाक लोग हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जहां तक ड्रग इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति का सवाल है, उसके बारे में क्राइटेरिया बना हुआ है। उसके लिये यह जरूरी है, उनको एक्सपीरियन्स होना चाहिए। ड्रग इन्सपेक्टर्स हमने अभी लिये हैं, क्योंकि जो चैकिंग आर्गेनाइजेशन था, वह पूरी तरह से मेडिकल डिपार्टमेंट में मजबूत नहीं था। अभी हमने कोशिश की है। उस क्राइटेरिया के हिसाब से जब तक एक्सपीरियन्स न हो एनेलेसिस वगैरह का तब तक ड्रग इन्सपेक्टर एपाइंट नहीं हो सकता है। माननीय सदस्य ने यह बात बताई कि किन्हीं ड्रग इन्सपेक्टर्स की किसी मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी से सांठगांठ है। इस तरह की बात हुई तो मैं निश्चित तौर से कार्यवाही करूंगा मेरा उनमें इन्ट्रेस्ट नहीं है। जो भी ड्रग इन्सपेक्टर्स रखे जायें वे ईमानदार हों।

दूसरी बात यह है कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल उठाया वह सवाल यह था कि किसी के यहां पर स्पूरियस ड्रग्स मिले। जब हमने यह शुरू किया था तो यह क्राइटेरिया रखा था कि स्पूरियस ड्रग्स हों उनको पूरी पूरी सजा देनी चाहिए। एक्सपायर्ड डेट की दवाइयां मिलें तो उसको भी

(श्री मोहन लाल सुखाड़िया)

सजा मिलनी चाहिए और तीसरी जो हमारा रिएम्बर्समेंट रेकेट चल रहा है कि परचेजेज कुछ हैं और सेल्स कुछ हैं और खाली वाउचर्स मिलें उन पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। चूंकि हमारा ड्रग्स डिपार्टमेंट पहले इतना मजबूत नहीं था इसलिए माइनर इरेंग्युलेरिटीज हों, मैं खुले रूप में कहना चाहता हूं, पता नहीं लगा है हम उनको वार्निग देकर छोड़ देते हैं। यह तीनों बातें इस अभियान में शुरू की थीं। यह सही बात है कि इसमें जो मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनीज थीं उनको भी लिया था, और उसके बाद दवाईयां बेचने वालों को भी लिया। कुल छापे — 31-12-73 को हमने शुरू किया था, 32 जयपुर जिले में, 4 अजमेर जिले में, 4 भरतपुर, 7 गंगानगर जिले में, 4 अलवर जिले में और 3 सिरोही जिले में किये गये। इनमें से अभी कुल 42 संस्थानों को कारण बताओ नोटिस दिये जा चुके हैं, 24 जयपुर में, 7 गंगानगर में, 3 अजमेर में, 4 भरतपुर में और 4 अलवर में। इनमें से 12 संस्थानों के लाइसेन्स दिनांक 18-3-74 को रद्द कर दिये गये हैं। इनमें से दो दुकानें खुली नहीं पाई गई। उनका पता भी नहीं था। उनके भी लाइसेन्स रद्द कर दिये गये। इस प्रकार से 14 कुल लाइसेन्स रद्द कर दिये गये। काफी दवाइयां एनेलेसिस के लिए ली गई हैं और वह विचाराधीन हैं। जो भी दोषी पाया जायेगा उनको सजा दी जायेगी। उनकी दवाइयां पकड़ कर हमने उनको एनेलेसिस के लिए भेज दिया है। यहां पर भी उनका एनेलेसिस होगा और एनेलेसिस होने के बाद अगर स्पूरियस ड्रग्स पाये गये, तो, मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी इस दौरान मैं सदन से यह चाहता हूं कि जो अभियान चालू किया गया है उसमें माननीय सदस्य सहयोग दें, और कोई ड्रग इन्सपेक्टर भूल करे या कोई इस तरह की सांठगांठ करें तो सम्माननीय सदस्य उसकी सूचना देंगे तो उसके विरूद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: टाइम पूरा हो चुका है। स्थगित प्रश्न।

स्थगित प्रश्न

(6-3-74)

पाली जिले में बाढ़ से क्षति

82. श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे -

(1) पाली जिले में बाढ़ से क्षतिग्रस्त अथवा कृषि कार्य हेतु प्रत्येक पंचायत समिति में कितना सीमेंट माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 1973 में वितरण हेतु आवंटित किया गया ?

(2) क्या यह सही, है कि पंचायत समिति, सुमेरपुर को आवंटित सीमेंट के

(श्री सज्जन सिंह)
परमिट बंशीलाल बाल्दिया प्रधान द्वारा अधिकतर तखतगढ़ और सुमेरपुर में ही दिये गये ? अगर नहीं तो किन किन पंचायतों में कितना कितना सीमेंट दिया गया ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री गुलाबसिंह शक्तावत): (1) पाली जिले की प्रत्येक पंचायत समिति को अक्टूबर से दिसम्बर 1973 तक जो सीमेंट आवंटित की गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं । पंचायतवार सीमेंट वितरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट संख्या 3 देखें।)

श्री सज्जनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो मंत्री महोदय ने "जी नहीं" फरमाया यह मेरी समझ में नहीं आया । इसको स्पष्ट करवादें। इस "जी नहीं" से आपका क्या तात्पर्य है । मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन था, अध्यक्ष महोदय, कि क्या यह सही है कि पंचायत समिति ...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह तो शेर हो गया । जी नहीं फरमाया आपने मेरी समझ में नहीं आया । यह तो आपने शेर अर्ज कर दिया ।

श्री अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न फरमावें।

श्री सज्जनसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता था कि लिस्ट जो आपने दी है उसके आधार पर मैं यह निवेदन करता हूं कि आपने जो उत्तर दिया है वह गलत है। पंचायत समिति, सुमेरपुर को जितना सीमेंट एलॉट किया गया था उसमें सुमेरपुर आपर को 1592 बोरियां और तखतगढ़ आपर 1055 बोरियां एलांट की थीं, और यह प्रधानजी ने स्वयं ने किया है। क्या प्रधानजी को पंचायत समिति ने अधिकार दिया है । उनको अधिकार नहीं था उसके बावजूद एलॉट किया और आप फर्मा रहे हैं "जी नहीं," इसलिए मैंने निवेदन किया था कि मेरी समझ में नहीं आया । मंत्री महोदय की जानकारी में है क्या यह बात ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेरे "जी नहीं" का मतलब यह है कि केवल दो गांवों को ही नहीं दिया गया है । अलग अलग पंचायत समितियां हैं उन सब को दिया गया है ।

श्री सज्जनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन बिल्कुल क्लीयर था। प्रधान पंचायत समिति को पॉवर रेज की हैं। यह क्वेश्चन में भी था कि कृषि कार्य हेतु कितना सीमेन्ट एलॉट किया गया है ? तखतगढ़ और सुमेरपुर को इतना सीमेन्ट एलॉट करने का औचित्य मंत्री महोदय बता सकते हैं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : तखतगढ़ और सुमेरपुर को जो सीमेन्ट एलॉट किया गया है, वह वहां की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया गया है ।

श्री सज्जनसिंह : क्योंकि वहां मकान बहुत हैं, इसलिए किया है । यह कृषि कार्यों के लिए किया गया है क्या ?

श्री गुलाबसिंह : अलग अलग विषयों की जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री सज्जनसिंह : मेरा प्रश्न तो बहुत स्पष्ट है। क्या यह कृषि कार्यों के लिए किया गया है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप कहते हैं, कृषि कार्यों के लिए नहीं किया गया है या कोई गलती हुई है तो उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि कार्य हेतु डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा गया है। क्योंकि वह तखतगढ़ के निवासी हैं। वहां बिल्डिंग्स बनती रहती हैं। सुमेरपुर को भी एलॉट किया गया है। क्या मंत्री महोदय, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : प्रश्न के प्रारम्भ में आपने यह जानकारी नहीं मांगी थी। इसलिए उसके बारे में जानकारी देने में असमर्थ हूं। आप इस बारे में दुबारा कहेंगे तो जानकारी करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

स्थगित प्रश्न

(1[illegible]-[illegible]-1974)

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में नियुक्त डॉक्टर

172. श्री राम किशन (भरतपुर) एवं श्री केदार नाथ (श्री गंगानगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में कुल कितने डॉक्टर नियुक्त हैं ? निम्न विवरण के साथ सूची सदन की पटल पर रखने की कृपा करें :—

1. नाम डॉक्टर, 2 राज्य सेवा में नियुक्ति दिनांक, 3 जयपुर नगर में किस तिथि से हैं, 4 श्रेणी, 5 वेतन।

(2) जनवरी, 1973 से जनवरी 31, 1974 तक सवाई मानसिंह अस्पताल के कितने डॉक्टरों को स्थानान्तरित किया गया ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या जिन डॉक्टरों के उक्त अवधि में स्थानान्तरण किये गये उनमें से कुछ के स्थानान्तरण रद्द कर दिये गये ? यदि हां, तो किन किन डॉक्टरों के ? सूची सदन के पटल पर रखें और यह भी बतावें कि रद्द करने का क्या कारण था ?

(स्थगित किया गया)

इसकी सूची जरूरी है। यह लम्बा सवाल है। सूची के बिना नहीं पूछा जायेगा।

राज्य मंत्री (श्रीमती कमला बेनीवाल) : आप कहें तो मेरे पास जो है, वह भेज दूं।

श्री रामकिशन : यह तो हाउस का काम है। मेहरबानी का नहीं है। इसे स्थगित किया जाये, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री अजीतसिंह !

स्थगित प्रश्न (दिनांक 1[illegible]-3-74)

प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक

17[illegible]. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में तृतीय वेतन श्रृंखला में कितने प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक हैं ?

(2) उक्त प्रशिक्षित अध्यापकों में से कितने अध्यापकों की नियुक्ति सत्र 1973-74 में की जा चुकी है ?

(श्री अजीतसिंह)

(3) क्या जयपुर जिले में भी नियुक्तियां हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी और नहीं तो क्या कारण है ?

(4) क्या राजस्थान के अन्य जिलों में (जयपुर के अतिरिक्त) भी उक्त प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्तियां हुई हैं ? यदि हां, तो कब और कितनी ?

(5) राज्य में सत्र 1973-74 में कितनी प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक और कितनी उच्च प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया गया है ?

(6) इन क्रमोन्नत की गई शालाओं में कितने स्थान रिक्त हैं और कितने रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां की गई हैं ?

(7) शेष रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां क्यों नहीं की जा रही हैं जबकि सत्र आधा समाप्त होने जा रहा है ?

(स्थिगित किया गया)

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री फारुख हसन) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर नहीं आया है।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है ? स्थगित प्रश्नों के उत्तर भी नहीं आते हैं ?

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री रामप्रसाद बोहरा !

जिला झालावाड़ में अतिवृष्टि से फसलों को हानि

357. **श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन)** : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण जिला झालावाड़ में फसलों को काफी नुकसान हो गया ? यदि हां तो तहसील झालरापाटन के कितने ग्रामों में बाढ़ से 50% से भी ज्यादा नुकसान हुआ है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन बाढ़ग्रस्त ग्रामों में सहायता कार्य कब शुरू किये जावेंगे ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : यह सही है कि इस वर्ष अधिक वर्षा के कारण जिला झालावाड़ में खरीफ की फसल को नुकसान हुआ है। इस नुकसान के बाबत जिलाधीश ने अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजा है जो विचाराधीन है।

(2) सहायता कार्य खोलने की बात पर अभावग्रस्तता की घोषणा होने के बाद ही विचार किया जा सकेगा।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, सूची प्राप्त हुई नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि असेसमेन्ट में क्या आया है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सूची मैंने दी नहीं है। इसलिए प्राप्त होने का सवाल ही नहीं उठता है। इसमें झालावाड़, झालरापाटन, पिड़ावा, पंचपहाड़, अकलेरा, खानपुर, गंगधार, ये करीब 1591 गांव हैं। सामान्य वर्षा के मुकाबिले में इस वर्ष कितनी वर्षा

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
हुई है। कितना रकबा बेकार हुआ है। झालावाड़ से यह सूची जब प्राप्त होगी तो राज्य सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय 1500 गांवों का बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। उसके बाद शीत लहर से काफी नुकसान हुआ है। लोग अपने गांवों से बाहर जा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इस बारे में शीघ्र ही कार्यवाही की जाये। शीघ्र ही कार्यवाही नहीं की गई तो लोग भूखे मर जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री भीमसेन।

डूंगर कॉलेज बीकानेर में छात्रावास की व्यवस्था

158. श्री भीमसिंह (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि एम. एड. एवं डूंगर कालेज बीकानेर में छात्राओं एवं छात्रों के निवास हेतु होस्टल एकोमोडेशन नहीं है ? अगर हां तो उसकी पूर्ति हेतु यूनिवर्सिटी ग्राण्ट्स कमीशन से मिलने वाली सहायता के मैचिंग ग्राण्ट्स हेतु सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री फारूक हसन) : जी हां, यह सही है कि डूंगर कालेज, बीकानेर के छात्रों के लिए एक छात्रावास है। छात्रावास में आवास की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और उसके लिए पोलेटेकनिक छात्रावास भवन में छात्रों को व्यवस्था दिलाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने हेतु अभी तक योजना नहीं बनाई गई है चूंकि इन से पुस्तकालय भवन के निर्माण हेतु अनुदान प्राप्त किया जा रहा है। छात्रावास के लिए अनुदान पुस्तकालय भवन पूर्ण होने के पश्चात् ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्रावास के निर्माण की योजना तैयार की जायेगी।

राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर में एम०एड० प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए होस्टल की व्यवस्था है किन्तु छात्राओं के लिए होस्टल की व्यवस्था नहीं है। यू०जी०सी० से मिलने वाली सहायता के (मैचिंग) ग्राण्ट हेतु महाविद्यालय से प्रस्ताव मांगे गये हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक एफ-33-6164सी०बी०/पी०टी०ना० दिनांक 3-9-73 द्वारा 'टैम्पोरेरी बेन' कन्स्ट्रक्शन पर लगाया हुआ है।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार यह बता सकती है कि बीकानेर में देहात से जाने वाले कितने छात्र हैं। और, उनके लिए क्या व्यवस्था है ? क्या वह व्यवस्था पर्याप्त है ?

श्री फारूक हसन : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भीमसेन : अलग का सवाल नहीं है। होस्टल की कोई व्यवस्था नहीं है। निवास की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार उनके लिए कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री फारूक हसन : सवाल में आपने यह इस्तेमाल नहीं किया है। जवाब में बताया गया है। बहुत जल्दी व्यवस्था होने पर कर दी जायेगी।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : यह कब तक हो जायेगी ?

श्री फारूक हुसन : जल्दी से जल्दी हो जायेगी।

श्री गोपाल जोशी : जल्दी से जल्दी महीने में दो महीने में। कोई समय निश्चित कर दीजिये।

श्री भीमसेन : रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। होस्टल की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। सरकार समाजवाद की बात करती है। इसके लिए केन्द्र से ऋण लेने की व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री रामकिशन : यह गलत बात है। कभी आप भी प्रजा रहे हैं।

श्री केदारनाथ : श्री जोशी जी पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन में 1 लाख रुपया दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री रामकिशन : सवाल यह है, बीकानेर में पढ़ाने की जरूरत क्या है,

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कक्षा पांच व सात की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन

346. **श्री बृजीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कक्षा पांच, सात व अन्य कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन समय पर नहीं हुआ और अर्द्ध वार्षिक परीक्षा भी हो चुकी है ? यदि हां, तो प्रकाशन में विलम्ब के क्या कारण है ?

उत्तर

जी नहीं। कक्षा 5 व 7 की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन समय पर हो गया था तथा अन्य कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकें भी, केवल 4 पुस्तकों को छोड़कर, समय पर उपलब्ध हो गयीं थीं। ये 4 पुस्तकें मुद्रकों की अकर्मण्यता एवं उनकी लापरवाही के कारण कुछ विलम्ब से प्राप्त हुई, किन्तु यह भी अर्द्ध-वार्षिक से पूर्व ही आ चुकी थीं।

चीफ कन्जरवेटर ऑफ फॉरेस्ट द्वारा आत्महत्या

347. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि श्री महेन्द्र कुमार चीफ कन्जरवेटर ऑफ फारेस्ट्स, राजस्थान ने आत्म हत्या की ? यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार ने कोई जांच कराई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां। श्री महेन्द्र प्रकाश चीफ कन्जरवेटर ऑफ फॉरेस्ट राजस्थान ने जयपुर में अपने घर पर खुद गोली मार कर आत्म हत्या की थी। पुलिस की जांच जारी है अतः रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मिडिल स्कूल मैड को हायर सैकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किये जाने की मांग

272. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार तहसील विराटनगर की मिडिल स्कूल कस्बा मैड, जिसकी जनसंख्या 4000 से अधिक है, को सैकेण्डरी या हायर सैकेण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

सन 74-75 में किसी विद्यालय को सैकेण्डरी में क्रमोन्नत करने का प्रावधान नहीं है। पंचवर्षीय योजना में कुल 200 सैकेण्डरी स्कूल खोले जावेंगे। अतः इस योजना काल में इस प्रस्ताव पर अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ ही विचार किया जा सकेगा।

जिलेवार खोले गये स्कूल

273. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1973–74 में कुल कितनी स्कूलें विभिन्न जिलों में खोली गई ? कृपया प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलों की सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1973–74 में नई प्राथमिक शालाओं एवं प्राथमिक शाला से उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत की गई शालाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

संस्कृत विद्यालय ब्यावर की अध्यापिका

274. श्री केशरी मल (ब्यावर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर संस्कृत विद्यालय में अध्यापिका श्रीमती फूलकंवरी बाई को करीब दो वर्ष पूर्व कार्य मुक्त कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यापिका ने जब निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग को लिखा तो उन्होंने इस अध्यापिका को हटाना गलत बताया और उसे वापस कार्य पर लेने के आदेश दिये ?

(3) क्या यह भी सही है कि निदेशक के उक्त आदेश विद्यालय ने मानने से इन्कार कर दिया ?

(4) क्या यह भी सही है कि कुछ दिन बाद आदेश बदल दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या राज्य सरकार गलत तरीके से हटाई गई उक्त अध्यापिका को सेवा में वापस लेने के आदेश देगी ?

उत्तर

(1) श्रीमती फूलकंवरी बाई, जो सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय ब्यावर में तृतीय श्रेणी में अध्यापिका के पद पर कार्यरत थीं, को संस्था में तृतीय वेतन श्रृंखला के पदों के स्वीकृत स्टेंथ में कमी किए जाने के कारण अनुदान नियम 10 परिशिष्ट 3 के आधार पर तीन महीने का नोटिस देकर संस्था द्वारा हटाया गया। यह अध्यापिका प्रथम एवं द्वितीय कक्षाएं पढ़ाती थीं और

(शिक्षा मंत्री)

विभाग द्वारा स्वीकृत स्टैंथ कम करने के फलस्वरूप ये दोनों कक्षाएं संस्था द्वारा तोड़ दी गई। इस अध्यापिका का परीक्षा परिणाम भी असंतोषप्रद था।

(2) उक्त अध्यापिका के यह निवेदन करने पर कि उनसे कनिष्ठतम व्यक्ति को रखकर उन्हें सेवा से हटाया गया है अतः उनकी प्रार्थना पर संस्था को वरिष्ठता अनुसार कनिष्ठ को हटाकर श्री फूलकंवर को वापिस सेवा में लेने हेतु संस्कृत निदेशालय द्वारा लिखा गया था।

(3) विभाग के उक्त आदेश पर संस्था ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि उक्त अध्यापिका की नियुक्ति 1-9-61 के बाद होने से व अप्रशिक्षित होने के कारण विभागीय आदेशों से इनका वेतन मान्य न होने के कारण हटाया गया है।

(4) जब संस्था को प्रश्न के भाग 3 के आधार का पत्र प्राप्त हुआ और अध्यापिका के योग्यता प्रमाण पत्रों को देखा गया तो ज्ञात हुआ कि अध्यापिका मेट्रिक भी नहीं है और अन्य व्यक्ति जो पहले से सेवा में थे प्रशिक्षित है और पद की निर्धारित योग्यता रखते हैं, अतः निर्धारित योग्यता के अभाव में संस्था द्वारा इनको सेवा मुक्त कर विभाग से पुष्टि करवाई।

(5) अध्यापिका सेवा हेतु निर्धारित योग्यता नहीं रखती है और न प्रशिक्षित है, अतः ऐसी स्थिति में अध्यापिका का पुनः सेवा में लिया जाना संभव नहीं है।

झालावाड़ जिले की सड़कों की मरम्मत का कार्य

275. श्री भैरूलाल (अकलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले की अकलेरा से बकानी वाया मालता, मनोहर, थाना से हरनावदा वाया नावर घाटोली से चुरेल्या वाया सरावन्डिया, बोरखेड़ी से सरड़ा, अकलेरा से मनोहरथाना वाया लतास, अकलेरा से खिलचीपुर वाया घाटोली सड़कों की मरम्मत कब हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों की हालत बहुत खराब है ? यदि हां, तो इन की मरम्मत का कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

(3) क्या यह सही है कि मनोहरथाना से बीनागंज रोड के नालों की तथा कालीखाड़ नदी की पुलिया की रकम बजट में स्वीकृत थी परन्तु अब तक उक्त पुलियाओं के निर्माण कार्यों की शुरूआत नहीं की गई है ? यदि हां, तो इन पुलियाओं के निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

उत्तर

(1) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) जो सड़कें विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं हैं, उनकी मरम्मत विभाग द्वारा नहीं कराई जाती है।

वांच्छित सूचना उपरोक्त सूची (अ) में अंकित कर दी गई है। जो सड़कें विभाग की मरम्मत सूची पर हैं वह यातायात योग्य हैं।

(3) मनोहर थाना से बीनागंज रोड पर 5 बड़े नाले हैं जिनमें से केवल काली

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)
खाड नदी पर ब्रिज निर्माण का 73-74 में बजट प्रावधान है जिसका कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 1974-75 में पूर्ण होने की आशा है। शेष 4 नालों का कार्य अर्थाभाव के कारण आरम्भ नहीं कराया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

ग्राम कातर वाया लालगढ़ चाऊ सड़क की मरम्मत का कार्य

276. **श्री चुन्नी लाल इन्दलिया** (नौखा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के ग्राम कातर वाया बाड़सर लालगढ, चाऊ जिला नागौर सड़क की मरम्मत कराकर कब तक डामर की बनवा दी जायेगी ?

उत्तर

क्रेश योजनान्तर्गत कातर से लालगढ़ भाग में 7 किलोमीटर डामर व 4 किलोमीटर मेटल रोड निर्माण हो गया है। आगे 4 किलोमीटर में मेटलिंग कार्य प्रगति पर है।

डामर रोड निर्माण की स्वीकृति नहीं है।

भरतपुर जिले में बाढ़ से हुई क्षति

277. **श्री रामकिशन** (वैर), **श्री केदारनाथ** (श्रीगंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान बनने के बाद अब तक भरतपुर जिले में कितनी बार किस किस वर्ष में बाढ़ आई और इससे चल व अचल सम्पत्ति की कितनी क्षति किस किस वर्ष हुई है ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) बाढ़ नियन्त्रण पर सरकार ने कुल कितना रुपया किस किस वर्ष खर्च किया ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सन् 1965, 1967, 1969, और 1972 में बाढ़ आई थी तथा चल एवं अचल सम्पति की क्षति हुई। यह विषय जिलाधीश, भरतपुर से सम्बन्धित है। बांधों की क्षति हुई वह निम्न प्रकार है। सन् 1965 में 1.49 लाख सन् 1967 में 590 लाख, सन् 1969 में 8.50 लाख रु० एवं 1972 में 40.0 लाख, की क्षति हुई थी सन् 1956 तथा 1958 में भी बाढ़ से क्षति हुई थी जिसकी विस्तृत जानकारी एकत्रित करवाई जा रही है।

(2) बाढ़ नियंत्रण पर सरकार ने कुल खर्चा सन् 1965 से सन् 1972 तक रु० 3,81,16,816-00 किया जो कि वर्ष सन् 1965, 1967, 1969, व 1972 के बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर खर्च किया गया है। जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

सन् 1965	रु० 85,49,728
सन् 1967	रु० 54,88,193
सन् 1969	रु० 75,40,895
सन् 1972	रु० 1,65,38,000

सिंचाई पर किया गया खर्च

278. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सिंचाई पर सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है ? योजनावार और जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या जयपुर जिले के सिंचाई साधनों से सरकार सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) अल्प समय में मांगी गई सूचनाएं दिया जाना संभव नहीं है ।

(2) जयपुर जिले में यथा संभव जल साधनों का सिंचाई हेतु उपयोग किया गया है।

ढूंडी नदी पर कानोता सिंचाई योजना को, जिसके द्वारा लगभग 40 लाख रु० की लागत से 3,080 एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लिये जाने का प्रस्ताव है ।

इसके अलावा साबी नदी के केचमेंट में करीब 25 लघु सिंचाई योजनाओं के तखमीने बनाये जा रहे हैं जिनकी अनुमानित लागत 124 लाख रुपये होगी और सिंचाई क्षमता 8,009 एकड़ होगी ।

सीकर जिले के गांवों का विद्युतकरण

279. **श्री भाबरमल गुप्ता** (फतहपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विद्युत मण्डल ने सीकर जिले में अकाल सहायता से बने कुओं को विद्युत देने के लिए तत्कालीन जिलाधीश श्री भण्डारी द्वारा दिया गया सुझाव रद्द कर दिया ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार सीकर जिले में अकाल सहायता से बने समस्त कुओं को दो साल के भीतर बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कोई योजना बनाने का विचार रखती है ?

(2) फतेहपुर तहसील के कितने गांवों में बिजली उपलब्ध है तथा कुल कितने कुओं पर बिजली से सिंचाई होती है ?

(3) सीकर जिले में रींगस के पास बनने वाले 132 के० वी० ग्रिड स्टेशन के कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

(4) क्या सरकार की फतेहपुर तहसील (जिला सीकर) को अधिक बिजली उपलब्ध कराने की योजना है ? अगर हां तो क्या राज्य सरकार जिला उत्पादन कमेटी द्वारा प्रस्तावित गांवों में विद्युतीकरण के लिए दुबारा सर्वे कराने का विचार रखती है जिससे कि अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत बने कुओं को बिजली मिल सके ।

उत्तर

(1) अकाल सहायता में बनाये गये 4,000 कुओं के विद्युतीकरण करने का तत्कालीन जिलाधीश, सीकर के प्रस्ताव को रद्द करने का प्रश्न नहीं है । यह कुए पूरे जिले में बनाये गये थे और कुए बनाने के पहले जिलाधीश महोदय ने मण्डल के उच्चाधिकारियों से किसी भी प्रकार की

(विद्युत् मंत्री)
सलाह नहीं ली थी कि इतने कुओं का विद्युतीकरण विद्यमान सिस्टम पर तकनीकी दृष्टि से साध्य भी है या नहीं। कितने समय में इन सभी कुओं को बिजली पहुंचाई जा सकेगी, यह धन एवं आवश्यक सामान की उपलब्धि पर निर्भर है। मण्डल ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से इस जिले के लिये अधिकाधिक ऋण प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील है।

(2) फतेहपुर तहसील के कुल 10 ग्रामों में इस समय बिजली उपलब्ध है तथा इस तहसील में 62 कुए बिजली से चल रहे हैं।

(3) इसके अप्रेल-मई 1974 में चालू होने की संभावना है।

(4) राज्य सरकार सभी तहसीलों में अधिकाधिक बिजली उपलब्ध कराने की इच्छा रखती है परन्तु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के नियमानुसार केवल उन्हीं क्षेत्रों की स्कीमें स्वीकृत होती हैं जिनमें भू-गर्भ जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। इस प्रकार की योजना बनाते समय गांवों के चयन में जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा प्रस्तावित गांवों का भी ध्यान रखा जाता है। साथ ही लघु सिंचाई परियोजना में लिये गये गांवों का भी ध्यान रखना पड़ता है।

घग्घर नदी के बाढ़ के पानी के उपयोग पर सिंचाई दर

280. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि घग्घर नदी में जब बाढ़ आती है तो उसकी बाढ़ का पानी बहुत बड़े बड़े खेतों में कई महीनों तक रहता है और जो बाद में भूमि में जज्ब (एब्जार्ब) हो जाता है. मगर यदि किसान उस पानी को मशीन से उठाकर अपने खेत की सिंचाई करते हैं तो सरकार उस पर सचाई दर कायम कर देती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री ने 29 दिसम्बर, 1973 को सूरतगढ़ में उनसे मिले शिष्ट मण्डल को यह विश्वास दिलाया था कि सरकार भविष्य में किसानों पर ऐसी कोई सिंचाई दर कायम नहीं करेगी और जो काश्तकार उस पानी को उठाना चाहें लिफ्ट द्वारा उन पर कोई रोक नहीं लगाई जायेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस निर्णय से सिंचाई विभाग के अधिकारियों को अवगत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(क) जी हां, सिंचाई दर नियमानुसार लगाई जाती है। लिफ्ट किए गये पानी के लिए कोई अतिरिक्त दर नहीं लगाई जाती है।

(ख) जी नहीं, इस विभाग को ऐसे आश्वासन की कोई जानकारी नहीं है।

नोहर और सिद्धमुख कैनाल परियोजना

281. श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ में सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता उत्तर के नये कार्यालय का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन सिंचाई मंत्री ने यह घोषणा की थी कि सिद्धमुख कैनाल और नोहर कैनाल की योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा इन

Page No. 30

3.0

(श्री ज्ञानसिंह चौधरी)

पर शीघ्र ही काम शुरू कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो नोहर और सिद्धमुख कैनाल परियोजनाओं का काम किस स्तर पर चल रहा है ?

(2) उक्त दोनों प्रस्तावित योजनाओं के अन्तर्गत कितने और कौन कौन से गावों की भूमि सिंचित होगी ?

(3) उक्त दोनों परियोजनाओं पर कितना व्यय होगा और इन दोनों परियोजनाओं के काम को पूरा करने के लिए कितने समय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस तरह की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(2) इन योजनाओं के लिये हरियाणा और पंजाब सरकार के साथ समझौता करना है। समझौते के बाद विस्तृत सर्वे करके यह जानकारी देना संभव है।

(3) यह जानकारी भी अभी देना संभव नहीं है।

जयपुर जिले के ग्रामों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव

282. **श्री हनुमान सहाय व्यास** (बैराठ): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 2000 की आबादी वाले ग्रामों को मुख्य सड़कों से जोड़ने हेतु सरकार द्वारा योजना तैयार कराई जा रही है? यदि हां, तो जयपुर जिले के किन किन ग्रामों को किन किन मुख्य सड़कों से जोड़ने के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं और किन किन सड़कों का कब कब निर्माण पूरा होगा ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में क्रेश एवं अकाल राहत कार्यों में सड़कों का कार्य शुरू किया गया था, जो कि अपूर्ण है ? क्या इन सड़कों को इन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने का विचार है ? यदि हां, तो किस किस सड़क को और कब कब ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की तहसील विराटनगर की जनता की मांग मनोहरपुर से प्रतापगढ़ वाया मेड़, विराटनगर से मेड़ वाया तेबड़ी, विराटनगर से आंतेला वाया छितोली किशनपुरा एवं मनोहरपुर से खेजरोली वाया राडावास, जगतपुरा, कानौता, बिलान्दरपुर एवं अमरसर से खेजरोली वाया तनूतपुरा, करोरी, बिलान्दरपुर तथा अन्य सड़कों का निर्माण किये जाने की मांग राज्य सरकार एवं विभाग के पास पैंडिंग है ? यदि हां, तो किस किस सड़क की ओर यह कब तक निर्माण होगा ? कृपया ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत 2000 आबादी वाले ग्रामों को मुख्य सड़कों से जोड़ने की योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अतः जयपुर जिले के ग्रामों को किन किन सड़कों से जोड़ा जावेगा, अभी निश्चित नहीं है।

(2) अकाल राहत कार्यों में आरम्भ की गई सड़कें राहत कार्य बजट नहीं होने के कारण अधूरी हैं। क्रेश योजना में स्वीकृत सड़कों पर उपलब्ध धनराशि अनुसार कार्य प्रगति पर है। अधूरी सड़कों को अन्य योजनाओं में पूर्ण किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) तहसील बैराठ को विधायक ने भिन्न भिन्न ग्रामों को मुख्य सड़कों से जोड़ने व सड़कों के निर्माण की मांग सरकार से की है जो प्राथमिकता प्रमुखता के आधार पर विचाराधीन है।

विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के सेवारत कर्मचारी

283. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के सेवारत कर्मचारी कितने कितने प्रतिशत हैं? विभागवार, जिलेवार व पदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस प्रतिशत से सन्तुष्ट है? यदि नहीं, तो इसमें सुधार के लिये क्या क्या कदम उठाये गये व उठाये जावेंगे?

(3) भविष्य में 28 प्रतिशत सुरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

(स्थगित किया गया)

बीकानेर में बस स्टेण्ड बनाने के स्थान का चयन

284. चुन्नीलाल इन्दलिया (नौखा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार बीकानेर में रोडवेज का बस स्टेण्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या इसके लिये उपयुक्त स्थान तय कर लिया गया है? यदि हां, तो कहां तथा स्टेन्ड कब तक बन जायेगा?

(2) इस पर कितनी राशि व्यय की जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। बस स्टेण्ड बीकानेर गंगानगर राष्ट्रीय मार्ग पर लालगढ़ महल के सामने बनाया जावेगा। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1974-75 के बाद ही शुरू किया जाना संभव होगा।

(2) अभी इस कार्य के लिये वित्तीय प्रावधान नहीं होने से अनुमानित राशि का निर्धारण नहीं किया गया है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई छात्रवृत्ति

285. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा गत दस वर्षों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृत्ति दी गई? जिलेवार व वर्ष वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में हर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है? यदि नहीं तो क्यों और क्या इससे शिक्षा में अवरोध उत्पन्न नहीं होता?

(स्थगित किया गया)

बेरोजगार स्नातकों को सहायता हेतु दी गई धनराशि

286. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के बेरोजगार स्नातक एवं स्नातकोत्तर को सहायता देने के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया है तथा कितने व्यक्तियों ने राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत किए तथा उनमें से कितनों को धन-राशि मंजूर की गई ?

(2) बाड़मेर, जैसलमेर एवं जालौर जिले के कितने स्नातकों एवं स्नातकोत्तर आवेदकों को उक्त राशि दी गई। जिलेवार स्नातकों एवं स्नातकोत्तर की नामावली मय पत्ते की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग के वर्ष 1973-74 के बजट में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के बेरोजगार स्नातक एवं स्नातकोत्तर आशार्थियों को बेरोजगार वृत्तिका देने हेतु 10.35 लाख रुपयों का प्रावधान रखा है। बेरोजगार वृत्तिका प्राप्त करने हेतु 1243 आशार्थियों ने अपने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये थे जिनमें से 1,087 आशार्थियों को बेरोजगारी वृत्तिका स्वीकृत की गई है।

(2) बाड़मेर, जैसलमेर एवं जालौर जिलों के निम्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर आशार्थियों को वृत्तिका स्वीकृत की गई है:—

क्र०सं०	जिला	नाम आशार्थी मय	जाति	शैक्षणिक योग्यता
1	बाड़मेर	श्री मांगीलाल पुत्र श्री अवाराम, रेल्वे क्वार्टर टी 11'ए' बाड़मेर	हरिजन	एम० ए०
2	बाड़मेर	श्री हुन्साराम पुत्र श्री नारायणदास, ग्राम व पोस्ट मोकलसर, तहसील सिवाना	गरुड़ा	बी०ए०
3	जैसलमेर	..	..	..
4	जालौर	श्री इन्दरमल पुत्र श्री चिमनाराम, ग्राम मोडरन, स्टेशन पो० मोहरन स्टेशन	मोची	एम० ए०

इन्ट्रावीनस फ्लुइड्स का उत्पादन

287. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जोधपुर एस०एन०मेडीकल कॉलेज एवं सम्बन्धित अस्पताल में इन्ट्राव्रीनस फ्लुइड्स बनाने का नगण्य प्रबन्ध है ?

(2) क्या यह सत्य है कि जयपुर के एस०एम०एस० मेडीकल कॉलेज एवं सम्बन्धित अस्पताल में 600 बोतलें प्रति दिन इन्ट्रावीनस फ्लुइड्स बनाने का प्रबन्ध है ? यदि हां, तो जोधपुर में 300 बोतल उपरोक्त फ्लुइड्स की दैनिक आवश्यकता होते हुए भी उसके उत्पादन का कार्य अब तक प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया ?

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

(1) जोधपुर मेडिकल कॉलेज एवं सम्बधित अस्पतालों में इन्ट्रावीनस फ्लुइड्स बनाने का प्रबन्ध है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने सन् 1974-75 के वजट में 36 हजार रुपयों का प्रावधान इस उद्देश्य से किया है कि इन्ट्रावीनस फ्लुइड्स, जो बनाये जा रहे है, उनकी क्वालिटी में सुधार किया जा सके।

(2) वर्तमान में सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज एवं सम्बन्धित चिकित्सालयों में केवल 200 बोतल प्रतिदिन इन्ट्रावीनस फ्लुइड्स बनाने का प्रबन्ध है। जोधपुर में 300 बोतल इन्ट्रावीनस फ्लुइड्स की आवश्यकता है, जिसमें केवल 50 बोतल ही प्रतिदिन बनाने का प्रबन्ध है। अर्थाभाव के कारण इस कमी को पूरा करने का प्रबन्ध नहीं किया जा सका।

रोजगार नियोजन कार्यालय, जयपुर

288. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या श्रम व नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रोजगार नियोजन कार्यालय, जयपुर में गत दो वर्षों में कितने लोगों का नाम रजिस्टर्ड किया गया ?

(2) रजिस्टर्ड व्यक्तियों में से किस किस श्रेणी के लोगों को किन किन पदों पर रोजगार दिया गया ? वर्ष अनुसार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या नियोजन विभाग में दूसरे विभाग से चाही गई योग्यता वाले रिक्त पदों का नोटिस बोर्ड पर अंकन किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सन् 1972 व 1973 में उपक्षेत्रिय नियोजन कार्यालय, जयपुर में क्रमशः 29,068 व 28,177 लोगों का नाम पंजीयन हुआ

(2) वर्ष 1972 व 1973 में रोजगार पर लगे व्यक्तियों की सूची श्रेणी अनुसार सदन की मेज पर रख दी है।

(3) नियोजन कार्यालय में उन्हीं स्थानों की सूचना पटल पर लगायी जाती है जिनके लिये प्रार्थी चालू पंजिका पर उपलब्ध नहीं होते हैं तथा जिसके लिये अन्य नियोजन कार्यालयों को भी लिखा जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

विभिन्न अस्पतालों में पड़ी हुई खराब मशीनें

289. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के किस किस अस्पताल में कौन कौन सी मशीनें, एप्रेटस और एप्लाईएन्सेज कब कब से उपयोग में नहीं आ रहे हैं और क्यों ? उनकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त मशीनों की मरम्मत एवं इनको सुधारने के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(स्थगित किया गया)।

जयपुर जिले का औद्योगिक सर्वेक्षण

290. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No. 34

34

(श्री हनुमान सहाय व्यास)

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार जयपुर जिले का औद्योगिक सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो कब ? सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चौमूं, शाहपुरा, दूदू, कोटपूतली, विराटनगर, मनोहरपुरा, दौसा को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने का राज्य सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? तथा किन किन उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर इन क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जायेगा ?

(3) क्या उक्त स्थानों पर उद्योग कायम किये जाने हेतु विभाग द्वारा भू-खण्ड प्राप्त कर रिजर्व कर लिये हैं ? यदि हां, तो कौन से ग्राम में और कौन कौन से भू-खण्ड ?

उत्तर

(1) जी हां। सर्वेक्षण 1973 में किया गया। प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इस सर्वेक्षण के आधार पर चौमू व दौसा में ग्रोथ सेन्टर्स बन सकते हैं। यह रिपोर्ट अभी ही प्रकाशित हुई है तथा इन दोनों स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के सम्बन्ध में सघन सर्वेक्षण करने के पश्चात् उचित विचार किया जा सकता है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राज्य में सेवारत अधिकारियों की संख्या

291. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या मुख्य मंत्री (नियुक्ति) यह बताने की कृपा करेंगे —

राज्य में सेवारत कुल कितने आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, आर० ए० एस०, आर० पी० एस०, आर० जे० एस० व आर० एच० जे० एस० अधिकारी व न्यायाधीश हैं ? इनमें फरवरी, 1974 तक कितने अनुसूचित जाति व कितने अनुसूचित जन-जाति के हैं ? कृपया श्रेणीवार व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

आई० ए० एस० के कुल 149 अधिकारी हैं जिनमें:-

अनुसूचित जाति के 6 हैं।

अनुसूचित जन-जाति के 5 हैं।

आई० पी० एस० के कुल 84 अधिकारी है जिनमें :-

अनुसूचित जाति के 4 हैं।

अनुसूचित जन-जाति के 2 हैं।

आर० ए० एस० के कुल 355 अधिकारी हैं जिस में :-

अनुसूचित-जाति के 13 हैं।

अनुसूचित जन जाति के 6 है

आर० पी० एस० के कुल 160 अधिकारी हैं जिनमें:-

अनुसूचित जाति के 10 हैं।

अनुसूचित जन-जाति के 4 हैं।

(मुख्य मंत्री)

आर०जे०एस० के कुल 171 अधिकारी हैं जिनमें :—

अनुसूचित जाति के 9 हैं।

अनुसूचित जन-जाति के 2 है।

आर० एच० जे० एस० के कुल 48 अधिकारी हैं जिनमें :-

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के शून्य हैं।

सूची संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भवनों के निर्माण हेतु गर्डर्स की व्यवस्था

292. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में भवनों के निर्माण में काम आने वाले गर्डर्स किस किस कारखाने में निर्मित होते हैं एवं उनका विक्रय किस किस प्रकार से होता है ?

(2) राजस्थान में भवनों के निर्माण हेतु गर्डर्स राजस्थान के बाहर से कौन कौन व्यापारी, कहां कहां से कितना कितना गत दो वर्षों में खरीद कर लाया एवं उसका विक्रय राजस्थान में किस प्रकार से किया गया ?

(3) क्या स्कूलों, कॉलेजों एवं इसी प्रकार के अन्य धर्मार्थ भवनों हेतु गर्डर्स उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने कोई व्यवस्था बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) भवनों के निर्माण में काम आने वाले गर्डर्स निम्नलिखित कारखानों में निर्मित होते हैं:-

1. मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुरा, राउरकेला (भिलाई)

2. मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, जमशेदपुर।

3. मैसर्स इण्डियन आयरन एण्ड स्टील क० लिमिटेड, बर्नपुर।

इनका आवंटन व विक्रय भारत सरकार द्वारा स्थापित ज्वाइन्ट प्लान्ट कमेटी, कलकता की निर्धारित नीति के अनुसार होता है।

(2) लोहे के सामान पर कोई नियंत्रण न होने के कारण व्यापारियों द्वारा इसका व्यापार मुक्त रूप से किया जाता है। आयरन स्टील की पॉलिसी के अनुसार व्यापारियों की नियुक्ति प्रोड्यूसर्स द्वारा सीधी ही की जाती है और वो ही उसका विक्रय करते हैं। अतः इस सूचना का संबंध उद्योग विभाग से नहीं है।

(3) जी हां।

स्कूलों कॉलेजों व अन्य धर्मार्थ भवनों हेतु गर्डर्स का आवंटन राजस्थान लघु उद्योग निगम में जो मैटीरियल प्राप्त होता है उसमें से 10 प्रतिशत तक दिये जाने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा राजस्थान लघु उद्योग निगम को सिफारिश भेजी जाती है। उक्त माल की उपलब्धि होने पर राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा माल दे दिया जाता है।

अकाल सहायता कार्य स्थलों पर पड़ा हुआ सामान

293. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में सन् 1967-68 से लेकर अब तक जो अकाल सहायता कार्य खोले गये उन अकाल सहायता कार्य स्थलों पर कितना कितना सामान, कितनी राशि का, किस प्रकार का अभी तक पड़ा हुआ है ? प्रत्येक सहायता कार्य स्थल पर पड़े सामान की अलग 2 सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त सामान की देख रेख के लिए सहायता विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की हुई है ?

(स्थगित किया गया)

जिला जालोर में बाढ़ से हुई क्षति

294. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या अकाल एवं बाढ़ सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सांचोर, जिला जालौर में हाल ही में आई बाढ़ से कितने ग्रामों में, क्या क्या क्षति कितने की आंकी गई ? क्षतिपूर्ति के लिये सरकार द्वारा अब तक जिनके मकान बह गये थे उन्हें व अन्य को क्या क्या सहायता प्रदान की गई है ? ऐसे व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) उक्त बाढ़ से किस किस गांव में, किस किस काश्तकार की कितनी कितनी खातेदारी की भूमि तहसील सांचोर में खराब हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें । ऐसे काश्तकारों को क्षतिपूर्ति के लिये राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या क्या सहायता प्रदान की गई है ? भविष्य में क्या क्या सहायता प्रदान की जावेगी ?

(3) तहसील सांचोर के बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ, किस किस ग्राम में, किन किन व्यक्तियों को अब तक कपड़े बांटे गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। देरी तक कपड़े न बांटने के क्या क्या कारण थे, पूरे कपड़े कब तक बांट दिये जावेंगे ?

(स्थगित किया गया)

कोटपूतली में सीमेंट फैक्टरी की स्थापना

295 श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार कोटपूतली में सीमेण्ट फैक्ट्री स्थापित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु किस किस के आवेदन-पत्र पेण्डिंग हैं तथा इन पर अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

राज्य क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री लगाने का कोई विचार नहीं है । निजी क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री लगाने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिये रेमन्ड वूलन मिल्स ने जो आवेदन-पत्र दिया था वह भारत सरकार के पास विचाराधीन है और वहां ही कार्यवाही हो रही है ।

सर्वश्री झुंझुनवाला व नन्दलाल अग्रवाल ने कोटपुतली के पवाना क्षेत्र में चूने के पत्थर के खान पट्टे के लिये आवेदन-पत्र दे रखे हैं

(उद्योग मंत्री)

उसमें उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री लगाने की इच्छुकता बताई है। यह आवेदन-पत्र भी भारत सरकार के पास विचाराधीन है।

टीन की चद्दर का परमिट

296. श्री केशरदेव (लक्ष्मणगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उप-निदेशक, उद्योग विभाग, चूरू के द्वारा कई फर्मों को टीन चद्दर का परमिट दिया गया है ? अगर हां, तो किस पार्टी को कब कितना किस कार्य हेतु दिया गया है ? पूर्ण नाम पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उप-निदेशक ने दिनांक 18-12-73 से कहां तथा किस कार्य हेतु यात्रा की ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि महावीर आइरन वर्क्स, आइरन सेफ मेन्युफेक्चरिंग, चूरू, आइरन इन्टीसिज, न्यू आइरन तोषन वाटर रेडियो के नाम की चूरू में फर्में हैं? अगर हां, तो कब से तथा इन्हें टीन चद्दर का कब कब कितना कोटा दिया गया तथा मालिक फर्म व प्रोपराइटर का नाम दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था !

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है-

(1) सर्वश्री रामानन्द अग्रवाल, योगेन्द्रनाथ हांडा व गुमानमल लोढ़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से गत 19 मार्च को सूरतगढ़ के पत्रकार करनीदान पर तस्कर व्यापार करने वालों द्वारा किये गये हमले के सम्बन्ध में। इस विषय में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) श्री केसरीमल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विद्युत् विभाग के श्रमिकों को 30 रुपये प्रति मास अन्तरिम वृद्धि न देने के सम्बन्ध में।

(3) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले गेहूं के भाव में वृद्धि करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री गुमानमल लोढ़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से सरदारपुरा, जोधपुर की पुलिस द्वारा लक्की इलेक्ट्रिक स्टोर के व्यक्ति को नाजायज तौर पर थाने में बैठा लेने के सम्बन्ध में।

ये प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार कर्मचारियों के गत आन्दोलन के समय गिरफ्तार किये गये जयपुर के निर्दोष नागरिकों के मुकद्दमे अदालत से वापिस नहीं लेने के सम्बन्ध में। यह प्रश्न भी अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है और हाल ही किसी घटना से सम्बन्धित नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं

Page No. 38

38

(श्री अध्यक्ष)

(6) सर्वश्री गिरधारीलाल भार्गव, रामकिशन, केदारनाथ, गुरदयालसिंह सन्धु, सदस्य, विधान सभा की ओर से बिहार राज्य में चल रहे जन-आन्दोलन के सम्बन्ध में। यह प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामकिशन (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने बिहार के जन-आन्दोलन के ऊपर स्थगन प्रस्ताव पर यह व्यवस्था दी है कि यह प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है। यह कह कर इस प्रश्न को नहीं टाला जा सकता। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन के अन्दर वियतनाम के प्रश्न पर विचार किया है, बंगला देश के प्रश्न पर विचार किया है, मध्य प्रदेश के प्रश्न पर विचार किया है। न सब प्रश्नों पर विचार इस सदन में चला है। अब जो बिहार में जन-आन्दोलन हो रहा है, उसके सम्बन्ध में आपने कहा कि इसका सीधा राज्य सरकार से सम्बन्ध नहीं है। सम्बन्ध है क्यों नहीं, गुजरात के अन्दर जो जन-आन्दोलन हुआ, उसका प्रभाव बिहार में पड़ा, बिहार में यह स्थिति पैदा हो गई, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में यह समस्या पैदा हो गई। तो अब राजस्थान पर उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता है। आज देश के अन्दर जिस प्रकार का असंतोष बढ़ रहा है और जिससे हिंसा बढ़ रही है, उसको केवल विशिष्ट नियमों में बांध कर उस सवाल पर विचार नहीं किया तो यह स्थिति राजस्थान राज्य में भी पैदा हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि सरकार से इस प्रश्न पर सलाह-मशविरा करके, इस प्रश्न पर, इस सदन में बहस रखना बहुत जरूरी है। इसी सदन के अन्दर हमने वियतनाम की घटनाओं पर विचार किया है, बंगला देश की स्थिति पर विचार किया है और मध्य प्रदेश की घटनाओं पर चर्चा की है ....

श्री अध्यक्ष: हाउस की यूनेनिमिटी थी।

श्री रामकिशन: मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो देश में हालत पैदा हुई है, गुजरात के बाद में बिहार में पैदा हुई है, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में पैदा हो रही है। राजस्थान के अन्दर भी यह समस्या खड़ी हो जायगी। मुझे सूचना मिली है, पता नहीं सच है या गलत है, यह सूचना मिली है कि हमारी जो बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसको बिहार में भेजा गया है। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न उलझा हुआ है और इस प्रकार की देश में घटनायें होंगी तो निश्चित तौर पर राजस्थान में उसका असर होगा। इसलिये इस पर आपको पुनर्विचार करना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी कट मोशन के सम्बन्ध में इस प्रश्न को उठाया था और आज स्थगन प्रस्ताव रखने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि कल मेरे कट मोशन को रखने के पश्चात् भी मेरे पास सूचना आई है इस सम्बन्ध में कि फिर गम्भीर घटनाये हुई हैं। मुझे ट्रंक काल कल बारह बजे और दो बजे प्राप्त होते रहे। इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव मैंने इस सदन में कुछ दिन पहले भी रखा था, 18 तारीख को जोरावर सिंह के यहां सो रहे थे एक एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर, नागपाल और चूंकि उसने वहां पर, सूरतगढ़ के अन्दर छापे मारे थे और छापे मारने में मददगार रहे थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक सेक्रेटरी, रामप्रकाश हीरा,

(श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा)

मूलचन्द और करनीदान जी, जो भारत जन निकालते हैं, पत्रकार हैं, यह उसके अन्दर सहायक थे। उस समय मैंने स्थगन प्रस्ताव में इस बात की घोषणा की थी, उस समय इन्सपेक्टर जो वहां पर आज कल ए. एस. पी. एन्टी-करप्शन, पटावरी, उदयपुर के हैं और उनका घर सूरतगढ़ में है, वहां ठहरे हुए थे, और क्योंकि छापा मारा था एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर ने, उसे ए. एस. पी. जी उठा कर ले गये और उसको मजबूर किया गया कि दर्ज की गई है एफ. आई. आर. जो लिखित में दी है, वह फाड़ दी जाय और जो रसीद है, वह फाड़ दी जाय .....

श्री अध्यक्ष : थोड़े में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उस समय मैंने कहा था कि इस एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर के साथ, जो गवर्नमेंट का आफिसर है, वहां की पुलिस और वहां के जखीरेबाज इस किस्म का व्यवहार कर सकते हैं। वह ए०एस०पी० उसको घर से उठाकर ले जाकर, सारी रात उसको पीटता रहा और उसकी एफ० आई० आर० फाड़ दी, कागजात फाड़ दिये और जैसी मर्जी आयी उस पर उसका अंगूठा लगवा लिया। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, वह इन्सपेक्टर दो दिन तक बीमार पड़ा रहा, छुट्टी ले कर ...

श्री अध्यक्ष : आपके स्थगन प्रस्ताव में जो पत्रकार की बात है। उसके बारे में कहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उस समय कहा गया था, यह चार लोग, सतपाल युवक, जो इण्टक के वहां के नेता हैं, एक राम प्रकाश हीरा, मूलचन्द जो पटवारी का छोटा भाई है करनीदान जी, प्रसिद्ध पत्रकार हैं, उन पर, हमला होगा। इस बात का जिक्र हमने 8 आठ दिन पहले इस सदन में कर दिया था क्योंकि उस समय धमकी देना शुरू कर दिया था, इन गवाहों को तोड़ने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी थी, इसके बावजूद भी गृह विभाग ने, खाद्य विभाग ने वहां पर इन लोगों को प्रोटेक्शन देने की कार्यवाही नहीं की। 19 तारीख को करनीदान जी को बस स्टेण्ड पर बुरी तरह से मारा और उनके कपड़े फाड़ दिये गये, नंगा कर दिया गया। उनको बचाने गया, उसको पकड़ कर कमरे के अन्दर ले जाकर उसके खिलाफ 452 आई०पी०सी० का झूठा मुकदमा दर्ज करके उसे अरेस्ट कर लिया। कल रात को, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास टेलीफोन आया, यह 19 तारीख की घटना है, दस बजे कल रात को टेलीफोन आया मेरे पास, मैंने मंत्री महोदय को सूचना दी सुबह 8 बजे फिर दो बजे ट्रंक काल आया कि राम प्रकाश हीरा को दोपहर को कल एक जीप चढ़ा कर मारने की कोशिश की, उसके बाद पकड़ कर बाजार के अन्दर ठोकने की कोशिश की। वहां पर क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो गई थी इसलिए बच गया। लेकिन बाकायदा मोबीलाइज होकर घूम घूम कर, सबके सब बन्दूक लिये हुए, डण्डे लिये हुए जीप के अन्दर फिर रहे हैं। वहां के थानेदार मदनसिंह, वहां के हैडकान्स्टेबल हरीसिंह, बाकायदा उनके इन्चार्ज ...

श्री अध्यक्ष : Do not make lengthy speech.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह मामला गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : गम्भीर है, तो भी थोड़े में कहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था, मिलावट करने के सम्बन्ध में,

(श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा)

जोधपुर के सम्बन्ध में। मैं धन्यवाद देता हूं, मंत्री महोदय को कि मिलावट करने वाले को, क्या नाम है

श्री गुमानमल लोढ़ा : बैंकट लाल।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बैंकट लाल को प्रस्ताव रखने के दो दिन बाद हथकड़ी डाल कर बाजार में घुमाया गया। सूरतगढ़ अनाज के स्मगलिंग का सेन्टर है, जहां से सारा अनाज स्मगल होता है, जहां से सारा अनाज हरियाणा में जाता है, जहां से अनाज स्मगल होकर डेफिसिट एरिया में आता है। सूरतगढ़ के अन्दर चूंकि जोरावर सिंह शेखावत ने एक मजबूत कदम लिया और विभिन्न राजनैतिक प्रगतिशील लोगों ने मिलकर साथ लिया। इसलिए गंगानगर के जखीरेबाज लोगों ने तय कर लिया, चाहे जान पर ही क्यों न खेलना पड़ेगा, चाहे कितना ही पैसा खर्च क्यों न करना पड़े, इस किस्म के काम को रोका जाय। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, लोग एस०पी० के पास गये, कलेक्टर के पास गये लेकिन एस० पी० ने इतना गम्भीर मामला होने पर भी सूरतगढ़ में आना मुनासिब नहीं समझा, हैड कान्स्टेबल को वहां पर भेज दिया। आज ओपनली पुलिस उनके साथ घूम रही है, राइफल वाले उनके साथ घूम रहे हैं और पुलिस ने राजनैतिक कार्यकर्ताओं, गवर्नमेंट आफिसर एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर पर अटैक किया है। जखीरेबाज, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक हैं। ऐसी स्थिति में, मैं समझता हूं कि यहां यह कहा जाय कि हम जखीरेबाजों को हाथ में हथकड़ी डाल कर घुमायेंगे, यह ढोंग है..

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : जखीरेबाजों का सबसे बड़ा गढ़ गंगानगर है, यहां पर राजस्थान में अगर लोगों को अनाज मुहैया करना है, और जखीरेबाजों को नंगा करना है और गोदामों का होर्डिंग करना है, तो मैं समझता हूं कि उसके उपयुक्त गंगानगर जिला है। राजस्थान में बाकी के 25 जिले हैं, वह इस मामले में जितना महत्व रखते हैं, उतना गंगानगर जिला अकेला ही महत्व रखता है। गंगानगर जिले के अन्दर पूरी ताकत से होर्डिंग नहीं किया गया, तो मैं समझता हूं कि जैसलमेर के अन्दर रहने वाले लोग हैं, जयपुर के अन्दर लाइन लगा कर अनाज के लिए खड़े रहने वाले लोग हैं, जहर मिला माइलो खाने वाले लोग हैं, जिससे जो मृत्यु की अवस्था में पहुंच गये हैं, उनको कभी अनाज नहीं मिलेगा। यदि एक्जेम्प्लरी पनिशमेंट के तौर पर एक्जेम्प्लरी पनिशमेंट जखीरेबाजों को नहीं देंगे, नागपाल पर हमला करने के लिए, राम प्रकाश हीरा पर हमला करने के लिए, इन चारों पर हमला करने के लिए एक्जेम्प्लरी पनिशमेंट नहीं देंगे तब तक गंगानगर जिले के वर्कर, सोशियल वर्कर, गंगानगर जिले के खाद्य विभाग के एम्प्लायी डिमॉरेलाइज हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : Do not make lengthy speech. You should confine to motion, adjournment motion.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इतना गम्भीर मामला ....

श्री अध्यक्ष : Do no talk on all subjects. It is not covered by it.

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : एक पत्रकार का मुंह बंद करने के लिए, उसकी जबान सील करने के लिए, उसके जबड़े तोड़ दिए गए, अड्डे पर उसके कपड़े फाड़कर नंगा किया गया। उसके भाई पर झूठा केस बनाकर उसको बंद कर दिया गया। एक पत्रकार जो हमारी आवाज है क्योंकि यह उठती हुई आवाज बंद कर दी जाए, जो जखीरेबाजों के खिलाफ बोलते हैं, पोलिटिकल वर्कर पर जीप चढ़ाकर उसको मर्डर करने की कोशिश की गई ताकि पोलिटिकल वर्कर्स डीहोर्डिंग के संबंध में काम करना बंद कर दें। मैं आशा करता था कि अभी भी गंगानगर से कोई टेलीफोन आया होगा, वहां थानेदार को रिमूव कर दिया होगा, हैड कान्सटेबल को रिमूव कर दिया होगा, इस एन्फोर्समेंट इन्स्पेक्टर के स्टेटमेन्ट लिये गए होंगे, तलाशी ली होगी लेकिन नजर आ रहा है कि कोई कार्यवाही 223 के अदंर नहीं हुई। अस्पताल के अंदर पड़ा हुआ पत्रकार कराह रहा है, उसकी बुरी हालत है। गंगानगर के जखीरेबाज, राजस्थान के जखीरेबाजों को और राजस्थान की पुलिस को डीहोर्डिंग के कैम्पेन को इस तरह से तोड़ देने की खुली छूट दी जा सकती है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): मेरा एक स्थगन प्रस्ताव सूरतगढ़ के पत्रकार करणीदान से संबंधित घटना के बारे में है जिसका विवरण माननीय सदस्य ने हमें दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अत्यंत महत्व-पूर्ण इस कारण से भी है कि सूरतगढ़ में गेहूं के मामले को लेकर एक व्यक्ति को पकड़ा गया और बाद में एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर जिसका काम होता है सरकार की उस नीति को एन्फोर्स कराना जिसके द्वारा गेहूं का स्टाक माला से अधिक यदि कोई रखता है तो वह होर्डिंग कानून के अंदर मुल्जिम बनता है। दुखद दुर्घटना उस समय हुई जब पुलिस के लोगों ने एन्फोर्समेंट इन्सपेक्टर को जो होर्डर को लेकर गया था, गिरफ्तार करके रात भर उसको बंद रखा और रात भर उसकी मारपीट करते रहे। यह तो राज्य सरकार से खुली चुनौती वहां के पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई। दुर्भाग्य इस बात का है कि या तो मंत्री महोदय अथवा राज्य सरकार इस सबंध में खंडन करती कि इसमें तथ्य नहीं है अथवा उस सब-इन्सपेक्टर और वहां के अधिकारीगण जिन्होंने इस प्रकार से राज्य की नीतियों को अपने सामने धूल दर्शाते हुए देखा, वह पुलिस जो रक्षक है वह भक्षक बन गई लेकिन सदन में मामला लाने के बाद भी कल पुलिस डिबेट हुई, मुख्य-मंत्री ने उत्तर भी दिया लेकिन गोलमोल जवाब देकर सारे मामलों को टाल दिया। आज यह समाचार समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिला कि पत्रकार जिसने उस मामले में गवाही दी, इसका बड़ा महत्व हैं, महत्व इसलिए है कि एक तो पत्रकार अपनी आजादी के साथ में जनता की आवाज, उन नीतियों को क्रिया-न्वित करने के लिए, जिसके लिए आप और हम सब यहां संकल्प लेते हैं, वह आवाज उठाते हैं, उसको सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसका अभिनंदन करना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए लेकिन अध्यक्ष महोदय, यदि यह समाचार सही है कि उसने एस०डी०एम० के पास में रिपोर्ट करदी कि मेरे ऊपर कातलाना हमला इन लोगों द्वारा किया जा रहा है, प्रशासन को सूचना दी, नोटिस दिया, दरखास्त दी, शिकायत की लेकिन अध्यक्ष महोदय, एस०डी०एम० ने वारंट जारी कर दिए समाचारों के अनुसार और पुलिस ने उन वारेन्ट्स के जारी होने के बाद भी....

श्री अध्यक्ष : Be brief.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह बहुत ही संगीन मामला है, इस तरह से पुलिस जुल्म करे . .

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे) ।

पुलिस और मिनिस्टर्स खामोश बैठे रहते हैं ।

श्री गुमानमल लोढा : मैं जिस बिंदु को सामने रखना चाहता हूं, वह बड़े महत्व की है इस माइने में कि उस पत्रकार ने लिखित शिकायत की कि ये लोग जिनके यहां से बरामदगी हुई है, उनका गिरोह मेरे ऊपर प्राणघातक हमला करने वाले हैं, मेरी जान खतरे में है । लिखित सूचना पर एस०डी०-एम० ने वारंट जारी कर दिया, उसके बाद पुलिस ने उन लोगों को खुली छूट दे दी इस बात को । जमानत पुलिस थाने में लेकर उनको छोड़ दिया कि जाओ जो तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करता है उनको खतम कर दो । यह तो ठीक है स्थगन प्रस्ताव है और आपकी कृपा से हमको इस पर बोलने का अधिक अवसर मिल रहा है लेकिन क्या हर मामले को स्थगन प्रस्ताव के जरिए मंत्री महोदय केवल औपचारिक फार्मल्टी समझ कर टालते रहेंगे ? 151 आपके पास में है वह किस लिए ? इस लिए कि राजनैतिक कार्यकर्ताओं को अंदर रखा जाए । हमारे गिरधारीलालजी भार्गव पोस्ट ऑफिस के बाहर बैठे कि पोस्ट कार्ड की दर नहीं बढ़ानी चाहिए उनको 151 में गिरफ्तार किया गया था । गिरफ्तारी की कोई चिंता नहीं लेकिन एक पत्रकार जो यह कहे कि ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, मेरे ऊपर घातक हमला करने वाले हैं, एस०डी०-एम० ने वारंट जारी कर दिए, उसको गिरफ्तार करके पुलिस ने छोड़ दिया । क्या यह डाइरेक्टली एबेटमेंट नहीं है क्राइम का पुलिस के द्वारा ? जो रक्षक भक्षक बनकर केवल कानून व व्यवस्था को ही चुनौती नहीं दी, पत्रकार जगत को ही चुनौती नहीं दी, संविधान को चुनौती नहीं दी, बल्कि राजस्थान के प्रशासन के सामने चैलेंज है । एस०डी०एम० ने आज्ञा प्रसारित की, डीहोर्डिंग कानून बनाया, राज्य के खाद्य मंत्री ने घोषणा की और मेजों को थपथपाया लेकिन वहां जो पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं उन्होंने सारे के सारे तुम्हारे इरादों को समाप्त कर दिया । यह करणीदान का जो प्रश्न है, अगर उसको सही माने में समझने का प्रयास किया जाए तो बहुत ही गंभीर है । कल भी मुख्य मंत्री ने नोटिस नहीं लिया, आज भी नहीं लिया तो फिर हमारी भी सीमायें हैं, हम नहीं चाहेंगे कि अध्यक्ष महोदय, हम आपको एम्बैरेस करें लेकिन कल मंत्री महोदय को स्टेटमेंट देना चाहिए ।

दूसरी बात जिस एस० एच० ओ० ने इन कातिलों को खुले आम छूट दे दी उसको गिरफ्तार करके हथकड़ी लगाकर गंगानगर और सूरतगढ़ में घुमाना चाहिए । सारे मामलों के, कौन व्यक्ति हैं जो कानून व व्यवस्था को भंग करते हैं, सी०आई०डी० द्वारा, चाहे राजस्थान की सी०आई० डी० के द्वारा, यह यहां से डी० आई० जी० भेजकर सारे मामले की जांच करायी जाए अन्यथा जोधपुर में भी यह कल होगा । जोधपुर में कांग्रेस के उपाध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया इस मामले में उन्होंने वहां धनिया में जानवर की लीद मिलाई. कल कौन गवाही देने आएगा उसके साथ भी यही अंजाम होगा तो कानून की मखौल बनाई जाएगी । It will be waste paper, a scrap.

श्री अध्यक्ष : शीघ्र समाप्त करें ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं समाप्त करूंगा लेकिन मेरी भावना समाप्त नहीं होगी, मेरे हृदय में वेदना है और चेतावनी है इसलिए नहीं कि किसी द्वारा भयावह स्थिति को पैदा करें लेकिन यह ऐसा कार्य है जिनसे गुजरात और बिहार जैसी स्थिति बनती है। यह ऐसा कारण है जिसके द्वारा जनता में असंतोष बड़े गंभीर रूप में, ज्वाला के रूप में उभरकर आता है। तो हमारी सरकार का कर्तव्य नहीं कि उनको जिन्होंने करणीदान पर कातिलाना हमले का षड़यंत्र किया उनके खिलाफ कार्यवाही करे? कौन कौन से पुलिस अधिकारी थे वहां के कौनसे ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने इस प्रकार से सारा षड़यंत्र किया, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती? यह क्या बात हुई। यहां सदन में पहले स्थगन प्रस्ताव देते हैं आप औपचारिकता के नाते जानकारी चाहते है। वह जानकारी दस दिन में आती है। उस बीच में कोई कार्यवाही होती नहीं है जसा कि इस स्थगन प्रस्ताव को दिये इतने दिन हुए हैं। आपने जवाब चाहा इसी बीच में उस व्यक्ति पर तीन-चार वार हमले हो गये। उस व्यक्ति को पीटा गया, उस व्यक्ति को मारा गया और हम मूक दर्शक बन कर बैठे रहे, आखिर यह क्या बात है। Are we so helpless? Is the Chair so helpless?

तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री सदन में इसके लिये स्टेटमेंट दें। वहां क्या हुआ उन तथ्यों की रिपोर्ट दें। ठीक है अगर उनमें कोई गलती हो हम देख सकते है क्षमा कर सकते है। लेकिन इस प्रकार की हरकतों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिये। आज जनता में भारी असन्तोष फैल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब हम सदन में बार बार मांग उठाते है तो हमें कांग्रेसी यह कह देते हैं कि जबसे यह जनसंघ वाले इस सदन में आये है तब से दो टूक रोटी के लिये दस किलो गेहूं और एक किलो चीनी की मांग करते है। अगर इसकी मांग नहीं करें तो क्या करें आज आम जनता को भर पेट खाना तो चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया समाप्त करें। मैंने कहा ना कि जानकारी चाही है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी बैठ जाता हूं पर इतना जरूर निवेदन है कि आज जनता में भयंकर असन्तोष, आक्रोश है। आज जो बात सूरतगढ़ में हुई है वह बात जोधपुर में हो सकती है, जयपुर में हो सकती है। ये ब्लेक मार्किटयर्स, ये होल्डर्स, यह एडलट्रियर्स लोग जो कि जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, मौत के सौदागर है। जो धनिया में जानवरों की लीद मिलाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज जो लोग इन जमाखोरों के खिलाफ आन्दोलन करते हैं उन्हें पकड़वाती है तो यह प्रगति की डींग मारनेवाली सरकार, यह समाजवादी सरकार, इस प्रकार से काम करने वाले लोगों की रक्षा करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं भावावेश में आकर नहीं कह रहा हूं लेकिन स्पष्ट बात कह रहा हूं कि यह कांग्रेस सरकार पहले अपना दामन सम्भाले, अपने चोले को देखे कि होर्डर्स के खिलाफ में घोषणायें करने वाली सरकार के अन्दर क्या हो रहा है। यह उनकी साजिशों से हो रहा है। वरना एक एनफोर्समेंट इन्सपेक्टर जिसका कि काम है तस्करों, जमाखोरों को पकड़ना, वह जब जमाखोरों को पकड़ने गया तो उसको राजस्थान सरकार के पुलिस के ऑफिसर एक पत्रकार को पीटा। जो

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

ब्लेकमारकेटियर्स के खिलाफ एडल्ट्रियस लोगों को साथ देता है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये, उसको प्रोसीक्यूट किया जाना चाहिये । उसको हथकड़ी लगाकर घुमाया जाना चाहिये, ऐसे आदेश आप माननीय गृह राज्य मंत्री से दिलावें तथा इसके बारे में एक स्टेट मेंट सरकार की तरफ से होना चाहिये ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, यह सुरतगढ़ का मामला हुआ है, उसकी सीरियसनेस बहुत ज्यादा हो गयी है । मान्यवर, इसके लिये ही एक एडजोर्नमेन्ट मोशन हाउस में मूव हो चुका था । आपने जानकारी चाही उसके 5–7 दिन बाद में उन लोगों के द्वारा एक एन्फोर्समेन्ट इन्सपेक्टर को, एक पत्रकार को तथा कोम्यूनिस्ट पार्टी के सेक्रेट्री की पिटाई की गयी । तो जो मान्यवर एक एडजोर्नमेन्ट मोशन देने का जो मीनिंग है वह क्या हुआ । हमने एडजोर्नमेन्ट मोशन रखा । वहां के अधिकारी कोई विजीलेन्ट नहीं हुए और वहां के एस० एच० ओ० ने उस एन्फोर्समेन्ट इन्सपेक्टर को थाने में ले जा कर पीटा उसे मेन्टल टोर्चर किया, उसके साथ इन्ह्यूमेन ट्रीटमेन्ट किया । तो आखिर यह सब क्या हो रहा है। पब्लिक आखिर यह सब कब तक टोलेरेट कर सकेगी । अध्यक्ष महोदय, इसमें एक करणीदान सिहजी व्यक्ति हैं जो कि सोशियल वर्कर है, मैं उसे पिछले अर्से से जानता हूं पिछले दस पन्द्रह साल से पब्लिक लाइफ में काम करता है । एक उच्च स्टेण्डर्ड का आदमी है । यह ब्लैक मार्कटियर्स और होल्डर्स के खिलाफ में एक्टिविटीज करता है । अध्यक्ष महोदय, वहां पर लोगों ने इस एन्फोर्समेन्ट इन्सपेक्टर ने करणीदान सिंह ने और कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी ने होर्डिंग का माल पकड़ा उसके लिये एक्शन तो लेना दूर रहा लेकिन उन लोगों को बुरी तरह से थाने में ले जाकर पीटा, यह कहां तक उचित है । मैं अध्यक्ष महोदय, आपको निवेदन करूंगा कि आप उस सब-इन्सपेक्टर को फोरन सस्पेण्ड कर उसको गिरफ्तार करके, उसके चालान करने के आदेश देने के लिये स्टेट मिनिस्टर ऑफ होम को कहें और ऐसी एक्टिविटीज करने वालों के खिलाफ में स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है ताकि लोगों में इसका भय पैदा हो । अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस मामले में तुरन्त स्टेटमेन्ट हाउस में मन्त्री महोदय का होना चाहिये ।

श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस एडजोर्नमेन्ट मोशन के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या राज्य गृह मन्त्री जो कि सामने बैठे हैं वह माननीय सदस्यों में उग्रता छाई हुई है उसे समझ रहे हैं या नहीं । अध्यक्ष महोदय, सदन में जब किसी विशेष मामले पर उग्रता हो तो विशेष महत्व रखती है । प्रजातान्त्रिक पद्धति में पत्रकार भी अपना एक विशेष स्थान रखता है । वह एक ऑर्गन है । यह पत्रकार लोग एक अभियान चलाते हैं और इस अभियान के दरमियान अगर कोई ब्लैक मार्केटियर्स पकड़े जाते हैं या होल्डर्स पकड़े जाते हैं तो उन्हें दन्ड मिलना चाहिये। पर इसके विपरीत आप उस पत्रकार को ही थाने में ले जा कर पीटों तो इसका प्रभाव विपरीत पड़ता है । राज्य सरकार को तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, यह सदन की उग्रता का प्रश्न है

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य)

यह सारे पत्रकारों का मामला है, अध्यक्ष महोदय, यह डेमोक्रेसी का प्रश्न है। इसके लिये मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि गृह राज्य मन्त्री आज सायंकाल ही इस सदन की उग्रता को देखते हुए सारे फेक्ट्स मंगाये और सदन के सामने रखें। सदन के माननीय सदस्य को आस्वस्थ करें। और जो ब्लेक मार्केटियर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन ले तथा इस मामले में जो दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ में एक्शन ले। अध्यक्ष महोदय, मैं गृह राज्य मन्त्री को आग्रह करूंगा कि आज सायंकाल ही इससंबंध में सारे तथ्य मंगा कर इस सदन में एक स्टेटमेन्ट दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज सारे भारतवर्ष में इन होल्डर्स और तस्करियों के खिलाफ में एक अभियान चलाया जा रहा है। हमारे रास्जथान में इन होल्डर्स के खिलाफ में अभियान चलाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता पिछले दो-तीन मार्च को सारे राजस्थान में हड़ताल और बन्द रखा गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार घोषणायें तो बड़ी बड़ी कर देती है कि जो जमाखोरी करेगा उसको हथकड़ियां लगाकर बाजारों में घुमाया जायेगा। उसके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा। लेकिन वास्तव में कोई एक्शन उनके खिलाफ में नहीं लिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में एक स्थगन प्रस्ताव भी रखा गया। अध्यक्ष महोदय, बावजूद इसके कोई कार्यवाही नहीं हुई। सुरतगढ़ में होल्डर्स के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है वहां के एन्फोर्समेन्ट इन्सपेक्टर और एक पत्रकार ने और कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी ने एक होल्डर्स के यहां पर 42 बोरी गेहूं एन मौके पर पकड़ा। लेकिन उन तस्करियों के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस में जब इत्तिला दी गयी तो पुलिस के थानेदार ने उस एन्फोर्समेन्ट इन्सपेक्टर, एक पत्रकार को और कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेट्री को थाने में ले जाकर, उन होल्डर्स से मिल कर, उनको ले जाकर बुरी तरह से पीटा। अध्यक्ष महोदय, यह मामला सदन में पहले ही उठा दिया गया था कि ऐसा भय है वहा पर लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, उन्हें इस तरह भी पीटा कि आज वह वह अस्पताल में हैं। अध्यक्ष महोदय, आप इन ब्लेक मार्केट करने वाले लोगों की हिमाकत तो देखें कि उन्होंने एक एन्फॉर्समेन्ट इन्सपेक्टर को, कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी को पिटवाया। तो क्या आप इसी तरह जमाखोरी के खिलाफ में एक्शन लेते हैं, क्या आप इसी तरह लॉ एण्ड आर्डर को मैनटेन कर रहे हैं। क्या सरकार यह चाहती है कि जब वह एक्शन नहीं ले, जब वह लॉ एण्ड आर्डर को मेनटेन नहीं कर पा रही है तो जनता खुद आकर इस काम को अपने हाथों में ले। अध्यक्ष महोदय, आज राज्य सरकार इन जमाखोरी के खिलाफ में, इन एडल्टरेशन करने वाले लोगों के खिलाफ में, इन होल्डर्स के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लेने की वजह से यह लोग खुले-आम चोर बाजारी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह जो सूरतगढ़ में घटना हुई है उसके लिये इस पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य और उस पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य सभी यह मांग कर रहे हैं कि इसके लिये सरकार की तरफ से स्टेटमेन्ट होना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

चाहिये और इन तस्करियों को, इन होल्डर्स को, सबको गिरफ्तार करके उन्हें सड़कों पर घुमाया जाना चाहिये। आज इन ट्रान्सपोर्टेशन करने वाले लोगों को कोई खतरा नहीं आप क्या लॉ एण्ड ऑर्डर मेनटेन कर रहे है। यह सुरतगढ़ की घटना अध्यक्ष महोदय, एक लॉ एण्ड ऑर्डर को चेलेन्ज है। यह तमाम जनवादी आन्दोलन को चेलेन्ज है। यह आज पूरे हिन्दुस्तान में अभियान चल रहा है, इन जमाखोरी के खिलाफ में। राजस्थान में भी अध्यक्ष महोदय, इसका अभियान चलाया जा रहा है। पर हमें खेद है, इसके लिये राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम बार बार सदन के अन्दर मजबूर होकर स्थगन प्रस्ताव लाते हैं, आपके नोटिस में लाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके लिये आपको पहले स्थगन प्रस्ताव दे दिया था आपने डी० एस० ओ० को वहां पर भेजा इन्क्वायरी करने, वहां पर लोगों को जिन लोगों की शहादत होने वाली थी उनको भी डराया गया कि अगर तुमने भी अगर गवाह दी तो तुम्हें भी पीटा जायेगा। उन्हें धमकाया जा रहा है कि तुम्हारी भी खैर नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि यह जमाखोर लोग यह कह रहे है कि या तो तुम हमारे खिलाफ में अभियान बन्द कर दो वरना तुम्हारी सलामती नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है बजाय उन असामाजिक तत्वों को इससे भय पैदा हो कि उनके खिलाफ में अभियान छेड़ा हुआ लेकिन उल्टा यह हुआ कि जो लोग उनके खिलाफ में कार्यवाही करना चाहते हैं, उन्हें पीटा जा रहा है। उन्हें अपने खिलाफ में कार्यवाही होने का का भय पैदा हो गया है। सरकार को जिन्होंने सहयोग दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई चीज है जानकारी की बदलने की जरूरत नहीं है। मुख्य मंत्रीजी यदि यहां होते तो बहुत अच्छा होता। हम यह उम्मीद करते थे कि पुलिस के महकमे और न्याय प्रशासन की बात थी, मुख्य मंत्रीजी इस सम्बन्ध में जबाब देते और फोरी कार्यवाही करते और यह बताते कि यह कार्यवाही की है खेद की बात है कि न तो इस प्रकार की कार्यवाही की गयी है और न ही मुख्य मंत्रीजी मौजूद हैं। राज्य मंत्रीजी मौजूद हैं। सदन के अन्दर वह बतायें कि क्या कार्यवाही की है या क्यों नहीं कार्यवाही की है। इमिडियेटली उनको जवाब देना चाहिये इस सदन की भावना को देखते और महसूस करते हुए। उधर भी बैठने वाले माननीय सदस्यों को खेद होगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही न करके सार्वजनिक कार्यकर्ता और सरकारी कर्मचारी और पत्रकार की पिटायी हो जाय यह हम सब को चुनौती है उन जखीरेबाजों और भ्रष्ट लोगों की तरफ से।

अध्यक्ष महोदय, आप आदेश दें राज्य मंत्रीजी को कि अभी उत्तर दें कि क्या कार्यवाही की गई है। हम बहुत अजिटेटिंग महसूस कर रहे हैं। हमारे साथी जो हमारे कहने पर इनिशियेटिव ले वे सुरक्षित नहीं, उन पर हमला हुआ वह हम सब पर हमला है। इस सदन पर हमला है। जहां हम रोज इसको उठाते रहे हैं। गवर्नमेन्ट की ओर से वक्तव्य फौरन आना चाहिये आगे की कार्यवाही हो। आपसे निवेदन करूंगा कि आप राज्य गृह मंत्रीजी को आदेश दें कि जो कुछ कहना है वे कहें। संतोषजनक बात आयी तो हम चाहते है फिर आगे कार्यवाही चलनी चाहिये।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा इश्यू है कि इनकी कानों पर जूं ही नहीं रेंगती है ।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करना अपना कर्तव्य समझता हूं । अगर इस तरह असामाजिक तत्वों को शह मिलेगी और पुलिस जो रक्षक है वही भक्षक बनेगी तो इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है । विरोधी पक्ष अथवा दल विशेष का यह प्रश्न नहीं है । आम जनता के हित का प्रश्न है और आज जो मुल्क का वातावरण है उसको देखते हुए प्रशासनिक फेल्योर के कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें एक जगह नहीं जगह जगह उत्पन्न हो रही हैं और वह दिन दूर नहीं है कि रक्षक की जगह भक्षक पुलिस बने । यदि समाचार-पत्रों के पत्रकारों के साथ इस प्रकार की बेइज्जती होवे तो इससे बढ़ कर अराजकता को प्रोत्साहन मिलने का और कौनसा मौका आ सकता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि विरोधी पक्ष की जो आपत्ति है उसके साथ सहानुभूति प्रकट करते हुए कम से कम 4 बजे तक सरकारी उत्तर इस सम्बन्ध में अवश्य मिलना चाहिये।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : यह कोई बहस नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कांग्रेस वाले भी एजिटेटेड महसूस कर रहे हैं। उनकी भावना आनी चाहिये ।

श्री दीपंकर : मुझे समय दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री मनोहर लाल (कामां) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपकी भावना को समझा है ।

श्री मनोहर लाल : दो मिनट निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं । आप कुछ तो मर्यादाओं का ध्यान रखिये ।

श्री मनोहर लाल : माननीय सदस्यों ने पूरी बात नहीं बतायी है ।

श्री अध्यक्ष : मैं बोल रहा हूं । तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस सम्बन्ध में चेम्बर में बातचीत कर ली जाय । एक्शन तो वहां पर डिसाइड होगा ।

श्री मनोहर लाल : जानकारी देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : ठहरिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दस दिन पहले ही कह दिया था कि चार आदमियों पर हमला होगा । करणीदान पर हमला हुआ ।

श्री अध्यक्ष : आप फरमा चुके हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस सदन का इससे अधिक क्या अपमान हो सकता है । 10 दिन पहले सदन के अन्दर कहा था ।

श्री दीपंकर : यह विरोधी दल का ही सवाल नहीं है । यह तो उन लोगों ने सरकारी रीति-नीति को चैलेंज किया है । जिन जखीरे बाजों ने सरकारी मशीनरी को साथ लेकर पत्रकारों को ही नहीं पीट रहे हैं वे तो सरकारी रीति-नीति को ही मार रहे हैं। आप व्यवस्था

(श्री दीपंकर)

दें आसन से कि मंत्री महोदय ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की घोषणा करें। इसके लिये हम सब एक साथ हैं। रीति-नीति से परे नहीं है। आसन से यह आशा करते हैं कि ऐसी रीति-नीति को बचाने की पूरी व्यवस्था की जावेगी। मुझे यही कहना है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह मामला तो बहुत ही गम्भीर है जांच रिपोर्ट मगां ली जाय।

श्री मनोहर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं। मैं आलोचना नहीं करना चाहता। लेकिन यह कहना चाहूंगा कि सही स्थिति सदन के सामने नहीं आयी है। हांडा साहब आदि को मालूम न हो। लेकिन मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं कि पत्रकारों के ऊपर हमला करवाया गया। उनको पिटवाने और मरवाने में इस सरकार के अधिकारी और मंत्री शामिल हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं और भी पत्रकारों को जो यहां बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सिलसिलेवार जो पत्रकार खिलाफ लिखते हैं, भ्रष्टाचार आदि के खिलाफ लिखते हैं, सट्टे बाजी आदि के खिलाफ लिखते हैं उन पत्रकारों को योजनाबद्ध तरीके से पिटवाया जाता है। भरतपुर में मदनलाल आजाद को पीटा गया। मोहनलाल को पीटा गया। अपमानित किया गया।

श्री अध्यक्ष : सम्बन्धित विषय पर ही तो बोलें।

श्री मनोहर लाल : गुंडों से पिटवाया गया। मंत्री महोदय न वक्तव्य दे सकते हैं न सफाई दे सकते हैं। इन सारे धन्धों में शामिल हैं। दिल्ली में दवाई तक नहीं दिलवायी गयी। मैं विरोध स्वरूप वाक आउट करके जाता हूं कि इस सरकार से कोई इन्साफ नहीं मिलने वाला है।

(सदन से बहिर्गमन)

श्री रामकिशन : यह प्रश्न इस प्रकार का है कि जिस पर मुख्य मंत्रीजी भी आगये है और विराजमान हैं। सरकार को आखिर क्या दिक्कत पड़ रही है ? इस प्रकार के स्थगन प्रस्ताव के जरिये पहले ही कह दिया गया था कि हमला हो सकता है और जिक्र करने के बाद भी व्यवस्था नहीं की ? हमला हो गया और किसी आदमी को मारने की चेष्टा की गयी। इस पर मुख्य मंत्री और मंत्री शान्त बैठे रहें तो क्या अर्थ लगाया जा सकता है ? मंत्रीजी के चेम्बर में चर्चा की आवश्यकता नहीं है। स्थिति उनकी जानकारी में है। नया सवाल होता तो उस पर चर्चा की भी जरूरत थी। वे सारी स्थिति से जानकार हैं। अभी वक्तव्य देना चाहिये। सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है। केवल तथ्यों की जानकारी नहीं चाहिये, एक्शन की जानकारी चाहिये। मैं चाहूंगा अगर मुख्य मंत्री जी इस प्रश्न को टाल रहे हैं तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। मैं आसन से निवेदन करना चाहूंगा कि वे आदेश दें कि अभी क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। इस प्रकार के आदेश दें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी-बाजार, जयपुर) :- मैं अर्ज करूं इसमें थानेदार इतना जिमेम्मेदार नहीं है बल्कि एस०पी० और कलक्टर ज्यादा जिम्मेदार हैं ऐसे पेशे वालों को प्रोत्साहन दिया जाय, यह हमारी मांग है और उनको तुरन्त निलम्बित किया जाय और थानेदार को फौरन गिरफ्तार किया

(मोहम्मद गफ्फार अली)
जाय जिसने राजनैतिक दलों पर और पत्रकारों पर डण्डे चलाये। इस प्रकार की परिस्थितियों में इन्सान की जिन्दगी में सांस लेना मुश्किल हैं। यह गंभीर प्रश्न है। हम यह नहीं मानते है कि मंत्री का हाथ है, ऊंचे अधिकारियों का हाथ है और वे जिम्मेदार हैं चाहे कलेक्टर हो, चाहे एस० पी० हों। मैं चाहूंगा इस विषय को संजीदगी से लेना चाहिये और राज्य सरकार को समझना चाहिये यह उनकी नीति पर हमला है तो क्या आगे इन्तजाम होने वाला है, यह समझ लेना चाहिये। आज कम्यूनिस्ट पार्टी के वर्कर की पिटाई हो गई, एक पत्रकार की पिटाई हो गई। कल सरे आम थप्पड़ मारेंगे तो क्या होगा? एक पत्रकार पीटा गया, कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर की पिटाई हो गई। इसके लिये एस० पी० और कलेक्टर जिम्मेदार हैं और इनको फौरन निलम्बित किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में कोई न कोई कार्यवाही कीजिये वरना सदन की कार्यवाही इतनी आसानी से नहीं चल सकेगी।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा, मैंने निवेदन किया है। आपकी भावना को समझ कर ही मैंने इस विषय पर सरकार से जानकारी चाही है। मैं सरकार से कहूंगा और कहता हूं जल्दी ही वक्तव्य दे। सम्भव हो तो आज, नहीं तो कल सुबह दे देंगे।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : नहीं, आज ही।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Everything is in their notice.

श्री अध्यक्ष : सम्भव है तो आज ही दें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय,

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जीरो, अवर्स में जो प्रेक्टिस है, मैं समझता हूं गवर्नमेंट की ओर से उसको टाली नहीं जा सकती है। एडजोर्नमेंट मोशन पर यहां पर आपकी ओर से चेयर की व्यवस्था होती है और माननीय सदस्यों की जो राय होती है और जो चेयर की रूलिंग होती है उसके अनुसार ट्रेजरी बैन्चेज से व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के अनुसार सरकार काम करती है। कल यहां पर दो मुद्दों के बारे में कुछ इस प्रकार की बातें कही गई थीं। एक अलवर के कलेक्टर के बारे में और दूसरे इस पिटाई के बाबत में। अध्यक्ष महोदय, मैंने तत्काल ही दोनों मुद्दों पर कार्यवाही कर दी है और जो भी प्राम्प्ट एक्शन हो सकता है वह मैंने ले लिया है। अब रह जाता है सवाल आपके निर्णय लेने का। जो भी निर्णय आप लेंगे, ट्रेजरी बैन्चेज की ओर से उसका पालन किया जायगा। आप यह फरमायेंगे, आज उसके ऊपर स्टेटमेंट दें तो जो हमारे पास फेक्ट्स होंगे, उसको रख देंगे और हमारे पास फेक्ट्स पूरे लाने की स्थिति में नहीं होंगे तो आज नहीं तो हमें 12 घण्टे का समय दे दिया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सरकार किसी भी चीज को अपनी ओर से टालने की बात नहीं कह रही है। जब चाहेंगे जवाब दे देंगे। एक माननीय सदस्य जो गंगा-नगर से आते हैं उनसे मेरा निवेदन है, मैंने कल ही उस पर एक्शन ले लिया और क्योंकि फेक्ट्स मेरे सामने हैं, वह राज्य के अधिकारी फेक्ट्स देते हैं। मैं उसको सदन के समक्ष रख दूंगा। अगर माननीय सदस्य यह समझते हैं कि तथ्यों में कुछ गलती है, मैं फरदर एक्शन लूंगा, अगर मुझे रांग इन्फार-मेशन दी गई है अगर एक्शन लेने की कोई बात हो। मगर एक उत्तेजना में यह कहना

(श्री हरिदेव जोशी)

मिनिस्टर का हाथ है, मैं उसको रिफ्यूट करता हूं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप, अध्यक्ष महोदय, अपना निर्णय दे दें और ट्रेजरी बैन्चेज की ओर से मेरी राय जोड़ी जाय तो स्टेटमेंट कल देने के लिये कहा जाय उसमें ज्यादा सुविधा होगी क्योंकि कलेक्टर से कहा गया है, क्योंकि एस०डी०एम० के वरसन पर मैं डिपेन्ड नहीं रहना चाहता हूं। कलेक्टर कह दे उस पर ज्यादा डिपेन्ड करूंगा। कुछ फेक्ट्स आये हैं कोलोबरेट होंगे इसलिये ज्याद अच्छा होगा आप कल का समय दें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, एक एडजोर्नमेंट मोशन और था।

श्री अध्यक्ष : समय ज्यादा हो गया है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक दो मिनट का है। इसके बारे में माननीय सदन के नेता ने कल वक्तव्य देने को कहा है, ठीक है लेकिन प्रिवेन्शन एक्शन के साथ लें। एक एडजार्नमेंट मोशन और था वह जोधपुर की एक घटना के बारे में है। जोधपुर में सरदारपुरा पुलिस स्टेशन, नैनमल नाम का व्यक्ति एक एफ०आई०आर० दर्ज करवाने गया इसलिये कि उनका एक मिस्त्री कहीं पर गया था और उसके ऊपर एक अधिकारी ने हमला करके लहूलुहान कर दिया। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो साधारण मामला है, कोर्ट में जो कार्यवाही होनी चाहिए वह होगी, सदन में लाने की जरूरत नहीं है लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है जो व्यक्ति फर्स्ट इनफरमेशन रिपोर्ट लाज करने गया तो उसकी इनफारमेशन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और यह होता है जब तक थाने वालों की कोई भेंट पूंजा, फल फूल, पेपर वेट नहीं दिया जाय तब तक दस्तूर चला आता है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुस्तगीस को गिरफ्तार करके मुल्जिम के लिये यह कहा गया, अच्छा तुम एक बड़े डॉक्टर के खिलाफ यह हिम्मत करके फौजदारी केस रजिस्टर करवाने यहां आ गये। मेरा निवेदन है ऐसे मामलों को मैं सदन के प्रांगण में साधारणतया नहीं लाना चाहता हूं लेकिन उदाहरण के तौर पर इसलिये ला रहा हूं कि इसके जरिये पुलिस में कम से कम ...

श्री अध्यक्ष : थोड़े में।

श्री गुमान मल लोढ़ा : मैं संक्षेप में कह देता हूं। इस मामले के बारे में लोक महत्व का प्रश्न नहीं है और जानकारी किये बिना ही समाप्त कर दिया। आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। मैं इनसिस्ट नहीं करूंगा कि आप एडजोर्नमेंट मोशन के रूप में लें लेकिन मंत्री महोदय इसके बारे में कार्यवाही करें। सरदारपुरा पुलिस स्टेशन, जोधपुर और ऐसे केसेज रेकरेन्स न हों। यदि ऐसी घटना शहरों में होती है, नगरों में होती है जहां शिक्षा का महत्व है और प्रभावशाली लोग हैं तो आप अन्दाज लगाइये ढाणी और गांव में रहने वाले व्यक्तियों के साथ क्या हो सकता है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय, उचित कार्यवाही करें।

श्री राम किशन : मैं अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के बारे में नहीं कहूंगा। आपने एक व्यवस्था दी थी भरतपुर में बावरियों के बारे में, शासन की तरफ से व्यवस्था दी थी। मंत्री महोदय मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष : चेम्बर में करने की बात है।

श्री राम किशन : आपकी तरफ से व्यवस्था दी गई थी।

श्री अध्यक्ष : यहां कुछ नहीं कह सकता।

श्री राम किशन : वे आपके आदेश की प्रतीक्षा में है।

श्री अध्यक्ष : यहां देने का नहीं है। चेम्बर में देगें। जब वे चाहेंगे तो आदेश दे देंगे।

श्री राम किशन : चेम्बर में मंत्री जरा कड़े ही पड़ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप भी कड़े पड़ सकते हैं।

श्री राम किशन : यहां मुलायम होते हैं वहां कड़े हो जाते हैं।

श्री माथूराम : अध्यक्ष महोदय, आधे घन्टे की चर्चा का मेरा भी विषय है।

श्री अध्यक्ष : मैं आ रहा हूं उस पर।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला स्थगन प्रस्ताव इस संबंध में था कि जयपुर शहर में अभी जब राज्य कर्मचारी आन्दोलन चला तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि राज्य कर्मचारियों पर जो मुकदमें दायर किये गये उन्हें वापिस ले लिया गया है। मैं उन्हें इसके लिए तो धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस वालों ने उस समय निर्दोष व्यक्ति जो दूध की दुकान पर, परचूनी की दुकान पर बैठे हुए थे और पुलिस की भगदड़ को देखकर दुकानें बन्द करदीं ऐसे निर्दोष व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़ पकड़ कर थाने में रखा, उनको मारा और जेल में ले जाकर ठूंस दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जयपुर के निर्दोष कई व्यक्तियों पर 307 के मुकदमें चलाये जा रहे हैं। आज भी अदालत में वह बराबर जाते हैं।. मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे निर्दोष व्यक्तियों पर से भी मुकदम वापिस लिये जाने चाहिए जब कि राज्य कर्मचारियों पर से आपने मुकदमें वापिस ले लिये। मैं समझता हूं कि उसके लिए तो सरकार धन्यवाद की पात्र है तो जयपुर के जो निर्दोष व्यक्ति हैं और जिनके ऊपर झूठे मुकदमें पुलिस के द्वारा चलाये जा रहे हैं मैं निवेदन करूंगा कि सदन में घोषणा करें कि जिन जिन लोगों के ऊपर मुकदमें चलाये जा रहे हैं उनको वापिस लिया जायेगा।

मैं इसी संबंध में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे अभी पत्रकारों की बात चल रही थी, मेरे नेता कह चुके हैं और मैं भी इन सब की बातों में शामिल होते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर शहर में राज्य कर्मचारियों के आन्दोलन के समय में कई पत्रकारों को बुरी तरह से पीटा गया, उनको मारा गया। जयपुर की राजधानी में करणीदान सिंह जी वाली बात सदन के सामने आई....

श्री अध्यक्ष : यह मामला तो हो गया।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं भी उनकी राय में शरीक करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की राजधानी में कई पत्रकारों को पकड़ पकड़ कर मरा गया, उनको जेल में ले जाया गया और डंडे लगाये ...

श्री अध्यक्ष : यह एडजोर्नमेन्ट मोशन हो चुका है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जिन पत्रकारों के ऊपर मुकदमें चलायें जा रहे हैं और जिनको जेल में कई महीनों रखा गया मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर से मुकदमें उठाये जायें। इनके खिलाफ डी०आई०आर० के तहत मुकदमे चलाये

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
गये । मेरा तो ऐसा मानना है कि सरकार पत्रकारों से क्षमा याचना करे और उनके मुकदमे वापिस ले । यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । आज वह पत्रकार जिनका अपमान होता है राज्य सरकार एक बार माफी मांग लेगी तो फिर राज्य सरकार उनके साथ भविष्य में ऐसा व्यवहार नहीं करेगी । यह दूसरा निवेदन है । इसलिए राज्य सरकार को राज्य कर्मचारियों पर से वापिस लिए मुकदमों के लिए तो धन्यवाद, लेकिन जो निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर मुकदमें चला रखे हैं और डी०आई० आर० के मुकदमें चला रहे हैं वह सरकार वापिस ले ।

दूसरा मेरा निवेदन करना यह है कि आज राज्य सरकार ने घोषणा की है उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले गेहूं के भावों के बारे में । पहले राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को गेहूं बेचे जाने के बारे में 85 रुपया तय किया था उस समय बाजार में 200 रुपये और 25. रुपये गेहूं के भाव हो गए । अब नयी फसल बाजार में आने को थी और इस कारण जो भाव 250 रुपये क्विन्टल के थे वह 120 हो गए थे और व्यापारी भी उम्मीद करने लगे थे, जनता भी उम्मीद करने लगी थी कि नयी फसल के आने के कारण अब गेहूं के भाव टूटेंगे और करीब 130 रुपये क्विन्टल के भाव हो जायेंगे लेकिन आज जो समाचार पत्रों में मिला उससे जानकारी मिली की सरकार ने 120 रुपये क्विन्टल के गेहूं के भाव निर्धारित कर दिये हैं । उससे क्या होगा कि सरकार पर सीधा सीधा मेरा आरोप है कि राज्य सरकार जखीरेबाजों को हथकड़ियां डालना नहीं चाहती बल्कि सरकार की साजिश बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनके साथ उसकी मिलीभगत है । उनके द्वारा कांग्रेस के लोग चन्दा प्राप्त करते हैं और 120 रुपये के भाव तय कर दिये जब कि 100 रुपये के भाव होने चाहिए थे । यह राजस्थान की जनता को मंहगाई के मुंह में झोंकना है । जब 120 रुपये के भाव सरकार तय कर देगी तो सरकार थोड़े दिनों में अपने कन्ट्रोल के गेहूं का भाव पहले 100 रुपया किया, फिर 106 रुपया किया और फिर केन्द्रीय सरकार की विज्ञप्ति आने लगी कि हम 15 से 25 पर्सेन्ट तक बढ़ोतरी कर रहे हैं । तो सरकार भी अपने कन्ट्रोल का भाव 125 रुपये करके भयंकर मुनाफा कमाना चाहती है । इसलिये राज्य सरकार ने जो घोषणा की है यह बड़े बड़े जखीरेबाजों के साथ मिलीभगत है और सरकार ने यह जन विरोधी घोषणा की है अनाज के बारे में और खाद्य का कानून बना उसमें 18वां संशोधन किया है यह जनविरोधी अमेंडमेंट है और राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता को अनाज के भावों में कमी लाने वाली बात तो नहीं यह उनके साथ मिलीभगत हो कर राजस्थान की जनता को मंहगाई के मुंह में झोंकने वाली बात है ।

तीसरा स्थगन प्रस्ताव यह था जिसे आपने लोक महत्व का नहीं माना है लेकिन मैं इसे लोक महत्व का इसलिए समझता हूं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कमर तोड़ महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ रही है और स्थान स्थान पर जन आन्दोलन हो रहे हैं । लाठी और गोली के आधार पर गुजरात में लोग मारे गए, शहीद हो गए, बिहार में मर रहे हैं . . .

श्री अध्यक्ष : डाइरेक्ट एडजोर्नमेंट मोशन पर आ जायें ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं कह

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

निवेदन कर रहा हूं । लाठी और गोली के आधार पर जो लोग अपनी बात को उठाना चाहते हैं वह चाहे पत्रकार हों, उनको ठोका जायेगा, वह चाहे निर्दोष व्यक्ति हों उनको पीटा जायेगा । आज भी सदन में यह बात आई कि गोलियों के आधार पर सरकार समाधान नहीं करना चाहती है और वही नादिरशाही की पुनरावृत्ति हो रही है । मैं समझता हूं कि इसलिए सरकार ने इस प्रकार का कदम गुजरात में उठाया, बिहार में उठाने जा रही हैं यह जनतंत्र की जड़ों को खोखला करने वाला है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह प्रस्ताव इसलिए रखा था कि गुजरात में इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई, बिहार में इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई और राजस्थान की सरकार लोगों को इन भावों पर गेहूं मुहैया करा रही है, सड़ी गली ज्वार दे रही है, मिट्टी के तेल के बारे में कोई व्यवस्था नहीं, दुर्दशा है । राशन किस प्रकार का मिलता है यह कहने की आवश्यकता नहीं है इसलिए राज्य सरकार को चेतावनी देने के नाते यह कहना चाहता हूं कि यही दिन उनके आने वाले हैं, लोग विधान सभा का घेराव करेंगे और राजस्थान में भी विधान सभा को भंग करने वालीबात आने वाली है । सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया और वह वापिस ले लिया और लोगों को 10 किलो धान मुहैय्या हो, एक किलो चीनी हो, काफी मात्रा में मिट्टी का तेल हो । जन समस्याओं के बारे में हम यहां बैठकर बात करें और इसके जरिये हम विचार करें कि वहां पर परिस्थिति क्यों बिगड़ रही है । क्यों सरकार को गोलिया चलानी पड़ीं और राजस्थान में वह स्थिति नहीं आये-इसी कारण मैंने यह स्थगन प्रस्ताव दिया है । आपने कहा कि यह लोकमहत्व का नहीं है मेरे ख्याल से सरकार को जगाने की भावना से मैंने यह स्थगन प्रस्ताव रखा था । मेरे तीनों प्रस्तावों पर सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी, यही निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष : श्री केशरीमल । बहुत थोड़े में कहें ।

श्री केशरी मल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो स्थगन प्रस्ताव थे । एक तो विद्युत् कर्मचारियों के वेतन के बारे में और दूसरा है ......

श्री अध्यक्ष : एक ही है आज ।

श्री केसरी मल : दो हैं ।

श्री अध्यक्ष : यहां एक पर ही फैसला सुनाया है आज ।

श्री केशरीमल : कल मैंने दो दिये हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैंने एक पर ही फैसला सुनाया और उसी पर आप जानकारी दें । यहां पर जो प्रस्ताव है वही ले लीजिए, विद्युत् वाला ।

श्री केशरीमल : मेरा निवेदन करना है कि विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें नाकाफी हैं और बहुत पहले से तय की हुई हैं । उनकी तनख्वाहें पूरी करने के लिए पिछले सालों से कुछ आन्दोलन चल रहे हैं । एक साल पहले केन्द्रीय सरकार के सामने यह मसला गया और उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि ये तनख्वाहें कम हैं और तनख्वाहें ठीक करने के वास्ते एक कमेटी बैठाई जावे । देश भर के सारे विद्युत

(श्री कशरीमल)

कर्मचारियों की यह मांग थी कि यह मसला वेज बोर्ड के जरिये से हल करने के बजाय आपस में बैठ कर द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय वार्त्ता करके हल किया जाय। आखिर में केन्द्रीय सरकार ने कमेटी बिठाई और कमेटी को यह हिदायत दी गई कि सारे देश के विद्युत् कर्मचारियों की तनख्वाहों का मामला तय करें। उस कमेटी ने अभी कुछ महीने पहले यह सिफारिश की सरकार को और उसको माना केन्द्रीय सरकार ने कि कम से कम तीस रुपये की अंतरिम वृद्धि विद्युत् कर्मचारियों की कर दी जावे। यह अंतरिम वृद्धि करने की बात उन्होंने कही है तब से बराबर इस राजस्थान के विद्युत कर्मचारी इस बात की मांग को कर रहे हैं कि यह तीस रुपये की वृद्धि दी जावे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चार-पांच महीने बराबर हो गए लेकिन यह अंतरिम वृद्धि नहीं दी गई। अभी इस महीने से पैसा बढ़ाने की बात कही है लेकिन जो पैसा बकाया है उस पैसे को देने के बाबत विद्युत् मण्डल ने कोई अपना फैसला नहीं किया है, अपनी राय जाहिर नहीं की कि वह आखिर कब पैसा देना चाहती है और इससे मजदूरों में बड़ा असंतोष है। कभी भी यह मसला उग्र रूप ले सकता है। अब कर्मचारी सोच रहे हैं कि 11 अप्रेल से हड़ताल करें और इसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से विद्युत् मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अपने विभागीय अधिकारियों को इस मसले का हल करने के लिये कहें जिससे ऐसी स्थिति का निर्माण न हों जिससे हमारे यहां की जो शांति है वह भंग हो और हड़ताल हो। हालत खराब है, इसलिये पहले का तीस रुपये महीने का बकाया चढ़ा हुआ है उसका देने की व्यवस्था करें।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर): अध्यक्ष महोदय . . .

श्री अध्यक्ष: आपका भी कोई स्थगन प्रस्ताव है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु: जी हां है। मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है। मैं थोड़े से लफ्जों में कहना चाहता हूं कि गुजरात में जो हवा चली वह पहुंच गई बिहार में और उधर आ गई यू॰पी॰ में। अगर आप राजस्थान में भी . . . .

श्री अध्यक्ष: इस बारे में आपका स्थगन प्रस्ताव है।

श्री गुरदयालसिंह संधु: मेरा स्थगन प्रस्ताव है। अगर आप राजस्थान के देहातों में बसने वाले अस्सी प्रतिशत लोगों के राशन का प्रबन्ध नहीं करेंगे तो यह हवा राजस्थान में जरूर चलेगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप राजस्थान के लिए कह दीजिए कि राशन की जो व्यवस्था है वह शहरों और देहातों में एक समान कर दी जाएगी। मैं तो यह कहता हूं कि जो राशन जयपुर में मिलता है या राजस्थान के और शहरों में मिलता है वही राशन हमें देहातों में भी मिल जाना चाहिए। हम इससे अधिक कुछ नहीं चाहेंगे। हम यह नहीं कहते कि हमको दस किलो दो, बारह किलो दो, पन्द्रह किलो दे दो। हम तो यह कहते हैं कि राजस्थान के जो लोगों के हिस्से में एक किलो अनाज आए तो हमारे गांवों को भी एक किलो मिले। यही शब्द कहते हुए मैं बराबर सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह हवा जरूर आवेगी और बहुत दिनों तक लोग चुप नहीं रहेंगे।

कडाणा बांध पर
आधा घंटे की चर्चा

श्री अध्यक्ष : आधे घंटे की चर्चा ।

मैं चाहूंगा कि यह चर्चा 1 बज कर 35 मिनिट पर समाप्त हो जाय और दस मिनिट मंत्रीजी को उत्तर देने के लिए मिल जायें ।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न कडाणा बांध के सम्बन्ध में तारीख 14 मार्च, 1974 को था और उस पर आपने आधा घंटे की चर्चा के लिए समय दिया, मैं उसके लिए हृदय से आपके प्रति आभार प्रदर्शन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, कडाणा बांध और माही डैम का यह प्रकरण सदन में 1960 से अब तक कई बार आ चुका है और हजारों पन्ने प्रोसीडिंग्स के भरे जा चुके हैं । सदन में 25-8-67 को दिन भर चर्चा करके हमारे सदन के माननीय सदस्यों ने अपनी भावना व्यक्त की थी कि जो एग्रीमेंट हुआ है वह गलत हुआ है । ऊंचाई 419 के बजाय 410 होनी चाहिए, यह सभी ने अपनी भावना सदन में व्यक्त की थी । 1970 में प्रधान मंत्रीजी को हमारी कमेटी की ओर से ज्ञापन पेश किया गया था इस पर हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री सुखाड़िया साहब ने डूंगरपुर, बांसवाडा के आदिवासी क्षेत्र का दौरा किया और 26 जुलाई, 70 को सुखाड़िया साहब ने हितेन्द्र देसाई से बात की । गुजरात सरकार की ओर से

1.05 म. प.

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

हितेन्द्र देसाईजी ने तय किया था कि कडाणा बांध की ऊंचाई कम कर दी जाएगी और 28 जुलाई, 1970 को गुजरात सरकार ने ऊंचाई कम करने के लिए जो आश्वासन दिया था वह इस नवज्योति में जो कि 28-7-70 की है छपा है । समय के अभाव के कारण मैं इसको नहीं पढ़ता हूं । अभी मैं इस पर प्रकाश नहीं डालूंगा लेकिन गुजरात सरकार ने इस विषय को मान लिया था और राजस्थान सरकार की तरफ से ऊंचाई कम करने के लिए प्रयत्न किया जाएगा तो गुजरात ने हां कर दी थी। राजस्थान सरकार ने भी कडाणा बांध की ऊंचाई 410 रखने के बारे में प्रकाशन कर दिया था । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे स्वर्गीय बरकत साहब ने भी आबू में हुई बैठक में यही विचार व्यक्त किए । इससे आदिवासी क्षेत्र के हजारों एकड़ जमीन और लाखों आदिवासी प्रभावित हो रहे हैं इसलिए इसकी ऊंचाई 419 के बजाय 410 रखी जाय, फिर भी किन मजबूरियों के साथ 419 ऊंचाई के लिए निर्णय ले लिया गया । सरकार द्वारा दिनांक 14-3-74 को जो उत्तर दिया गया है उससे डूंगरपुर-बांसवाडा के आदिवासी क्षेत्र में तहलका मच गया है कि किस कारण से सरकार पुरानी लीक पर अड़ी हुई है । राजस्थान सरकार की तरफ से यह ढिलाई क्यों बर्ती जा रही है । इस सारे क्षेत्र में असंतोष फैला हुआ है । यह आदिवासियों के साथ विश्वासघात हो रहा है । यह प्रश्न आदिवासियों का ही नहीं है सारे राजस्थान का है । हमारे हाऊस के माननीय सदस्यों ने भी भावना व्यक्त की है उस पर सरकार को पुनर्विचार करके एग्रीमेंट में संशोधन करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन की गरिमा का विषय है । जब आने वाली पीढी इस विषय में इतिहास लिखेगी तो हमारी सरकार पर यह आरोप लगायेगी कि सरकार ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया । उपाध्यक्ष

(श्री नाथू राम)

महोदय, शासन की तरफ से बिल्कुल ठीक व्यवस्था नहीं हो रही है। पिछली बाढ़ के वक्त में भी डूंगरपुर-बांसवाड़ा में जो कडाणा बांध का पानी रोका था उससे प्रतिवृष्टि के कारण भयंकर विनाश लीला हुई है। जिन लोगों ने उसको देखा है उसका हृदय दहल गया। हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री ने हैलीकोप्टर से दौरा किया। एक हफ्ता बाद में रोड से कार द्वारा दौरा किया। लोगों की ऐसी हालत थी कि वह दृश्य सामने आता है तो हृदय दहल उठता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार पर भारत सरकार द्वारा दबाव दे करके पोंग डैम के विस्थापितों के लिए जो व्यवस्था करा रहे हैं वही कडाणा बांध के प्रभावित क्षेत्र वालों के लिए नहीं की जा रही है। राजस्थान को पहले छः करोड़ का भार वहन करना था उसके बजाय 45 करोड़ रुपये का दबाव दिया जाता है। अब दो तीन लाख एकड़ जमीन की राजस्थान नहर इलाके में पोंग डैम से प्रभावित क्षेत्र वालों के लिए व्यवस्था की गई है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ में जिस तरह से एग्रीमेंट होता है, जो नियम बने हैं वे नियम कडाणा बांध पर भी लागू होने चाहिए। आज जो हमारा बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में बन रहा है उसका फायदा भी अधिकतर गुजरात उठायेगा और कडाणा बांध का भी पूरा फायदा गुजरात उठायेगा। बजाजसागर से लगभग तीस हजार एकड़ भूमि प्रभावित होगी और कडाणा बांध से लगभग चालीस हजार एकड़ भूमि प्रभावित होगी और यह सारा लाभ गुजरात उठाएगा और बजाज सगर के बांध के निर्माण का गुजरात सरकार पैसा दे रही है। वह नर्बदा का पानी बाड़मेर को मिलेगा। आशा तो नहीं है कि वह पूरा हो जाएगा मैं तो यह कहूंगा कि एक तरह का यह स्वप्न है। यह जो पानी मिल गया तो जितना पैसा गुजरात सरकार देगी वही पैसा राजस्थान सरकार से वापस ले लेगी। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से यह मांग करता हूं कि पोंग डैम के जो नियम बने हुए हैं वे ही माही और कडाणा बांध पर लागू होने चाहिये। आपने यह जो एग्रीमेंट बिना तारीख का किया है, हमारे केबिनेट स्तर के मंत्रीजी ने किया है, उस पर न तो तारीख है और न उसमें समय ही बताया है। हमारे माननीय सदस्यों ने इस पर सुझाव दिया है। तो इस एग्रीमेन्ट में जो गलतियां रह गई हैं उसमें संशोधन होना चाहिये और पोंग डेम के समान ही यह एग्रीमेन्ट होना चाहिये। इसके अलावा 7 मई, 1960 को भारत के तत्कालीन फाइनेन्स मिनिस्टर श्री मोरारजी देसाई द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। तेरह साल हो गये लेकिन माही डेम पर काम शुरु नहीं किया गया है। लगभग तीन करोड़ रुपया अब तक खर्च हो गया है। सड़क बन गयी है, बंगले बन गये हैं परन्तु मेन माही डेम पर काम की शुरुआत नहीं की गयी है। गुजरात सरकार से इस एग्रीमेन्ट के अनुसार जो पैसा लेना चाहिए था वह पैसा गुजरात सरकार ने देना बंद कर कर दिया है। करीब दस, बारह लाख रुपया ही दिया है। यह तमाम पैसा माही डेम के इन्जीनियर और स्टाफ पर खर्च हो गया, उनके टी. ए. और वेतन पर खर्च हो गया और न वहां के लोगों को पूरी तरह से बसाया गया गया है। जो प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, उनको पहाड़ी क्षेत्र में भूमि देने का प्रावधान किया जा रहा है। वहां पर भूमि निकालकर देने को

(श्री नाथूराम)

सोच रहे हैं। कडाना बांध के विस्थापितों के पुनर्वास की योजना शुरू नहीं हुई है। डूंगरपुर के पांच गांवों को कुछ जमीन दी गयी है लेकिन लोग वहां पर नहीं गये हैं। उनके बाप दादों ने उस जमीन को जो कि एक फसली थी, दो फसली जमीन बनाई है। उसमें गेहूं, चावल और गन्ना पैदा होता है। उस जमीन को बांध में डुबा कर राजस्थान सरकार उन्हें पहाड़ी इलाके में, फोरेस्ट विभाग की पहाड़ियां हैं, वहां से जमीन निकाल कर जमीन देगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह कौनसा न्याय है। जो जमीन दो फसली है, सोना उगने वाली है वह भूमि तो डूब में जा रही है और उसकी जगह पहाड़ी जमीन दी जा रही है। यह सरासर अन्याय है आदिवासियों के साथ। तो, हमारा निवेदन है कि चाहे केन्द्रीय कानून हो, चाहे प्रान्त का कानून, उस कानून से जनता का अहित होता है तो उस कानून को बदला जा सकता है। आपका यह एग्रीमेंट कौनसा है। क्या इस एग्रीमेंट को बदला नहीं जा सकता है? लाखों लोगों का प्रश्न है। यह राजस्थान सरकार का भी प्रश्न है। यह शिड्यूल एरिया के रहने वाले व्यक्तियों का नुकसान है। भारत के सूदूर कोने में रहने वाला व्यक्ति भी अपने अधिकार की मांग करता है तो आदिवासी इस एग्रीमेंट का विरोध करते हैं। इस एग्रीमेंट में माननीय सदस्यों ने जिस तरह से यहां पर सुझाव दिये हैं, उस तरह से उसमें संशोधन होने चाहियें और पौंग डेम में जो सुविधा दी गयी है, वही यहां पर दी जानी चाहिये। आज आदिवासी लोग वहां नहीं जाना चाहते हैं। पिछले समय हमारे सिंचाई मंत्री जी ने 17 जून, 70 को बताया था, लड्ढा साहब ने बताया था कि कडाना बांध से प्रभावित लोगों को गुजरात में जमीन दी जाएगी। अगर गुजरात में जमीन नहीं दी जाएगी तो उनके लिए यहां पर व्यवस्था करेंगे। लोग वहां पर जाने को तैयार हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आदिवासी गुजरात से मिले हुए हैं, उनकी सीमाएं मिलती हैं, उनका सम्बन्ध गुजरात से ज्यादा है। उनका रहन सहन उन जैसा है, मिलता जुलता है। गुजरात के आदिवासी, और राजस्थान के दक्षिण भाग में रहने वाले आदिवासी का रहन सहन एक जैसा है और वे वहां पर जाने को तैयार हैं। पांच साल से बता रहे हैं, फलां जगह बसाएंगे। लेकिन आदिवासी उस पहाड़ी क्षेत्र में जाना पसन्द नहीं करते। वे चाहते हैं कि जिस तरह जो जमीन उन्होंने तैयार की है, सोना उगलने वाली जमीन है, वैसी हो जमीन उनको मिलनी चाहिये वरना उनका पैसा, मेहनत बर्बाद जाएगा। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसको वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र के लोग संघर्ष करेंगे। उनको जमीन का सही तरह से मुआवजा नहीं दिया जाएगा, उनको अगर नहरी इलाके में जमीन नहीं दी जाएगी तो वे संघर्ष करेंगे। राज्य सरकार से मुकाबला करेंगे और सरकार को जागना पड़ेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पहले कानून, एग्रीमेंट पौंग डेम का है, वही यहां पर होना चाहिए, उसको यहां पर भी लागू किया जाना चाहिये।

इसके अलावा मुझे और भी निवेदन करना है। समय का अभाव है। इस आधे घंटे की चर्चा में सदन के माननीय सदस्यों ने इस समस्या पर प्रकाश डाला है इसलिए समय कम लूंगा। आपने पिछले समय सर्वे कराया था। उस समय आपने 419 पर 123 और 116 का अनुमान

(श्री नाथूराम)

लगाया था। इसमें भी 17 का अन्तर है। इस तरह से जमीन 419 में 23,408 एकड़ डूब में आती है और 410 में 11,217 जाती है। अन्तर 7,151 का आता है। इस तरह से 4 करोड़ 12 लाख 77 हजार 71 रुपये का नुक्सान आंका गया है और 410 पर 2 करोड़ 65 लाख का नुक्सान आंका गया है। यह तो निजी नुक्सान है। जो राजकीय नुकसान होगा वह इसमें नहीं जोड़ा गया है। कुल 6 करोड़ 16 लाख 16,602 रुपये का नुक्सान बताया गया है 419 पर और 410 पर 2 करोड़ 72 लाख 3 हजार 123 का नुक्सान आंका गया है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 419 पर 7,148 परिवार विस्थापित होंगे और 410 पर करीब 6,398 परिवार विस्थापित होंगे। यह जो आंकड़े आपने बताये हैं वे बिलकुल ही गलत हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया था सी लेवल का जीरो पोइन्ट गुजरात में गया है। उसके आधार पर जो पुल बनाया गया है, वह गलत है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल जो बाढ़ आयी, अतिवृष्टि हुई, उस बाढ़ के कारण गलियाकोट, गढ़ी परतापुर और माही पर जो पुल बना था, वह बह गया, इन कस्बों में पानी भर गया। वहां पर 462 के लेविल पर पानी था। गलियाकोट में 445 के लेविल पर। इस तरह से जो सरकार का सर्वे है, उसमें अन्तर है। जो पहले का सर्वे था और जो अब सर्वे है, उन दोनों में अन्तर है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यहां पर जो आंकड़े बताये हैं उनमें यह अन्तर क्यों आता है। इसी तरह से पहले वाले सर्वे और अब वाले सर्वे में अन्तर है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से निवेदन है कि वह सही सर्वे करावें, लोगों को सही बात बता दें कि 419 पर पानी कहां तक रहेगा, बैक वाटर कहां तक रहेगा लेकिन सरकार इस दिशा में कुछ नहीं कर पाई है। मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इस विषय पर सुस्त होकर बैठी है। आप क्यों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं पौंग डेम के विस्थापितों को बसाने के लिए। क्यों लाखों एकड़ जमीन उनको दे रही हैं। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि जिस तरह से राज्य सरकार उनको जमीन दे रही है और जिस तरह से उनके पुनर्वास पर राज्य सरकार खर्च कर रही है तो उसी तरह से गुजरात से लेना चाहिए। यह मेरी मांग है। उपाध्यक्ष महोदय, कई बार इस हाउस में चर्चा हुई है फिर भी जो छोटी छोटी मांगें हैं वे मैंने रखी हैं।

बजाज सागर डेम जो बनाया जा रहा है उसके लिए गुजरातसे यह तय किया गया था कि ज्यादा पैसा वह देगा। जिस तरह का यह एग्रीमेन्ट है उससे जहां जहां बैक वाटर होगा उससे डूंगरपुर, बांसवाडा अस्तव्यस्त हो जाएगा। इसलिये इससे जहां जहां पर पुल बनने की जरूरत है उसका पैसा गुजरात सरकार से लेना चाहिये। इसका सर्वे नही हुआ है। अनास नदी पर पुल बांधने के लिए भारत सरकार को स्कीम दी जानी चाहिये क्योंकि इस बांध के बाद वहां के लोगों को बांसवाड़ा आने का रास्ता कट जायेगा। लोगों की मांग है कि अनास नदी पर पुल बनाया जाये और गुजरात सरकार इसका खर्च वहन करे। परन्तु राज्य सरकार की तरफ से इसकी मांग नहीं है। यह क्या एग्रीमेन्ट हुआ है। काश्त की भूमि के बजाय कडाणा के नहरी इलाके में भूमि दिये जाने की मैं मांग करता हूं। इसी तरह से पुनर्वास की व्यवस्था हो और इसका सारा खर्च गुजरात सरकार को वहन करना चाहिये। इसके लिए नया एग्रीमेन्ट हो और

(श्री नाथूराम)
नया न हो तो इस एग्रीमेन्ट में संशोधन होना चाहिये। यह मैं निवेदन करता हूं।

श्री माणकचन्द सोगानी : उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में दो मिनिट मैं भी निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मणसिंह।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता, लेकिन हमको इस समस्या को गहराई से देखना चाहिए। इसका जो सर्वे है, वही मेरे ख्याल में गलत हुआ है। जिस समय यह कडाणा डेम का एग्रीमेन्ट हुआ है उस समय राजस्थान और गुजरात की परिस्थितियां कुछ और ही थीं। कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ था। मुरारजी देसाई गुजरात के चोटी के नेता थे और भारतवर्ष में भी उस समय वह दूसरे नम्बर के नेता थे। वह कामराज प्लान जो कुछ भी हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहता लेकिन गुजरात का पलड़ा भारी था। हमारे मोहन लालजी सुखाड़िया कोई अन्याय नहीं करना चाहते थे, लेकिन ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं, और यह कोई नई बात नहीं है। मेरे खयाल से उनको कुछ हद तक लिहाज में पड़ना पड़ा, और यह भी मैं अनुभव करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि 419 की जो यह हाईट रखी गई है इसके फुल इम्प्लीकेशन्स का सुखाड़ियाजी को भी कोई अनुमान नहीं है, माननीय सदस्य नाथूरामजी और मेरे जैसे व्यक्ति को तो अनुमान होता ही कैसे, लेकिन उस वक्त यह अनुमान नहीं था कि इसके इम्प्लीकेशन्स क्या होंगे। आज यह जो बाढ़ आई है उसके पश्चात् सब की आंखें खुलीं और उसके इम्प्लीकेशन्स का पता चला, चाहे सर्वे राइट हो या रौंग हो। माननीय सदस्य नाथूरामजी ने जो आशंका व्यक्त की उसके साथ भी मेरी सहानुभूति है, लेकिन कोई न कोई जरिया तो हमें अख्त्यार करना पड़ेगा। 419 की लाइन डिमार्केट हुई उसको जाकर मैंने देखा और 419 की जो लाइन डिमार्केट हुई है, उपाध्यक्ष महोदय, यह हजारों आदमियों के जीवन और मरण का प्रश्न है। इतने हाई लेवल के ऊपर 6 इन्च अगर लेवल डाऊन होता तो रात-दिन का अन्तर होता है। मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि गुजरात सरकार की नीयत मेरे ख्याल में ठिकाने पर नहीं है। अगर मैं एक क्रिटिक फ्रेज इस्तेमाल करूं तो हैड्स आई लूज एण्ड टेल्स यू विन। यू लूज इन एनी केस एण्ड दे विन इन एनी केस। गुजरात यही चाहता है कि हमारा पलड़ा भारी रहे और हम जो चाहें वह कर लें और राजस्थान जाय जहन्नुम में। माननीय सदस्य पौंग डेम के के लिए मैं समझता हूं यही निवेदन करना चाहते हैं उसके साथ-साथ यही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर डेम बनता है तो इसमें नुकसान बहुत ज्यादा है बांसवाड़े जिले का और डूंगरपुर जिले का। माही के दोनों तरफ की जमीन बहुमूल्य जमीन है वह सब की सब डूब में आजायेगी। उसमें से कितनी जमीन रबी के लिए खुलेगी यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल में चार आना, 5 आना जमीन रबी के लिए खुलेगी, अन्यथा वह सब दलदल बनकर कीचड़ हो जायेगा। तो आदिवासी क्षेत्र में जहां फ्रेगमेन्टेशन और लैण्ड होल्डिंग्स के टुकड़े टुकड़े होकर दो-दो, तीन-तीन बीघे का एक एक होल्डिंग्स हैं वहां पर आप इन लोगों को राजस्थान के अन्दर कहां पर बसायेंगे। आप स्वयं यह जानते हैं कि यह असम्भव है।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

गुजरात सरकार उनको बसायेगी नहीं। मैं समझता हूं कि वह बसाना नही चाहते। आप गुजरात सरकार को मजबूर करें। आज गुजरात की परिस्थिति मुरारजी देसाई के जमाने की परिस्थिति नहीं है। आज अपनी परिस्थिति इतनी हेल्पलेस नहीं है कि हम बिल्कुल लिहाज में आयें। आज तो हमें स्पष्टतया उनको कहना है कि जो हजारों बीघा जमीन है वह इनको दिलाई जाय। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेवाड़ा मोडासर गांव डूंगरपुर जिले के हैं गुजरात की बोर्डर पर और मोरी कस्बा डूंगरपुर के बोर्डर पर गुजरात का है। गत 15 वर्षों के अन्दर हजारों बीघा जमीन पर पाटीदारों को बुलाकर पटेलों को बुला कर वहां पर बसा दिया गया है सूरत और भड़ोच के लोग वहां पर आये हैं, तो क्या गुजरात सरकार इतनी कृतघ्न है कि इन बेचारे आदिवासियों को वह हमवार जमीन नहीं दे सकती। वहां पर ट्यूबवैल्स खुद सकते हैं। वहां पर कपास, तूअर और गन्ने की फसलें हो सकती हैं, और वह जमीन बहुत अच्छी है। बांसवाड़े और डूंगरपुर की जमीन पर इतना प्रेशर है कि आप वहां पर इनको बसा नहीं सकते। मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूं कि गुजरात सरकार को आप यह लिखें कि इस जमीन के ऊपर आप इन आदिवासियों को बसाने के लिए व्यवस्था करें। जैसा कि माननीय सदस्य नाथूरामजी ने कहा रुपया तो आयेगा। रुपया भी एक हद तक कारगर चीज हो सकती है, लेकिन रुपया खर्च हो जायेगा, और आदिवासियों की हालत तो वेसे ही खस्ता होती है तो जमीन बेचते हैं। सरकार ने बहुत अच्छा किया कि जमीन का ट्रान्सफर, इत्कालात आदिवासी आदिवासी में ही कर सकता है। यह आपने अच्छी व्यवस्था की लेकिन उसके बावजूद भी बेनामी ट्रान्सफर्स होते हैं। यह गरीब लोग हैं। यह पैसे को खा पी जायेंगे। इसलिए जमीन की व्यवस्था सबसे पहले होनी चाहिए। आप कर भी क्या सकते हैं। 419 के लेवल पर डैम बन जायगा तो आप तोड़ने तो जा नहीं सकते। मेरा मन तो यह होता है कि खुद जाकर उस डैम को तोड़ दूं। यह अनर्थ हो रहा है। मैं नहीं कहता कि 410 के ऊपर ही आप अड़े रहें। मैं तो कहता हूं कि 410 और 419 के बीच में कोई कम्प्रोमाइज करें और जो मोरी और मोडीसा के बीच में हमवार जमीन हजारों बीघा अभी भी पड़त पड़ी हुई है उस पर इन आदिवासियों को बसाने के लिए व्यवस्था करें।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो प्राचीन मन्दिर हैं जैसे शीतला माता का मन्दिर गलियाकोट, रघुनाथजी का मन्दिर भिड़वा, फखरूद्दीन साहब की दरगाह जो गलियाकोट में है, वह मेरे ख्याल से 419 के लेवल पर जलमग्न हो जायेंगे। आपने यह व्यवस्था की है कि फरूखद्दीन साहब की दरगाह के चारों तरफ परकोटा लगा देंगे तो परकोटा लगाने के बाद क्या पानी का सीपेज नहीं होगा। आज चम्बल केनाल्स के कितने एरिया में पानी से वाटरलाग्ड रहता है, दल दल हो गया है तो आप मंदिरों को जलमग्न करके उसकी पूर्ति करना चाहते हैं। गुजरात सरकार अपने खेड़ा जिले को तर करना चाहती है, लेकिन वह राजस्थान की ज्यादा नुकसानी भुगत करके यह आपके सामने रखते हैं। वह कहते हैं कि हम नर्मदा का पानी आपको देंगे। नर्मदा का पानी, उपाध्यक्ष महोदय, अभी गंगानगर में क्या हो रहा है ? पंजाब ही अपने को

(श्री लक्ष्मणसिंह)
पानी नहीं देता है। पानी जैसी अमृत वस्तु 10 वर्ष के बाद नर्मदा का पानी राजस्थान को गुजरात दे ? आज तो कशमकश नर्मदा के पानी के बारे में गुजरात और मध्य प्रदेश में कितनी चल रही है। एक कतरा पानी गुजरात देना नहीं चाहता मध्य प्रदेश को तो बेचारे राजस्थान की तो क्या गिनती है ? राजस्थान तो थर्ड पार्टी है। यह तो फर्स्ट और सैकण्ड पार्टी मध्यप्रदेश और गुजरात सरकारें हैं। ऐसी परिस्थिति के अन्दर मैं सिर्फ यही संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा कि जमीन गुजरात सरकार से मांगी जाय। वह यह कहे कि हमारे पास जमीन नहीं है तो आप यह कहें कि फलां फलां जगह जमीन है। आप यह कहें कि सूत कडाना, और सतरामपुरा के आसपास लाखों बीघा जमीन है। देवगढ़, बारिया और नीमखोर के पास में जमीन दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : इन सारे लोगों को जमीनें देकर 419 की जगह पर 415 के कम्प्रोमाइज बेसिस पर नया एग्रीमेंट करें, और एग्रीमेंट में तब्दीली करने के लिए आपके पास, में काफी गुंजायश है। Where there is will there is a way.

श्री उपाध्यक्ष : नियमित बहस का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : नियमित बहस का प्रश्न तो नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आधा घंटे की चर्चा का यह प्रावधान है। जिनका प्रश्न है, वह विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद मंत्री महोदय, जवाब देंगे।

श्री नाथूलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राय दे सकते हैं। सुझाव दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये। आज सिंचाई अनुदान की मांगों पर विचार किया जायेगा। इस लिए इस मसले को कटौती प्रस्तावों पर बोलते हुए भी कहा जा सकता है। जो माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे, उनको समय मिलेगा।

श्री माणकचन्द सोगानी : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामूली प्रश्न नहीं है।

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य कोई कोई सुझाव देना चाहते हैं। उन्हें एक मिनट दिया जा सकता है।

श्री माणकचन्द सोगानी : मैं दो मिनट अपने सुझाव देना चाहता हूं। मेरा यह कहना है .....

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, चेयर ने यह व्यवस्था दी है। आज सिंचाई की डिमाण्ड है।

श्री नाथूराम : यह प्रश्न अलग है। डिमान्ड के लिये हम रात के 11-12 बजे तक बैठ सकते हैं। यह मांग उससे अलग है।

श्री हीरालाल देवपुरा : इस आधा घंटे की चर्चा की परम्परा है। जो रूल्स अलाउ करते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय··

Page No. 62

62

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये ।

श्री गुमानमल लोढा : आप मेरी बात तो सुनिये ।

आपने यह व्यवस्था दी है कि आज सिंचाई अनुदान की मांगें हैं । इसलिए आधा घंटा की चर्चा पर कोई विचार नहीं करें । परम्परा यह रही है कि जो आधा घण्टे की चर्चा उठाई जाती है, उसमें जो प्रश्न जिसने उठाया है, वह मुख्य रूप से रखता है । उसका एग्रीमेंट रिवाइज किया जाये या नहीं किया जाये । जो भी आप व्यवस्था करें उसके बारे में विचार रखना चाहते हैं । उसका मंत्री महोदय उत्तर देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : इस की मैं अनुमति नहीं दूंगा । सिंचाई पर जो बहस हो रही है, उसमें सभी माननीय सदस्यों को समय मिलेगा ।

माननीय मंत्री जी ।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है । राजस्थान के लाखों लोगों का प्रश्न है । दो–दो मिनट अपने सुझाव रखने के लिए माननीय सजस्यों को समय दिया जाना चाहिए । मांगों की बात अलग है । उसके लिए हम रात के 12 बजे तक बैठ सकते हैं । आदिवासियों के विषय को सुना नहीं जा रहा है । पिछले समय में भी आधे घंटे की चर्चा उठाई गई थी ।

श्री माणकचन्द सोगानी : उपाध्यक्ष महोदय, अब तक तो मैं अपनी बात ही समाप्त कर देता ।

श्री नाथूराम : आपके पास कोई जवाब नहीं है । मैं जानता हूं । आपका जवाब मैं सुनना नहीं चाहता हूं ।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है अगर आप चाहते हैं । मंत्रीजी का जवाब अनुदान की मांगों की बहस के बाद सुनना चाहते हैं तो मैं यह व्यवस्था कर सकता हूं ।

श्री नाथूराम : डिमाण्ड की बात अलग है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्य कुछ सदन की परम्परा का भी ध्यान रखें ।

श्री नाथूराम : यह हमारा हक है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपकी ही बात हो रही है ।

श्री नाथूराम : यह तो टालने की बात है

श्री उपाध्यक्ष : टालने की बात नहीं है ।

श्री नाथूराम : सरासर टालने की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी स्पष्ट रूप से जवाब देंगे । कडाना बांध के बारे में कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । दो बार बहस हो और दो बार मंत्रीजी जवाब दें, यह उचित नहीं है । अगर आप चाहते हैं कि मंत्री जी अभी जवाब दें तो मंत्रीजी से निवेदन कर दूंगा । अगर आप चाहते हैं कि कटमोशन के द्वारा भी विचार आ जायें, तो मंत्री महोदय उस समय विस्तृत रूप से जवाब दे देंगे ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये । पहले नेता महोदय को सुन लें ।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, कडाना बांध का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न विषय है। कई माननीय सदस्यों के मन में इस प्रकार की आशंका है कि वहां के व्यविस्थापितों की व्यवस्था हो सकेगी या नहीं । यह स्वाभाविक है। आधा घण्टे की बहस का उत्तर भी ठीक से नहीं आ सकेगा। इसलिए यह आधा घण्टे के बजाय कई घंटे का हो जाता है। जो जो भी कहना चाहते हैं वह कह लें। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी 3 बजे कुछ कहना चाहूंगा। मैं भी जो मुझे जानकारी है, दे दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है. . . .

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की यह परम्परा रही है । सदन की मंशा ही सदन की परम्परा बनती रही है । सदन में माननीय सदस्यों की भावना की मान्यता होनी चाहिए। कडाना बांध एक गम्भीर प्रश्न है । सारे कटमोशन्स में किसका किसका उत्तर दिया जायेगा। इस प्रश्न पर तो अलग से चर्चा हो । मेरा ख्याल है, सदन की मूल भावना यही है। डिमाण्ड की बहस के उत्तर के समय तो माइनर इरिगेशन है, चम्बल है, और जाने कितने कितने प्रश्न है जो आयेंगे। माननीय सदस्य दो-दो मिनट अपनी राय प्रकट करदें । माननीय मंत्री महोदय भी उत्तर दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता महोदय ने सदन से निवेदन किया है । इस सम्बन्ध में वह भी अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे। माननीय मंत्री महोदय का भी यही विचार है । इसलिए मैं यह उचित मझता हूं कि कटमोशन्स की बहस के बाद माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे देंगे। मैं यह व्यवस्था देता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ।

अनुदान की मांगें
मांग संख्या 45

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 45 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,45,49,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

अनुदान की मांग सं० 45 पर कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) ।

1. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया दिया जाय (चम्बल प्रोजेक्ट, कोटा के विश्व बैंक द्वारा दिये गये ऋण के उचित प्रयोग न किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

2. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग की अकर्मण्यता से नवनिर्मित बांधों में से पानी रिसने पर चर्चा के लिये) ।

Page No. 64

64

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

3. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि के आवंटन में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचन योजनाओं में अनावश्यक खर्चों की समाप्ति पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई सम्बन्धी योजनाओं से जो लाभ प्राप्त होना था उसके न होने पर पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में बाढ़ के कारण टूटे हुए बांधों की समय पर मरम्मत नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 307 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मध्यम योजना के सिंचन सम्बन्धी निर्माण कार्यों को समय पर पूरा न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बनास परियोजना के निर्माण में हो रही अनावश्यक देरी पर चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

9. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नर्बदा जल विवाद पर राज्य सरकार द्वारा पैरवी करने में ढिलमिल नीति अपनाने पर चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नहर से लीक लूनी नदी परियोजना जो कि जैसलमेर के ग्राम नाचना से मिनी नहर का निर्माण कर फलसूंड होती हुई तिलवाड़ा पहुंचेगी और वहां लूनी नदी के मार्ग पर बहेगी योजना का सर्वे कर पांचवी पंचवर्षीय में ली जाने में उदासीनता की नीति अपनाने पर चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में लूनी एवं सूकड़ी नदी की बाढ़ से निम्न गांव तथा कस्बे प्रभावित होते हैं परन्तु सिंचाई विभाग ने उन गांवों एवं कस्बों को बाढ़ से बचाने के लिये को ईयोजना नहीं बनाई है (अतः उन गांवों की ग्रामीण जनता में राज्य सरकार के प्रति घोर असंतोष है जिस पर चर्चा के लिये :—

(1) बालोतरा कस्बा, (2) ग्राम पिलोर (3) जेठतरी, (4) पारलू, (5) कानाना (6) सराना (7) जानियाना, (8) होटलू, (9) रामलीन, (10) भूगड़ा, (11) कितनोद, (12) लालाणा, (13) बोदूली, (14) आसेतरा, (15) कूपावास, (16) रामदड़ी, (17) रानी देसी पुरा, (18) अजीत, (19) मंजलू, (20) खरटीयर, (21) बामलीण, (22) जसोल, (23) तिलवाड़ा, (24) सिनली, (25) नूका, (26) खिणघटी।

12. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सन् 72-73 एवं सन् 73-74 में सिंचाई के कार्य जो बाड़मेर एवं शिव निर्वाचन क्षेत्र में शुरू किये गये थे वे अधूरे हैं जिन्हें पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के भूतपूर्व चीफ इंजीनियर श्री कंवरसेन ने राजस्थान नहर के लिये जो योजना बनाई थी जिसमें सिंचाई के लिये एवं नेवीगेशन के लिये पानी बाड़मेर जिले में उपलब्ध होकर कच्छ की खाड़ी में जाता था उक्त योजना को नये सिरे से सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर को केन्द्रीय योजना में सम्मिलित कराये जाने के बारे में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक-333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के निर्माण कार्य की मंद गति पर चर्चा के लिये).।

16. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार व हरियाणा सरकार के मध्य सन् 73 में समझौता कर एग्रीमेन्ट राजस्थान नहर के बारे में किया जिससे हरियाणा की 2 लाख एकड़ जमीन सिंचित होगी। उक्त एग्रीमेंट राजस्थान प्रति के और खासतौर से प्रांत के निचले हिस्से जसलमेर और बाड़मेर जिले के हितों पर कुठाराघात है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) :
17. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 533 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीमसागर बांध व हरिश्चन्द्र सागर बांधों जिला झालावाड़ को पूरा किये जाने व पुराने कार्यों में हुए घोटाले की चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 532 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजपुरा, अलाका व सामरिया जिला झालावाड़ की लिफ्ट सिंचाई योजनाओं को पूरा करने पर चर्चा के लिये)।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) :
19. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालौर एवं बाड़मेर जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री भोपाल सिंह (जैसलमेर) :
20. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा जैसलमेर जिला में खड़ीनों में अतिरिक्त जल भर गया है उसकी निकासी व उचित उपयोग सम्बन्धी कोई योजनाबद्ध कदम न उठाने से उत्पन्न भारी असंतोष संबंधी विषय पर चर्चा के लिये)।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) :
21. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बहु उद्देशीय नदी योजना पर व्यय और उसका रिटर्न नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

Page No. 66

66.

श्री चतुरभुज (टोडारायसिंह) :

22. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 533 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टोंक की पंचायत समितियों में बड़े बड़े तालाब अकाल राहत कार्यों से निर्मित हुये हैं उनमें सिंचाई के लिये मोरी, चद्दर की अव्यवस्था के लिये विभाग के अनुत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों के बारे में चर्चा के लिये) ।

23. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग संख्या में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला अजमेर, पंचायत समिति अराई में ग्राम समेला में डाई नदी के बांध बनाये जाने की योजना के लिये जनता द्वारा कई बार मांग प्रस्तुत करने पर भी विभाग द्वारा उदासीनता अपनाने पर चर्चा के लिये) ।

24. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले के देवली पंचायत सनिति में बिसलपुर बनास नदी सिंचाई योजना की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त हो जाने तथा जनता की बारबार मांग करने पर भी राज्य सरकार द्वारा उदासीनता अपनाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) :

25. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 533 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खमनोर में फेवदा धरे की लिफ्ट सिंचाई योजना पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) :

26. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 533 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई के साधनों की वृद्धि करने में विभाग को असफलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

27. संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बनास नदी से लिफ्ट योजना बनाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री शंकरलाल (पाली) :

28. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी बांधों से सिंचाई हेतु दिये जाने वाले पानी वितरण की सुव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

29. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जवाई बांध के पानी का न्यायोचित वितरण करने पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील के किसानों में सिंचाई तावान की अनुचित वसूली की चर्चा के लिये)।

श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) :

31. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 533 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित अधूरे कार्यों को पूरा कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री नानालाल (राजसमन्द) :

32. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जो अनकमान्ड एरिया

(श्री नानालाल)
है उसे सिंचाई योग्य बनाने में विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराड़ा) :

33. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर में तहसील सराड़ा का तालाब नामी डाया योजना तालाब का काम चालू कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा) :

34. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील खेरवाड़ा, सराड़ा, गोगून्दा को कोटड़ा, जिला उदयपुर में सिंचाई के लिये ईरिगेशन मास्टर प्लान बनाने हेतु राशि उपलब्ध नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) :

35. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर परियोजना इसी पंच वर्षीय योजना में पूरा करने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

36. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में मंडी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत खारवारा, रानेर, छतरगढ, पूंगल व लूणकरनसर पर चर्चा के लिये) ।

37. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 533 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लिफ्ट केनाल के सम्पूर्ण होने में विलम्ब पर चर्चा के लिये) ।

38. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर की अनूपगढ एवं पूंगल शाखा से पुनः बिजली उत्पादन पर चर्चा के लिये) ।

39. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 533 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लिफ्ट केनाल की आर० डी० 166 पर महाजन गांव से स्टेशन तथा मलसीसर की डिस्ट्रीब्यूट्री पर स्टेशन से शेखसर मार्ग पर जाने हेतु पुलिया बनाने हेतु पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पौंग बांध के पूरा हो जाने के पश्चात् राजस्थान नहर पूरी न होने के कारण बारहमासी मिलने वाले कुछ पानी, राजस्थान नहर के किनारे पर चरागाह एवं पशुपालकों की कॉलोनीज आबाद करके उसके लिये इस्तेमाल करने पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लिफ्ट केनाल के आर० डी० 296 के पम्पिंग स्टेशन से सनीवाला-फूलदेसर-रोझा ग्राम समूह का विद्युतिकरण हेतु कोई प्रावधान नहीं रखे जाने पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम

(श्री भीमसेन)
कर दिया जाय (लिफ्ट कैनाल के मलसीसर हैड की लाइन से गांव कपूरीसर का विद्युतीकरण करने पर चर्चा के लिये)।

श्री जीथिंग (कुशलगढ़) :

43. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत के मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में सिंचाई की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथराम (बागीडोरा) :

44. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कडाना बांध की ऊंचाई 410 की बजाय 419 मानने, गुजरात सरकार से विस्थापितों को बसाने के लिये जमीन नहीं लेने पर चर्चा के लिये) ।

45. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बजाज सागर बांध के निर्माण में अनियमितता, शिथिलता एवं फिजूलखर्ची के बारे में चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले लिफ्ट इरिगेशन, माही, अनास व चाप नदियों के जल के उपयोग के निर्मित मास्टर प्लान हेतु राशि नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बजाज सागर बांध से प्रभावित लोगों के मुआवजे आदि में हो रहे विलम्ब पर चर्चा के लिये) ।

48. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बजाज सागर बांध पर स्थानीय कामगरों को कार्य पर नहीं लगाने और बाहर से आदमी लाने पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) :

49. मांग संख्या 45 मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर में बाजना, ढिहोली के नेखरा व धारापुरा बांधों का कार्य पूरा न करने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री करनसिंह (डीग) :

50. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई व्यवस्था में सुधार लाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री जयकिशन तोसावड़ा (फागी) :

51. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग के अन्तर्गत फागी तहसील में माही नदी पर हधुकड़ा टैंक (आड़) को जो बाढ़ में टूट गया था पूर्ण बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

52. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

श्री केशरीमल (ब्यावर):

53. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर इलाके में सिंचाई के साधनों के निर्माण में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक

(श्री केशरीमल)

333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [दुदालेश्वर (टाडगढ) का तालाब अभी अधिक वर्षा से टूट गया उसे न बनवाने पर चर्चा के लिये]।

55. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाई कलां खुर्द के पास का तालाब अभी वर्षा में फूट गया उसे न बनवाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार, जयपुर) :

56. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई योजनाओं के निर्माण में बढ़ती जा रही शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई की दरों में बरते जाने वाले भेदभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

58. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम महेश्वर खुर्द के बांध की योजना को कार्यान्वित को तुरन्त कार्यावित करने पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जमवारामगढ़ बांध के पानी को दौसा, बस्सी व जमुवा रामगढ़ तहसीलों के लिए खेती की सिंचाई हेतु देने पर चर्चा के लिये) ।

60. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बनास योजना को चालू कर तुरन्त पूरा कराने पर चर्चा के लिये) ।

61. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पूर्वी राजस्थान में सिंचाई साधनों के बढ़ाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

श्री रामचन्द्र पटेल (हनुमानगढ) :

62. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 533 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बंध झिलमिली के नया गांव माइनर पर साइफन व पुलिया बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा):

63. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अमरसिंह–जमाना सिस्टम (भाखरा नहर) में सिंचन क्षमता को भाखरा नहर के अन्य सिस्टमों के बराबर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर) :

64. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 533 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर) जिले में केकड़ी लिफ्ट इर्रिगेशन प्रोजेक्ट के लिये कोई प्रावधान इस बजट में न रख कर अजमेर जिले को उपेक्षित रखने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) :

65. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग द्वार

Page No. 70

70

(श्री शंकर सिंह रावत)
जल-वितरण कमेटियों को समय पर न बुलाने तथा कमेटी में सुधार हेतु चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिचाई विभाग द्वारा जल वितरण सुचारु रूप से नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :
67. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माही एवं नर्मदा नदी सिंचाई योजनाओं से जालौर एवं बाड़मेर के सिंचित क्षेत्रों के बारे में चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नर्मदा नदी घाटी योजना की शीघ्र क्रियान्विति के बारे में सरकार की घोर उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

69. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माही नदी योजना से सिंचाई जिला जालौर एवं बाड़मेर में शीघ्र करवाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

70. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बड़गांव, जेतपुरा नदियों की सिंचाई योजना के शीघ्र क्रियन्वयन के बारे में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में चर्चा के लिये) ।

72. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान केनाल को राष्ट्रीय योजना मान कर शीघ्र पूरी कराने हेतु चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचौर तहसील में लूनी इर्नन्डेशन सिचाई योजना की क्रियान्विति के बारे में चर्चा लिये)।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) :
74. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिचाई योजनाओं की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

75. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मावली राजसमन्द, रेलमगरा क्षेत्र में बड़ी सिंचाई योजनाओं के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री भैरूलाल (अकलेरा) :
76. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा तहसील की नदियों में पानी की बहुतायत के उपरान्त भी कोई बांध या पम्पिंग सेट द्वारा सिचाई योजना चालू न करने पर चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत अकलेरा क्षेत्र में सिंचाई योजनाओं

Page No. 71

71

(श्री भैरू लाल)
को कार्यान्वित करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ क्षेत्र के देहलनपुर ग्राम समीप छापी नदी पर देहलनपुर बांध योजना को शीघ्र योजना में ली जाकर निर्माण कार्य आरम्भ करने की चर्चा के लिये)।

श्री हनुमान सहाय (बैराठ) :

79. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील विराटनगर में छीतोली बंधे की नहरों के निर्माण में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) :

80. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जवाई बांध के अधिशासी अभियन्ता द्वारा बहुत वर्षों बाद तावान दिए जाने के कारण किसानों में भारी असंतोष पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जवाई बांध की नहरों द्वारा टेल पर पानी पहुंचाने में विभाग की अक्षमता पर चर्चा के लिये ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़)

82. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा बारम्बार आश्वासन देने के बावजूद गंगानगर में मोती राम कमेटी की रिपोर्ट न लागू करने से पैदा स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

83. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (घग्घर डाईवर्शन नहर की अठारह झीलों में से विभिन्न सिंचाई योजनायें बनाकर, हजारों बीघा असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने की चर्चा के लिये) ।

84. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर में बाढ़ से हुई हानि के बाद विभिन्न नहरों और बन्धों के निर्माण में हुये भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

85. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील डूंगरपुर के कामदी नाका बांध के निर्माण में सरकार की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये) ।

86. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिले में कमला अम्बा बांध के निर्माण में सरकार के दुर्लक्ष पूर्ण रवैये पर चर्चा के लिये) ।

87. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर में सारी सिंचाई योजना केवल बाढ़ नियंत्रण की योजना है इस सिंचाई योजना में परिवर्तन करने के बारे में चर्चा के लिये) ।

88. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर की बाढ़ के बाद, ऐप्लेक्स बांध, कुर्का फीडर तथा पिचुना नहर का पेचिंग नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री केदार नाथ (गंगानगर) :

89. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(राज्य सरकार पंजाब सरकार को बीकानेर केनाल के 79 ग्रार० डी० पर 27 क्यूसेक्स की नहर के निर्माण काम को बन्द कराने में असफल रही, पर चर्चा के लिये) ।

90. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार मोती राम कमेटी की सिफारिशों को अमल में लाने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री मोहनलाल (बाली)

91. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटी जोतों व टेल पर अवस्थित जोतों वाले काश्तकारों को नहरों से पानी न मिलने और सिंचाई हेतु पानी वितरण में समाजवादी व्यवस्था लागू करने में असमर्थता पर चर्चा के लिये) ।

92. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सादड़ी बांध नहर को ग्राम मुंडारा की सरहद तक बनाकर अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के काश्तकारों को पानी दिये जाने की व्यवस्था न किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

93. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली क्षेत्र में सिंचाई कार्य जो अधूरे पड़े है और जिनकी मरम्मत अत्यावश्यक है के लिये आवश्यक धन राशि का प्रावधान न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री गिर्राज प्रसाद तिवाड़ी (बयाना)

94. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर में में गम्भीरी नदी पर बाढ़ नियंत्रण योजना प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये) ।

श्री सुरेश चन्द्र (कोटपुतली) :

95. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपुतली तहसील में बनाड़ी बांध के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

96. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोट पुतली तहसील में दोतील बांध के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री रामलाल (बाडी) :

97. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पारवती और रामसागर बन्धे से सिंचाई की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

श्री हरिश्चन्द्र पालीवाल (गंगापुर) :

98. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले का पौचना बांध का कार्य शीघ्र शुरू करवाने की चर्चा के लिये) ।

श्री शंकर लाल जाट (कपासन) :

99. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333-के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले में पानी का स्कोप होते हुए भी सर्वे के मुताबिक बांध नहीं बनाने पर चर्चा के लिये) ।

श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) :

100. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगनहर क्षेत्र के चक 31 आर०बी०आई० व जीवन देसर बारानी भूमि के नाजायज आवंटन पर चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333-के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगनहर क्षेत्र में भूमि के नाजायज आवंटन पर चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333-के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगनहर क्षेत्र में किसानों द्वारा जो भूमि सिंचित की जाती है उस पर सिंचाई दर कायम करने पर चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333-के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 532-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि का आवंटन करते समय पिता की जमीन का हिस्सा लड़कों के नाम पर ही समझा जाता है लड़कियों का हिस्सा उसमें नहीं समझा जाता इस पर चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 532 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि का आवंटन करते समय सिक्खों की भूमि इसलिये खारिज कर दी जाती है कि उन्होंने दरख्वास्त देते समय अपने पिता की भूमि का उल्लेख नहीं किया था जबकि वह अपने पिता से अलग रह रहे हैं पर चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 532-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में सिक्खों से इस बात का सबूत मांगा जाता है कि वह सारे क्षेत्र से अपनी भूमि न होने की तस्दीक लावें, पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 532-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में सिक्खों की जमीनें बिना किसी कारण केन्सिल किये जाने से उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगनहर क्षेत्र में पानी की कमी के कारण रबी 1974 नष्ट हो जाने पर विभाग द्वारा आज तक कोई जनरल रिमेशन (माफी) न देने पर चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगनहर क्षेत्र के चक 7 वाई में मिसल नम्बर 6।1970 द्वारा दिनांक 16-2-1970 को जो खाला मंजूर किया गया था उसे नहर विभाग के पक्षपात के कारण आज तक जारी न करने पर चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगनहर क्षेत्र में नाहरी पटवारियों द्वारा समय पर बीआवार डिमान्ड्स स्लिप काश्तकारों को न देने पर चर्चा के लिये)।

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

111. मांग-संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगनहर क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति नहर का पानी चोरी करता या नहर को तोड़ता हुआ पकड़ा जाये तो भी तावान सारे गांव पर लगा देने पर चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगनहर की जो पंजाब सरकार द्वारा मरम्मत करायी जा रही है उसमें घटिया मेटिरियल पीली ईंटों का लगाया जाने पर चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगनहर क्षेत्र में उस भूमि को जो खालों में ग्राती है ग्रौर जिसकी कीमत किसानों ने दे रखी है को नहरी पानी न देने पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333-के ग्रन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार का गंगनहर के उस भाग को जो पंजाब में है ग्रपने प्रबन्ध में न ले सकने पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333-के ग्रन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगनहर पिछले कई महीनों से टूटी हुयी है ग्रौर राजस्थान सरकार द्वारा उस पर मरम्मत का प्रबन्ध न करने पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333-के ग्रन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगनहर जो केवल राजस्थान राज्य के खर्चे से बनी ग्रौर राजस्थान के खर्चे से चलायी जा रही है उसकी ग्रार०डी० 87 पर से पंजाब एक राजबाह का हैड बना रहा है पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333-के ग्रन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पोंग बांध जिसमें राजस्थान का 60 प्रतिशत हिस्सा है उसे शीघ्र भाखड़ा बांध मेनेजमेन्ट बोर्ड द्वारा प्रबन्ध में लिये जाने पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333-के ग्रन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगनहर क्षेत्र में वह भूमि जिसकी कीमत किसानों ने नहरी रेट पर दे रखी है ग्रौर यदि उसमें खाला मंजूर हो जावे तो ग्राधे बीघे का पानी काट लिया जाता है जिसके कारण नहर खाली मंजूर करने में सरकार को बहुत बड़ी कठिनाइ ग्रा रही है इस पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333-के ग्रन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इरिगेशन ड्रेनेज एक्ट की धारा 32 (ख) नियम 32 (1) (2) के ग्रंतर्गत गंगनहर क्षेत्र में शीत लहर से हुई क्षति का एक्स० ईएन०, गंगानगर द्वारा कलेक्टर, गंगानगर से विचार विमर्श के बाद ग्राज तक सिंचाई दरों की माफी की घोषणा न करने पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333-के ग्रंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग व भाखरा नहर क्षेत्र में नाका का तबादला जमीन के पानी को एक मोंगे से दूसरे मोंगे में तब्दील करना फीस के रुप में 50 रुपये प्रति नाका व 100 रुपया प्रति मुरब्बा वसूल करने पर चर्चा के लिये)।

(श्री गुरदयाल सिंह सन्धु)

121. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 532—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में सरदारपुर बीका के सिक्ख परिवारों की स्थायी भूमि बिना किसी कारण के खारिज किये जाने पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग व भाखरा नहर क्षेत्र में नहर की पानी की बारियां किसानों की सुविधाओं के अनुसार न बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग नहर क्षेत्र में नहरों के दोनों ओर लगे हुए वृक्ष जो रिकार्ड में दर्ज हैं उनमें से बहुत पेड़ मौके पर न होने पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग, गंगानगर में 1966 में गलत काम आर० डी० 12 से आर० डी० 80 पी० एस० नहर पर दिखलाकर 80 हजार रुपये की राशि वसूल करना और जांच में यह सिद्ध हो जाना कि कोई कार्य नहीं हुआ इस पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एक्स० ई एन० नोर्थ सिंचाई विभाग श्री गंगानगर के बेलदारों को जिनका सेवा काल छः से नो साल का था जिन्हें बिना किसी कारण के फरवरी, 1974 में सेवाओं से मुक्त कर दिया जाना, इस पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंग नहर क्षेत्र में अन-कमाण्ड भूमि को कमाण्डेड करने पर बहुत भ्रष्टाचार होने पर चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम चरण का कार्य समय पर पूरा नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर परियोजना में कार्य सुचारु रूप से नहीं चलने पर चर्चा के लिये)।

श्री हाजी जान मोहम्मद (पिडावा):

129. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पिडावा क्षेत्र में पानी के देहों के बहुतायत होने के उपरान्त भी सिंचाई योजना कायम करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद (मालपुरा):

130. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग द्वारा अवैधानिक तरीके से व्यय किये जाने पर चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम

(श्री सुरेन्द्र प्रताप)
कर दिया जाय (सिंचाई योजना के अन्तर्गत टोंक जिले में राजमहल का प्रस्तावित बांध बनास को रोक कर बनाने पर अमल नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़):

132. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिध मुख केनाल के शीघ्र निर्माण के लिये चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर के ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को कर्ज से दबाकर उनके साथ विभाग द्वारा अमानुषिक व्यवहार करने पर चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर में मिट्टी खुदाई के कार्य के साथ साथ चिणाई का पानी चाहिए अन्यथा मिट्टी का कार्य हवा में पुनः बहकर अपव्यय हो जाएगा इस पर चर्चा के लिये)।

श्री भीमराज (नोहर):

135. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर फीडर शीघ्र निर्माण कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री भंवर सिंह शेखावत (जैसलमेर):

136. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में गंगा के पानी से सिंचाई की व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर):

137. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बहु उद्देशीय नदी परियोजनाओं पर होने वाले भारी व्यय के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डोन):

138. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जगर बांध की नहरों के सीरोज के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री जेठमल बरवड़ (परवतसर):

139. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 306–के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परवतसर सब डिवीजन में अधूरे बोटिंग को पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री मीठा लाल मीणा (लालसोट):

140. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले की लालसोट तहसील के मोरेल सागर, उत्तरी सागर, दक्षिणी सागर, आदि समस्त बांधों को ए० ई० एन० करोली की अधीनता से हटाकर दौसा, जयपुर के अंतर्गत रखने पर चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले की लालसोट तहसील के बांध उत्तरी सागर व दक्षिणी सागर तथा विचाराधीन सिंगरोली बांध तीनों को मिलाकर एक बांध बनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री राजेन्द्र सिंह (उणियारा) :

142. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले में सिंचाई की महत्वपूर्ण योजनायें पूर्ण न कराने के बारे में चर्चा के लिये) ।

श्री राम गोपाल (किशनगन्ज) :

143. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चटका प्रोजेक्ट को अति शीघ्र पूर्ण कराने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

144. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोपालपुरा सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

145. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में सिंचाई की सुचारु व्यवस्था की कमी पर चर्चा के लिये) ।

श्री नत्था सिंह (नदबई) :

146. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले में बाढ़ से टूटे हुए बांध के निर्माण पर चर्चा के लिये) ।

श्री गौरीशंकर मुनीम (खानपुर) :

147. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिला क्षेत्रान्तर्गत भीमसागर एवं हरिश्चन्द्र बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ करने पर चर्चा के लिये) ।

श्री विजय सिंह (माण्डल) :

148. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (5 वर्ष पूर्व घोर खाबड़ी बांध के [illegible] का शिलान्यास करने पर भी निर्माण कार्य प्रारंभ न करने पर चर्चा के लिये) ।

149. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाढ़ से टूटे तालाबों की मरम्मत में पक्षपात पर चर्चा के लिये) ।

150. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं द्वारा लिये जाने वाले कमीशन पर चर्चा के लिये) ।

श्री गोपीलाल (पीपलदा) :

151. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नहरों द्वारा सीपेज होना व आवागमन के रास्ते रुक जाना व नहरों से पूरे कस्बे में सिंचाई न होने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

श्री चेतराम (टोडाभीम) :

152. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर में आई भयंकर बाढ़ से सिंचाई के साधन, बांध, नहर आदि टूट गये थे उनका निर्माण जीर्णोद्धार नहीं हुआ है इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री नन्द लाल बैरवा (पाटन) :

153. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333—के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी की तहसील नैनवा के ग्राम बजूरी के बांध का सर्वे हुए

(श्री मन्नालाल बैरवा)

कई वर्ष हो गये लेकिन कार्य चालू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी की तहसील नैनवा के ग्राम पीपल्या में बने सिंचाई के बांध के टूट जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 533–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल नहर से मुख्य-मुख्य गांवों के ग्राम रास्तों पर पुलियाओं के नहीं बनाने से ग्राम रास्ते में रुकावटें होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 533–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल एरिया में विश्व बैंक से दिये जाने वाली राशि का शीघ्र ही व्यय नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी की तहसील केशवरायपाटन के ग्रामों में चम्बल के सिंचाई का पानी टेल तक नहीं पहुंचने से सूख गई फसल से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल कमाण्ड एरिया में सीपेज एवं ऊसर से हजारों बीघा भूमि खराब हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री चुन्नी लाल इंदलिया (नोखा) :

159. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर में सिंचित इलाकों में सरकारी इमदाद समय पर नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 333–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर व गंग केनाल समय पर सिंचाई के पानी की कमी पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहर लाल (कामा) :

161. मांग संख्या 45, मुख्य शीर्षक 332–के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गुड़गांव केनाल को तुरंत पूरा कराने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 45 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री मीठा लाल : उपाध्यक्ष महोदय, श्री गिरधारी लाल भार्गव किस हिसाब से बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : हिसाब तो जो आसन समझता है, वह है। अगर आप का आसन पर विश्वास नहीं हो तो बात अलग है।

श्री मीठा लाल : पहले भी गिरधारी लाल जी बोले हैं। आगे भी क्या भविष्य में यही आयेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय सदस्य गिरधारी लाल भार्गव मेरे मित्र हैं। लेकिन लगातार बहस खोलने का अधिकार क्या उन्हीं को प्राप्त है? मेरे ख्याल में यह जो अवस्था है इस पर मुझे आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव ।

व्यवस्था का प्रश्न

सरकार द्वारा सदन से बाहर घोषणा ।

श्री केदार नाथ : प्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्राडंर, सर । ग्राज के डेली ग्रखबार, दैनिक नव ज्योति में यह लिखा गया है कि ऊंचे में 120 रुपये व नीचे में 110 रुपये तक तय किये हैं गेहूं की बाजार दर । इसके बारे में सरकार ने ग्रधिसूचना जारी की है । जब हाउस सैशन में है तो यह इन्फार्मेशन पहले इस हाउस में देनी चाहिए, फिर बाहर । लेकिन पहले ग्रखबार में दे दी । मैं यह पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर रेज करके जानकारी लेना चाहता हूं । सरकार को पहले हमको कान्फीडेंस में लेना चाहिए, इस हाउस को कान्फीडेंस में लेना चाहिए ग्रौर कान्फीडेंस में लेने के बाद ऐसी सूचना बाहर देनी चाहिए.....

श्री उपाध्यक्ष : गवर्नमेंट का सरक्यूलर है ?

श्री केदार नाथ : यह लिखा है, राजस्थान सरकार ने ग्रादेश जारी करके सारे प्रदेश के लिए गेहूं की बाजार दर निर्धारित कर दी है, जो शीघ्र लागू होगी ।

राज्य सरकार द्वारा ग्राज प्रशासनिक एक ग्रधिसूचना के ग्रनुसार ग्रब ग्रनाज व्यापारी उपभोक्ताग्रों को उच्च श्रेणी का गेहूं 120 रुपया प्रति क्विन्टल व निम्न श्रेणी का गेहूं 110 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से बेच सकेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर जानकारी प्राप्त करके चार बजे इस बारे में व्यवस्था दी जायगी ।

हां, श्री गिरधारी लाल भार्गव ।

मांग संख्या 45 पर विचार

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान नहर के बारे में बहुत दिनों से चर्चा सुनते चले ग्रा रहे हैं, कभी यह कि केन्द्रीय सरकार मदद करेगी, कभी यह कि विश्व बैंक ऋण दे रहा है, कभी यह कि इसके ग्रन्दर पूरी हो जायगी, प्रथम चरण पूरा हो गया है, द्वितीय चरण पूरा होने जा रहा है । इस प्रकार की बात हम सुनते ग्रा रहे हैं । पिछले कई वर्षों से सुनते ग्रा रहे हैं कि राजस्थान नहर बन जायगी तो उसमें नौका विहार होगा, बहुत ही शीघ्र उसमें नावें चलेंगी । लेकिन ग्रभी तक यह बात नहीं हुई । इसलिए मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ग्रोर दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान नहर से बीकानेर, जैसलमेर के लोगों का भला होगा ग्रौर लूणकरणसर ग्रादि के लिए सिंचाई के लिए पानी मिलने के साथ साथ वहां के गांवों के लोगों को पीने का पानी मिलेगा । यह नहर इतनी महत्व-पूर्ण है । इस काम को राजनैतिक मतभेदों से ऊपर उठ कर देखना चाहिए । ग्रब गंगा कौन लायेगा, गंगा कब ग्रायेगी । मैं समझता हूं, यह इतना बड़ा काम है, ग्रब ग्रापका क्या नया मंत्रिमण्डल बना है, ग्राप तल्लीनता के ग्राधार पर, लगन के ग्राधार पर इस काम को पूरा करें, तो इससे बड़ा सुधार होगा । ग्राज तक इसके प्रथम चरण का काम, ग्राप कहते हैं, लगभग पूरा हो गया है । तो इस पर कुल जितना खर्च हुग्रा है, जो मूलधन है, उसके ब्याज की रकम, ग्राज तक जिनको ग्रापने सुविधा दी है सिंचाई की, उनसे जो

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सिचाई दर लेते हैं, उससे पूरी नहीं होती है। फिर यह योजना आपने किस आधार पर बनाई है कि इससे आप ब्याज की रकम भी नहीं निकाल पाते हैं। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। इस प्रथम चरण को इतने अच्छे ढंग से पूरा करना चाहिए था कि यदि लाभ नहीं हो तो कम से कम बराबर के आधार पर तो लेकर चलें, तभी यह योजना ठीक प्रकार से चल सकेगी। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करने जा रहा हूं कि यह राष्ट्रीय योजना है, इस योजना को निश्चित रूप से आपको पूरा करना चाहिए। इसके साथ ही राज्य सरकार का इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वहां की आपने जो सिंचाई दर रखी हैं, और जो सिंचाई की दर जयपुर जिले में है, कोटा में है और गंगानगर में है, इन सारे क्षेत्रों में जो सिंचाई की दर है, उससे भी ज्यादा जयपुर जिले में है, जब कि यहां पर कुएं अपने खर्चे से बनवाते हैं। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए सिंचाई की दर को कम करने के बारे में। जो आपने योजना जहां बनाई है, वहां जो पानी देंगे, उसकी सिंचाई दर है, वह कम है और यहां की दर ज्यादा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी बात चल रही है। इसी प्रकार से पौंग डेम का काम है, उसको अब राज्य सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ गई हैं, तो इसके लिए अब क्या केन्द्र से सहायता मिलेगी, या क्या होगा ? यह योजना पूरी हो जाती है तो 12.60 हेक्टर भूमि को पानी मिलेगा और खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ेगा। हमारे यह उत्पादन बढ़ाने के लिए यह बढ़िया योजना है। मेरा निवेदन यह है, यह योजना पौंग डेम की बहुत बढ़िया है, लेकिन पौंग डेम की योजना का काम काफी दिनों से चल रहा है, इसकी गति शिथिल है। इसका कारण यह बताया जाता है कि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान प्रदेश का झगड़ा है। मैं समझता हूं कि पौंग डेम का झगड़ा है, कावेरी और नर्बदा का झगड़ा है, प्रान्तों का झगड़ा है, सीमा का आपसी झगड़ा है—यह भारत भूमि एक है अखण्ड है। जो भारत की अखण्डता का प्रश्न है, उसकी दलीलों में मैं नहीं पड़ना चाहता हूं लेकिन भारत भूमि एक है, इसमें जो प्रदेश हैं, मैं समझता हूं कि आपस में जो पानी का झगड़ा है, सीमा का झगड़ा है, इन झगड़ों को राष्ट्रीय स्तर पर बैठ कर तत्काल निपटारा कर लेना चाहिए। निपटारा नहीं करते हैं इस कारण और पौंग डेम के नहीं बनने के कारण पाकिस्तान को पानी हम बराबर सप्लाई करते चले आ रहे हैं, पानी जा रहा है, पाकिस्तान को पानी मिलता है और यहां पानी का उपयोग नहीं हो रहा है, पानी समुद्र में जा रहा है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, मोतीराम कमेटी, उसकी सिफारिशों को राज्य सरकार को शीघ्र ही अमल में लाना चाहिए और झगड़ों को राष्ट्रीय स्तर पर बैठ कर तय करना चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि बिना राजनैतिक दल दल में फंसते हुए राजस्थान सरकार को यह काम करना चाहिए। राजस्थान नहर का काम है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर, जिस प्रकार गंगा का पवित्र काम है, उसी प्रकार इसे पवित्र काम मान कर चलेंगे तो उपयुक्त होगा। इसके लिए राज्य सरकार को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। राज्य सरकार का कहना है, पंचवर्षीय योजना, आगामी पांचवीं योजना शुरू हो रही है, इसमें यह

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

काम पूरा हो जायगा । अब सरकार यह बताये कि केन्द्रीय सरकार से कितना पैसा मिलने वाला है, राज्य सरकार क्या खर्च करने वाली है । केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार से बातचीत करके इसके लिए अधिक से अधिक सहयोग लेने में असमर्थ रहती है तो मैं समझता हूं कि जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और दूसरे दलों का इस प्रश्न पर कोई विरोध का आभास नहीं है, मुख्य मंत्री को सारे दलों को विश्वास में लेना चाहिए । केन्द्रीय सरकार के सामने शिष्टमण्डल भेजना हो तो हम केन्द्रीय सरकार से नहीं डरते हैं, हम भूख हड़ताल, धरना या प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं । यह जो राजस्थान नहर का काम है, इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि विरोधी दल आपके कन्धे से कन्धा मिला कर इस काम में मदद करेंगे । साथ ही सरकार का भी कर्तव्य है कि उसके जो कर्मचारी हैं, उनकी हड़ताल होती है, उन कर्मचारियों में किसी प्रकार का असंतोष हो, किसी प्रकार के विभागों में घपले और घोटाले होते हों, लेकिन यह क्योंकि पवित्र काम है इसलिए इसे राष्ट्रीय काम मान कर कर्मचारी काम करें, राजस्थान सरकार काम करे । मैं इस सदन में देख रहा हूं, 31 रुपये प्राप्त करने के लिए लोग दस्तखत करके चले जाते हैं, या तो वह चाय पी रहे होंगे, या आराम कर रहे होंगे या मंत्रियों के कमरों में बैठे होंगे । इस सदन में बैठना वह जरूरी नहीं समझते हैं, वह चीफ मिनिस्टर की और दूसरे मंत्रियों की चमचागिरी करने में लगे हुए हैं . . . .

श्री भीमसेन : माननीय सदस्य भी तो काम पर लगे हुए हैं ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : वह अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं है । इस हाउस में बैठना उनका कर्तव्य है । मैं समझता हूं यह भावना नहीं है, वह तो बाजार में घूमते फिरेंगे, घर पर जाकर सो जायेंगे, पंखों के नीचे सो जायेंगे । यह भावना आपमें नहीं है तो दूसरों में कैसे जगायेंगे । यह सारे लोगों में भावना पैदा हो तब ही राजस्थान नहर का काम पूरा होने वाला है । आप कर्मचारियों में यह भावना पैदा करें, यह काम पूरा हो जायेगा तो राजस्थान का भला कर देंगे, सिंचाई की व्यवस्था हो जायगी । इस प्रकार की भावना पैदा करें । वहां के वर्कर हैं, कार्यकर्त्ता हैं वह इसे अपना समझ कर ओवर टाइम भी काम करें, रात दिन महनत उसमें लगायें । लोग समझें कि यह हमारा काम है । लोग समझें कि वह राष्ट्रीय सेवा कर रहे हैं जो डाक्टर हैं, अध्यापक हैं, कर्मचारी हैं, आफिसर हैं, सार्जेन्ट हैं, सिपाही हैं, वे समझें कि वह भारत माता की सेवा कर रहे हैं । यह भावना उन मजदूरों में भी पैदा करना जरूरी है जो राजस्थान नहर का काम कर रहे हैं । वहां पर 56 दिन की हड़ताल हो गई, नहर का प्रशासन ठप्प हो गया । चीफ सेक्रेटरी ने जाकर वहां समझौता कराया । लेकिन वह समझौता लागू नहीं हुआ है । मेरा निवेदन है कि जो मजदूरों की प्राॅबलम है, उसको हल करने के लिए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए । इसके अलावा वहां पर लाखों रुपये का घोटाला है, 7 लाख के मूल्य के टायर खरीदने में, वहां का प्रशासन कहता है, घपला हो गया । घपला हो गया, ऐसे महत्वपूर्ण काम में तो यह राष्ट्रीय कार्य है, इसे कर रहे हैं यह मान कर कि भारत माता की पूजा करने जा रहे हैं, भारतमाता की अर्चना करने जा रहे हैं, वह कैसे पूरा होगा । मैं एक मामला विधान सभा के सामने रखूंगा,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

ए० एस० रन्धावा, जी० एस० मुल्लर, जयपाल चौधरी है, इनको तीन लाख का काम सौंपा गया। लेकिन पचास पर्सेन्ट काम हुआ है और डेढ़ लाख रुपये का घोटाला हुआ है। बाद में 80 हजार रुपया तीनों को लौटाना पड़ा। जिसके कारण इतना लास हुआ मैं समझता हूं, उसको नौकरी से बरखास्त करना चाहिए। लेकिन वह हुआ नहीं, उनका ट्रान्सफर हुआ। चीफ इंजीनियर ने पद्दोन्नति कर बढ़िया जगह पर लगा दिया, कहा, कोई बात नहीं, यहां खाओ खिलाओ। तुम्हें बढ़िया जगह पर भेज रहा हूं, तुम भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। बेचारे ओवरसियर को सस्पेन्ड कर दिया। उन्होंने नीचे वाले को तो सस्पेन्ड कर दिया लेकिन ऊपर वाले को और चढ़ा दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान नहर का प्रश्न है, यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है, जिसको सब दलों को मिल कर करना चाहिए। आप मजदूरों में राष्ट्रीय भावना जाग्रत करें और जो लोग बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, गबन करते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। और असंतोष न बढ़े, इसलिए मजदूरों की जो वाजिब मांग है उनको तत्काल मान लें, आप प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें। भूख हड़ताल नहीं कर पायें, लाठी गोली नहीं चलानी पड़े तो राजस्थान नहर का काम शीघ्र पूरा हो जाएगा।

बनास योजना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने 13 करोड़ रुपए की योजना बनाई, उस पर लाखों रुपये केवल नक्शे बनाने पर खर्च कर दिए और इस योजना के द्वारा जयपुर जिले का भला, टोंक जिले का भला और अजमेर जिले का भला होगा। नहर आएगी पीने के पानी का समाधान होगा उस 13 करोड़ की योजना को आपने खटाई में डाल दिया और लाखों रुपए नक्शे बनाने पर खर्च कर दिए। इस सदन में दिये गए आश्वासन से क्या लाभ हुआ? भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने घोषणा की थी कि दिसम्बर 1970 के अंत में इस योजना का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ और योजना खटाई में पड़ गई। जयपुर के लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और तरसते रहेंगे और किसी प्रकार जयपुर में पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा और नहर के दर्शन जयपुर जिले के लोगों को कभी नहीं होंगे। श्री चदंनमल वैद ने कहा था कि हम विचार करेंगे जब दबाया तो कहा कि यह उपचार नहीं है, हम पीने के पानी का समाधान नलकूप बनाकर कर रहे हैं। नलकूप भी नहीं खुदे। नलकूप खोदे गए तो आसपास के कुओं का पानी सूख गया। जोधपुर में नलकूप खोदे गए तो वहां कुओं का पानी सूख गया। अब वहां और यहां भी किसान परेशान हो रहे हैं। कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि इस प्रकार कुए नहीं खोदने चाहिए, खोदेंगे तो कुओं का पानी सूख जाएगा। तो राज्य सरकार को विचार करना चाहिए जयपुर जिले की समृद्धि, अजमेर व टोंक जिले की समृद्धि इसमें निहित है। आप इस योजना पर शनैः शनैः खर्च करें। हर साल इस योजना में कुछ कुछ रुपया खर्च करें तो बनास योजना पूरी हो सकती है।

कडाणा बांध पर भी विस्तार से विचार होगा। इसी प्रकार गंगानगर नहर की मरम्मत कराए जाने के बारे में कहा गया उसका कुछ नहीं हुआ। भाखडा सिंचाई योजना पर 51 करोड़ खर्च होंगे, यहां पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं। मंत्री महोदय शायद उत्तर में कुछ कहेंगे।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

घग्घर के पानी का उपयोग करने के लिए 10 करोड़ की योजना शुरू होगी उस बारे में क्या आज तक विचार किया है ? विभाग की जो अकर्मण्यता है उस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि चंबल कोटा में पानी भर गया तो उसको खोल देना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि किशोरपुरा जो उसकी एरिया में आता है, में पानी भर गया, लोगों के मकानों में पानी भर गया, उनके बरतन बह गए और दशहरा के मेले में जो वहां मिट्टी बिछाते हैं वह भी बह गई। लोग चिल्लाने लगे, मरने लगे तब जाकर विभाग ने पानी के फाटक का मुंह खोला।

दूसरा नमूना उनके अकर्मण्यता का यह है कि चंबल बांध के 15 दरवाजे बिना सूचना दिए खोल दिए और पुल डूब गया और पानी की तेज रफ्तार के कारण 5 व्यक्ति मर गए और बजरी का ट्रक बह गया। एक तो सरकार की परिवार नियोजन की योजना है दूसरी योजना इस तरह से लोगों को मारने की है।

राजस्थान नहर की भूमि आवंटन में जिस प्रकार से अनियमिततायें हैं उनके बारे में विचार करना पड़ेगा और जयपुर जिले के बाधों की मरम्मत नहीं हुई इस संबंध में विचार करना होगा और राष्ट्र के हित में विचार करना होगा। अमरीका और पाकिस्तान के लोग आ जायें, आप उनको खुश होने के नाते नक्शा दिखाते हैं कि यह राजस्थान नहर योजना है, घग्घर योजना है, आप कम से कम राष्ट्र के हित में विचार करें। पाकिस्तान के लोग आपकी राजस्थान नहर की योजना को देखने के लिए आते हैं, आप उनको नक्शे देते हैं और उनका सत्कार करते हैं, घर पर नचाकर घूमते हैं। मैं जनसंघ का सदस्य हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि देश के हित में, राजस्थान योजना को पूरा करने के लिए सिंचाई योजना को पूरा करने के लिए कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर सोचें। इसमें कुर्सी का प्रश्न नहीं है आप विधायक बनेंगे या नहीं, लेकिन यदि देशद्रोही लोगों को नक्शा देते हैं कि आओ यहां घुस जाओ, यह वह है यह वह है तो वह बहुत ही खतरनाक बात है।

इसी प्रकार धौलपुर योजना को कई प्रकार का घाटा है। 2.20 करोड़ रुपये बांटने चाहिए थे आपने 58 लाख बांटे। यह अकर्मण्यता का नमूना है।

बाढ़ के लिए भारत सरकार ने 50 लाख दे दिए ताकि इस समस्या के समाधान के लिए जितना खर्चा करें, वह करें, यह वेस्टेज है आप बांधों की मरम्मत समय पर नहीं करते। राजस्थान नहर की हालत मैंने बतादी इसलिए मैं अंत में यही निवेदन करूंगा कि कम से कम सिंचाई की योजनाओं को अधिक ध्यान दें, यह कृषि प्रधान देश है, दुनिया कहती है कि भारत सोने की चिड़िया है उसकी हालत यह है कि आज हम अमरीका की ओर तरसते हैं, राजस्थान में जितना गेहूं पैदा होता है वह एक रेकार्ड उत्पादन है एक एक व्यक्ति को हम 16-16 किलो दे सकते हैं, पर वह भी नहीं दे पाते। केन्द्र की ओर मुंह ताकते हैं केन्द्र अमरीका और रूस की तरफ देखता है। भारत को भिखारी बना दिया। आज जापान में प्रचार हो रहा है भारत के लोग भूखे मर रहे हैं वहां के बैरे लोग चंदा इक्ट्ठा करते हैं, अखबारों में आया है। जापान जाकर हम दान लेकर आएं लेकिन वे कहते हैं कि भारत के लोग भूखे मर रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इन सिंचाई योजनाओं

Page No. 84

84

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

में तो कम से कम भ्रष्टाचार न फैलायें। इसको सेवा का काम समझकर, ईमानदारी से इन योजनाओं को पूरा करेंगे तो जनसंघ सदैव आपका ऐसी योजनाओं में साथ देगा और गड़बड़ी करेंगे, बेईमान कर्मचारियों को डि-ग्रेड नहीं करेंगे, दोषी अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होगा तो जनसंघ निश्चित रूपसे ऐसी बातों का विरोध करेगा ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई की मांग पर अपने विचार रखना चाहता हूं । राजस्थान नहर भारत-वर्ष की ही नहीं बल्कि विश्व की प्रमुख नहरों में से एक है । आज हमारे देश में खाद्य की कमी है । अगर हमने और केन्द्रीय सरकार ने विशेष ध्यान दिया होता और इस नहर का निर्माण कम्पलीट कर दिया होता तो देश में जो खाद्य समस्या हमारे सामने है इसका हल हो जाता । इस नहर को हमने सन् 1958 में शुरू किया । परन्तु राजस्थान सरकार की इतनी शक्ति नहीं कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा करा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक हम इस राजस्थान नहर परियोजना का एक हिस्सा ही पूरा कर पाये हैं । इस फर्स्ट फेज तक हमारी राजस्थान सरकार ने करीब 104 करोड़ रुपये खर्च कर दिये हैं । उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक 104 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद भी हम इस राजस्थान नहर को आधी भी कम्पलीट नहीं कर पाये हैं । उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस नहर को जल्दी से जल्दी कम्पलीट करने की जरूरत है। इस संबंध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजस्थान नहर परियोजना को कम्पलीट करने के लिये हमारी सरकार को 280 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ेगा । अभी तक हमने 104 करोड़ तो खर्च कर दिये हैं । और अब 176 करोड़ रुपये और खर्च हमें करने पड़ेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, इस पंच-वर्षीय योजना के दौरान जो पांचवी पंच-वर्षीय योजना है इसमें पहले साल में हमने राजस्थान नहर के लिये साढ़े नौ करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा है । और जब तक यह पांचवी पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है तब तक हमारे प्रारूप के अनुसार हम करीब 70 करोड़ रुपये से ज्यादा इस पर खर्च करने की व्यवस्था नहीं कर पायेंगे । उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान नहर की महत्वता को देखते हुए हमें इसे जल्दी से जल्दी पूरा करने की आवश्यकता है । इस राजस्थान नहर के बनने के बाद यह योजना कितने एरिया को सिंचित कर देती है इसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान नहर ऐसी परियोजना है जिससे कि जैसलमेर और बीकानेर और बाड़मेर का इलाका इसमें आयेगा । आज जो जैसलमेर और बीकानेर का जो रेगिस्तानी इलाका है वह पूरा सरसब्ज हो जायेगा । और हमारे बाड़मेर जिले को भी सिंचाई के लिये नहीं तो कम से कम पीने को पानी तो मिल ही जायेगा । हम भी इस पर आशा लगाये बैठे हुए हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दें और इसके लिये केन्द्र पर दबाव डालकर इसको केन्द्रीय परियोजना बनाने के लिये जोर दें । यह राजस्थान नहर एक राष्ट्रीय चिन्ह है । इसको जल्दी कम्पलीट किया जाना चाहिये । तो इसके लिये मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आखिर

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

यह नहर कब तक पूरी हो जावेगी । कब तक सम्पूर्ण हो जावेगी । इसके अलावा आज मैंने दो कट मोशन दिये हैं । उपाध्यक्ष महोदय, पहले जब राजस्थान नहर परियोजना बनी थी उस समय इसमें ऐसी योजना थी इस राजस्थान नहर से बाड़मेर को सिंचाई के लिये पानी मिलता और इसमें नेवीगेबल स्कीम भी थी । पर बाद में इसमें कुछ चेन्ज हो गया । अब ऐसा दिखायी देता है कि हमारे बाड़मेर जिले को सिंचाई के लिये पानी नहीं मिलेगा । तो अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस पहले स्कीम को क्यों नहीं माना जा रहा है । इसलिये मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर राज्य सरकार कोशिश करे तो अब भी इसमें कुछ चेन्ज कर सकती है । इसके लिये मैं आपके माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण सुझाव सिंचाई मन्त्रीजी को देना चाहूंगा । पहला मेरा सुझाव यह है कि इस परियोजना को वापिस पूरी तरह से रीएग्जामिन किया जाय और ऐसी व्यवस्था की जाय कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट को इससे सिंचाई के लिये पानी मिले । उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस परियोजना को जैसलमेर के ग्राम नाचना से जो कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज वहां से इस नहर को करीब 180 फीट लिफ्ट करके आगे इसे जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के गांव फलसूंड होती हुई सिलवाड़ा तक लायी जावे और तिलवाड़ा से आगे उसे लूनी नदी मिल जायेगी जो कि आगे जाकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है । अगर इस प्रकार इसे लाई जावे जैसा कि पहले ऐसी स्कीम थी तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट को सिंचाई के लिये पानी मिल जावेगा । जिससे वहां की जनता को काफी राहत मिलेगा । उपाध्यक्ष महोदय इस प्रकार वहां पर करीब 300 क्यूसेक्स पानी की उपयोगिता की जा सकेगी । और यह नहर करीब 210 मील लम्बी होगी । इसके बारे में हमारे बाड़मेर जिला परिषद से एक रिजोल्यूशन भी राजस्थान सरकार के पास भेजा जा चुका है । उसमें लिखा है कि इस स्कीम को एग्जामिन किया जाकर ऐसी व्यवस्था कराने की कृपा करें जिससे कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में नहर का पानी सिंचाई के लिये पहुंचे । इस क्षेत्र को भी इस नहर से लाभ पहुंचे । अगर आप ऐसा नहीं करायेंगे तो मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा, आने वाला समय हमारे बाड़मेर जिले के लिये भयंकर दृश्य होगा । क्योंकि हमारे यहां जो ट्यूब वैल्स हैं उनमें पानी घट गया है आज शिव के पास और इधर बाड़मेर जिले में जहां कि आपने ट्यूब वैल्स लगाये थे जिससे एक बार तो हमे पीने के पानी की सुविधा हुई । लेकिन अगर ट्यूब वैल्स में अगर पानी समाप्त हो गया और राजस्थान नहर से हमें पानी नहीं मिला तो हमारी जनता प्यासी मर जायेगी । उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जो निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिये । आखिर यह ट्यूब वैल्स कितने साल और हमें पानी दे सकेंगे । मैं समझता हूं हद से हद 30 से 40 वर्ष तक। इसके बाद इसका पानी समाप्त हो जायेगा तब हमारे यहां पर पानी समस्या और भारी हो जायेगी । और हमारा यह बाड़मेर जिले का पूरा इलाका बिलकुल सुनसान हो जायेगा ? इसलिये मेरा निवेदन है कि जो मैंने सुझाव दिया कि हमारी जिला परिषद के द्वारा जो स्कीम भेजी गयी है उसके अनुसार इसको एग्जामिन किया जाय और उस तरह से इस नहर का निर्माण किया जाय ।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

दूसरा सुझाव जो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजस्थान नहर विलेज रामगढ़, डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर का है वहां से बांकासर होती हुई आगे पहुंचती है उधर लाई है और कोई लिफ्ट स्कीम की आवश्यकता नहीं है उधर से लाई जाय। इसके लिये भी हमारे यहां से जिला परिषद् से रिजोल्यूशन पास होकर भेजा जा चुका है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई मन्त्रीजी इसको एग्जामिन करावें तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिये मैंने कटौती के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये हैं। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान सरकार के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री और इरिगेशन मिनिस्टर श्री रामचन्द्र चौधरी ने राजस्थान नहर के पानी के लिये हरियाणा गवर्नमेन्ट से एक एग्रीमेन्ट किया है। उस एग्रीमेन्ट से हमारी राजस्थान नहर से हरियाणा को काफी पानी सिंचाई के लिये दिया जायेगा। जिससे कि हरियाणा गवर्नमेन्ट की करीब 2 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। यह जो राजस्थान सरकार ने एग्रीमेन्ट किया है इससे हमारे राजस्थान नहर से जो घग्घर नदी से पानी मिलता है वह पानी हरियाणा गवर्नमेन्ट को मिलेगा। इससे यह हो जायेगा कि हमारे यहां पर राजस्थान नहर से दूसरे इलाकों में पानी कम पहुंचेगा और हरियाणा के लोगों को इसका फायदा अधिक होगा। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस एग्रीमेन्ट को फिर से गम्भीरता से सोचें। क्योंकि एक बार आपने अगर वहां के किसानों को पानी दे दिया और वह पानी सात आठ साल तक उन लोगों ने काम में ले लिया तो बाद में यह मुश्किल हो जायेगा कि आप वहां से पानी हटालें। क्योंकि एक बार पानी देने के बाद कोई भी पानी वापिस लेना बन्द करेगा नहीं और आपको दिक्कत हो जायेगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस एग्रीमेन्ट को रद्द किया जावे। और ऐसी कोशिश की जावे कि उस नहर का पानी बाड़मेर जिले के अन्दर लाया जावे ताकि वहां की जनता को राहत मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा नर्बदा जल विवाद के बारे में निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, नर्बदा जल विवाद के लिये हमने प्रधान मन्त्री को यह मामला सौंप रखा है। अब जब प्रधान मन्त्री अपना अवार्ड देगी तो पता पड़ेगा कि उसमें राजस्थान की जनता को क्या मिलने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कडाणा और माही स्कीम अगर पूरी हो जाती हैं तो हमें फायदा ही है क्योंकि उससे हमारे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट और जालोर डिस्ट्रिक्ट को पानी उपलब्ध हो सकेगा। हम तो चाहते हैं कि 419 फीट की ऊंचाई कडाणा बान्ध की हो क्योंकि उसके बन जाने से राजस्थान के बाड़मेर जिले और जालोर जिले के क्षेत्र में पानी उपलब्ध होगा। हमारे लिये तो यह अच्छा है कि राजस्थान गवर्नमेन्ट इसे स्वीकार करे लेकिन कहीं ऐसा न हो कि आप 419 फीट कडाना बान्ध की हाईट भी बनवावें और हमारे बांसवाड़ा का क्षेत्र डूब में आ जावे और उसके बाद भी हमारे जालोर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट को पानी नहीं मिले। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिये कि इस बारे में इस प्रश्न को गम्भीरता से सोचे और ऐसी व्यवस्था करे कि जालोर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट को नर्बदा का पानी मिल सके। इसके लिये गवर्नमेन्ट को पूरी तरह से सावधानी बरतनी है। मैं यह चाहता हूं कि इसके बारे में भी गवर्नमेन्ट

(श्री वृद्धि चन्द्र जैन)
गहराई से सोचें और उचित कदम उठायें।

अब प्रश्न उठता है कडाणा बांध के विस्थापितों के बारे में। पोंग डेम के बारे में हिमाचल गवर्नमेन्ट ने मुआवजा भी ले लिया, मुआवजा बहुत ज्यादा लिया, राज्य सरकार की कमजोरी के कारण और अच्छी तरह से परवाह नहीं करने के कारण ज्यादा मुआवजा लिया और बसाने की भी बात करनी है। हमारे मंत्री महोदय, चीफ मिनिस्टर गवर्नमेन्ट पूरी तरह से सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट पर दबाव डाले वैसे गुजरात सरकार मानने वाली नहीं है। कडाणा से प्रभावित लोगों को मुआवजा भी मिलेगा और बसाने के लिये भी गुजरात सरकार जिम्मेदारी लेगी। आज आपके पास कौनसी शक्ति, कौनसा डेमोक्रेटिक मेथड् है कि जिसको आप काम में लेंगे। केन्द्रीय सरकार से ही तो दबाव डलवा सकते हैं। उसके लिये प्रयास करना चाहिये। मैं यह चाहता हूं कि विस्थापितों की समस्या हल हो। रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पर भी पानी उपलब्ध हो जिससे सिंचाई होकर उनमें भी हरियाली हो।

अब मेरे क्षेत्र के बारे में और मेरे डिस्ट्रिक्ट की समस्याओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं लघु सिंचाई के अन्तर्गत कुछ जमीन में हमने कार्य हाथ में लिये। कुछ कार्य क्रेश प्रोग्राम में लिये। वे इनकम्प्लीट हैं। कुछ कार्य हाथ में लिये थे वे बाढ़ से टूट गये। उन सब ही कार्यों को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है उनको हाथ में लेना है। बाड़मेर में क्या व्यवस्था कर रहे हैं। छोटे छोटे बांध बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनके लिये तो आप व्यवस्था कर रहे हैं पर जो बाढ़ से प्रभावित नहीं हुए, जो अधूरे हैं उनके लिये भी व्यवस्था करने की कृपा करें।

लूणी नदी की बाढ़ आयी और उससे बहुत से गांव प्रभावित हुए। बालोतरा वगैरा और अनेक गांव उससे प्रभावित हुए। बड़ा भारी नुक्सान हुआ। नुकसान के साथ साथ लाभ भी हुआ। प्रोडक्शन बढ़ा। कुओं में पानी के बढ़ने से सिंचायी की स्थिति अच्छी बनी। बाढ़ से जिन गांवों को नुकसान हुआ उन गांवों में बाढ़ से प्रोटेक्शन के लिये कुछ परमानेन्ट व्यवस्था करनी चाहिये।

पाली जिले में बांध बन रहे थे। सदन में प्रश्न भी उठाया था। भूतपूर्व चीफ इन्जीनियर श्री मोतीरामजी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी थी और उसने गवर्नमेन्ट को रिकमन्डेशन्स प्रस्तुत की जिसको गवर्नमेन्ट ने मान्यता दी थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन रिकमन्डेशन्स पर जिनको मान्यता दे दी थी और कुछ को नहीं दी थी उनको मान्यता देकर यह स्थिति अवश्य होनी चाहिये कि पाली जिले में और बांध न बने और बांध बनेंगे तो, जालोर, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, माननीय रघुनाथजी भी बार बार यहां प्रश्न उठाते हैं और जहां अब की बार गेहूं का प्रोडक्शन बहुत हुआ है वह ऐरिया सिंचित नहीं होगा यदि छोटे बांध पाली जिले में और बने तो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री मीठालाल (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य और केन्द्र के मामले आज ऐसे बन गये हैं कि मूल समस्या की ओर न जाकर दूसरों पर कीचड़ उछालने का स्वाभाव बन गया है। समस्याओं का समाधान न होने से ही तो छात्र आन्दोलन होते हैं, खाद्य आदि आन्दोलन होते हैं। यदि हम मूल में जांय तो हमें यह ज्ञात हो सकता है

(श्री मीठालाल)

कि जितना पैसा इन आन्दोलनों को दबाने आदि में खर्च होता है उससे बहुत कम पैसे में हम उन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। छोटी छोटी सिंचायी योजनाओं का विकास आवश्यक है। केन्द्रीय सरकार द्वारा हमारी सिंचायी योजनाओं की उपेक्षा की गयी है। हमारे यहां भौगोलिक स्थिति के कारण सिंचाई के साधन अधिक हो सकते हैं और जिनकी कि हमको आवश्यकता है। जब सिंचाई मंत्रीजी जवाब देंगे तो तुलनात्मक आंकड़े भी दूसरे स्टेट्स के प्रस्तुत करेंगे। सिंचायी के सम्बन्ध में अन्य राज्यों के मुकाबले हम पिछड़े हुए हैं हालांकि हम राजस्थान नहर आदि का उल्लेख करके बार बार बताते हैं।

बड़ी योजनायें चाहे चम्बल की हों या राजस्थान नहर की हों जिनमें आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं छोटी सिंचाई योजनाओं की ओर सरकार ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जो कि उनको देना चाहिये, क्योंकि उनसे बड़ी योजनाओं के मुकाबले में और भी अधिक फायदा होता है और खर्चा भी कम लगता है। राजस्थान की जनता कई वर्षों से कह रही है कि इसको केन्द्रीय योजना बना कर अधिक से अधिक रुपया लगा कर पूरा करें जिससे राजस्थान का एक बहुत बड़ा भू-भाग जो रेगिस्तानी कहलाता है जो कि देश का एक कलंक है उसको मिटाया जाय। काम कम होता है और खर्चा अधिक होता है। राजस्थान नहर जैसी जगह पर भी यदि भ्रष्टाचार होता है तो माननीय मंत्रीजी को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

कडाणा बांध के सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं कि पार्लियामेन्ट में एक अल्प सूचना प्रश्न के सम्बन्ध में उत्तर देते हुए तत्कालीन सिंचायी मंत्री डॉ० के० एल० राव ने आश्वासन दिया था कि कडाणा बांध की ऊंचाई राजस्थान और गुजरात के बीच में 410 फीट की तय की है। 410 फीट ही ऊंचाई रखी जावेगी। राव साहब का यह स्पष्ट पार्लियामेन्ट में स्टेटमेन्ट था। राजस्थान सरकार अब क्यों दबी हुई है? 419 फीट पर इसको अन्तिम रूप दे दिया है। जो शर्तें गुजरात सरकार को पूरी करनी चाहियें थीं वह नहीं कर रही हैं तो उसके लिये भी राजस्थान सरकार क्यों दब रही है? क्या कारण है? कडाणा बांध और पोंग डेम में क्यों अलग अलग माप दंड अपनाया जा रहा है। एक तरफ गुजरात सरकार को हमारी सरकार दे तो रही है, किन्तु दूसरी ओर ले नहीं रही है। इस पर जल्दी से जल्दी विचार करना चाहिए। हमेशा दबने से काम नहीं चलता है।

कुछ दिनों पहले राज बहादुरजी ने भी घोषणा की थी कि गंगा का पानी राजस्थान में लावेंगे। अलवर-भरतपुर की जमीन को सिंचायी योग्य बनाया जायगा। वह प्रश्न भी खटाई में पड़ गया। मंत्री महोदय अपने उत्तर में बतायेंगे कि गंगा के पानी का क्या हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी सिंचायी योजनाओं में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। एक ही बड़ी सिंचायी योजना ऐसी हाथ में ले ली जाती है कि आर्थिक दृष्टि से हम दब जाते हैं। बड़ी योजना पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं यदि छोटी योजनाओं पर कम रुपया भी खर्च करें तो प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है कुओं में पानी का स्तर भी ऊपर होगा और उससे अधिक सिंचायी योग्य जमीन

(श्री मीठालाल)

बढ़ेगी और अधिक उत्पादन भी होगा। ट्यूब वेल बहुत सफल हुए हैं, रेगिस्तानी इलाकों में। उदाहरण स्वरूप जैसलमेर में चानन गांव में ट्यूब वेल हैं वह ट्यूब वेल एक घंटे में चालीस हजार गैलन पानी देता है।

10-15 साल से इस योजना को काम में ले रहे है। एक घंटे में 40-50 हजार गैलन पानी निकलता है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, वहां अभी तक हमारी सरकार ने बम्बूल पैदा किया है। आप 100-125 बीघा में फसल पैदा करने के बारे में योजना बना रहे हैं। हर साल इस योजना पर धन खर्च हो रहा है लेकिन आपने बम्बूल के पेड़ के अलावा कुछ पैदा नहीं किया। वहां एक गौशाला है वह प्रति वर्ष घाटा दे रही है। अगर आप ऐसे ट्यूब वैल्स से फायदा वहां नहीं उठा सके तो यहां भी ऐसे 2-4 ट्यूब वैल्स लगा दीजिये तो खेती की समस्या में हिस्सा बट सकता है।

छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए छोटे छोटे नाले आपको हर जिले में ऐसे मिलेंगे जिसमें एक हजार से लेकर 10 हजार तक खर्च होंगे और सिंचाई के काम में पानी आयेगा उससे कुओं के पानी का स्तर ऊंचा हो जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है छोटी योजनाओं के ऊपर भी बड़ी बड़ी योजनाओं के साथ ध्यान दें। आज विद्युत् की बात नहीं है लेकिन जो विद्युत् का सिक्योरिटी 600 से बढ़ाकर 1500-1600 किसानों पर मोटर पम्प के लिए कर दिया। यह अच्छा नहीं किया। सिंचाई के लिये हर कुओं पर विद्युत पंपिंग सेट लगाये जांय तो किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा, पैदावार बढ़ेगी।

सिंचाई की दरों में अलग अलग क्षेत्रों में जो भारी असमानता है उसको दूर करने की घोषणा सरकार ने की थी। आज आप सारे राजस्थान को छोड़कर एक जिले को ही ले लीजिये उसमें भी असमानता है इसलिये इस असमानता का किसानों में घोर असन्तोष है। जो भेदभाव बरता जा रहा है उसको शीघ्र समाप्त करें। घोषणायें तो आप करते हैं कि सिंचाई की दरों में समानता लायेंगे लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं होता है इसलिये इस ओर ध्यान दीजिये और इस भेदभाव को समाप्त करने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रान्त में प्रायः बाढ़ हर साल किसी न किसी क्षेत्र में अवश्य आती है। रेगिस्तान जैसे क्षेत्र में कभी उम्मीद नहीं थी कि बाढ़ आयेगी लेकिन वहां भी बाढ़ आ गई। इसलिये बाढ़ हो या अकाल हो आप एक निश्चित रकम या निश्चित प्रावधान हमेशा के लिये रखें और उसके लिये चाहे जनता पर टैक्स लगायें चाहे सरकार स्वयं करें लेकिन निश्चित रूप से एक फन्ड बनाकर राज्य में बाढ़ आये या अकाल पड़े उस फण्ड से खर्च किया जाय। राज्य के किसी भी भाग में अकाल की या बाढ़ की घटना घटे, उस समय इस स्थायी फन्ड से तत्काल सहायता दी जा सके। यह नहीं होना चाहिए कि बाढ़ आई हो, अकाल आया हो और आप केन्द्र सरकार की ओर मुंह ताकते रहें और जब वहां से कोई सहायता आये तब जाकर बाढ़ या अकालग्रस्त क्षेत्र वालों को सहायता पहुंचे। इसलिये बाढ़ या अकाल के लिए स्थायी फन्ड बनाया जाये ताकि प्रभावित क्षेत्रों को तत्काल सहायता मिल जाये और सहायता की जरूरत भी ज्यादातर तत्काल हो पड़ती है। इसलिये मेरा निवेदन है इस मामले पर अवश्य विचार करें।

(श्री मीठालाल)

राज्य में प्रतिवर्ष बड़े बड़े बान्ध टूटते रहते हैं । आपने पहले घोषणा की थी बड़े बड़े बान्धों पर टेलीफोन की व्यवस्था की जायेगी । उसका क्या हुआ ? बड़े बड़े बान्धों पर आप समझते हैं टेलीफोन की व्यवस्था हो जाय तो तत्काल खतरे की सूचना दी जा सके और ऊंचे अधिकारी अपना तत्काल इन्तजाम कर सकें ताकि बान्धों को बचाया जा सकता हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि टेलीफोन लगाने की भी व्यवस्था करें ताकि भविष्य में खतरों से बचा जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मुझे मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना है । सवाई माधोपुर के बारे में भी निवेदन कर दूं । करौली में बांचना बान्ध बनाने के बारे में घोषणा की थी । उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ । कई तहसीलों को लाभ होगा । इसलिये आप बांचना बान्ध को जल्दी से जल्दी बनाने की व्यवस्था करें । मेरे क्षेत्र में लालसोट, चाकसू तहसीलें है और चाकसू तहसील में श्यामपुरा बान्ध है । उस श्यामपुरा बान्ध के लिये भी आपने घोषणा की थी कि 72 से पहले पूरा कर देंगे लेकिन वह आज तक पूरा नहीं हुआ है । कभी उस बान्ध पर ठेकेदार से काम करवाते हैं तो कभी डिपार्टमेंट करता है । इस तरह से वह काम आज तक पूरा नहीं हुआ है । उसको जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयत्न करें तो काफी लाभ उस क्षेत्र के लोगों को हो सकता है । मुझे उम्मीद है आप इसको जल्दी पूरा करवा सकेंगे । इसके पूरा होने से कुओं के पानी का स्तर ऊंचा होगा ।

लालसोट तहसील के बांधों के बारे में आपकी व्यवस्था ऐसी है कि यह तहसील जयपुर जिले के अन्तर्गत आती है लेकिन इसके बांधों का सुपरविजन सवाई माधोपुर जिले को दे रखा है । इसमें बिनोरी सागर, उत्तरी सागर, दक्षिणी सागर और मोरेल सागर जयपुर जिले की सीमा में हैं लेकिन इसका सिंचाई का सम्बन्ध करौली के सिंचाई विभाग से कर रखा है । सिंचाई के सम्बन्ध में कोई शिकायत होती है तो वह करौली होती है । लालसोट तहसील वाले उनकी व्यवस्था की ओर देखते रहते हैं और सारा लाभ सवाई-माधोपुर को चला जाता है । आज पानी के लिए किसी मोरी को खोलने के लिये कहें तो वह करौली के सिंचाई विभाग को कहें, वहां से आदमी आयेगा तब कार्यवाही होगी । वे लोग अपने ऐरिया को ज्यादा पानी देते है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, एक दिन ऐसा भी आयेगा कि करौली के एक्स. इ. एन. को मोरी नहीं खोलने देंगे क्योंकि तहसील लालसोट के खेत तो सूखे के सूखे रह जाते हैं और दूसरे क्षेत्र वाले उस पानी को ले जाते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है लालसोट के जो बान्ध हैं उसको जयपुर ऐरिया के अन्तर्गत रखा जाय । दूसरे जिले का इसमें सुपरविजन न रखा जाये ।

लालसोट व बामनवास तहसील की सीमा पर सिंघटोली बान्ध बनने की योजना है । उसकी योजना आपके पास विचाराधीन है । गत बार घोषणा की थी कि अकेले सींगटोली बान्ध को हाथ में नहीं ले रहे हैं । राज्य मंत्री ने घोषणा की थी कि सींगटोली को ही नहीं, बल्कि दक्षिणी सागर, उत्तरी सागर और बिनोरी सागर, उन तीनों को मिलाकर बड़ा बांध बना रहे है मेरा निवेदन है आप तीनों को मिलाकर ही बनायें अन्यथा यह पहले के दोनों बांध सूखे रह गये तो कभी भी अकेला सिंगटोली बान्ध न बनेगा और न जनता बनाने देगी । इसलिये तीनों योजनाओं को मिलाकर

(श्री मीठालाल)

बांध बनायें तो ज्यादा अच्छा है आप किसी राजनैतिक प्रभाव में आकर न सोचें।

उपाध्यक्ष महोदय, मोरेल सागर का भी संचालन करौली में दे रखा है। उस बांध की सीपेज के कारण सैकड़ों बीघा जमीन खराब हो रही है। इस सीपेज से काफी जमीन बरबाद हो गई है। राज्य सरकार ने इसके लिये कोई विशेष प्रावधान रखा है तो मेरा निवेदन है उस विशेष प्रावधान से समस्या हल करें और इसकी ऊंचाई ऊंची करने का जो काम हो रहा है उसमें भी सुधार करें। इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मुझे यही निवेदन करना है कि बड़ी योजनाओं के साथ साथ छोटी - योजनाओं की ओर भी विशेष ध्यान दें और मेरे क्षेत्र लालसोट के बारे में निवेदन है कि इस सिंचाई योजना के साथ माननीय मंत्रीजी का विद्युत से भी सम्बन्ध है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लालसोट एक ऐसी तहसील है जिसमें आप सिंचाई योजनाऐं विद्युत द्वारा या छोटे छोटे बांधों को बांध कर किसी भी तरह से पानी की व्यवस्था करदी जाय तो भारी लाभ हो सकता है। दस परसेंट खर्च करके 90 परसेंट फायदा ले सकते हैं। आज जो खाद्य समस्या है उसमें हमारी लालसोट तहसील से लाखों बोरी अनाज जयपुर की मंडियों में आता है और अगर इस तरह सिंचाई योजना की व्यवस्था तथा विद्युत की समुचित व्यवस्था कर दी जावे तो लाखों बोरी अनाज और आपको प्राप्त हो सकता है और किसान भी प्रोत्साहित हो सकते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वहां पर आप अब विद्युत नहीं दे रहे हैं और इससे आपको और देश को भारी क्षति हो रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो डिमाण्ड है सिंचाई की उस पर जो मेरे कटौती प्रस्ताव हैं उनके बारे में मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। प्रगति-पत्र को पढ़ने के बाद बहुत भारी निराशा यों हुई है कि 73-74 के साल में सिंचाई विभाग ने झालावाड़ को कुछ नहीं दिया और गत वर्ष में माननीय मंत्रीजी ने यह आश्वासन हमें दिया था कि यह जो अनेक योजनाऐं लघु सिंचाई की और मध्यम सिंचाई की झालावाड जिले में हैं भीम सागर और हरिश्चन्द्र सागर की और जो लघु सिंचाई की योजनाऐं भी उनको हम पांचवी पंचवर्षीय योजना में लेकर पूरा कर देंगे और अगले साल से इसमें बजट में रुपया दिया जाएगा। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा झालावाड़ जिला वैसे ही पिछड़ा हुआ जिला है मध्यप्रदेश से लगा हुआ है काफी दूर है और वहां पर काफी नदियां वगैरा हैं। दो बांध इस वक्त अधूरे हैं इनमें से एक टूटा हुआ है और एक अधूरा है लेकिन उसके लिए इस बजट में पैसा नहीं दिया गया है। यह बहुत ही झालावाड़ जिले के साथ में ऐसी समस्या पैदा हो गई है कि अगर ये बांध बनाए जाते तो उससे खाद्य समस्या हल होती ही और इसके अलावा काफी वहां की तरक्की हो सकती थी। ये बांध बीस साल से अधूरे पड़े हुए हैं। इसमें पहले दो सालों तक काम रुका रहा और उसके बाद वित्तीय साधन खराब होने के नाम पर यह बांध बनाने का कार्य बन्द कर दिया गया है। भीमसागर बांध की योजना स्टेट के टाइम से चली आ रही है और आज भी वहां पर वही स्थिति है जो स्टेट के टाइम में थी।

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

अभी भी कोई काम वैसा नजर नहीं आता परन्तु उसमें चालीस लाख रुपया खर्च हो चुका है। इस बारे में मैंने 22-8-71 को एक ज्ञापन दिया था कि इसके अन्दर लाखों रुपयों का घोटाला है और इसकी जांच की जानी चाहिए। मगर मुझे बहुत ही ताज्जुब के साथ निवेदन करना पड़ रहा है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 22-8-71 को जो ज्ञापन दिया गया था, छपा हुआ, माननीय मुख्य मंत्रीजी और सम्बन्धित मंत्री महोदय और चीफ इंजीनियर साहब को परन्तु उसके बारे में जांच होकर सूचना नहीं मिली कि इसमें क्या हुआ इसमें भयंकर अनियमितताएं हैं और कितने ही हजारों-लाखों रुपयों का घोटाला है। मैं तो इनको साबित करने को तैयार हूं। इस प्रकार से सिंचाई विभाग में ऐसा होता रहा और राज्य सरकार का पैसा इसी प्रकार से जाया होता रहा और यह कह कर कि वित्तीय संकट है हम इस बांध को पूरा नहीं कर सकते तो यह जनता के साथ बहुत भारी खिलवाड़ करने की बात होगी और जनता को गुमराह करने की बात होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केवल दो योजनाएं झालावाड़ जिले में हैं भीम सागर और हरिश्चन्द्र सागर। हरिश्चन्द्र सागर की बात आप लीजिए। यह दो दफा टूट चुका है। अब यह एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि क्यों टूटा? इंजीनियर्स डिजाइन बनाते हैं और बड़े 2 एक्सपर्ट्स इस मामले को देखते हैं उनकी देखरेख में और उसमें बड़े 2 ओवरसियर और इंजीनियर सब हैं उन सब की देख रेख में यह काम होते हुए बांध कैसे टूट जाता है ताज्जुब होता है कि इस प्रकार से बांध टूट गया, दुबारा टूट गया और उसकी योजना 35 हजार बीघा सिंचाई की योजना थी लेकिन बनने के बाद पांच हजार की सिंचाई योजना चालू रही। यह भी ताज्जुब की बात है कि पूरा एरिया सिंचित नहीं हो सका। तो ये आपके प्लान किस प्रकार के होते हैं मुझे ताज्जुब है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके द्वारा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार अगर यह कार्य चलते रहे तो हम यह समझते हैं कि हमारे यहां पर जो कार्य होने जा रहे हैं और जो भी योजनाएं इस वक्त आपके हाथ में हैं वे भी कैसे पूरी होंगी या नहीं होंगी इसमें हमें बड़ा भारी संदेह है।

इसी प्रकार लघु सिंचाई योजनाएं हैं सामरिया, अलाका और राजपुरा। राजपुरा तहसील पाटन में है और सांवरिया पिड़ावा में है और अलाका पाटन में है। ये योजनाएं एक एक, डेढ़ डेढ़ लाख की हैं पर इनको भी सिंचाई विभाग पूरा नहीं करना चाहती है। कई अधूरे कुएं हैं, कई पर मोटर फिट है, कहीं पर नहरें बना दी हैं। आज उनकी हालत यह है कि जब से मैं निवेदन कर रहा हूं तब से इनको पूरा कर दिया जाता तो ये योजनाएं पचास पचास हजार रुपये खर्च करने से ही पूरी हो सकती थी परन्तु अब इनके ढाई ढाई लाख के एस्टीमेट बनते जा रहे हैं और ज्यों 2 यह मंहगाई बढती जाती है ये योजनाएं पीछे सरकती जाती है। भीम सागर की योजना 18 लाख की थी जो बाद में जाकर 65 लाख की हो गई और अब करोड़ों की योजना बन गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 18 लाख की योजना को यदि पूरा कर दिया जाता तो उस वक्त साढ़े चार सौ, पांच सौ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से लागत आती और राज्य सरकार को काफी रिटर्न मिल सकता था। मगर आप देखिएगा कि अब करोड़ों रुपयों की योजना बना दी गई और उसके लिए वित्तीय संकट बताया जाता है

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

जो ऐसी योजनाएं हैं जिनके अन्दर फौरन रिर्टन आ सकता है। जनता को लाभ हो सकता है, सरकार को अच्छा प्रोफिट आ सकता है, उन योजनाओं को खटाई में डाल रखा है। मेरा निवेदन है कि अगर इन योजनाओं के अन्दर जो ये तीन-चार लघु सिंचाई की योजनाएं हैं, इनको लघु सिंचाई में लेकर कम से कम इस साल में बजट में ले करके पूरा कीजिए जिससे वहां के किसानों को लाभ होगा और कम से कम पांच, चार हजार बीघा की सिंचाई होगी और उनको निश्चित रूप से लाभ पहुंचेगा। इसमें ज्यादा रुपया भी खर्च नहीं होगा और कम से कम समय में यह काम पूरा हो जाएगा। मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि इस प्रकार से रोर्जान तालाब की मंजूरी हुई तो गांव वालों ने कहा कि यह छोटा सा तालाब बनाने से सिंचाई बहुत कम होगी और मैंने भी निवेदन किया था कि इसको बन्द कर दिया जावे। मेरा निवेदन है कि बराबर सर्वे नहीं कराया जाता है और बड़े 2 प्लान बनाए जाते हैं लेकिन उनसे कोई फायदा जनता को नहीं होता। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस तालाब से चार पांच गांवों की जमीनें सिंचित होगी। आपके पम्पिग स्टेशन पर, जैसे भपेरासा, जावर, सलोतिया, इनमें पम्पिग सेट लगे हुए हैं और उनसे सिंचाई होती है। कई सालों से इनकी योजनाएं खटाई में पड़ी हुई हैं। मेरा निवेदन है कि जो योजनाएं सिंचाई विभाग के अण्डर में हैं उनको भी बन्द कर रखा है। वहां के काश्तकारों को पानी नहीं दिया जाता और फिर भी कहते हैं कि उसका जितना खर्चा होगा आपसे लेंगे, आपको एग्रीमेंट लिखना पड़ेगा। ताज्जुब की बात है कि वे लोग जो वहां पर बैठे हैं क्या काम कर रहे हैं, तनख्वाह लेते हैं लेकिन काश्तकारों को पानी नहीं दिया जाता है। तीन पम्पिग सेट नदियों पर लगे रहने के बाद भी पानी बन्द है। मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम किसानों के ऊपर रहम फरमाइये और जो अधूरे काम पड़े हुए हैं उनको तुरन्त चालू करके पूरा कराइये।

इसी प्रकार से मैं एक खास निवेदन और करना चाहता हूं, झालावाड़ जिले के लिए कि यहां करोड़ों रुपयों का खर्चा हो रहा है। प्रशासनिक खर्चा और तनख्वाहों का खर्चा इन बांधों के नाम पर हो रहा है और बीस साल के बाद भी बांध पूरे नहीं बन पाए हैं और झालावाड़ जिले की पांच एकड़ जमीन भी इन बांधों से सिंचित नहीं हुई है तो मैं यह मानता हूं कि यह झालावाड़ जिले के साथ जबरदस्त खिलवाड़ है जिसको अब बरदास्त नहीं किया जा सकेगा। आप हर साल हमारे बजट को बराबर टालते रहे और यह आप देखिए कि पांच एकड़ जमीन भी राजस्थान बनने के बाद में सिंचाई में नहीं आई। आपका डिविजन काम करता है, आपके एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और ओवरसियर काम करते हैं तो ये आखिर क्या काम करते हैं। पुरानी जो योजनाएं हैं उनका काम ठप्प पड़ा हुआ है इसलिए मैं निवेदन करूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि कम से कम झालावाड़ जिले के लिए रहम फरमाइये और इन छोटी योजनाओं को और भीम सागर की योजना को पांच पच्चीस लाख रुपये लगा कर काम शुरू कराइये। मैं यह भी निवेदन करना चाहता था..... । मैं यह निवेदन करूंगा कि एक बात और सामने है कि वहां पर आप यह देखें कि झालावाड़ जिले में दो साल में 8 इंजीनियर्स आ चुके हैं और दो तीन मंत्री महोदय भी इस विभाग में आ चुके हैं लेकिन काम खटाई में पड़ा हुआ है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन योजनाओं को आप शुरू

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
कराने के लिए रुपया देंने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरदयाल सिंह संधू !

श्री गुरदयालसिंह संधू (करणपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी आज के युग में जब कि खाद्य पदार्थों की कमी है सिंचाई के साधनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं महसूस करता हूं कि आज से 16 साल पहले राजस्थान कैनाल का जो कार्य शुरू किया गया था वह आज तक जो पहला चरण था वह भी पूरा नहीं हो सका। पहले चरण में 13 लाख 40 हजार एकड़ क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी मिलने वाला था मगर आज तक आठ या दस हजार एकड़ जमीन को ही पानी मिल पाया है। यह आशा नहीं है कि पहला चरण भी समय पर पूरा हो सकेगा और अगले पांच वर्षों में 70 करोड़ रुपये और मंजूर करने जा रहे हैं जबकि हमें उस समय में 175 करोड़ 65 लाख रुपये की आवश्यकता होगी। इसका मतलब यह है कि राजस्थान कैनाल का जो 16 साल से काम चल रहा है अभी उसका 15-16 साल और काम होने वाला नहीं है। इस तरह रेट्स बढ़ने से और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस काम को सरकार जिस तरह से हो सके जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करे।

जहां तक राजस्थान कैनाल के अलॉटमेंट का सवाल है, मैं राजस्थान कैनाल के अलॉटमेंट से पहले एक अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा पोंग डेम इस साल कम्पलीट हो रहा है और सबसे पहले सरकार को चाहिए कि उसका जो मैनेजमेंट है वह भाखरा मैनेजमेंट बोर्ड के अण्डर लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जिससे इस समय वहां काम चल रहा है अगर उसी तरह चलता रहा तो उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गंग कैनाल की बात भी करना चाहूंगा। गंग कैनाल की यह स्थिति है कि गंग कैनाल 1927 में कम्पलीट हो गयी थी और बीकानेर सरकार 3 करोड़ 15 लाख रुपया खर्च करके यह नहर लाई थी जो कि बीकानेर के करीब 11 लाख एकड़ जमीन को सिंचित करती है। उस नहर की हालत यह है कि 1945 में वहां के चीफ इन्जीनियर वर्मा ने राय दी थी कि इस नहर की हालत यह है कि यह किसी समय भी टूट सकती है और टूट गयी तो तीन-चार साल में नहीं बन सकेगी। इस समय 5 लाख आबादी ऐसी है कि जिनके पीने का साधन वही गंग कैनाल है लेकिन इस सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पंजाब के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब सरकार कहती है कि हम पिछले चार सालों से पैसा बराबर मांगते आये हैं, राजस्थान सरकार से लेकिन राजस्थान सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया। आज उसकी हालत यह है कि काफी मीलों तक यह नहर नष्ट हो चुकी है और बिलकुल बरबाद हो चुकी है। इसके अलावा जो दूसरी नहर है उसकी हालत यह है कि वह ब्रेक हो चुकी है और उसकी भी मरम्मत करने की जल्दी आवश्यकता पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब सरकार ने डिमाण्ड की है कि उसकी मरम्मत राजस्थान सरकार करवाना चाहती है तो 75 लाख रुपया देने के वह साधन जुटाये। उन्होंने कहा है कि इतना तो सीमेन्ट का दिया जाये और दूसरी चीजों का प्रबंध किया जाये, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहने के मुताबिक अभी हम 30 लाख रुपया ही दे चुके हैं। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि वह लोग कहते हैं

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

कि हमारे कुछ ड्यूज थे पहले के। यह 22 लाख के करीब पंजाब सरकार का राजस्थान सरकार पर है लेकिन राजस्थान सरकार यह कहती है कि हम 76 लाख रुपया एक वक्त में नहीं दे सकेंगे और उसका नतीजा क्या होने वाला है कि उस नहर में पानी नहीं आ सकेगा और उसका नतीजा दूसरा यह होने वाला है कि पंजाब की एक और नहर है वह उसमें पानी डालकर ला रहे हैं और वह 1 अप्रेल से बारहमासी बहने वाली बन जायगी और उसमें पानी आयेगा और उसका नतीजा यह होगा कि हमारा पानी बन्द हो जायेगा। लेकिन हमारी सरकार का यह कहना है कि हम इस नहर से पानी ले आयेंगे हम यह समझते हैं कि वह पानी लायेंगे तो हर फसल में कुछ न कुछ लगाना पड़ेगा। इस 14 तारीख तक 800 फुट एक बैंक कम्पलीट होने वाला है और दूसरा बैंक 200 फुट के आस-पास है और दो जगह और मरम्मत हो रही है। तीन जगह कुल मरम्मत हो रही है और बहुत थोड़ी मरम्मत हो रही है और अगर इसी तरह मरम्मत चलती रही तो बहुत साल लगेंगे और नहर को बन्द करना पड़ेगा। इस दरमियान बन्द करके पानी ले लिया तो उसका नतीजा यह होगा कि जब भी मरम्मत करना चाहेंगे उसका पानी निकाल देना पड़ेगा और खाली करके उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि जब भी मरम्मत करना चाहेंगे, हमें कम से कम दो महीने के लिए नहर बन्द करनी पड़ेगी। अगर एक फसल में हमने दो महीने पानी बन्द कर दिया तो फसल नष्ट हो जायेगी। रबी की फसल खराब हो चुकी है और खरीफ की फसल के लिए भी आशा नहीं है। हम आशा करके चलते हैं कि जब तक पूरी मरम्मत नहीं होगी कोई भी फसल उस इलाके में मेच्योर होने वाली नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार हमारे पानी का प्रबंध करे और जो गंग कैनाल है इसमें जल्दी से जल्दी पानी लाने का प्रबंध किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं गंग कैनाल की बात करता हूं वहां मैं सिचाई के साधनों की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हम देखते हैं कि गंग कैनाल के अन्दर बहुत ज्यादा अनियमिततायें चल रही हैं। मैं छोटी छोटी बातें करूंगा। मैं देखता हूं कि गंग कैनाल के दोनों तरफ दरख्त लगाये हुए हैं। नहर के रजिस्टर को देखें तो जितने दरख्त उसमें थे, वह आज नहीं हैं। छोटे दरख्तों के नये निशान लगा दिये गये हैं और उसका नतीजा यह है कि वह दरख्त बरबाद हो चुके हैं। इसके अलावा पिछले दिनों में हमें यह विश्वास हुआ था कि गंग कैनाल में पानी बढ़ेगा और जरूर बढ़ना था। हम मानकर चलते हैं कि पौंग डेम होने के बाद और मोतीराम कमीशन रिपोर्ट लागू होने के बाद सूरतगढ ब्रान्च की लाइनिंग कर दी है और उसका पानी कम करके करणी ब्रांच में डाल दिया है और समीचा नहर को बारहों मासी कर दिया है तो उसमें पानी बढ़ेगा और बढ़ेगा तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जो कि सिंचाई में आ सकते हैं। हमारे डिपार्टमेन्ट का ख्याल है कि 15 हजार एकड़ के आस-पास हैं, लेकिन 15 हजार एकड़ में जब उनकी दरख्वास्त ली तो इतना करप्शन हुआ कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूं। सरकार ने यह कह दिया कि जो लोग इस बात का सबूत पेश करेंगे कि इस जमीन पर पहले पानी लाता रहा है और उसको हम पानी दे देंगे। लेकिन मेरे

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

पास ऐसी मिसालें है कि तीन, तीन मुरब्बा तक को पानी दे दिया गया और 200 मुरब्बा ले लिया गया कि हम पानी दे देंगे और इतनी रिश्वत चली कि बयान नहीं की जा सकती। कुछ लोगों ने पानी बीच में रखा या और कुछ लोग चिल्ला रहे हैं पानी के लिए। मैं कहूंगा कि डिपार्टमेन्ट की जांच होनी चाहिए, जब वह पानी नहीं दे सकते थे तो उन्होंने ऐसी दरख्वास्तें क्यों इन्वाइट की। क्यों कुछ लोगों को पानी दे दिया और कुछ लोगों को पानी देने से रोक दिया ? यह हालत है। उसके लिए अर्ज करूंगा कि वहां बहुत बड़ा करप्शन चल रहा है।

वहां उपाध्यक्ष महोदय, हम एक नाका तब्दील कराना चाहते हैं तो हम एक दरख्वास्त देते हैं कि हमारे मुरब्बे का पानी दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो हमारे लिए यह हो गया है कि 50 रुपया पहले जमा कराओ। हमने तो ऐसा कहीं देखा नहीं। पंजाब में ऐसा नहीं है। दरख्वास्त देते हैं और हो जाता है। आप भी जांच करें, आफिसर्स आपके लगे हुए हैं हर स्टेज पर आफिसर हैं। पटवारी है, लम्बरदार हैं, जिलेदार हैं, हर आदमी जांच करे लेकिन 50 रुपये देना यह कहां का उसूल है ?एक मुरब्बा का पानी दूसरे गांव में ले जाना चाहते हैं तो कहते हैं कि 100 रुपया दे दो। यह उसूल की बात नहीं है और यह डिमाण्ड करना मैं नहीं समझता कि उचित है।

इसके अलावा मैं गंग कैनाल क्षेत्र में जो खाड़ों के झगड़े चल रहे हैं इसका कारण मैं एक ही देख पाया हूं और वह यह है कि कुछ लोगों ने अपनी जमीन सरकार से नहरी ली हुई है। उनसे खाड़ों के लिए जमीन लेली जाती है और उसका पानी काट दिया जाता है। इसका कारण यह है कि नया मन्जूर होना मुश्किल हो गया है। झगड़ा बहुत है। इस तरह से अगर मन्जूरी भी दे दी जाएगी तो आज तक 74 तक उस आर्डर को इम्पली-मेन्ट नहीं कर सके हैं नहर विभाग वाले। जब कि 1970 में खाड़ा मन्जूर हो गया था। कभी कोई बहाना बनाया जाता है कभी कोई और बहाना बनाया जाता है। कहा जाता है रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट से आप मन्जूर करवाइये। अगर इरिगेशन डिपार्ट-मेन्ट की नियत अच्छी न हो तो वहां काम नहीं हो सकता है। इसी तरह से वहां पर खाड़ों के लिए अड़चन है। तो इस अड़चन को दूर किया जाना चाहिए।

गंग कैनाल क्षेत्र के अन्दर बड़े बड़े तावान लग रहे हैं। मौके से कुछ ईंटें उखड़ जाती है, तो उसका चालान हो जाता है और सारे गांव को तावान लग जाता है। किसी बेलदार को पता चल जाये कि यहां पर दो ईंटें उखड़ गई है और उससे कोई पानी नहीं निकलता है। इसका मेरे सामने का भी वाकया है। परन्तु दो ईंटें उखड़ गई। सारे गांव वाले एस० डी० ओ० को कह रहे हैं इससे कोई पानी नहीं निकलता है। परन्तु इसका नतीजा यह हुआ कि 11 हजार का तावान लगा दिया और आज वहां पर किसानों की कुर्की चल रही है। बड़े बड़े तावान वसूल हो रहे हैं और लाखों के आस पास तावान की वसूली की गयी है। किसान इस तरह से उजड़ गये हैं। उन लोगों के साथ और भी खर्चा है। उसके साथ साथ तावान की वसूली भी चल रही है।

पानी की बारी का सवाल है। इसमें पक्षपात किया जाता है। लोगों को अपनी बारी का इन्तजार होता है। एक अफसर

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

सोमवार तय करता है तो उसको भी देने में पक्षपात करता है। कोई उसका पक्षपाती है, उसको वह देना चाहता है। कोई एक दिन वह दे देता है। नहर शुरू कर देता है और अगले सोमवार तक वह नहर चलती है। इस तरह से दूसरों को पानी नहीं मिलता है और उनकी फसल नष्ट हो जाती है। पक्षपात के कारण वहां पर पानी की बारियों का झगड़ा है। इसी तरह से ट्यूब वेल की बात है। गंगानगर में कुछ लोगों ने ट्यूब वेल लगा रखे हैं। बिजली का खर्चा देते हैं। उनका यह साधन है। इन लोगों से उस एरिया की सिंचाई को रेट लेते हैं। उनको भी इरिगेशन रेट के साथ लगा लिया है। यह कह दिया है कि मेरी जमीन पुरानी है। उनको 60 फी सदी पानी मिला है। एक मुरब्बा को 15 क्यूसेक पानी मिलता है। और उसमें ट्यूब वेल लगा कर सिंचाई कर लें तो उस पर सिंचाई रेट लग जाती है, यह सिंचाई रेट क्यों लगाई जाती है। (घंटी) मैं अपनी पार्टी की ओर से अकेला बोल रहा हूं। इसलिए मेरा समय बढ़ाया जाये।

मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं। छोटे छोटे मामलों के लिए तावान लगा दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि वहां पर इतना बड़ा इरिगेशन का महकमा है, लोग काम नहीं करते हैं। पिलाई का काम नहीं करते हैं। पी० एस० माइनर था 12 से 80 मील। मैंने इसके खिलाफ आवाज उठायी थी। 18 लाख का दलपत सिंह को ठेका दिया गया, 12 से 80 तक और 80 हजार का पेमेन्ट हो गया। इसकी शिकायत की। एस० डी० ओ० वहां पर गये उन्होंने शिकायत की। एक एस० डी० ओ० थे, वेद प्रकाश जो इस समय गंगा नगर, में है और दूसरे हैं के० एल० शर्मा पदमपुर में। दोनों ने जांच की। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में भी लिखा है, परन्तु उस मिसल को सेक्रेटेरियेट में दबा लिया गया क्योंकि उस समय उसके मेहरबान दोस्त एक राज्य मंत्री थे। उन्होंने उसको दबा दिया। मैं राजस्थान सरकार से मांग करूंगा कि इन दोनों मिसलों को निपटाया जाये और इसको देखा जाये और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

मैं इसके अलावा एक और अर्ज करना चाहता हूं। अभी अभी कुछ बेलदार निकाले गये हैं। ऐसे बेलदार हैं जिनकी सर्विस 6 से 9 साल तक है और उनसे कुछ डेवीडेन्डस भी लिया जाता है। उनकी तनख्वाह से काटा जाता है। वे परमानेन्ट थे। मैंने प्रश्न भी किया, पत्र व्यवहार भी किया, परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं कट मोशन के जरिये इस मसले को सदन में रखता हूं। ऑफिसर झूठ बोलते है। मैंने जांच की है। मेरे पास शहादत है। उनको निकाल दिया गया और मेरे पत्र लिखने के बाद 15 दिन के बाद उनको वापिस ले लिया गया। यह जाहिर है कि ये लोग झूठ बोलते हैं। यह झूठी बात है। यह उत्तर क्यों दिया जाता है। मैं अर्ज करूंगा कि ऐसे लोग जो सदन में झूठी रिपोर्ट देते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। वे गुनहगार हैं इस बात के लिए कि वे प्रिविलेज कमेटी में आकर जवाब दें कि क्यों झूठ बोलते हैं।

राजस्थान केनाल में अलाटमेन्ट के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा। इसके लिए बहुत समय नहीं लूंगा। एक ही बात कहना चाहूंगा। राजस्थान केनाल में एलाटमेन्ट में पक्षपात किया जा रहा है।

(श्री गुरदयाल सिंह सन्धु)

और सिक्खों के साथ खास तौर से पक्षपात किया जा रहा है और उनको बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे अधिकारियों को वहां से हटा दिया जाना चाहिये। उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी, तबादला नहीं किया गया तो वे ऐसे कार्यवाहियां कर रहे हैं जिसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। 19-2-74 को दो आदमियों ने मकड़सिंह और करतार सिंह ने दरख्वास्तें दी थीं इसलिए रिजेक्ट कर दी कि तुम पंजाबी बोलते हो, अच्छे कपड़े पहने हुए हो, इसलिए यह साबित होता है कि तुम गरीब नहीं हो। क्या पंजाबी बोलने वाले राजस्थान में नहीं रहेंगे। क्या पंजाबी बोलने वाले अलग रहें, ऐसा फैसला करेंगे तो आज ही अलग होने को तैयार हैं। हमारे में ऐसी हिम्मत है कि जगह बना सकते हैं। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पक्ष पात की नीति को जल्दी से जल्दी रोका जाये और उन आफिसरों को सजा दी जाये। अभी 32 सिक्ख परिवारों को जो जमीन परमानेन्ट अलॉट हो गई थी उन 32 सिक्ख परिवारों की जमीन को केन्सिल कर दिया। कोई ऐतराज नहीं किया, कुछ नहीं किया। यह अलाटमेन्ट सबूत होकर दिया गया था। फिर भी केन्सिल कर दिया है। यह मनमानी कर रहे है। कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है गंग केनाल के अन्दर कलक्टर गंगानगर ने....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में भू-राजस्व की जब डिमाण्ड हो, उस समय आप बोलें...

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु: कोलोनाइजेशन की डिमाण्ड आई है और उसी डिमाण्ड पर बोल रहा हूं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि गंगानगर के अन्दर परमानेन्ट एलाटमेंट के पावर्स कलेक्टर गंगानगर को दिये गये हैं। कलेक्टर गंगानगर ने अपने पावर्स एस०डी०ओज० को डेलिगेट कर दिये। जब यह पता चला कि एस० डी० ओज० बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं तो एस० डी० ओ० से पावर्स विदड्रा कर लिये गये लेकिन करनपुर के एस० डी० ओ० श्री रोशन लाल जी करपशन में मशहूर हैं वह दो साल तक उन पावर्स का मिसयूज करते रहे और बार बार यह कहा हमने कि एलाटमेंट के आर्डर को खारिज कर दें। लेकिन सरकार आज तक कुछ नहीं कर सकी। पिछले साल यह आर्डर हुआ कि 60 के पहले के जो काबिज हैं गंग केनाल में उन्हें भूमि एलाट कर दी जाय। तो उस सिलसिले में हमारे क्षेत्र में यह आर्डर गया कि 60 के पहले वालों को जो है भूमि एलाट कर दी जाय तो सरकार गंगानगर जिले में 60 के पहले वालों को भूमि का एलाटमेंट करने लगती तो वहां पर एडिशनल कलेक्टर ने करीब 900 बीघा जमीन उन लोगों को जो कि 1970 के आसपास के काबिज थे जिनकी कोई पुरानी दरख्वास्तें नहीं थीं और जिन 89 परिवारों की लिस्ट मैंने सरकार को दी है उन्हें एलाट कर दी। मैं पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार ऐसी अनियमितताएं करने वाले आफिसरों के खिलाफ जिनके बारे में प्राइमा फेसी यह साबित होता है उन्हें जल्दी से सस्पैण्ड करके कार्यवाही क्यों नहीं करती है। ऐसी अनियमितताओं से जो एलाटमेंट किया गया है उस एलाटमेंट को जल्दी से समाप्त किया जाय।

मैं आखिर में एक बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मैं पिछले दिनों भरतपुर इलाके में गया था, मुझे कुछ समय मिला था वहां पर जाने का। मैं भरतपुर गया था तो जिस इलाके में मेरी ड्यूटी लगाई थी वहां पर गम्भीरी नदी का बहुत सारा इलाका

(श्री गुरदयाल सिंह सन्धु)

था तो वहां पर मेरे कुछ साथी सिक्ख रहा करते हैं तो मैं उनके पास आया करता था। वहां पर एक फसल होती है । पिछले दिनों जब बाढ़ आई तो मैंने वहां पर उन लोगों से पूछा कि बाढ़ कैसे आई, तो उन लोगों ने बताया कि बारिश के कारण बाढ़ नहीं आई । बाढ़ जो आई है वह इस विभाग की नेग्ली-जेन्स के कारण आई है । बांध कमजोर बनाये गये और गलत बनाये गये इस कारण से वे टूट गये और जिसके कारण से वह इलाका डूब गया । मैं चाहूंगा कि गम्भीरी नदी और बाणगंगा नदी दोनों के पानी को इकट्ठा करके बान्ध बनाया जाय ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक और मामला आपके सामने रखूंगा फिर अपनी बात को समाप्त करूंगा । मेरे सामने अभी अभी एक मामला आया है । जो एक गांव 20 एल०बी० तहसील रायसिंह नगर में है वहां के कुछ लोगों ने नहर विभाग के लोगों को रिश्वत दी । वहां पर जो एस०डी०ओ०मि० मित्तल हैं उन्होंने पानी का रेग्युलेशन जो है वह दो ओवरसियरों को सम्हला रखा है । यह कोई नई बात नहीं है। रेग्युलेट पानी को दो ओवरसियर करते हैं एक तो पृथ्वीराज और एक का नाम है लालचन्द । उन दोनों लालचन्द वगैरह ने कुछ लोगों से मिलकर लतपुरा गांव से 10 हजार रुपये की रिश्वत ली । उनके साथ-साथ वह मित्तल भी है । 10 हजार की रिश्वत ली तो 20 एल० बी० वालों ने इस बात की शिकायत की । उस क्षेत्र में बसने वाले ज्यादातर लोग विश्नोई हैं । उन विश्नोइयों ने कहा कि हम मंदिर में जाकर इस बात का हलफ देंगे । यह सारी बात मंदिर में जाकर समाप्त करेंगे । इसकी सजा 20 एल० बी० वालों को मिली । वहां पर 24 इंच पानी चलता है, 2 एल०बी० में तो 22 इंच उसके आगे दीवार बना दी गई ताकि यह लोग पानी न ले सकें । कितनी अन्धेरगर्दी है । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, अपने इस विभाग को सम्भालें । (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसमें से करप्शन को दूर किया जाय । करप्शन काफी बढ़ चुका है और गंगानगर में तो यह चर्म सीमा पर पहुंच गया और नहर विभाग ने तो गंगानगर जिले में जो लूट मचा रखी है वह किसी और क्षेत्र में नहीं है ।

मैं यह भी अर्ज करूंगा कि जो पी०एस० का आपको बतलाया जो कि आपके सेक्रेटेरियेट में पड़ी हुई है । आर०डी०आर० में तो 80 क्यूसेक्स निकालने का केस है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

उपाध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी (अनुपस्थित) ।

श्री भोपाल सिंह ।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो अपना कटौती का प्रस्ताव है वह खडीनों के बारे में है और माइनर इरिगेशन वर्क्स के बारे में है उस पर कुछ कहना है । जैसलमेर में बरसात का औसत 6 इंच का रहता है । चूंकि बरसात कम रहती है इसलिए ड्रेनेज का कोई निश्चित मार्ग नहीं है तो जब बहुत बरसात हो जाती है तो पानी लो लाइंग एरियाज में जाकर इकट्ठा हो जाता है तो उसके अन्दर बहुत कठिनाई हो जाती है । इस साल 25-26 अगस्त को जो बरसात हुई 25" एक साथ हुई जिसके कारण 5-6 जगहों पर इतना पानी भर गया है कि वह आज भी भरा हुआ है और वह

(श्री भोपाल सिंह)

के लोगों को जिनकी जमीन पानी में डूब गई है उनके न फसल खरीफ की हुई और न रबी की फसल की कुछ सम्भावना है। यही नहीं, इस एरिया को देखने के लिए नेशनल कमीशन आफ एग्रीकलचर के कुछ सदस्य आये हैं। उन्हें इतने पानी को देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। जहां पर अकाल के वक्त में प्रति लीटर पानी पर बहुत बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है वहां पर इतना पानी पड़ा हुआ है और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। पानी खराब हो रहा, पर केलेशन से या एवोपरेशन से कम हो रहा है लेकिन उसकी कोई स्कीम नहीं है। अलावा उनके, जो काश्तकार हैं, जिनकी पानी के नीचे जमीन डूबी हुई है, उनकी कोई फसल नहीं हो सकती है। इस सम्बन्ध में मैं यह चाहता हूं कि सरकार कोई कदम उठाये और उसके ड्रेनेज के लिए कोई स्कीम बनाकर उसको निकाले। पिछले दो दशकों में 5 बार ऐसी बरसातें हो गई हैं और उनके अन्दर यह पानी भरा रहता है। उसकी योजना बनाकर कमाण्ड एरिया ढूंढकर उसको लगाने के लिए तुरन्त काम करना चाहिए ताकि उन काश्तकारों को राहत मिल सके और दूसरे कमाण्ड एरिया के अन्दर खेती कर सकें, प्लान्टेशन लगाये जा सकते हैं। आज भी वहां पर वन विभाग काफी पैसा खर्च कर रहा है। एक ट्रेक्टर वहां पर चलता है और उसके जरिये एक एक वृक्ष को पानी पिलाया जाता है और उसके ऊपर लाखों रुपया लगाने के बाद भी सैकड़ों पेड़ तैयार नहीं होते हैं लेकिन यह जो पानी भरा पड़ा है, काश्त के इलाके में भरा पड़ा है, उसमें अगर दूसरी बरसात इस तरह की न हो तो उसमें खरीफ की फसल हो सकेगी। ऐसी स्थिति में ऐसे पानी का सदुपयोग करना चाहिए। हम केन्द्र से पैसा मांगते हैं वहां पर पानी के लिए तो ऐसी स्कीम उस ड्राट प्रान एरिया के लिए जहां इस तरह से पानी 5-10 साल में मिलता है और उसका कोई उपयोग नहीं होता है स्थिति को जानना चाहिए। यह बड़ी सोचनीय बात है और इसकी तरफ हमें जल्दी से जल्दी काम करना चाहिए।

अलावा इसके मैं राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। वैसे इसको चालू तो दिखाया है, पर गति बहुत धीमी है। इसको राष्ट्रीय योजना के रूप में लेना चाहिए। और जल्दी से जल्दी इसके पानी को जैसलमेर क्षेत्र में पहुंचाना चाहिए। इसमें जो कालोनाइजेशन का काम चल रहा है, लिफ्ट इरिगेशन का काम चल रहा है, लूणकरणसर में लिफ्ट तैयार हो गई है। इसके अलावा जो बाड़मेर, नागौर, चूरू में जो लिफ्ट की कल्पना की जा रही है और उस सम्बन्ध में जो कि इस प्रकार की चर्चाएं चलती हैं अगर लिफ्ट की कोई योजना है तो वह क्या है इसकी जानकारी हमें मिलनी चाहिए। हमारे लोगों में इस प्रकार का बड़ा असन्तोष है। यह लिफ्ट इर्रीगेशन जो बनाई जा रही है उससे जो प्रोडक्शन होगा वह इकानामिक होगा या नहीं। साधारणतया To Carry water by lift is to carry it through silver pipe line इतना महंगा है और आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है। तो जहां यह लाभदायक हो वहां सिचाई होनी चाहिए। यह जो गलतफहमी है इसकी सफाई होनी चाहिए। दूसरे यह कोलोनाइजेशन जैसलमेर में भी शुरू हो गया है। वहां जो सड़कों का काम चल रहा है, वहां जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनको विश्व खाद्य प्रोग्राम के तहत निश्चित रूप से घी दूध मिलता है। दाल, तेल सभी कुछ मिलता है। लेकिन बदइन्त-

(श्री भोपाल सिंह)

जामी बहुत है। उनका सूरतगढ़ में आफिस है। वहां प्रभारी अधिकारी एक आर०ए०-एस० आफिसर हैं। उन लोगों को पूरी चीज नहीं मिलती है। इसकी व्यवस्था पूरी होनी चाहिये। दूसरे नाचना के अन्दर जो कालोनी है, वह पहले वहां बननी शुरू हुई थी। बीच में एक पुलिस के थाने की इमारत बन गई है। वह राठौरी में बना दी गई है। पुलिस के आफिसरों ने कहा कि प्रेस्टीज का सवाल है। जिस कालोनाईजेशन के लोग हम ले गये और कार्य जो निर्माण का चलता था अधूरा छोड़ दिया।

श्री शंकरलाल : यह राठौरी क्या है ?

श्री भोपाल सिंह : यह खेतसिंह जी से पूछ लें।

श्री शंकरलाल : खेतसिंहजी हैं नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह राठौरी का क्या अर्थ है ?

श्री शंकरलाल . उपाध्यक्ष महोदय यह पार्लियामेंटरी शब्द है या अनपार्लियामेण्टरी ?

श्री उपाध्यक्ष : खेतसिंह जी से ही जानकारी ले लीजियेगा।

श्री भोपालसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस कालोनी को तुरन्त पूरा करना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय,······

श्री माणकचन्द सोगानी : छींक हो गई है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं मानता हूं कि मेरे बोलने के साथ सिचाई के साधन उपलब्ध होंगें। अगर यह शुभ मानते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वेरी गुड।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इसलिए सदन के माननीय सदस्य अगर इसको शुभ मानते हैं तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उनको छींक आई है। लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा जितने सिचाई के मार्ग हैं, माइनर हैं, और प्रोजेक्ट हैं, उनसे यह कहा जाता है कि उससे लाभ होगा। इससे वेस्टेड इन्कम बढ़ती है। कुल मिलाकर माइनर इर्रिगेशन छोड़ने के बाद केवल 8 आना ब्याज देना पड़ता है, जो कुल मिलाकर 4 आना ब्याज पड़ता है। तो सवाल यह है कि यह नेशनल योजना है। इससे जो दूसरे टैक्सेज हैं वह भी हम पर लागू होंगे। वह जो नेशनल इनकम है वह गरीबी दूर करने का साधन होगी। यह सिंचाई के द्वारा ही बढ़ती जायेगी तो यह जो टैक्सेज हैं, इनकी भी कोई सीमा नहीं है। एक बार मोटरों पर टैक्स 20% लगा। तो सदन में बहुत हल्ला हुआ था। पार्टी की ओर से भी हुआ था। उस टैक्स की भी एक सीमा है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में 5 वीं योजना का मोबिलाइजेशन आवश्यक है। जो आपके प्रोडक्टिव हैं पंचवर्षीय योजना में। जहां पर हैं वह निश्चित रूप से सामने आने चाहिएं। एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं इस असेम्बली से इर्रिगेशन और ड्रेनेज एक्ट बना हुआ है। वह इतना क्लिष्ट और उलझा हुआ है, उसके कारण कई झगड़े पैदा हुये हैं। इर्रिगेशन के चार्जेज वसूल होते हैं। पी० ए० सी० में भी यह पचासों बार आया है। भगवान के लिए उसको बदलें। इस विभाग द्वारा

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

हमेशा कहा गया है कि निश्चित रूप से बदलना चाहते हैं। मेरी मान्यता ऐसी है कि वह एक्ट ऐसा है कि न तो उसके द्वारा समाजवाद की रक्षा होती है।

(3.18 म०प०)

(श्रीमती मदनकौर, सभानेत्री, पदासीन)

इसलिए मेरी ऐसी मान्यता है कि डेमोक्रेसी और सोशियलिज्म लाने के लिए कानून वगैरह ही साधन नहीं होते हैं। लेकिन वह चीजों के डायरेक्शन करने का सवाल है। इरिगेशन देने के लिए जब तक इरिगेशन और ड्रेनेज एक्ट हैं तब तक जो समाजवाद की व्याख्या करते हैं वह उसमें नहीं आना चाहते हैं। सैशन तो 10 अप्रैल को समाप्त हो जायेगा। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि वह कम से कम यह तो बता दें कि वह राजस्थान को कितनी राहत देंगे। टेनेन्सी एक्ट है। यह आपकी उस कमेटी ने भी निर्णय लिया है। वह एक्ट पड़ा हुआ है। जब माननीय मंत्री महोदय दौरे पर जायें तो ठाट बाट से बात करलें। समाजवाद आयेगा। समाजवाद आयेगा तो उसका एक ही रास्ता है। माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम अब तो वह बतादें कि वह कब उस इरिगेशन और ड्रेनेज एक्ट को बदल कर राजस्थान की जनता को राहत देंगे। कई एक्ट वैसे पड़े हुए हैं, टैनेन्सी एक्ट दो दफा सिलेक्ट कमेटी में जाकर पेश हुआ है। मैंने अभी सुना है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने भी यह निर्णय लिया है, असेम्बली से बचने के लिए जितने साधन सरकार कर सकती है वह करने में हिचकिचाती नहीं। इसलिए कमेटी ने यह एक आदेश दिया है कि कम से कम साल में 120 दिन असेम्बली चलाई जाय। तो यह सब एक्ट पड़े हुए हैं। मेरा निवेदन है कि शान से मंत्री महोदय दौरे पर जायें सामन्ती ठाठ बाट के साथ जायें और समाजवाद की बात कर लें, तो समाजवाद आने वाला नहीं। समाजवाद आयेगा जब अपने जीवन में, जन जीवन में समाजवाद को उतारेंगे। और उसके लिए रास्ता है वह रास्ता है कानून का। जिस कानून का मैंने हवाला दिया वह कानून नहीं है। उसकी लम्बी चौड़ी व्याख्या करने लगूं, इरिगेशन एण्ड ड्रेनेज एक्ट की और उसके साथ साथ दूसरों की तो आपको मालूम पड़ेगा कि न तो वह लोकतांत्रिक है और न समाजवाद के पोषक हैं। इसलिए एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि उस एक्ट को अब कम से कम कब इस सदन में ले आयेंगे। वह लॉ डिपार्टमेंट से बन कर आये और उसके बाद में सदन सिलेक्ट कमेटी को रेफर करे, उसके बाद आप पांच वर्ष सात वर्ष या कभी तो उस कानून को ले कर आयें। भूमि सुधार और हमारे राजस्थान के आम लोगों, गरीबों के दर्द को दूर करने का एक ही रास्ता मुझे दिखाई यह देता है, यह मेरी मान्यता नहीं है। मेरा यह मान्यता है कि आप राजस्थान में भूमि एलॉट करते जा रहे हैं, बिना कानून के। वह गरीबों में वितरण कर रहे हैं, और सिंचाई के साधन हैं नहीं और आकाश से पड़ने वाली वर्षा के भरोसे पर गरीब आदमी को जमीन देते रहेंगे तो इससे जो सम्पन्नता आप बताने का प्रयत्न कर रहे हैं वह सम्पन्नता आती नहीं है। सम्पन्नता लाने का और रास्ता नहीं है, यह रास्ता है कि जो जमीन आप देते हैं आदमियों को, उस जमीन के साथ साथ सिंचाई के साधन भी दीजिये उसके साथ ही बीज दीजिये, उसके साथ

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

खाद दीजिये । नहीं तो जिस राजस्थान में दस वर्ष में से सात वर्ष अकाल पड़ता है, उसमें आप जो जमीन का एलॉटमेन्ट करते हैं, वह लोग जिनके हाथ में जमीन के एलॉटमेंट करने का अधिकार है, उनको अन्नदाता भले ही कह दें, कह दें, आपने हमें जमीन दिलायी है, जमीन का मालिक बनाया है, राइट ऑफ प्रापर्टी है उसको मान कर जमीन का स्वामित्व हमें दे दिया है । उससे आप बहुत बड़ा आपको अनुभव कर लें। लेकिन वस्तु स्थिति यह है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आप गांवों में चले जायं, जिन भीलों शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जमीन देने का आपने प्रयत्न किया है, उस जमीन पर वह लोग खेती नहीं कर रहे हैं। खेती करें कैसे, कहां से ? एक भूमि पति ने मुझसे कहा, खेती करेंगे क्या, जब वक्त बोने का आता है, उस समय हमारे पास पेट भरने के लिए भी नाज नहीं होता है । वह जो बीज लेकर आता है, और जब वर्षा आती है, बोने का वक्त आता है तो उसके पास में अपने पेट में डालने के लिए भी नहीं होता है, तो वह पेट में डालने के काम में आ जाता है, और तब उसके खेत में नाज की जगह घास पैदा होती है । इस तरह खेत की पैदावार खत्म हो जाती है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सिंचाई के साधन उपलब्ध कराइये और उस एक्ट को बिल्कुल अमेंडमेंट करके उस सीमा पर ले आइये कि जिसके द्वारा गरीब का अधिक से अधिक हित हो । आज जो निवेदन किया है कि आपके इरिगेशन के साधनों का सबसे बड़ा लाभ आज भी उन लोगों को मिल रहा है, जो बड़े भूमिपति हैं । और जिन गरीब लोगों को जमीन का एलॉटमेंट हो गया है, उनके सामने केवल सिर को पत्थर से टकरा कर, सिर को फोड़ कर रक्त निकाल कर खेत में देने का बाकी बचा है, क्योंकि उसके पास सिंचाई के साधन नहीं हैं । छोड़ दीजिये इस बात को कि राजस्थान केनाल कब बनेगी और कब आप गरीब को पानी देंगे । मेरे क्षेत्र के अन्दर, मेरी मान्यता है कि जमीन की सिंचाई का लाभ केवल भूमि पति को मिला है, जो अमीर हैं उनको मिला है, किसी गरीब को लाभ नहीं मिला है । मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में केवल दो बांध हैं, एक सरेरी बांध है, सरेरी बांध की कैपेसिटी तो बहुत बता रखी है, लेकिन पांच सात वर्ष मे एक दिन भी कैपेसिटी पर नहीं पहुंचते । 18 हजार की कैपेसिटी है, लेकिन 12 हजार, 13 हजार से ऊपर कभी सिंचाई नहीं हो पाती । और ऐसी अवस्था में जो नहर बनी हुई है, वहां तक पानी पहुंचता हो, मेरी समझ में नहीं आता । 24 हजार मेज की कैपेसिटी कह कर आपने डालदी नहरें, लेकिन उन नहरों में पानी नहीं पहुंचता । बांध में पानी भर जाय, ओवर फ्लो हो जाय तब भी पानी नहीं पहुंचता है। मेरे निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि कागजों में शब्दों और आंकड़ों का जाल है, आप उससे ऊपर उठिये ताकि हमें सही स्थिति मालूम हो कि अनाज कितना पैदा होता है और सिंचित जमीन कितनी है, और वास्तव में कितना सिंचाई का इन्तजाम कर पा रहे हैं। मुझे तीन स्टेटमेंट देखने को मिले हैं, राजस्थान बनने के पहले सिंचाई विभाग का आंकड़ा है कि 30 लाख एकड़ जमीन सिंचित होती थी। 1947 से अब तक सिंचाई साधन सारे उपलब्ध करने पर, चार पंचवर्षीय योजना समाप्त करने के बाद 30 लाख नये एकड़ में सिंचाई साधन उपलब्ध कर पाये हैं । मैं जानता हूं और माननीय मंत्री जी भी जानते

104

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

हैं इसमें से शायद पैरेनियल लाख दो लाख होगी । पैरेनियल जिसे कहते हैं, उस जगह पानी का अभाव रहा है । फिर पैरेनियल क्या जब एक पानी मिल जाय । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको जमीन के साथ में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने चाहिएं ।

एक बात और निवेदन कर दूं, आपने एक डिपार्टमेंट बनाया है, अण्डर-ग्राउन्ड वाटर बोर्ड का, उसको सिंचाई विभाग के अधीन देना चाहिए, जिससे थोड़ा साधन पानी का हो पाये । पंचवर्षीय योजना आपके सामने है, इसमें आप जमीन की सतह पर जितना पड़ने वाला पानी है, उसका अधिक से अधिक उपयोग करने की कोशिश करिये । बांधों से पानी लेकर जो आयें, और जो पानी आप जमीन में से निकालेंगे, इन दोनों पानी का टोटल पानी भी निकाला जाय तो 1 करोड़ एकड़ से अधिक की सिंचाई करना राजस्थान में कल्पना से परे है । यह आपके दिये हुए फिगर हैं । फिर आप जिनको चार चार एकड़ जमीन एलॉट कर रहे हैं, वह उसका क्या करेंगे। उनको पानी नहीं मिलेगा । इसलिए जमीन के नीचे से पानी आप टेप कीजिये । हालत यह हो रही है कि कुओं के लिए रुपया कोआपरेटिव के द्वारा ही मिल सकता है । लेकिन उन कोपरेटिव सोसाइटीज को पैसा नहीं देते हैं, दुर्भाग्य से यह देखने को मिलता है कि ऐसा कोआपरेटिव सोसाइटी को पैसा नहीं मिल सकता क्योंकि बॉयलाज में नहीं है । दुःख होता है । इसलिए आप कानून बनायें । मेरे यहां बनेड़ा प्रोपर में दो कुए खोदे, अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड जयपुर ने, और खोद कर चले गये, एक की 10 हजार गैलन पर आवर की, और दूसरे का 12 हजार गैलन पर आवर वाटर डिस्चार्ज है । लेकिन वह ढाई साल से बन्द पड़े हैं, न उसको इरिगेशन को सौंपने की बात करते हैं । मेरा निवेदन है कि इस डिपार्टमेंट को इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ रखा जाय और इसके पानी का सिंचाई के लिए उपयोग हो । उसकी रेट्स तय करके आप योजना के तहत पानी दें । मेरी मान्यता यह है कि अण्डरग्राउन्ड वाटर को टेप करके काश्तकारों को जब तक नहीं देंगे, तब तक काश्तकारों की हालत नहीं सुधार सकते हैं । तो मैं यह दो बातें निवेदन करना चाहता हूं एक तो इरिगेशन एण्ड ड्रेनेज एक्ट बहुत अर्से से पड़ा हुआ है, आपने वायदा किया था उसको लाने का, लेकिन वह वायदा पूरा नहीं हो रहा है । इसलिए अमेंडमेंड करके उस बिल को शीघ्र ही लायें ताकि लोगों का कल्याण हो सके । दूसरा सुझाव यह है कि आपको कोई कानूनी कठिनाई नहीं आ रही हो तो अण्डरग्राउन्ड वाटर बोर्ड को सिंचाई के तहत लगा कर अधिक से अधिक कृपया करके जनता को लाभ दें यही मेरा निवेदन है ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री चतुर्भुज ।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : सभापति महोदया, मैं सिंचाई के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं । इसका संबंध अनाज उत्पादन से है । गेहूं कभी 250) रुपए क्विंटल कभी 200) प्रति क्विंटल तो कभी 150) रुपए प्रति क्विंटल, यह समस्या हमारे सामने आती है । इस स्थिति से राजस्थान की जनता को बचाने के लिए सोचना चाहिए । आज हमें अन्न की स्थिति पर विचार करना होगा । पानी के बिना वह स्थिति हमसे आए

(श्री चतुर्भुज)

दिन निपटने वाली नहीं है। मेरी मान्यता है कि पानी के बिना यह स्थिति और खराब होने वाली है। आये दिन हम देखते हैं कि राजस्थान का इतना पानी बाहर जाता है जिसको कि हम रोक नहीं सकते। हमारी हजारों और लाखों एकड़ जमीन पड़ी है और पानी बाहर जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि राजस्थान में 1967 व 1972 के अकाल में कई बड़े बड़े तालाब अकाल राहत कार्यों में निर्मित हुए थे। लेकिन मोरी, चद्दर की व्यवस्था नहीं हुई। कम से कम 5 लाख एकड़ सिंचाई तो हो सकेगी और कम से कम 50 लाख टन अनाज ज्यादा बढ़ेगा। वहां बांधों को हम सिंचाई के काम में ले सकते हैं। यह राजस्थान की आम जनता का सवाल है। राजस्थान का मालिक कौन है, आखिर कन्ट्रोल कौन करता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि 1967 व 1972 के अकाल में इसके पानी को काम में लेते।

हमारे क्षेत्र में डैम की सारी योजना पूरी हो चुकी है। वहां कार्य पूरा हो चुका है। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार का क्या विचार है जो वहां बांध है, 50 वर्ष से कार्यक्रम लागू है, सारा काम हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा चालू न करने का क्या कारण है? उससे लाखों टन अनाज मिल सकता है, ऐसी स्कीम को सरकार अपने हाथ में नहीं ले, मेरी समझ में नहीं आता।

बनास नदी पर डैम व सिंचाई योजना, यह ब्रिटिशर्स के जमाने से चल रहा है। आज से 4 वर्ष पहले कहा था कि राज्य सरकार के आदेश चले जायं। उसके बाद भी इस योजना को लागू न करना, मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि इस डैम के प्रति आपके क्या विचार हैं?

यह बहुत बड़ी नदी है, जिसका पानी बेकार जाता है। जब भी सरकार स्थिति में हो तो आपके सामने नक्शा रहेगा, अगर बांध बनाया जाए तो मैं आपके द्वारा आशा करूंगा कि इसको बनाया जाए, वह अच्छा स्थान है। ऐसे स्थानों पर कन्ट्रोल नहीं किया, ऐसी स्कीम को अपने हाथ में नहीं लिया तो फिर जनता की अनाज की मांग की पूर्ति नहीं होगी। इस बांध के बनाने से स्थिति में सुधार आएगा। मैं आशा करता हूं कि इस बारे में आप हमें आश्वासन देंगे।

(3.38 म०प०)

(श्री रामसिंह यादव उपाध्यक्ष पदासीन)

शासकीय वक्तव्य-कडाणा बांध

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री।

श्री हरिदेव जोशी. (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, जैसा मैंने सवेरे निवेदन किया था, मैं कुछ विचार कडाना बांध के बारे में रखना चाहता हूं। यह सही है कि कडाणा बांध के बनने के कारण डूंगरपुर और बांसवाडा जिलों के कुछ हिस्से के अंदर काफी परेशानी है। लम्बे समय से राज्य सरकार और वहां के रहने वाले, वहां से आने वाले प्रतिनिधि इस बारे में प्रयत्न करते रहे हैं।

हमारी यह कोशिश थी कि कडाणा बांध की जो ऊंचाई है वह कम करवायी जाय। और उससे अगर जो जमीन भी बचायी जा सके, बचायी जाय। उपाध्यक्ष महोदय जैसा कि सदन को विदित है कि एक लम्बे अरसे पहले राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार

(श्री हरिदेव जोशी)

के बीच भारत सरकार के माध्यम से कडाणा बांध की ऊंचाई 419 फीट हो तय हो गयी थी। और इसके साथ साथ दूसरा जो प्रोजेक्ट बांसवाड़ा जिले में बजाज सागर बान्ध था उसकी हाइट भी तय हो गयी थी। तीसरा पोईन्ट यह भी था कि बजाज सागर बांध से जो सरप्लस पानी मिलेगा उसको हम उधर से बाड़मेर और जालोर जिले के लिये देंगे। उपाध्यक्ष महोदय यह प्रश्न भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। माही नदी पर जो पहला बांध बन रहा है वह बजाजसागर बांध है और उसके बाद में उसकी डाउन स्ट्रीम गुजरात में कडाणा बांध से ऊपर होती हुई मोरी तक जाती है। और उससे आगे हम जालोर और बाड़मेर जिले को वह पानी देंगे। इस सारे के अन्दर हमारा यह दृष्टिकोण था कि अगर गुजरात सरकार यह चाहती है कि इस बांध की ऊंचाई 419 फीट ही बनी रहे और वह इससे कम रखने को तैयार नहीं हो तो कम से कम बाड़मेर और जालोर जिलों को पानी मिलता रहे। उपाध्यक्ष महोदय हमने काफी एफर्ट्स किये कि इस कडाणा बांध की ऊंचाई 419 फीट नहीं रहे और इसमें गुजरात गवर्नमेंट से बातचीत भी की कि वह जितना भी ऊंचाई इसकी कम कर सके, करे, ताकि इससे जितनी भी जमीन डूब में आने से बचायी जासके बचायी जाय। हमने उन्हें यह सजेशन दिया कि हम जो बजाज सागर डैम से पावर जनरेट कर रहे है वह नहीं करेंगे और उसका सरप्लस पानी उनको दे देंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय गुजरात सरकार का यह कहना था कि चूंकि इस एग्रीमेन्ट को हुए काफी साल हो गये हैं और काफी बांध ऊंचाई पर जा चुका है। भारत सरकार ने भी इसके लिये यही कहा चूंकि काफी स्टेप्स गुजरात सरकार ने ले लिये है अतः अब यह पोसीबल नहीं है। गुजरात सरकार ने इसके लिये वर्ल्ड बैन्क से एग्रीमेन्ट भी कर लिया है और बांध भी काफी ऊंचाई पर आ चुका है। अतः अब हम इस एग्रीमेंट को बदल नहीं सकते हैं। क्योंकि यह एग्रीमेंट हो चुका था और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के लैवल पर हो चुका था। फिर भी हम और बरकत साहब जो कि उस समय चीफ मिनिस्टर थे गये और साथ में वह मुझे भी ले गये। हमारी उस समय के जो मुख्य मंत्री थे श्री घनश्याम ओझा गुजरात के उनसे मिले और उनसे इस बारे में काफी बातचीत की। हमने उन्हे सारी स्थिति बतायी। उन्होंने काफी गौर से हमारी समस्याओं को सुना पर बाद में उन्होंने यही कहा कि कडाणा बांध की ऊंचाई कम नहीं हो सकेगी। तब हम वापिस आये और हमने अपने साथियों से यहां आकर बातचीत की। बरकत साहब ने कैबिनेट में बातचीत की और उन व्यक्तियों से भी हमने बातचीत की जो लोग इससे प्रभावित होते थे। तो फिर हमने दूसरा फायदा इसमें यह सोचा कि कडाणा बांध की ऊंचाई अगर 419 से कम नहीं हो सकती है तो हम पावर को फौरगो क्यों करें और दूसरे हमारे बाड़मेर और जालोर जिले को भी इससे पानी मिल सकेगा। यह भी बात थी। यह सभी बातें हमने केबिनेट में की और बाद में सेन्ट्रल गवर्नमेंट को और गुजरात सरकार को इसकी इत्तिला करदी। इसके बाद में भी हमने व्यक्तिगत तौर पर गुजरात के जो मुख्य मंत्री शायद हितेन्द्र देसाई थे उनसे, घनश्याम ओझा और प्रेसीडेन्ट रूल के वक्त भी हमने काफी प्रयत्न इस बारे में किये। हमने ये प्रयत्न किये कि किसी भी तरह से बार बार यही चाहा कि अगर कोई भी बैनेफिट हम उन लोगों को, जिनकी जमीन डूब में आने से बचा सकें, तो बचालें। हमने सोचा कि

(श्री हरिदेव जोशी)

हम बजाज सागर से कोई बिजली जनरेट नहीं करेंगे मगर बात ऐसी हो गयी कि यह काम बाद में टैक्नीकली पोसीबल नहीं रहा । दूसरे हम उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर और जालौर जिले को पानी भी नहीं दे सके, बिजली का उत्पादन नहीं कर सके तो फिर क्या फायदा । इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से जो समझौता उनका हुआ था उसको हुए भी करीब 10 साल से ऊपर हो गया था इसलिये अन्त में फाइनल ही तय हुआ कि राजस्थान सरकार कडाणा बांध की ऊंचाई को 419 फीट ही रहने दे । उपाध्यक्ष महोदय, उस समय के मुख्य मंत्रियों ने जिसमें पहले श्री हितेन्द्र देसाई थे उन्होंने और घनश्याम भाई ओझा ने मुझे विश्वास दिलाया था कि हम कम्पैनसेशन देने में काफी उदारता बरतेंगे । उन्होंने कहा कि क्योंकि यह इलाका जो डूब में आने वाला है वह आदिवासी क्षेत्र है जिसमें भील लोग रहते हैं आप इस बातचीत को समाप्त करदें । हमने उसी के आधार पर बात समाप्त करदी । उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर के सागोड़ा और गलियाकोट सब-तहसील के उधर भूखिया पंचायत समिति के लोग इससे ज्यादा परेशान होंगे । क्यों कि वहां की जमीन इस डूब में आती है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों की परेशानीय को अच्छी तरह समझता हूं क्योंकि मैं उस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हूं । उपाध्यक्ष महोदय, हम इनको अच्छी से अच्छी फैसीलिटीज देने का प्रयास करेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले के दस गांव और बांसवाड़ा जिले के 4-5 गांव के लोगों को तो कम्पेनशेसन दे दिया जा चुका है । डूंगरपुर के ये जो दस गांव के लोगों को कम्पेनसेशन दिया है वह तो जो कडाणा बांध की ऊंचाई 410 फीट के लैवल तक डूब में आने वाले लोगों को दे दिया तथा उसके साथ साथ उन्हे आॅलटरनेट लैण्ड भी अलोट की जा चुकी है, कुछ जगहों के लोग रह गये हैं यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा के उन गांवों में ही हैं उन्हे भी आरी, खोडन मोर के पास जमीन अॅलोट की जा सकेगी । मैं सदन में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भीलों को किसी प्रकार की मदद की जरूरत होगी तो हम देंगे । मैं भीलों को अच्छी तरह जानता हूं यह एक ऐसी जाति है जो काफी गरीब है आधी भूखी है । एक बार जब वह अपनी धरती से उखड़ जाता है तो वह बहुत ही मुश्किल से जम पाता है । लेकिन सदन में माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम उनके पुनर्वास का काम बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे । मैं यह भी मानता हूं कि पुनर्वास का काम कितना मुश्किल है । उपाध्यक्ष महोदय, उनकी जमीन डूब में आ जाने से उनको एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा । लेकिन इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, माही के ऊपर जो दूसरा डेम बन रहा था बेड़ेश्वर और जो बनास के ऊपर है उसकी डूब में आने वाली जमीन के जो लोग है उनके पुनर्वास की एक बहुत बड़ी प्रोबलम होगी । लेकिन दूसरी तरफ देखते है तो यह भी हम देखते है कि हमारे राजस्थान को एक बहुत ही बड़ा लाभ होता है, किन्तु लाभ दूसरे ढंग से भी हो सकता है । यह बड़ेश्वर का बांध जो बनास पर है उससे हमने पावर जनरेट करने की ही बात होगी सिंचाई नहीं होगी तो हमने सोचा कि पावर तो हम थरमल प्लाण्ट से भी जनरेट कर सकते हैं तो हमने सोचा कि ऐसा करने से क्या फायदा लोगों को अफेक्ट करने से क्या फायदा हमने उसकी जरूरत नहीं समझी इन सारी चीजों को दृष्टियों को गवर्नमेंट ने मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लिये है । लोगों को

(श्री हरिदेव जोशी)

परेशानी नहीं हो पुनर्वसाहट के काम के बारे में, हमने गुजरात सरकार के अधिकारियों से राजस्थान सरकार के अधिकारियों को भेजकर कम्पेनसेशन की बात के उचित तरीके भेजे है और जो नोर्मस पुनर्वसाहट के थे वह उन्हें भेजे हैं वह हालांकि अभी तक तय नहीं हुए हैं, उन्होंने अभी तक अप्रूव नहीं किये हैं लेकिन मैं दृढ़ता से कह सकता हूं कि जिस प्रकार हमने पौंग डेम के लोगों के आउस्टीज को बसाने का लाभ दिया है उसी प्रकार का लाभ माही के आउस्टीज को मिलना चाहिये यह हमारा ध्येय है। उनको डिप्राईव नहीं करना चाहिये।

गुजरात गवर्नमेंट यह क ... ी है कि तुमने चम्बल में जो बेनिफिट्स ... तरह के बेनिफिट्स दें। हमारा पौंग बांध के कारण से ... ों को जनरस होकर ... ते हैं तो हम अपने ही ... सहायता सहायता ... राजस्थान गवर्नमेंट ने ... स्टिक करते हैं और ... ा बांध और बजाज ... ायता देंगे और गुज ... मुख्य मंत्रियों के व ... चाहिये। एक भली ... उसने वायदे किये हैं उन व ... उसको पालन करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इस पुनर्वसाहट के कार्य को वैसे तो एक कमेटी दे रही है जिसमें पहले तो मैं और चौधरी साहब रामचन्द्रजी दो मिनिस्टर थे। अब चौधरी साहब के हट जाने से मैं और माननीय परसरामजी हो जाते हैं मगर मैं सोचता हूं इस कमेटी को रिकान्स्टिटट करके बड़ा बना देंगे। इसकी 25 तारीख को मिटिंग भी रखी है। इस समय एक ही बात कह सकता हूं कि मेरे मानस पर यदि किसी चीज का वजन रहता है तो इस चीज का रहता है कि उन लोगों को किस प्रकार से बसाया जाय।

नाथूरामजी भी वहां पर थे। और हमारे साथ खेतसिंह जी गलियाकोट में थे जहां मुख्य मंत्री होने के बाद मैं पहली मर्तबा गया था। इससे पहले उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू मिनिस्टर माननीय श्री शोभाराम जी थे, तब हम वहां गये थे। शोभारामजी ने उस समय कहा कि अजीब सा इलाका है जहां डूब रहे हैं लेकिन ढोल बजाकर स्वागत किया जा रहा है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है यदि मेरे इलाके की डूब हुई होती लोग डंडे लेकर मेरे पीछे पड़ जाते और यहां ढोल बजाकर सामने आ रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : नाथूरामजी

श्री हरिदेव जोशी : नाथूरामजी मेरे प्रति भी जनरल हैं। वे जानते भी हैं।

श्री रामकिशन : यह प्राइवेट में कहा था शोभारामजी को या सार्वजनिक रूप से कहा था ?

श्री हरिदेव जोशी : प्राइवेट रूप से भी कहा और सार्वजनिक रूप से भी। उस दिन का सचमुच दृश्य बड़ा ही उल्लासपूर्ण हृदयस्पर्शी था हालांकि मैं दो घंटे देर से वहां पर पहुचा और कई हजार लोगों ने वहां पर नाव पर मंच बना रखा था एक सिम्बोलिक रूप में कि नाव . . .

एक माननीय सदस्य : डूब रही है।

श्री हरिदेव जोशी : तुम्हारे हाथ में है यों कहा था।

श्री नाथूराम : दस हजार लोगों ने स्वागत के समय यह किया था ।

श्री हरिदेव जोशी : तो मैं यह कह रहा हूं कि जो फीलिंग्स हैं मेरे पास मैं बड़ा परेशान हूं । मेरा गांव भी डूब रहा है मेरा ननसाल भी डूब रहा है । गढ़ियाकोट जैसा कस्बा डूब रहा है । अच्छे इलाके डूब रहे हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप बच जाइये । आप मत डूबिये ।

श्री हरिदेव जोशी : यदि ये ठीक ढंग से बस जाते हैं तो हम बच जाते हैं ।

एक माननीय सदस्य : हिरन कोट को बचाने की कोशिश कीजिये ? वह भी डूब रहा है ।

श्री हरिदेव जोशी : वह भी कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी स्थितियों में हमारी यह कोशिश है कि कम्पन्सेशन अच्छा मिल जाय और लोगों को जल्दी से जल्दी जमीन मिल जाय । 410 तक आये लोगों को जमीन इस वर्ष दे देंगे । उसमें थोड़ी सी लोगों को मदद करनी पड़ेगी । थोड़े मामले मेरी कांस्टिटुएन्सी में भी आते हैं । इस सारे को करके मैं ऐसा समझता हूं कि आने वाली बरसात से पहले 410 तक लेवल जमीन के लोगों को जमीन का अलोटमेंट हो जावेगा, कम्पन्सेशन उनको पूरा दे दिया जावेगा और कम्पन्सेशन के जो नोर्म्स हमने तय किये हैं उस स्तर पर दिये जावेंगे, गुजरात सरकार जिस स्तर पर इनसिस्ट कर रही है उस पर नहीं । हमने उदार नोर्म्स तय किये हैं और उसी आधार पर देंगे ।

उस कमेटी की 25 तारीख को मिटिंग बुला रहे हैं । उस कमेटी को रिकोन्स्टिट्यूट करके जल्दी से जल्दी फैसला करके आगे बढ़ना चाहते हैं । मैं ऐसा समझता हूं कि हाइट कम करने के बात को अब बार बार रिपीट करने का अर्थ नहीं रह जाता है । पूरी ताकत लोगों को बसाने पर लगा देनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ।

श्री नाथूराम : आपके माध्यम से दो प्रश्न मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं ।

श्री विट्ठल भाई : आप यह बतायें ।

श्री नाथराम : मेरे दो प्रश्न हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या क्वेश्चन्स हैं, आपके ?

श्री नाथूराम : जैसा आपने बताया कि राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार ने मिल कर एक मुआअदा किया है । लेकिन गुजरात सरकार पैसा नहीं दे रही है न माही के लिये और न ही कडाणा बांध से विस्थापितों के पुनर्वास के लिये दे रही है। इसलिये जब तक मुआवजा नहीं मिल जाय तब तक राज्य सरकार की ओर से कोशिश की जावेगी कि बांध का काम रोका जाय ?

पैंग डेम के लिये राजस्थान सरकार की तरफ मुआवजा वहन किया जा रहा है और लाखों एकड़ जमीन दे रही है । राज्य सरकार की ओर से कोशिश होगी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र जो प्रभावित है उनको भी नहरी इलाके में जमीन देने की कोशिश करेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : सारी कोशिश करेंगे चाहे नहरी इलाके में जमीन देने की बात हो

(श्री हरिदेव जोशी)

चाहे मुआवजा के लिये रुपया लेने की बात हो। गवर्नमेंट अकाउन्टस् में चलता रहता है। बरसात से पहले रुपया नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है।

श्री विट्ठल भाई : माही में डूब रहे हैं उनको भी मुआवजा देंगे या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : मुआवजा देंगे, हर डूब में आने वाले को।

श्री केदारनाथ : जहां तक माही का सवाल है बेसिक्ली प्रोजेक्ट है, गुजरात सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कम्पोनेन्ट जोड़ने के लिये ज्ञापन दिया है। सिचायी मंत्रीजी ने कहा कि राजस्थान सरकार इस पर विचार करेगी। कडाणा में पावर जनरेशन का कोई सवाल नहीं है और न अभी उनका बांध बंध रहा है उसमें पावर जनरेशन का कोई प्रोविजन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री नाथूराम : दूसरा प्रश्न है। जब तक पुनर्वास नहीं हो जाय तब तक निर्माण कार्य को स्टे करने के लिये सरकार क्या सोच रही है ?

श्री हरिदेव जोशी : कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

मांग संख्या 45 पर अग्रेतर विचार

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सिचाई विभाग की मांग संख्या 45, पर 49,47,49,000) रु० की स्वीकृति के लिये सदन के सम्मुख प्रस्तुत है। और उसके साथ साथ बड़ी विचित्र परिस्थितियां भी हमारे सामने प्रस्तुत हैं। एक ओर वह राजस्थान है जिसके अधिकतर गांव इस प्रकार के हैं पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। एक सर्वे के अनुसार राजस्थान के अगर जिलों में देखा जाय तो 9262 इस प्रकार के गांव है जिनमें कि पानी के पीने की एक बूंद भी नहीं है और अगर है भी तो पानी भयानक रूप से कड़वा है जिसको पीते ही मनुष्य मर जायेंगे। इसके अतिरिक्त 6945 गांव इस प्रकार के है जिसमें पानी है ही नहीं और अगर कहीं पानी है तो वह नारवा पैदा करता है, अन्य रोग पैदा करता है। इस प्रकार के क्षेत्र हैं जैसे कडु गांव सूरतगढ़ क्षेत्र में है। ये बहुत सारे गांव है— भीलवाड़ा जिले को ले लीजिये वाको 3881 इस प्रकार के गांव है जिनमें कि पानी की कुछ पीने की व्यवस्था है।

सारे राजस्थान में 23 हजार गांव इस प्रकार के हैं जिनमें पीने के पानी की भयंकर समस्या है। दूसरी ओर राजस्थान की विचित्र परिस्थितियां है। एक ओर कडाणा बान्ध जिससे डूंगरपुर और बांसवाड़ा सीपेज के कारण डूब जाने की परिस्थिति इस सदन के सामने है। दूसरी ओर गंग नहर में हाहाकार मचा हुआ है 1800 क्यूसेक पानी एक किस्म से बन्द हो गया, पंजाब की सरकार द्वारा। एक ओर गंगानगर का जिला है जहां पानी की एक एक बूंद के लिये कत्ल हो जाते हैं। दूसरी ओर चम्बल का ऐरिया जहां पानी के मोघे बन्द कर देते हैं। आऊट लेट्स बन्द कर देते है और उन आऊट लेट्स खोलने के लिये पुलिस की मदद लेनी पड़ती है। गार्ड लगवा कर बकायदा पानी लगाना पड़ता है ताकि नहरें बर्स्ट न हो। ऐसी परिस्थिति है। एक ओर पोंग डेम के आऊस्टीज के लिये सदन में चर्चा हुई, एक खेद प्रकट किया गया, भारत सरकार के प्रति विरोध प्रकट किया गया।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

यहां पर भूतपूर्व पंजाब सरकार के मुख्य मंत्री ने 9 हजार फेमीलीज से बढ़ाकर 27 हजार कर दी और जिसने 65 करोड़ का कम्पनसेशन मांगा और ढ़ाई लाख एकड़ खेती की जमीन हमसे पंजाब सरकार ने मांगी और आज तक पांच हजार आऊस्टीज से ज्यादा बसाये नहीं। हम बसा चुके हैं राजस्थान केनाल में। ढ़ाई लाख रिजर्व किया पौंग डेम के आऊस्टीज के लिये और कितना ही पैसा हम खर्च कर चुके हैं और उपाध्यक्ष महोदय, जो पांच हजार बसाये उसमें से 100 भी नहीं आये और जो भी आये हैं उनके ताले लगे हुये है और वे लोग इधर उधर बैठे हैं। ढ़ाई लाख एकड़ जमीन आऊस्टीज के लिये अर्पित कर दी। वे आज तक तलवाड़ा में बैठे हुये हैं। उनके मुख्त्यारनामे तैयार हो रहे हैं, वे बेच रहे हैं। मैंने एक लिस्ट सदन में प्रस्तुत की थी बम्बई, कलकत्ता, पंजाब, मद्रास के बड़े बड़े भू-पति आधा आधा बिस्वा एक एक बिस्वा पोंग डेम में बताकर गंगानगर जिले मे एक एक लाख के क्लेम डिक्लेयर कर दिये। ऐसे 27 हजार में से 10 हजार व्यक्तियों की लिस्ट मैंने पिछले सदन में प्रस्तुत की थी। एक ओर जिनकी बाकायदा आधा आधा बिस्वा भूमि डूब में आ गई, उसको बढ़िया से बढ़िया भूमि राजस्थान केनाल में अलाट कर दी और दूसरी ओर कडाणा बांध से, मुझे कष्ट हुआ मुख्य मंत्री ने स्टेटमेंट देकर आज गुजरात सरकार के एटीट्यूड के बारे में इस सदन में कहना पड़ता है कि गुजरात सरकार अपने एग्रीमेंट मे पीछे जा रही है और मुख्य मंत्री जी लंगोटी कसे घोषणा करते है। उपाध्यक्ष महोदय, हर जगह जहां अन्तर प्रान्तीय समस्यायें उठी है, नहरी समस्यायें उठी है, हम बुरी तरह पिटे हैं चाहें माही बल्लभसागर की बात हो, चाहे गंग नहर की बात हो, चाहे भाखरा की नहर की बात हो, चाहे राजस्थान नहर की बात हो, हर अन्तर प्रान्तीय समस्या के अन्दर राजस्थान की सरकार किसी भी संघर्ष में जीतने में सफल नहीं हुई है।

गंगानगर के 20 हजार किसानों ने गिरफ्तारियां दी और उस समय मुख्य मंत्री श्री मोहन लाल सुखाड़िया ने घोषणा की कि एक ज्वाइन्ट कन्ट्रोल सिस्टम बैठायेंगे और गंग नहर की एक एक बूंद लेने का प्रयास किया जायगा। वन मेन कमेटी मोती रामजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि किस प्रकार एक एक बूंद को हम प्राप्त कर सकते हैं लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है मोती रामजी जैसे योग्य व्यक्ति ने अपने अथक परिश्रम से अपनी रिपोर्ट बढ़िया से बढ़िया प्रस्तुत की और आज उस कमेटी के बारे में एक चीफ इंजीनियर हनुमानगढ़ में बाकायदा बैठा दिया और अपने आपको चीफ इंजीनियर कह दिया जो जेब में चने लिये फिरते हैं और लखनऊ के नवाब जैसी स्थिति आज उनकी है। एक पैसा पास में नहीं है लेकिन चीफ इंजीनियर है। डेढ़ करोड़ का जो फन्ड है, उसको बाकायदा काट कर हटा दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे गंभीर स्थिति जो है मैं कहना चाहूंगा। हमारा एक सैल चन्डीगढ़ में रहता है जो हमारे पानी के कन्ट्रोल को देखता है, भाखरा के कन्ट्रोल को देखता है। कई महिनों से उस सैल को चन्डीगढ़ में रहने को मकान नहीं मिले। आज उसके इंजीनियर्स और एस०डी०ओ० सिर पर गट्ठर बान्ध कर चन्डीगढ़ में घूमते हैं। पता नहीं कब उन पर वारदात हो जाय पता नहीं वहां के ....

व्यवस्था का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट बैठिये ।

आज सदन में गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य प्रो० केदार नाथ ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि राजस्थान सरकार ने एक विज्ञप्ति प्रचलित कर गेहूं की खरीद का अधिकत्तम भाव 110 रुपया एवं 120 रुपया प्रति क्विन्टल निश्चित कर दिया है ।

इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न अन्तर्निहीत नहीं है । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य का यह कथन प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 157 के प्रावधानों की पूर्ति नहीं करता है। इसलिये नियम 157 के अन्तर्गत भी उसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं। शुरू कीजिये ।

मांग संख्या 45 पर अग्रेतर विचार

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले ये मुख्य रूपरेखा जो मैंने अन्तर प्रान्तीय समस्याओं की प्रस्तुत की है, कुछ आंकड़े इस सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगा । हमारी क्या नीति रही है चाहे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, चाहे मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, चाहे माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट हो इन तीनों के सम्बन्ध में हमने चारों प्लान में पहली प्लान में 54 करोड़, दूसरी योजना में 103 करोड़, तीसरी योजना में 213 करोड़ फुल प्रोविजन बता रहा हूं और चौथी योजना में 316 करोड़ का टोटल प्रावधान था और अब हम पौने आठ सौ करोड़ का बता रहे हैं। जो पैसे हमने खर्च किये हैं उनको देखें तो सारे के सारे आंकड़े बड़े इरेटिक हैं । हमारा कोई प्लान्ड तरीका नहीं है, हमारा कोई प्लान्ड थिंकिंग नहीं है, सिर्फ इकोनोमी क्रियेट करने की स्थिति की है । कोई रीजनेलिज्म से ऊपर उठकर विभिन्न क्षेत्रों में जो असमानतायें है, समाज में जो विभिन्न वर्गों में असमानतायें हैं समाज की आर्थिक स्थितियोंके अन्दर जो असमानतायें हैं, उनसे ऊपर उठकर कोई कन्सोलीडेटेट योजना के बारे में कभी सोच ही नहीं सके, हम कभी उसको प्रस्तुत ही नहीं कर सके ; मीडियम, माइनर और मेजर इरिगेशन के बारे में । मोटे तौर पर आज स्थिति बताऊं उनको मद्देनजर रखते हुए , राजस्थान की इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कि केवल एक या दो प्रान्तों को छोड़कर अगर हम सिंचित क्षेत्र देखें तो सारे भारतवष के अन्दर सबसे कम सिंचित क्षेत्र राजस्थान के अन्दर है । जैसा इससे स्पष्ट जाहिर हो जाता है कि जहां जोता हुआ कुल क्षेत्रफल 19997 हैक्टर था वहां इसमें केवल सिंचित हमारा 1803 हेक्टर है याने 12.8 परसेन्ट और अखिल भारतीय इसी परसेन्टेज से बहुत नीचे जो कि करीब 20 परसेन्ट आता है । इन सारी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए और इसके साथ साथ जो खर्चा हमने विभिन्न मदों में किया है उनको भी मद्देनजर रखते हुए और उसके साथ साथ हमने अपने खर्चों का विभाजन विभिन्न योजनाओं में किस प्रकार से किया है उसको मद्देनजर रखते हुए और उन खर्चों से कितना प्राफिट प्राप्त हुआ है उनके भी आंकड़े मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा स्पष्ट रूप से ।

बहुउद्देशीय योजनाओं पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर 1840 लाख रुपया खर्च हुआ और उसके हिसाब से बहुउद्देशीय योजना के अन्दर 59.5 हजार एकड़ सिंचित क्षेत्र में पैदा हुआ । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुउद्देशीय योजना को ले लें तो इसके ऊपर 1402 लाख रुपया खर्च हुआ और जिसमें

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कुल जनरेशन हुआ 102.7 हजार हेक्टर का। अगर आप तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर देखें तो हमने खर्च किया 1027 लाख रुपया और उससे जमीन का जनरेशन हुआ सिंचित क्षेत्र का 270.3 हजार हेक्टर और इसी प्रकार अगर आप चौथी पंचवर्षीय योजना तक चले जायें तो यही है। अगर बहुउद्देशीय योजनाओं को लिया जाता है तो इसी प्रकार की इरेटिक स्थिति सारी जगह चलती है। 2.64 लाख रुपया खर्च हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर और कितना जनरेशन हुआ यह इसमें गायब है, शायद हुआ ही नहीं जनरेशन। इसी प्रकार दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर जहां 1369 लाख रुपया खर्च किया, वहां जनरेशन हम कर ही नहीं पाये। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर जहां हमने 4774 लाख रुपया खर्च किया वहां हम ईरिगेशन का जनरेशन केवल 37.6 हजार हैक्टर कर पाये और लघु सिंचाई योजनाओं को देखें तो सारा का सारा मामला इरेटिक है। लघु सिंचाई योजनाओं के बारे में एक दुर्लक्ष रहता है क्योंकि वह प्रॉफिटेबल नहीं होती। लेकिन लघु योजनायें भी अपना एक महत्व रखती हैं और बहुत बड़ा····

(4.13 म० प०)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

महत्व रखती हैं। 1962 में 1.6 लाख रुपया खर्च करके केवल 22 हजार हेक्टर धरती जनरेट कर पाये। इससे इनकी इकोनोमिक्स भी जाहिर होती है।

इस प्रकार अगर सारी पोजीशन को देखें सभापति महोदय, और इसके साथ ही साथ सिंचाई राजस्व और सुधार कर राजस्व जिसके आंकड़े मैं डिटेल में सदन के सामने प्रस्तुत करूं और सारों को कम्पेयर करूं तो हम अपने इन्पुट्स के मुताबिक न तो उतना एरिया जनरेट कर पाये जो कि प्रपोर्शनेटली जनरेट होना चाहिए था और न उसी के हिसाब से उतना सिंचाई राजस्व जनरेट कर पाये जितना कि हमें करना चाहिए था और न ही उस अनुपात के अन्दर हम सभापति महोदय, उतना सुधार कर राजस्व क्रियेट कर पाये जितना कि हमें करना चाहिए था। मैं यह समझता हूं कि कोई बुनियादी डिफेक्ट्स हमारे प्लानिंग में डेफीनेटली रहे हैं।

सभापति महोदय, आज हम जहां 775 करोड़ की पंचवर्षीय योजना बनाने जा रहे हैं और आज हमने 49 करोड़ का बजट यहां प्रस्तुत किया है वहां माइनर ईरिगेशन के लिए हमने 14.3 करोड़ रुपये सारी योजना के अन्दर रखे हैं और इसमें भी 6.5 करोड़ की केवल ऐसी राशि है जो कि अण्डर ग्राउण्ड वाटर को एक्सकेवेट करके हम प्रयोग में लायेंगे। बाकी सारी की सारी राशि फ्लो के जरिये प्राप्त होगी। सभापति महोदय, बिजली की बात आये तो हम बहुत बड़ी बूम मारते हैं। आज हमारा एटोमिक पॉवर स्टेशन चालू हो गया। आज हमने पर कैपिटा इलेक्ट्रिक कन्जम्प्शन पहले से कई गुना बढ़ा दिया। 400 मेगावाट पर हम पहुंचने वाले हैं सभापति महोदय, लेकिन उसके अनुपात के अन्दर अण्डर ग्राउण्ड वाटर के एक्सप्लोरेशन की बात अगर पैदा हो तो कोई तालमेल बिजली का अण्डर ग्राउण्ड वाटर एक्सप्लोरेशन से किसी तरह से तुक नहीं बैठती।

सभापति महोदय, सबसे पहले तो राजस्थान कैनाल की ही दुर्लक्षपूर्ण हालत को

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

लेता हूं। राजस्थान कैनाल के संबंध में राजस्थान सरकार की बहुत दुर्लक्षपूर्ण स्थिति रही है इसके बनाने के अन्दर। अगर सरकार चाहती, अगर सरकार का डिटरमिनेशन होता तो यह नहर आज जहां 5 लाख एकड़ के करीब धरती सिंचित कर रही है आज यह नहर 20-22 लाख से अधिक एकड़ सिंचित कर रही होती। लेकिन इस नहर की रीजनल प्लानिंग को हम हमेशा काटते आये हैं और इस नहर के लिए कोई संजीदगी से राजस्थान सरकार ने कभी सोचना पसन्द नहीं किया। आज इस युग के अन्दर और सारे विश्व का हम सर्वे करें, सारे विश्व की प्रॉजेक्ट्स का सर्वे करें–मेरे पास सभापति महोदय, चार्ट मौजूद है। मिसिसिपी प्राजेक्ट चाहे यू० एस० ए० का हो, चाहे वोलगा प्रॉजेक्ट रूस का हो उसको ले लें, सीरिया के प्रॉजेक्ट को ले लें या लीबिया के प्रॉजेक्ट को ले लें और चाहे अमेजन नदी के प्रॉजेक्ट को ले लें और चाहे गंगा-यमुना को लेलें और चाहे किसी दूसरे प्रॉजेक्ट को ले लें, इतने कम पैसे में इतनी ज्यादा इरिगेशन, इतने कम पैसे में इतनी ज्यादा इन्टेन्सिटी दुनिया के अन्दर कहीं क्रियेट नहीं हो सकती और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार की योजना जो कि समाजवाद की दिशा के अन्दर देश को ले सकती है, जिस योजना के समस्त क्षेत्र में अगर हरी का बांध से शुरू होकर राजस्थान में प्रवेश करती है और तलवाड़ा हैड से काण्डला तक रामगढ के आगे तक सारी धरती का अगर आप पूरा एस्टीमेट ले लें तो इसमें से 90 परसेन्ट जमीन राजस्थान सरकार की जमीन है और 10 परसेन्ट दूसरों की है। मेरा ख्याल है सारे विश्व में इस प्रकार का स्कोप नहीं हो सकता। आज कंवरसेन का एक आर्टीकल मुझे याद आ रहा है जो कि दो वर्ष पहले हिन्दुस्तान टाइम्स में लिखा था कि समुद्र से पानी उठकर साइबेरिया के अन्दर इरिगेशन करने की बात है और उसको भी इकोनामिकली इरिगेशन करने की बात आज क्रियेट हो रही है। लेकिन इस प्रकार की योजना जो कि नब्बे प्रतिशत सरकारी धरती के अन्दर जाती है, कोआँपरेटिव सोसायटी बन सकती है, कलेक्टिव फार्मिंग कर सकते हैं, बड़े से बड़े फार्म क्रियेट कर सकते हैं। डूंगरपुर के आदिवासी भूमिहीन को एकाध एकड़ भूमि को डवलप करने में अपना सारा जीवन व्यतीत कर सकता है, उनके सैटलमेंट के लिए बड़ा लम्बा एरिया इस एरिया में क्रियेट कर सकते हैं। सारे राजस्थान के गरीब और बेकार छटपटाते हुए किसानों को आप धरती अलॉट करने की स्थिति पैदा कर सकते हैं। सारा का सारा प्लानिंग कर सकते हैं अगर एक ही चीज, राजस्थान नहर को बना लेते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि यह केवल राष्ट्रीय योजना के रूप में ही लेने का सवाल नहीं है, अगर इस योजना को पूरा करने के लिए देश की फौज को भी इस्तेमाल करना पड़े तो देश की फौज को इस्तेमाल करके इसको पूरा किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के लिए ही शोभा का कार्य नहीं है, केवल हिन्दुस्तान के लिए ही शोभा का कार्य नहीं है बल्कि सारे विश्व के अन्दर अपने किस्म का एक कार्य होगा लेकिन अगर हम यू० एस० ए० की एजेंसी के चक्कर में पड़ गए और हम वर्ल्ड बैंक के सामने गिड़गिड़ाते रहे तो यह योजना पूरी होने वाली नहीं है।

सभापति महोदय, तीसरे प्लान के अन्दर इस योजना पर 56.99 करोड़ रुपया खर्च हुआ। चौथी प्लान के पहले साल में जरा गौर फरमाइये, इस योजना की हालत का। 7.99 करोड़ रुपये का खर्चा

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

था उसमें से 3.20 करोड़ नॉन-प्लान एक्सपेंडीचर था । 7.99 करोड़ में सारा भारत सरकार से सेंट्रली एडेड । 71-72 के अन्दर इस योजना के ऊपर 9.30 करोड़ का खर्चा हुआ जिसमें से 3 करोड़ नॉन प्लान एक्सपेंडीचर, वह भी सेंट्रल की हैल्प से और जरा 71-72 के 9.30 करोड़ को स्पिलिटी करूं कि किस प्रकार से 9.30 करोड़ का खर्चा किया गया । वह आंकड़े अपने आप में बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं जरा गौर फरमाइये । 71-72 में 9.30 करोड़ रुपया खर्चा हुआ जिसमें से 2.50 करोड़ तो एस्टेब्लिशमेंट पर खर्चा हुआ । 0.64 करोड़ में से 98 परसेंट एडवांस दे दिया गया है फोर दी नैक्स्ट ईयर । 0.36 करोड़ कोयले के लिए एडवांस दे दिया । 1 करोड़ रुपया आर० एस० ई० बी० को एडवांस दिया और इस प्रकार 9.30 करोड़ के अन्दर केवल योजना के ऊपर इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन के ऊपर इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ रुपया हुआ ।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर इस योजना का बहुत बड़ा हिस्सा आता है और यह फलोदी तक जाता है लेकिन अगर आप इस योजना के अन्दर जो रेस्ट हाउसेज बने हुए हैं, जो कोठियां बनी हुई हैं, उनको देखें, उनके अन्दर के हीटिंग सिस्टम को देखें, पूरी योजना के अन्दर ही स्पेशियलिटी है इसकी । वहां के एक्स० ईएन० जिनकी सीट है सूरतगढ़ में, उनका रिकार्ड देखें तो सारी चीजें समझ के अन्दर आने वाली चीजें हैं । एक कोने से सूरतगढ़ से रावले तक बिछे हुए रेस्ट हाउसेज के जाल को देखें । हनुमानगढ़ में एक्स० ईएन० और एस० डी० ओ० की कोठी को देखिएगा । उनके साथ जुड़ी हुई लैण्ड को देखिएगा । उसके अन्दर बोयी हुई फसल को देखिएगा । ठीक है देश के लिए अनाज पैदा करते रहे हैं । डूंगरपुर का आदिवासी आधा एकड़ जमीन पर अपना गुजारा करता है लेकिन वहां का एक्स० ईएन० और एस० डी० ओ० दस बीघा जमीन के अन्दर चावल पैदा करता है । उनके अन्दर बिछी हुई कालीनों को देखिए । इसके साथ देखिए कि किस प्रकार से नाइजेरिया के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, किस प्रकार से साइबेरिया के प्रोजेक्ट बन रहे हैं और किस प्रकार की भाखड़ा की प्रोजेक्ट बनी हैं । वहां का इलाका किसी से कम डिफिकल्ट इलाका नहीं है । जहां साइबेरिया का टेम्प्रेचर बिलो डिग्री हो जाता है वहां के लोग भी एक जगह से दूसरी जगह पर अपना कैम्प उठाकर ले जाते हैं और सारी की सारी योजना को पूरी कर रहे हैं लेकिन यहां पर सारा का सारा खर्चा पहले एस्टेब्लिशमेंट पर होता है । पहले बंगला बनाइये, उसके अन्दर सारी फैसेलिटिज प्रोवाइड करियें, नवाबों जैसे ठाट बनाइये, कलर्स लगाइये, कारपेट लगाइये, फर्नीचर लगाइये । मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस सदन में बिछे हुए कालीन से भी बढ़िया कालीन, दस गुना बढ़िया कालीन सूरतगढ़ के एक्स० ईएन० की कोठी में लगा हुआ है । क्या करना चाहते हैं उस कारपेट का । हमारे राज्य के इंजीनियर क्या करना चाहते हैं उस कारपेट पर, हमारे राजनीतिज्ञ क्या करना चाहते हैं उन कारपेटों पर ?

उपाध्यक्ष (सभापति) महोदय, इसके बाद सन् 72 के अन्दर 11 करोड़ रुपया रखा गया । यहां हालत सुधरी है जिसमें 3.5 करोड़ नोन-प्लान एक्सपेंडीचर है । 73-74 में 11.59 करोड़ है इसमें 1.77 करोड़

Page No. 116

116

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

नॉन-प्लान एक्सपेंडीचर है। इस प्रकार 73-74 में इम्प्रूवमेंट आया है ! चौथे प्लान में हम कुल 104.36 करोड़ खर्चा कर चुके हैं और हम प्लान कर रहे हैं, 70 करोड़ का खर्चा करेंगे । लेकिन सभापति महोदय, यह ऐसी एक किताब है जो राजस्थान कैनाल के बारे में सन् 1961 के अन्दर निकली थी जिसको कि सारे हिन्दुस्तान ने बड़ी इमेजिनेशन के साथ पढ़ा था । इसके अन्दर 67-68 के अन्दर हमारी मैन कैनाल के दोनों फेजेज में पहिला फेज कम्पलीट हो जाने की स्थिति क्रियेट होती है । मैं इस सदन में जब तक आता रहा हूं और आता रहूंगा । इसको पढता रहा हूं और दोहराता रहूंगा । मैंने इसको पढने का पूरा इरादा किया है । जरा गौर फरमाइये । कल्चरल कमाण्ड एरिया 27.76 लाख एकड़ । फ्लेग एरिया 60.15 लाख, लेग एरिया लिफ्ट 7.25 लाख । फ्लेट एरिया फ्ला 27.70 करेक्ट कर लीजिए। फ्लेग एरिया लिफ्ट-7.25 लाख, टोटल 67 लाख कल्टीवेबल । सी० सी० एरिया टूविच इट वुड बी पोसिबल। टू प्रोवाइड ईरिगेटेड फैसेलिटीज–16 लाख । ये सन् 67-68 का 16 लाख, फस्ट स्टेज का 16 लाख के टोटल प्राजेक्ट के अन्दर 46 लाख एकड़ । और इस किताब के अन्दर, यह तो इम्प्रूव्ड योजना है जब कि रामगढ़ के आगे से 140 मील की योजना को काट डाला । हालांकि 1959 के अन्त तक डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ नेगोशियेशन चल रहा था और डिफेंस मिनिस्ट्री पूछ रही थी कि आप इसको रखना चाहते हैं या काटना चाहते हैं और राजस्थान सरकार ने सन् 59 के एण्ड तक अपना फाइनल रिप्लाई नहीं दिया कि वे इसको रखना चाहती हैं या काटना चाहती है । और अन्त में 140 मील काट दी गई इस योजना की ।

आज जो स्थिति चल रही है, सभापति महोदय, हमारी व्यास परियोजना के अन्दर, हमारे यूनिट नम्बर एक के अन्दर आज हमारी फीगर जो है वह काफी स्लो है । और यूनिट नम्बर ए के अन्दर जो भारत सरकार की खोसला समिति के अनुसार, खोसला समिति के डिक्लेरेशन के मुताबिक जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, हमारा पावर कम्पोनेन्ट हम को मिला है, सभापति महोदय, वह हमारे इस राजस्थान सरकार की कमजोरी को, हमारी राजस्थान सरकार की वीकनेस को, हमारी राजस्थान सरकार की अपने पाइन्ट को एचीव न कर सकने की कमजोरी, उसकी हर जगह मात खा जाने की स्थिति को दर्शाता है । एक दफा भी यह सरकार इस्तीफा फेंक कर कहती हमारी ये शर्तें हैं तो हमारे साथ जस्टिस हो जाता । बिहार की सरकार ने इस्तीफा फेंक दिया, यू०पी० की सरकार ने इस्तीफा फेंक दिया तो भारत सरकार ने उनकी बात मान ली । परन्तु राजस्थान सरकार के आज तक के बने हुए मंत्रिमण्डलों का ऐसा मोरल नहीं आया, ऐसा करेज नहीं आया कि वे अपना इस्तीफा फेंक देते और कह देते कि यह लो हमारे रेजी-गनेशन – हमारा कम्पोनेन्ट पहले यूनिट के अन्दर केवल 15 प्रतिशत और पावर कम्पोनेन्ट केवल 20 प्रतिशत है और हमारा अगर एक्सपेंडीचर देखें तो वह है 68 प्रति-शत से अधिक का जाता है । यूनिट नम्बर 2 के अन्दर हमारी स्थिति ज्यादा सन्तोषजनक नहीं है । जहां तक व्यास प्रोजेक्ट का क्वेश्चन है, पौंग डेम के कन्स्ट्रक्शन का प्रश्न है, यूनिट नम्बर 2 के अन्दर हम करीब करीब कम्पलीशन की स्टेज पर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पहुंच रहे हैं। 5 टनल्स मेन्युफैक्चर हो गई हैं। इस बात को दोहरा दूं कि पांच टनल्स जिसको कि 8 महीने पहले रिलीज कर के करीब फुल कपेसिटी से तो नहीं, फुल कपेसिटी में तो करीब 56 लाख घनफुट पानी करीब जाता है, हमको अवेलेबल 50 लाख घनफुट पानी है तो लगभग वह वेस्टेज नहीं होता। तो कम से कम 30 लाख घनफुट पानी एक्युमुलेट हो जाता और उसका यूटिलाइ-जेशन हम राजस्थान कैनाल के सिस्टम में, भाखरा के सिस्टम में और गंग कैनाल के सिस्टम में कर सकते थे। इसके साथ साथ सभापति महोदय हमें 150 मेगावाट पौंग डेम से प्राप्त होती। वहां से आज तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ है जबकि उसका कुल जेनरेशन 150 मेगावाट का है। इसी प्रकार यूनिट नम्बर एक से हमको एक बहुत बड़े क्वान्टम में इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो सकती है। इस सारे क्वान्टम को प्राप्त करने के हमारे गालमाल लक्ष्य हैं। व्यास बोर्ड के चेयरमैन कह चुके हैं कि ये पांच टनल्स 8 महीने पहिले पूरी कर चुकी होनी चाहिये थीं। तो वह कौन से पोलिटिकल रीजन्स हैं जिनसे कि यह पूरी नहीं की गयी है। वे मैं यहां पर डिस्क्राइब कर चुका हूं। दुबारा कहना नहीं चाहूंगा। सभापति महोदय, आज इस बात की आवश्यकता है कि यह नहर जहां पर कि आज 16 लाख एकड़ इरिगेटेड करनी चाहियें थी आज वह 90 माइल के ऊपर, 85 माइल के ऊपर, इस दूरी पर खड़ी है। सारा काम पूरा करके हम को इस नहर को काण्डला तक ले जाना चाहिये था। परन्तु कडाना डेम का प्रश्न है, और दूसरे भी प्रश्न हैं, तो इन सारे प्रश्नों के ऊपर सेन्ट्रल लेविल का कोई कमीशन, इस किस्म का कमीशन बिठाकर इन सारे प्रश्नों का निपटारा कराना चाहिये। इस चीज को हमें तैयार करना चाहियें और सेन्ट्रल को कहना चाहियें कि इन प्रश्नों को जस्टिफाइड तरीके से डिसाइड किया जायें और नहीं तो यह सरकार इस्तीफा दे दे इस प्रश्न पर।

सभापति महोदय, अब मैं एक बड़ी कष्ट-पूर्ण स्थिति दुबारा इस सदन के अन्दर रखूंगा और वह है गंग कैनाल की स्थिति। गंग कैनाल के सम्बन्ध में आज गंगानगर के सारे प्रधान, प्रमुख और सैकड़ों लोग जयपुर आये हैं। वे मुख्य मंत्रीजी से मिलना चाहते हैं और ऐसा पहले नहीं हुआ सभापति महोदय जैसा कि अब हुआ है। 20 मील के अन्दर गंग कैनाल कॉलेप्स हो गई। आर० डी० 87 एक नहर चालू कर दी है। हमारा एक हजार क्यूसेक पानी इस वक्त कैद पड़ा है। सभापति महोदय मैं बिलकुल नम्रता से अर्ज कर देना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर, अगर राजस्थान सरकार, एक महीना हो गया, डेढ़ महीना हो गया, आज गंगानगर के अनेक गांवों में पीने का पानी नहीं है। फसलें तबाही की स्टेज पर पहुंच गयी है। अन्तिम सांस ले रही हैं। एक पानी लेग जायेगा तो बच जायेंगी वरना हवा हो चुकी है। आप पंजाब के बारे में कह रहे हैं। 22 लाख रुपया आप दे देंगे और वह इसका कन्स्ट्रक्शन करवा देगा। परन्तु ऐसा होने वाला नहीं है। भाखरा बोर्ड के चेयरमैन की रिपोर्ट शायद आपने देखी नहीं होगी। भाखरा से पांच कॉन्ट्रेक्ट से पानी हमारे क्षेत्र के अन्दर एन्टर करता है। चेयरमैन ने इस बात को पूरी तरह से स्वीकार किया है इन पांच कॉन्ट्रेक्ट के ऊपर पानी की चोरी होती है। भाखरा से 15 परसेन्ट पानी के अन्दर से हमें कभी भी 7/8 परसेन्ट से ज्यादा वाटर नहीं मिला है। अब

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जो हमारे नये चीफ इन्जीनियर बिठाये गये हैं, उन्होंने वहां पर काफी स्ट्रगल के बाद कुछ क्यूसेक करीब 30/40 ग्राब्टेन किया, लेकिन हरियाणा बाकायदा जगह जगह से हमारी नहरों को ब्रीच करता है। हमारे पानी की चोरी करता है। पौंग डेम से हमारे पानी का पूरा परसेन्टेज ग्राज तक नहीं मिला है ग्रौर कोई इफेक्टिव कन्ट्रोल सिस्टम इस किस्म का कोई ग्रौर सिस्टम रिवाइज नहीं कर सके हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को प्रेशराइज नहीं कर सके हैं। ग्राज यह चीजें हो सकती हैं, सभापति महोदय, वह यह है कि राज्य के मंत्री जायें, खुद जाकर देखें कि फसलें वहां पर कैसे सिसक रही हैं, ग्राधी मर चुकी हैं, 3/4 खतम हो रही हैं ग्रौर ग्रन्तिम सांस गिन रही हैं। परन्तु यह हो सकता है, सिंचाई मंत्री जाये, सूरतगढ़ के रेस्ट हाउस में न ठहरें, गंगानगर के रेस्ट हाउस में न ठहरें। वे ग्रार० डी० 87 के ग्रन्दर जाकर ग्रपना डेरा डाल दें, ग्रपनी छोलदारी वहां पर खुलवा दें। हमारे चीफ इन्जीनियर तम्बू डाल दें ग्रौर गाड़ कर, गवर्नमेन्ट स्केल पर इस 20 मील के टुकड़े का कन्स्ट्रक्शन करवाया जाये, बार फुटिंग के ऊपर कन्स्ट्रक्शन करवाया जाये ग्रौर ग्रार० डी० 87 नहर का मुंह बंद किया जाये। ग्रपने राइट को लें, ग्राब्टेन करें। ग्राज 1800 क्यूसेक पानी पंजाब ने हमारा कैद कर रखा है, इसको रिलीज करवाया जाये तब तो जस्टिफिकेशन होगा ग्रापके इरिगेशन मिनिस्टर रहने का ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं ग्रौर भी कुछ तथ्य कहना चाहूंगा। वे यहां पर रखना चाहूंगा फ्लड्स के सम्बन्ध में। वैसे तो इरिगेशन विभाग के ग्रन्दर गबन, घोटाले, भ्रष्टाचार के मामले कम नहीं हैं परन्तु मैं सदन का मूल्यवान समय इस भ्रष्टाचार के मामलों में नहीं लेना चाहूंगा। गंगानगर की तो ऐसी परम्परा रही है कि ग्रगर कोई इन्जीनियर बहुत बढ़िया काम करता है तो उसके लिए साइक्लोस्टाइल कॉपियां बंटवा दी जाती हैं सारे सदस्यों को। वह बड़े भूपतियों का इलाका है। वहां पैसा है। ग्रगर कोई सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर यह इरादा कर ले कि जनता की मांग के ऊपर हैड से लेकर टेल तक पानी की एक एक बूंद बराबर वितरित कर दी जाये, ग्रगर बड़े जमींदारों की उनकी एक एक घंटे में जो 616 बीघा जमीन इरिगेट होती है, उनका काट कर के यह प्लान करे कि टेल के ऊपर जब से नहर बनी है, गंग नहर, भाखरा नहर, उन टेलों के ऊपर पानी पहुंचा दें तो तरक्की हो जाय तो भूपति बहुत नाराज होंगे। इस प्रकार का कार्य सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर गुप्ता ने किया। उसने पानी को वितरित किया। ग्रगर इस बात का प्रयत्न करें तो एक करप्ट इन्जीनियर जो कि डेढ़ लाख रुपया खा जाये रिकवरीज के ग्रन्दर, कोशिश करे तो इसकी राजस्थान में कोई मिसाल नहीं हो सकेगी उसको मानने को तैयार है।

मेरे यहां पर एक एस०डी०ग्रो० हैं उन्होंने टेलों पर पानी पहुंचा दिया। बड़े बड़े भूपतियों के मोगों को छोटा कर दिया तो उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। वहां 12 पी०एस० चक हैं वह एक साल के ग्रन्दर 6 दफा नहर काट लेते हैं। उसके नीचे के 30 गांव वाले रोते चिल्लाते रहते हैं। वह बड़े बड़े भूपति हैं। वह भूख हड़ताल पर बैठ गये तो इन 30 गांवों के 10 हजार ग्रादमी ग्राये ग्रौर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
उन्होंने उनके डेरे तम्बू उखेड़ दिये। उन्होंने कहा कि आज हमें पहली बार तो पानी मिला है और तुम भूख हड़ताल पर बैठे हो। यह तो गंगानगर की परम्परा है।

वहां पर वास्तव में भ्रष्टाचार है और पोलिटिकल भ्रष्टाचार तो जरूरत से ज्यादा हैं, और अगर सारे भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा करना चाहूं तो बहुत से वर्क्स के अन्दर भ्रष्टाचार है। कन्स्ट्रक्शन वर्क्स के अन्दर भ्रष्टाचार हुआ है, वहां पर पेमेन्ट के अन्दर भ्रष्टाचार हुआ है। सारी चीजों में भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि पंजाब ने अपने इर्रिगेशन इन्जीनियर्स की सर्विस के अन्दर एक बात रखी है, और वह बात है यह कि वही इन्जीनियर एफिशियेन्ट इन्जीनियर है ....

श्री जय किशनलाल : सभापति महोदय, इनको पौन घंटा हो गया बोलते हुए। हमको भी समय मिलना चाहिए।

श्री सभापति : आसन को इस बात का ज्ञान है। उनके दल का जितना समय है उतने में बोलेंगे।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : मेरे बोलने से आपको कुछ दुख तो नहीं है।

श्री जय किशनलाल : मुझे दुख तो नहीं है लेकिन आप टाइम का ख्याल रखें।

श्री सभापति : जितना समय उनके दल का है उससे अधिक नहीं दूंगा।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आप मेरे भाषण से क्षुब्ध हैं क्या ?

श्री जय किशनलाल : आपका भाषण तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि समय का खयाल रखें तो अच्छा हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं आपका आभारी हूं कि समय जैसी कीमती चीज के बारे में आप मुझे याद दिहानी करवाते हैं।

तो, सभापति महोदय, भ्रष्टाचार के केसेज तो चलते ही रहेंगे। अब यहां तो ऐसे भी केसेज हैं कि चीफ इन्जीनियर रामसिंहजी अब रहे नहीं और चले गये, लेकिन आप देखिये कि इन्जीनियर्स में किसी के यहां शादी रहती है तो मंत्री महोदय की गद्दी वहां रहती है। एक हमारे मंत्री जो राजस्व मंत्री रहे हैं, उनकी यह इच्छा रहती है कि उनके घर पर दावत हो मगर सब इन्जीनियर्स आयें। उनकी लड़की की शादी में एन्फोर्स डिपार्टमेंट ने छापा मारकर हजारों मन मेवा बरामद किया और 5 हजार लोगों के खाने का प्रबन्ध उन मंत्री महोदय के घर पर एन्फोर्समेंट वालों ने पकड़ा। और वह चाहते हैं कि सारे के सारे सुप्रिन्टेंडिंग इन्जीनियर्स और एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स उनके घर पर आ जायें। उनका काम यह रहता है मंत्रीजी उनके घर पर आकर बैठ जायें ताकि वह और इन्जीनियर्स पर अपना रोब गालिब कर सकें। अभी पुत्र के विवाह पर इन बुधवान साहब ने 5 हजार रुपया दिया। यह वही बुधवान हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार से 1,60,000 के फाल्स पेमेन्ट कर दिये और उन बुधावन साहब को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी सारी केपेसिटी का उपयोग करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं घग्घर के बारे में कहना चाहता हूं। घग्घर डाइवर्शन कैनाल का सन् 1962

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

में मोहनलालजी सुखाड़िया ने सारी पार्टीज के चीफ व्हिप्स और लीडर्स को लेकर प्लान किया था, और इसका यही अर्थ था कि वह पानी, जो गंगानगर में प्रवेश करता है और गंगानगर की लाखों एकड़ धरती में सिंचाई करता हुआ पाकिस्तान में चला जाता है, उस पानी को रेग्युलेट करके उसको कुछ डिप्रेशन्स और झीलों के अन्दर डाला गया है, और उसका पानी उससे रेग्युलेट हुआ है और उसका सारे का सारा फ्लो भी हुआ है ।

सभापति महोदय, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस पानी के युटिलाइजेशन के सम्बन्ध में, जबकि स्टिल एरियाज के अन्दर यह पानी जाता है तो जगह जगह लोग अपने अपने तरीके से बन्धे बनाते हैं । वह बन्धे जगह जगह अपने तरीके से बनाते हैं तो डेमेज कर देते हैं, नुकसान करते हैं बड़ा भारी, लेकिन एक प्रकार से ऐसे डैम्स की अब भी डिमाण्ड है, और वह डैम्स वह हैं जो सिटीज को, प्रोटेक्ट करते हैं, गांवों को प्रोटेक्ट करते हैं विलेजेज को प्रोटेक्ट करते हैं । कुछ डैम्स अपने अपने फार्मों को, अपनी व्यक्तिगत जमीनों को, अपने कुछ मुरब्बों को, अपने किसी मुर्गीखानों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाये जाते हैं । ऐसे डैम्स बड़े इन्जूरियस डैम्स हैं, खतरनाक डैम्स हैं । एक ऐसा ही डैम बना हुआ है, सभापति महोदय, सन् 1972 के अन्दर । एक डैम बनाया था सन् 1972 के अन्दर स्टोन नं० 261 के ऊपर, और यह डैम 10 गांवों के लोगों ने मिलकर बनाया । वह सतपुरा के लोगों ने, जूती, जैलसिंहवाली के लोगों ने, गुडी के लोगों ने, धारिया के लोगों ने, फतेहपुर के लोगों ने, पानीवाली के लोगों ने, जोरीमीरपुर के लोगों ने । इन 10 गांव के लोगों ने 261 नंम्बर के स्टोन पर एक डैम बनाया था । यह शानदार डैम था, और इस डैम के बनने के बाद 15 हजार एकड़ जमीन इस किस्म की हो गई जो पानी से मुक्त हो गई, पानी से आजाद, और इस 15 हजार एकड़ धरती के ऊपर 66 ट्यूबवैल्स लगाये गये हैं । इस 15 हजार एकड़ धरती में कई आउटलेट्स बनाये गये हैं उस डैम पर । इस 15 हजार एकड़ धरती पर लाखों रुपयों की रेवेन्यू राजस्थान सरकार को प्राप्त हुई । इसलिए इन 8 गांवों की मेहनत को, श्रमदान को, और उनकी मशक्कत से बने हुए इस पानी के डैम को देखते हुए मोहनलालजी सुखाड़िया ने इस डैम को रेग्युलेराइज करने की आज्ञा प्रदान की । यह डैम बाकायदा प्लान के अन्दर लेकर सेन्क्शन कर दिया गया, और सेन्क्शन करने के बाद बाकायदा इस डैम के रिपेयर्स वगैरह का बजट सारा इन्क्लूड हो गया, बजट प्रोवीजन में ।

लेकिन, सभापति महोदय, एक डैम बना मार्च 72 के अन्दर स्टोन नं० 265 पर, चक 15 एम० एम० एच० के अन्दर 27 एफ०जी०टी० चक को बचाने के लिए, 35 मुरब्बों को बचाने के लिए । वह 35 मुरब्बे किन लोगों के थे । इसमें 7 मुरब्बे तो इन्हीं राजस्व मंत्री, भूतपूर्व सिंचाई मंत्रीजी श्री रामचन्द्रजी के थे और उसके इस एरिया को इस डैम से प्रोटेक्ट किया गया । वहां पर उनका मुर्गीखाना था, गुरदयाल, सेठ पद्मश्री नरायणसिंह, दूसरे बड़े बड़े लोग, गुप्ता एडिशनल कालोनाइजेशन कमिश्नर.. मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मुख्य मुख्य का नाम लेता हूं जिन्होंने अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए यह डैम बनाया था

श्री जयकिशन लाल : ग्रोन ए पॉइंट ऑफ आर्डर । मेरा निवेदन यह है, सभापति महोदय, कि आप सदन के अन्दर इस प्रकार से.....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने लिखकर दे रखा है ।

श्री सभापति : ग्रार्डर प्लीज ।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : ऐसा नियम है कि उनको लिखकर देना चाहिए ग्रारोप लगाने से पहले ।

श्री सभापति : वह कह रहे हैं कि दे दिया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सदस्य महोदय, मैंने जो लिखकर दिया है वही कह रहा हूं । तो, सभापति महोदय, जब यह मार्च, 1972 के ग्रन्दर डैम बना तो इसकी कोई सेन्क्शन नहीं है, कोई ग्राथोराइज्ड सेन्क्शन इस डैम की नहीं ली गई, ग्रौर इस डैम के कन्स्ट्रक्शन से डैम नं० 261 टूट गया, ग्रौर उसके टूट जाने से 5 करोड़ की हानि हुई। सभापति महोदय, 15 हजार एकड़ के ग्रन्दर जो फसल थी वह डूब गई, ग्रौर जो 62 ट्यूबवैल्स थे वह तबाह हो गये । एक तहलका मच गया । वहां पर हरिजनों का गांव गुडी है उसमें हरिजनों की सारी झोपड़ियां टूट गई, उनके पशु मर गये । एक डैम श्री रामचन्द्रजी ने बनाया था, जिस पर से भारतीय सेना को लेकर वह लंका पर गये थे ग्रौर एक डैम हमारे इन भूतपूर्व मंत्री श्री रामचन्द्रजी ने बनवाया जिसने 9 गांवों की धरती को तबाह कर दिया ग्रौर जिससे 5 करोड़ की हानि हुई ।

ग्रगर वह यह कहें कि इस डैम की जरूरत थी यह जो 15 एच०एम०एच० ग्रौर 27 एस०टी०एफ० पर तो मैं यह ग्रांकड़ें लाया हूं । नाली रैन्लज में इन दो चकों 15 एच०एम०एच० ग्रौर 27 एस०टी०एफ० से जो पैसे लिये जाते थे वह पैसे कौन देता था । इसमें 59 ग्रादमी जो नाली रैन्ज का पैसा देते हैं वह पैसा इस बात के लिए देते हैं कि फ्लड ग्राता है । ग्रौर फ्लड ग्राने के बाद वह इरिगेशन करता है उसका पैसा देते हैं । इसके ग्रन्दर चौधरी रामचन्द्रजी के नाम के ग्रागे कोई एमाउन्ट नहीं है । यह नहीं कहा जा सकता है इस डैम को वहां की सारी जमीनों के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है या एक इन्डिविजुग्रल जमीन के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है । ग्रगर ग्राप यह कहें तो यहां तक स्थिति है कि वाराबन्दी का मैं पूरा रेकार्ड लाया हूं । ग्रौर सभापति महोदय, ग्राज यह स्थिति है कि वह राजस्व मंत्री हैं । वह सिचाई मंत्री भी रहे हैं । हम गरीब ग्रादमियों के जिम्मे ग्रगर 20 रु० बाकी हैं तो घर का चौका चूल्हा भी उखाड़ लेते हैं । लेकिन सिचाई मंत्री के 15 एच०एम०एच० के ग्रन्दर इरिगेशन का चार्ज नहीं देते हैं । उनका कहना है कि वह इरिगेशन करते ही नहीं हैं । सभापति महोदय, बाराबंदी का जो तरीका है, परची मिलती है । 7 दिन बाद रोटेशन लगता है । वह सिचाई नहीं करते हैं । मैं सभापति महोदय, उन परचियों का पूरा रिकार्ड लाया हूं । यह कहते हैं कि सिचाई नहीं करते हैं । यह उस 7 मुरब्बे जमीन की परचियां है। तारीख 20-7-71 को बन्दी बदली गई ।

(1) चौधरी रामचन्द्र, 145 बीघा 138/268, 22 घण्टे 30 मिनट, दिन शुक्रवार 5 बजकर 21 मिनट ।

(2) चौधरी रामचन्द्र, 6-8-71, नं० 138/268, 2 घण्टा 28 मिनट, शुक्रवार, 19 बजे ।

(3) 18-10-71, चौधरी रामचन्द्र, 145 बीघा, 138/268, 22 घण्टा 31 मिनट शुक्रवार, 3-25 बजे ।

मंत्री होने के बाद,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(4) 19-6-72, चौधरी रामचन्द्र, 145 बीघा, 138/268 बीघा, 20 घण्टा 4 मिनट बृहस्पतिवार, 11.47 बजे।

(5) 22-7-72, चौधरी रामचन्द्र, 145 बीघा, 138/268, 20 घण्टा 15 मिनट, बृहस्पतिवार, 10.21 बजे।

उनके मंत्री पद से हटने के बाद की परचियां भी हमारे पास हैं। यह पानी की वाराबन्दी हुई है। यह कहते हैं कि हम पानी का उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए आबियाना नहीं देते हैं। 7 मुरब्बा जमीन है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, इस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह आपकी समझ में देर से आयेगा। मेरे चेम्बर में आकर समझ लें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अन्त में मैं मैटीरियल टैस्टिंग डिवीजन में, जो नो प्राफिट नो लास पर चलता है के बारे में कहूंगा। आज की स्थिति में मैटीरियल टैस्टिंग आफिस शिफ्ट हो गया है। खेद के साथ कहना पड़ता है कि उसमें बिजली भी नहीं है। एक लाख की हानि हम बिजली के अभाव में दे रहे हैं। एक मैं सभापति महोदय, प्लानिंग कोआर्डिनेशन के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, दो मिनट में कहें जो आप को कहना है। मैं घंटी बजाऊंगा। कहूंगा नहीं। आप स्वयं बैठ जायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हां, मैं बैठ जाऊंगा।

प्लानिंग कोआर्डिनेशन की बात वह करते है। भरतपुर की स्थिति आप जानते है। कोटा की स्थिति आप जानते हैं। इसके अलावा जो फ्लड कण्ट्रोल बोर्ड था वह सारा का सारा तोड़ दिया गया है। क्योंकि वह कहते कि कोई बाढ़ नहीं आयेगी। इसके तोड़ने से सैंकड़ों कर्मचारियों की स्थिति बडी गम्भीर हो गई है। मौजूदा सिंचाई मंत्री श्री देवपुरा के सामने यह बात चली तो उन्होंने राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एरिया में लगा दिया। लेकिन चेयरमैन इसके लिए तैयार नहीं है। वह उनको जयपुर भेज देते हैं। जयपुर से वह वापिस हरिसिंह जी के पास भेज दिये जाते है। वह इस प्रकार की स्थिति में हो रहे है।

अब अन्तिम मिनट में हजारों कैजुअल लेबर के बारे में कहना चाहता हूं। अभी 400 कैजुअल लेबर की छंटनी की गई है। उनको रेग्युलराइज करने के लिए 59 दिन की हड़ताल हुई। राजस्थान कैनाल जगह जगह से टूट गई है। आज 400 कैजुअल मजदूरों की छंटनी करने के बाद यह स्थिति पैदा हो गई है। मेरी समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट बार बार कमिट करने के बाद उनको रेग्युलाराइज क्यों नहीं करती हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि सदन का समय 2 घण्टे और बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : सदन की अनुमति है कि सदन का समय 2 घंटे और बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय 2 घंटे बढ़ाया गया।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री रामचन्द्र चौधरी द्वारा स्पष्टीकरण

श्री रामचन्द्र चौधरी : माननीय सभापति महोदय, अभी हांडाजी ने मेरे खिलाफ आरोप लगाये हैं। कोई दूसरा आदमी होता तो शायद जवाब देने के लिए यहां पर हाजिर नहीं होता। क्योंकि इनकी आदत है, गलत आरोप लगाने की।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरी कोई आदत नहीं है। पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं होगा।

(शोरगुल व्यवधान अश्रव्य)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने जो चार्ज लगाये हैं उनको जवाब दो।

(शोरगुल-व्यवधान)।

श्री जयकिशन तोसावडा : आपको भी खामोश होकर सुनना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जब मेरे खिलाफ आरोप लगाये तो चुप रहे।

श्री सभापति : मैं माननीय उन सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं। अभी जब एक माननीय सदस्य बोल रहे थे तो उनको सभी ने शान्तिपूर्वक सुना है। जब दूसरे माननीय सदस्य पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो माननीय सदस्य मैं विनम्रता से निवेदन करूंगा कि आप उनके उत्तर को सुनें। उसके बाद जो भी माननीय सदस्यों के सामने तथ्य आयें शांति से सुनें। चाहे इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य हों या उधर के माननीय सदस्य हों, कृपया बीच में बोलने की कोशिश न करें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : माननीय सभापति जी, जैसा मैंने अभी निवेदन किया, आपने जितने इल्जाम लगाये, मैंने शांतिपूर्वक सुने, मैं एक शब्द भी नहीं बोला।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप जवाब दें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपको धैर्य रखना चाहिए और शांतिपूर्वक मेरी बात सुननी चाहिए।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : मैं दो रोज तक सुनूंगा। लेकिन आप जवाब में डेमेजिंग लफ्ज नहीं कहेंगे, न डेमेजिंग लफ्ज मैं आपको कहूंगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपने कोई डेमेजिंग बात नहीं कही। मैं ही कह रहा हूं सब।

बात यह है कि आप जानते हैं, आप कम से कम नहरी इलाके से आते हैं इसलिए आपको मालूम है कि लिफ्ट इरिगेशन में कितना खर्च पड़ता है, और नहरी पानी से कितना खर्च पड़ता है। नहरी का ज्यादा से ज्यादा 12 रुपये एकड़ है, और लिफ्ट में कम से कम डेढ़ सौ रुपया है। हम जितने इस वर्ग के किसान हैं, आप जाकर देख लीजिये, सब के सब अपने कुओं से लिफ्ट करके पानी खेतों में देते हैं। हम 10 रुपये के बजाय 150 रुपये क्यों खर्च करें, अगर हमें नहरी पानी मिलता हो। मैं ऐसा अकेला किसान नहीं हूं, दो सौ, ढाई सौ किसान ऐसे हैं जो सब के सब लिफ्ट इरिगेशन करते हैं, उनको नहर का पानी नहीं मिलता है। मैं यह बात दूसरे किसी पर नहीं छोड़ता हूं, माननीय सदस्य के ऊपर छोड़ता हूं आज ही गाडी से जायें और जाकर देख लें, मेरे खेत में एक बूंद पानी भी नहरी पहुंचता हो, या पहुंचने का

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
रास्ता हो, तो मैं आपके सामने सारी बातें कबूल कर जाऊंगा। (व्यवधान) ऐसी गलत बात।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : यह पर्चा मैंने नहीं बनाई है। यह पर्चियां मेरी नहीं हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिये।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : यह गवर्नमेंट ने बनाई हैं।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा, आप बीच में न बोलें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हमारी जमीन कमाण्ड है और कमाण्ड जमीन होने से पर्ची आती है जो कि नहरी जमीन की बनाते हैं। लेकिन नहरी पानी पहुंचने का रास्ता नहीं है, मोगा नहीं है, नहरी पानी जा नहीं सकता है, और यह मेरा अकेले का सवाल नहीं है, यह सैकड़ों किसानों का सवाल है। मेरा केस आपके सामने आया, लेकिन आप जाकर देखें, सकड़ों किसान वहां है, न वहां मोगा बना है, न नहर बनी है। वहां कुओं से लिफ्ट से उठाकर पानी देते हैं। दस रुपये की जगह डेढ़ सौ रुपये कौन खर्च करेगा अगर नहर का पानी मिलता। जो बात आपके सामने रखी है, उसके अन्दर अन्तर नहीं है। मैं कह सकता हूं, पिछले साल, रामानन्दजी ने इत्तला दी थी, मेरे खेत में मैंने बागात लगाये हैं सीलिंग से बचने के लिए। उस वक्त जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, वह वहां भागे और उसी दिन गाड़ी से रवाना होकर हनुमानगढ़ पहुंचे। मैंने कहा था, मैं चैलेंज करता हूं, मेरे खेत में एक भी फलदार दरख्त खड़ा हो तो मैं सदन छोड़ दूंगा, नहीं तो रामानन्द जी छोड़ें। वह भाग कर वहां गये, और श्री बृज प्रकाश गोयल व घनश्याम दास है, उनसे वहां पूछते हैं, बताओ, खेत में क्या है। वकीलों से पूछते हैं, भई बताओ, खेत में क्या है। मैं आपको भी कहता हूं कि आप वहां पर जाकर देख लीजिये। उनको उन्होंने कहा, आप यहां पर हैं, आप जाकर देख लीजिये। यह हालत है। जो चीज मुझ से पूछ सकते हैं, वह मुझसे पूछ लें, मुझ से क्लेरिफिकेशन ले लें। गलत बात कहने में क्या मजा आता है — मैं समझा नहीं। मेरा कहना है कि यह आदत हो गई है। यह आपका कसूर नहीं है, जिस आदमी की एक आदत होजाती है, वह आदमी उस आदत को नहीं छोड़ पाता है। वह उस पर ही चलता है। बहुत से आदमियों को, जो गलत बात कह जाते हैं, पश्चाताप होता है कि मैंने क्यों कहा। आपकी आदत हो गई है अगर सही बात आपके मुंह से निकल भी जावे तो आप सोते समय भी सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ ? यह आदत बन गई है ...

श्री सभापति : आपको जो पर्सनल एक्स्प्लेनेशन में कहना हो, वह कहिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : दूसरी बात आपने कही वह तो तीस चालीस घण्टे पानी लेने की कही। आप नाली रेंज पर जाकर देख लीजिये. किसी को पानी नहर का नहीं लगता है, न खार है, न नहर है। मैं आप पर ही छोड़ता हूं, आप जांय और देख कर आयें और कल या परसों यहां आकर बता दें। अगर मेरे खेत में नहरी पानी लगता है, तो मैं सब बातें आपकी कबूल करूंगा, नहीं तो आप कबूल करें कि गलत बातें सुन कर आप मंत्रियों के खिलाफ बात कहते हैं, यह अनुचित कहते हैं।

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

आप बांध की बात कहते हैं। वैसे इसका मंत्री जी जवाब देंगे, लेकिन वहां एक तरफ एक बांध बनाया, दूसरी तरफ पानी को बांधने के लिए बांध लोगों ने बना लिया। बांध की धारा में भी लोगों ने अपनी जमीन में बांध लगा कर पानी का बहाव रोक दिया जिससे पहले बांध को खतरा हो गया। एस० डी० एम० को लोगों ने कहा कि बीच बांध तुड़वाना चाहिए। उस समय भूतपूर्व मुख्य मंत्री बरकतुल्ला मौजूद थे, मैंने कहा कि बांध को तुड़वाया जाय। लेकिन लोग हाई कोर्ट में गये और स्टे आर्डर ले आये। इरिगेशन वालों ने बताया कि दोनों बांधों को गवर्नमेंट अपने नीचे नहीं ले लेनी तब तक इस पर कण्ट्रोल नहीं कर सकती है। आप इनसे पूछें, मेरा खेत इस बांध से कितनी दूर है। यह पास नहीं है। यह बांध बना 1970 में हमारा बना था 1964 में। यह बांध मेरी जमीन के पास नहीं है। आप ऐसी बात कहते हैं जो आपको मालूम नहीं है। और यहां वह कह दिया जो किसी ने आपको गलत इत्तला दे दी है। मैं निवेदन करूंगा कि जब भी कोई बात हो, आप पहले असर्टेन कर लें। मैं कोई दुश्मन नहीं हूं, कोई दूर भी नहीं हूं मुझसे आप पूछ लें। यहां गलत बात कहने के बजाय अगर कोई बात हो तो मुझसे पूछ लें। मैं झूठ नहीं कहूंगा, मेरी आपकी तरह आदत नहीं है।

श्री सभापति : श्रीमती निर्मलासिंह।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपको केवल पत्ते फेंटना आता है, झूठ बोलना नहीं।

श्री सभापति : श्रीमती निर्मलासिंह।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं आपके बिजली के बिल बता रहा हूं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इन्होंने मुझे झूठा कहा है। आन ए पाइन्ट ऑफ पर्सनल एक्स्प्लेनेशन....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह कहते हैं कि मैं पानी लिफ्ट करता हूं। मैं बिजली के बिल लेकर आया हूं, मैं बताता हूं कि कितने का बिल है....

श्री सभापति : एक मिनिट। आसन को आप सुन लीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बिजली का पैसा दिये बिना ही पानी लिफ्ट हो गया। मैं आपको चैलेंज करता हूं। आप कहते हैं कि मैं झूठ कह रहा हूं। आप बांध के बारे में कह रहे हैं, उस बांध से आपकी जमीन का प्राटेक्शन हुआ है, उस बांध से, पहले जो आपका मुर्गीखाना डूबता था, वह बचा है।

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं कि माननीय सदस्य ने जो भी एक्स्प्लेनेशन दिया है....

श्री केदारनाथ : No debate.

श्री सभापति : उसके बाद डिबेट नहीं हो सकती। सदन के सामने आपको तथ्य प्रस्तुत करने हैं तो वह आप सदन के पटल पर माननीय मंत्री जी को प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद अगर चाहेंगे तो माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री बुलीलाल : इनके पास तथ्य नहीं है, क्या जवाब दें।

श्री सभापति : श्रीमती निर्मलासिंह।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरे पास तथ्य हैं । मैं आप जैसा × × × नहीं हूं ।

श्री बनारसी दास : इदं या : आप सबसे बड़े × × × हो, इस हाउस में, यह मान कर चलो, खुद की हैसियत देखो । आपसे बड़ा × × × इस हाउस में नहीं है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य । बीच में न बोलें ।

मांग संख्या 45 पर अग्रेतर विचार

श्रीमती निर्मला सिंह (चित्तौड़गढ़) : हाण्डा साहब, देखिये, दूसरों को भी बोलना है । आप अपनी लड़ाई लड़ते जायेंगे, हमें बोलने का मौका कब मिलेगा ।

श्री सभापति : आप बोलिये ।

श्रीमती निर्मला सिंह : सभापति महोदय, सिंचाई पर अपने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से मैं सिंचाई विभाग, जो राजस्थान का है, उसके सम्बन्ध में कुछ सुझाव पेश करना चाहूंगी । पानी वास्तव में मानव का जीवन है और जैसे जैसे जन संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे पानी का उपयोग भी निरन्तर बढ़ता जा रहा है । अतएव, माननीय सभापति महोदय, हमें पानी के बारे में प्लान करना होगा, पानी का नियोजन करना होगा जिससे कि हम एक एक बूंद का सदुपयोग कर सकें क्योंकि आज विश्व में पानी की मात्रा है वह पूर्णतया स्थिर है । ऐसी स्थिति में हम पानी का ठीक प्रकार से कैसे उपयोग करें — इसके लिए नियोजन अभी तक नहीं किया गया है । हमें राजस्थान की स्थिति के बारे में विवेचन करना चाहिए । राजस्थान में रेतीली भूमि के गर्भ में बहुत सा जल छिपा हुआ है परन्तु इस क्षेत्र में सर्वेक्षणात्मक कार्य बहुत ही नाम मात्र को हुआ है । इसके अतिरिक्त यहां पर जो वर्षा से पानी प्राप्त होता है उस पर दृष्टिपात करें तो पता लगेगा कि राजस्थान के सब इलाके वर्षा का पानी बराबर नहीं पाते । अरावली पर्वत श्रृंखला ने राजस्थान को दो भागों में बांट दिया है, एक दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, दूसरा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है जहां क्रमशः साल में 100 मिलीमीटर तथा 10 मिलीमीटर वर्षा होती है । तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जहां 10 मिलीमीटर वर्षा होती है, वह एक तरह से अकाल का क्षेत्र हो गया है । अकाल जो है आए दिन मेहमान के रूप में आता है, मेहमान भी वह जो 10 में से 7 वर्ष रहता है, ऐसी हालत में हम अभी तक कोई स्थाई हल नहीं ढूंढ पाए हैं। अकाल का स्थाई हल ढूंढने के लिए कोई कदम नहीं उठाया । आजादी के बाद इन 26 वर्षों को देखेंगे तो पता चलेगा कि स्थाई हल के लिए जो कदम उठाए हैं क्या ये पर्याप्त हैं ? हमारी भूमि पर कृषि योग्य जो भूमि है उसमें सिंचाई की सुविधा हम केवल 17 प्रतिशत को ही जुटा पाए हैं । इसका मतलब 8,84 लाख हेक्टर्स जमीन में ही सिंचाई की व्यवस्था कर पाए हैं । ऐसी गति में यदि हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें बहुत समय लग जाएगा ।

मैं मानती हूं कि आर्थिक स्थिति से या जितने भी हमारे साधन थे उनका बहुत कुछ हमने उपयोग किया है। परन्तु फिर भी ऐसी कई नदियां हैं, जल प्रवाही उन पर ध्यान नहीं दिया है । सिंचाई की व्यवस्था जो है, इसके लिए हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना होगा । जल एक तरह से राष्ट्रीय सम्पति के समान है और जल की कमी है वहां जल पहुंचाने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को उदार

× × × ये शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये ।

(श्रीमती निर्मला सिंह)

करना होगा । इस दृष्टिकोण को हमें अपने क्षेत्रीय वाद या प्रान्तीयवाद की भावना से ही नहीं, पर उससे ऊपर उठकर मानवतावाद की दृष्टि से देखना पड़ेगा । यद्यपि हमने इस क्षेत्र में कुछ कार्य किए हैं जैसे भाखरण, माही योजना या अन्य योजनाओं पर अपना दृष्टिकोण विस्तृत किया है, फिर भी इसके साथ लगी हुई बहुत सी समस्याओं का हल नहीं हुआ है । खास तौर से विस्थापितों की समस्या जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो चुकी है, कडाना बांध के बारे में हमें अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करना पड़ेगा ताकि गरीब लोग बस सकें । तभी जो 42 प्रतिशत का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है उसकी ओर राजस्थान कदम बढ़ा पायेगा ।

राजस्थान नहर को राष्ट्रीय योजना में शामिल कराना चाहिए परन्तु उस ओर हम मंद गति से सोच रहे हैं । मान्यवर, यह योजना जोकि राजस्थान में खुशहाली ला सकती है, जन जीवन को बदल सकती है, इसकी ओर हम अभी तक क्यों नहीं सोच रहे हैं ? 1958 में यह योजना आरंभ हुई थी परन्तु इतने लंबे समय हो जाने के बाद सुचारू रूप से काम नहीं हो पा रहा है । यह योजना क्योंकि इस राजस्थान की प्यासी जमीन में एक तरह से खुशहाली ला सकती है, इस ओर सभी कार्य छोड़कर युद्ध स्तर पर कार्य करना होगा । विश्व बैंक से हमने 26 करोड़ रुपए इस योजना को पूरा करने के लिये लेने की बात सोची है । मैं इसका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि इस प्रकार धनराशि जो प्राप्त होगी उसका सही माइने में उपयोग होगा जिससे कि रेगिस्तान को नखलिस्तान में बदल सकें और विकास कर सकें । राजस्थान में जहां जहां जल प्रवाहित होता है भूमि पर उसको रोकने की हमने पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है जिससे कई जगह बाढ़ आती है और जन जीवन को क्षति पहुंचती है । मैं चाहूंगी कि राजस्थान का जो बजट है, उसमें थोड़ा सा संशोधन लायें ताकि हम अपने बजट का मुख्य अंश सिंचाई पर व्यय कर सकें जिससे हम कई प्रकार की योजनाओं को पूरा कर सकें ।

वृहत्, मध्यम व लघु योजनाएं होती हैं । सभापति महोदय, मध्यम सिंचाई योजनाओं के बारे में हमें अपना दृष्टिकोण और अधिक विस्तृत करना होगा । खास तौर से मैं चित्तौड़गढ़ के बारे में निवेदन करना चाहती हूं जहां पर दो मध्यम सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है । इनके द्वारा विकास का कार्य किया जा सकता है । इसके लिए मैंने कई बार निवेदन किया और मैं आशा करती हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष कम से कम इन योजनाओं के बारे में विचार करेंगे ।

लघु सिंचाई का कार्य जो हमने शुरू किया है, इसके अंतर्गत हमने कई प्रकार के छोटे बांध बनाये । खास तौर से अकाल राहत के समय के बांधों की ओर हमारा ध्यान गया लेकिन अभी भी सारे के सारे जहां पर अकाल राहत कार्य हुए थे, वे अधूरे पड़े हैं । अगर इस तरह से राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग करते रहेंगे तो सिंचाई कार्य या राष्ट्रीय विकास का कार्य, की ओर हम नहीं बढ़ पायेंगे । मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का ही उदाहरण पेश करूं, ऐसे बांधों का निर्माण अकाल राहत के समय शुरू हुए जैसे चित्तौड़गढ़ में विजयनगर के पास बरखेड़ी नामक गांव के पास बन्धे बांध का, जो अधूरा पड़ा है । इस कार्य में काफी पैसा

(श्रीमती निर्मला सिंह)

व्यय हो चुका है और लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं बनने का लेकिन उस ओर ध्यान नहीं दिया गया ।

लिफ्ट इरिगेशन के लिए सरकार ने बहुत कम धन दिया है । लिफ्ट इरिगेशन के जरिए उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल आदि कई प्रांतों में विकास के क्रम को बढ़ाया है तो राजस्थान में क्यों नहीं बढ़ सकता ? उत्तर प्रदेश में जब गंगा का पानी 19 मीटर डलमऊ योजना के द्वारा ऊपर उठ सकता है तो क्या बनास नदी के पानी, पार्वती नदी के पानी और गंभीरी नदी के पानी से लिफ्ट इरिगेशन नहीं कर सकते ? हमें प्राथमिकता देनी चाहिए ।

भूमिगत जल के बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया कि सर्वेक्षण कार्य बहुत कम हुआ है । हमें सर्वेक्षण कार्यों की गति को बढ़ाना होगा ताकि स्थान स्थान पर हम ट्यूबवेल्स लगा सकें और सिंचाई की योजना चालू कर सकें ।

हाइड्रोलोजिकल सर्वे कई जिलों का नहीं हुआ है । अगर यह कार्य किया जाए तो राजस्थान की प्यासी भूमि को ट्यूबवेल्स की सुविधा मिल सकती है और हम कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट और । छोटी योजनाएं या छोटे बांध जो हैं एनीकट्स वगैरह, वे हमने पंचायत समितियों को सौंप दिए हैं परन्तु पंचायत समितियां इतनी सशक्त नहीं हैं कि उनके पास आर्थिक साधन नहीं हैं कि वे उन कार्यों को पूरा कर सकें । इसलिए जो सिंचाई संबंधी व्यवस्था होती है या तो सिंचाई विभाग द्वारा की जानी चाहिए जिससे हम एक्सपर्ट्स का व्यू जान सकें या फिर पंचायत समितियों में ऐसे कुछ व्यक्ति नियुक्त किए जांय जो इस कार्य को सुचारू रूप से कर सकें, तो उसके लिए हमें बजट प्रावधान बढ़ाना पड़ेगा ।

बाढ़ नियंत्रण के लिए हमने कुछ धन राशि नियत की है परंतु बाढ़ से क्षति हर वर्ष होती है खास तौर से गंभीरी, लूनी और पार्वती में बाढ़ आती है । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो बाढ़ आई उससे सारी की सारी व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई है । गंभीरी के राइट और लेफ्ट कैनाल्स हैं, उनकी स्थिति दयनीय हो गई है, उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए । इसका एक तरह से सही हल वही होगा जब हम इन नहरों को पक्की करा दें । मैंने पहले भी कई बार निवेदन किया था और पुनः करती हूं कि यदि गंभीरी कैनाल्स को हम सीमेंटेड करवा दें तो वहां पानी अधिक लोगों को सुविधा दे सकता है और सिंचाई की व्यवस्था करवा सकते हैं । सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए खास तौर से हमें सहकारिता को प्रोत्साहन देना होगा । सहकारिता के आधार पर कई स्थानों पर सिंचाई की सुविधा जुटाई जा सकती है खास तौर से उन स्थानों पर जहां भूमि की सतह भूमि के गर्भ में पानी है वहां पर ट्यूबवेल्स लगाकर सहकारिता से कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा जहां भूमि ऊबड़ खाबड़ व रेतीली है वहां सिंचाई की सुविधा फाउण्टेन इरिगेशन द्वारा की जाये । ऐसे कृषकों को ऋण सम्बन्धी सुविधा दी जाये, ऐसे यन्त्र खरीदने के लिए। अगर हम इन स्थानों पर रहने वाले कृषकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध करायें तो संभव है कि थोड़े से पानी में, अधिक सिंचाई कर सकेंगे क्योंकि एक

(श्रीमती निर्मला कुमारी)
बूंद पा की भी कीमत है । सिंचाई और विद्युत् के संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं ....

श्री सभापति : कृपया थोड़े में ।

श्रीमती निर्मला कुमारी : अभी एक मिनट में ही समाप्त करती हूं । तो सभापति महोदय मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि सिंचाई और विद्युत का बहुत ही बड़ा संबंध है। इसके लिये इस वक्त यह सौभाग्य की बात है कि हमारे राजस्थान के विद्युत और सिंचाई मन्त्री एक ही है। यह दोनों ही विभाग एक ही मन्त्रीजी के पास हैं । सभापति महोदय, सिंचाई को बढ़ाने में विद्युत का काफी योगदान रहता है । अगर हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें किसानों को विद्युत और सिंचाई की सुविधा अधिक देनी होगी । इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि, सभापति महोदय, हमारे यहां पर बहुउद्देशीय नदी योजनायें हैं फिर भी हमने विद्युत् में अधिक प्रगति नहीं की है । आज हम बहुत कम गांवों को विद्युत दे पाये हैं । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक विद्युत और सिंचाई की सुविधायें बढ़ानी चाहिये । और अगर हम विद्युत् और सिंचाई की सुविधायें बढ़ायेंगे तभी हम अपने 43 प्रतिशत कृषि भूमि सिंचाई के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं अन्यथा नहीं। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं । इस तरह से मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगी। सभापति महोदय, वह यह है कि अगर हम राजस्थान की खुशहाली चाहते हैं तो, राजस्थान के कृषक को पहले सिंचाई सुविधा देनी पड़ेगी । वह देंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं । इसलिये राज्य सरकार को सब से पहले सिंचाई योजनाओं को पूरा करने का प्रयास करने की जरूरत है । हमें सिंचाई योजनाओं को बहुत अधिक प्राथमिकता देनी चाहिये । तभी हम प्रगति कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं । बस इतना ही मुझे निवेदन करना है ।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल ।

श्री शंकरलाल (पाली): सभापति महोदय पाली जिले में जवाई बान्ध एक बहुत बड़ा बान्ध है । यह हमारे प्रान्त के बड़े बान्धों में से आता है । और बहुत ही महत्वपूर्ण बान्ध है । यह महत्वपूर्ण बान्ध इसलिये है, सभापति महोदय, कि इस जवाई बान्ध से सिर्फ जवाई कमान्ड एरिया में सिंचाई ही नहीं होती है बल्कि इस जवाई बान्ध से जोधपुर की जनता को पीने के लिये पानी पहुंचाया जाता है । सभापति महोदय, इस सदन में कई दफा इस बारे में चर्चा हो चुकी कि जवाई से जो पानी जोधपुर पीने के लिये जाता है उससे हमारे पाली जिले में जवाई बान्ध से जो खेती होती है उसमें सिंचाई के लिये पानी की कमी आती है । सभापति महोदय, हम यह नहीं कहते है कि जोधपुर की जनता को जवाई से पीने का पानी नहीं दिया जाय लेकिन हमारे पाली जिले के ही कई गांव ऐसे हैं जहां पानी खारा है और लोग पीने के पानी को तरसते हैं। हालांकि अब कुछ गांवों में जवाई बान्ध से कुछ कच्ची नहरों द्वारा उन गावों में पानी पीने के लिये पहुंचाया जा रहा है । तो उसके लिये मेरा निवेदन है कि काफी पानी बीच में ही खराब हो जाता है । इसके लिये मैं राज्य सरकार को यह निवेदन करूंगा कि उन कच्ची नहरों को पक्की कराने की व्यवस्था करें ।

(श्री शंकरलाल)

इसके अलावा एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि जवाई बांध के साथ हमारे इधर एक साही नदी है। अगर उसके पानी को डाईवरसन कर दिया जाय जवाई नदी के साथ तो काफी समस्या हल हो सकती है। सभापति महोदय, साही नदी के डाईवरसन की स्कीम सन 68 में बन गयी थी और उसमें कोई अधिक खर्च नहीं होने वाला है। सभापति महोदय उसमें सिर्फ तीन करोड़ ही खर्च की बात है। मेरी समझ में नहीं आता है, सभापति महोदय, आपने बजट में कहा है कि इस स्कीम का काम द्रुत गति से चल रहा है और इसके लिये राज्य सरकार ने इस साल 35 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है। सभापति महोदय, बहुत ही दुःख की बात है कि पिछले साल इस स्कीम के लिये 57 लाख रुपये का प्रावधान रखा था और इस साल आपने 1974-75 में सिर्फ 35 लाख रुपये खर्च का ही प्रावधान रखा है। तो, सभापति महोदय, यह 35 लाख रुपये का खर्चा तो आप अपने स्टॉफ पर ही खर्च कर देंगे तो फिर आप इस स्कीम को क्या पूरा कर पायेंगे। 35 लाख रुपये से तो कोई उपयोगिता उस स्कीम में हो नहीं सकेगी। सभापति महोदय, साही नदी के पानी को अगर आप जवाई में डाईवर्ट कर देते तो उससे काफी लोगों को राहत मिलेगी। लोगों को पीने का पानी भी मिलेगा और किसानों को सिंचाई के लिये पानी मिलेगा। इससे उत्पादन बढ़ेगा। सभापति महोदय, यह सिंचाई और पीने के पानी के लिये राजस्थान के अन्दर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली स्कीम है इसके लिये तो राज्य सरकार को कम से कम अधिक प्रावधान रखना चाहिये था। यह कोई बहुत बड़ी स्कीम नहीं है सिर्फ तीन करोड़ रुपये का खर्चे का सवाल है। 68 में स्कीम बन गयी आप इसको जल्दी पूरा करवादें तो इसे जालोर की 4800 हैक्टर भूमि में भी खेती हो सकेगी। तो, सभापति महोदय, यह साही की स्कीम अगर आप पूरी करते हैं तो जालोर, पाली और जोधपुर इन तीनों जिलों के लोगों को राहत मिलेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस स्कीम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, वह सिंचाई के पानी के लिये। आज जवाई बांध से जवाई कमाण्ड एरिया में सिंचाई के लिये पानी दिया जाता है; इसके साथ साथ जैसा कि मैंने निवेदन किया इस जवाई बांध से जोधपुर पानी पीने के लिये जाता है। उसके लिये हमारे यहां से जो पानी दिया जाता है वह चार एम० सी० एफ० पानी है। सभापति महोदय, यह चार एम० सी० एफ० पानी जो जोधपुर पहुंचता है उसमें करीब तीन एम० सी० एफ० पानी तो रास्ते में ही वेस्ट हो जाता है। या तो वह पानी बीच में निकाल लिया जाता है या कई जगह पर नहर टूट जाने से उसकी मरम्मत नहीं होने से यह तीन एम० सी० एफ० पानी वेस्ट हो जाता है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज एक तरफ तो सिंचाई के लिये हमारे पाली जिले के काश्तकारों को पानी नहीं मिलता है, दूसरी तरफ इस तरह पानी वेस्ट किया जाता है। अगर आप पीने के लिये पानी काम लेते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन आप वेस्ट क्यों कर रहे हैं। सभापति महोदय, आज इजराइल में जहां पर कि एक एक बून्द पानी को गोल्ड की कीमत से भी ज्यादा समझते हैं वहां पर फुवारों की स्टीम से सिंचाई की जाती है लेकिन यहां पर तो पानी वेस्ट हो रहा है। तो, सभापति महोदय, मैं आपके मारफत सिंचाई मंत्रीजी

(श्री शंकरलाल)

से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दें। आज जा हमारे पाली तहसील में जवाई का पानी वेस्ट होता है उसे बन्द किया जाना चाहिये। सभापति महोदय, अगर साही नदी के पानी को जवाई के साथ जोड़ दिया जाय तो काफी सुविधायें हमारे वहां की जनता को मिलेगी। आज जो पानी जोधपुर में जाता है जवाई बांध से उसके लिये नहर बनी हुई है उसके लिये भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि वैसे तो वह सीमेन्टेड है लेकिन फिर भी कई जगहों से टूट जाने से उसे पक्का बनाया जाये। इसके साथ मेरा तो सुझाव है कि उसको नहर से पाइप लाईन लगाकर पानी जोधपुर तक जावे तो ठीक रहे ताकि पानी फालतू नहीं जाय और इससे जो पानी बचेगा वह हम दूसरे कामों में ले सकेंगे और इससे फायदे हमारे पाली जिले के लोगों को होगा। मैं निवेदन करना चाहूगा कि इससे जोधपुर वालों को पानी का आराम होगा उसके साथ में हम उस पानी से जवाई के आसपास के गांवों को पानी सिंचाई के लिये भी दे सकेंगे।

इसके अलावा एक बात की ओर मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वह है कि आज राजस्थान में कितने बांध हैं यह तो मुझे पता नहीं है लेकिन इतना जरूर कहूंगा आज हमारे राजस्थान में बांधों के पानी के लिये आये दिन झगड़े होते रहते हैं और इस सदन में भी उसकी चर्चायें उठी हैं। इसका कारण यह है कि यह पानी देने की जो प्रक्रिया है वह एकसी नहीं है। मेरा अनुभव है कि प्रति वर्ष पानी के मामले में झगड़े होते हैं। हालांकि पानी वितरण करने के लिये राज्य सरकार ने एक कमेटी भी बना रखी है। उसकी कब मिटिंग होती है यह पता नहीं लगता है। किस हिसाब से पानी वितरण किया जायेगा यह भी पता लगता नहीं। कब क्या फैसला हो जाता है यह पता नहीं लगता है। इसके लिये मैं यह निवेदन जरूर करूंगा कि हमारे यहां जो नहर और ड्रेनेज एक्ट बने हुए हैं उसके अन्दर तबदीली की जानी चाहिये। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस पानी देने की जो वितरण व्यवस्था है उसको ठीक कराया जाना चाहिये। हम उसे किस प्रकार समाजवादी बना सकते हैं यह देखने की बात है। आज आप वही प्रक्रिया जारी रख रहे हैं जो कि वर्षों से चली आ रही है। कई जगह आपने कोशिश भी की है आपके जो चीफ इन्जीनियर साहब हैं उन्होंने एक सिस्टम निकाला है। सभापति महोदय, हमारे यहां पर एक हेमावास का बान्ध है, वहां पर दस दस बीघा वाले कई लैण्ड और कुछ छोटे खेत हैं। उनके लिये अगर वह हम सिस्टम रखते हैं तो उसमें से उस काश्तकार को तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपने यहां रखा कि पर्सेन्टेज फिक्स की है, अगर कम पानी होता है तो आप 50 पर्सेन्ट पानी देते हैं। जहां तक ज्यादा जमीन हो और अगर आप 50 पर्सेन्ट पानी देते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन अगर एक व्यक्ति के पास 10 बीघा जमीन है या 5 बीघा जमीन है उसका 50 पर्सेन्ट क्या होगा? वह सभापति महोदय, 5 बीघा और ढाई बीघा जमीन होगा। उस ढाई बीघा जमीन में एक व्यक्ति क्या खेती कर सकेगा? तो मेरा निवेदन यह है कि आप कम से कम इन स्माल होल्डिंग्ज वालों के लिये तो विशेष रियायत करने की कृपा करें। दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि आपकी जो नहरी एरिया है उसमें वितरण व्यवस्था पटवारी और जिलेदार लोग करते हैं। इसके लिये मैं आपसे यह निवेदन

(श्री शंकर लाल)

करूंगा कि न सिर्फ जवाई बांध की नहरी एरिया की बात है दूसरी नहरों के इन पटवारियों के खिलाफ अक्सर शिकायतें आती रहती हैं उसकी जांच करावें। क्योंकि वास्तव में यह लोग बहुत ही गड़बड़ियां करते हैं और वहां पर नहरी एरिया में जहां भी जमीन खाली देखते हैं वहां पर खेती अपने लिये कर लेते हैं और दूसरी जगह खेतों में भी पानी देने के लिये शर्तें लगाते हैं। उसमें अपना हिस्सा भी रख लेते हैं, जिससे यह लोग काफी पैसे वाले हो गये हैं। सभापति महोदय, पाली जिले में ऐसे एक पटवारी को तो मैं खुद जानता हूं उसने लाखों रुपये की सम्पत्ति पाली में बनाली है। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि सर्विस रूल्स में कायदा है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेन्ट के पास आमदानी से ज्यादा उसकी सम्पत्ति है तो आप उसके सम्पत्ति के लिये जांच करावें और उसका एकाउन्ट फोर करावें। सभापति महोदय, यह ज्यादा गड़बड़ी आपके ऊपर स्तर पर नहीं है लेकिन ज्यादा गड़बड़ तो नीचे के स्तर पर है। जो कि पटवारी व जिलेदार लोग है वह सुपीरियर आफिसर्स चाहे जो आर्डर देते हैं वह अपनी मनमानी किये बिना नहीं रहते हैं। चाहे चीफ इन्जीनियर कोई आदेश दे, एक्सईएन कोई आदेश दे पर काम तो सारा आपका पटवारी और जिलेदार ही चलाते हैं। इन्हे ठीक करने की जरूरत है। जहां कि वह दूसरे को पानी दे सकता है। इस प्रकार की प्रणाली अपनायी जाय उससे लोगों को न्याय मिले और भ्रष्टाचार दूर हो।

दूसरा, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे जहां तक स्मरण है एक दफा सरकार ने घोषणा की थी कि जितने भी व्यक्तिगत बांध हैं, चाहे उदयपुर डिविजन में हो, चाहे मेवाड़ में हो, कहीं भी हों, आज कोई व्यक्तिगत बांध है और उनसे वह सिचायी कराता है और पैसा वसूल करता है तो यह उचित नहीं है। पाली जिले में ऐसे कुए हैं कि पांच हजार बीघा जमीन की उनसे सिंचाई होती है और लटाई करा ली। इस प्रकार जागीरदार बने हुए हैं। जागीरदारों को क्यों खत्म किया? क्योंकि बिचौलिये थे। पानी जो प्रकृति की देन है, पिपुल्स गवर्नमेंट है वह ही उसकी मालिक है और वह ही उसक ड्यूज ले सकती है। व्यक्तिगत बांध, चाहे मेवाड़ में हो और कहीं हो, नाम मैं नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े जागीरदार उनसे पानी दे रहे हैं और आधा हिस्सा लटाई का लेते हैं। यह सरकार के लिये शर्म की बात है। ऐसे व्यक्ति को किसान को लटाई देनी पड़ती है सिंचाई करने के लिये। उनको अधिग्रहण करना पड़ेगा। जागीरदारी को एक्वायर की तो ये जो व्यक्तिगत बांध हैं उनको क्यों छूट दे रखी है? सुखाड़ियाजी जब मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने घोषणा की थी कि ऐसा कानून लायेंगे कि उससे ऐसे तालाब सरकार के कब्जे में आवेंगे और सरकार ही उसकी मालिक होगी ताकि जो काश्त करते हैं उनके साथ ज्यादती न हो।

मेरे क्षेत्र की दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। बाढ़ नियंत्रण की बात कही गयी। बाढ़ नियंत्रण में क्या क्या कार्य किये और कहां कहां बाढ़ आयी। ताज्जुब है सभापति महोदय, पाली जिले जैसी जगह सुरक्षा दीवार बांडी नदी की बाढ़ से बरबाद हो गयी। प्रोटेक्टेड दिवार के लिये 8 लाख स्वीकृत हुए। न मालूम किस ठेकेदार को वह काम दिया गया कि सीमेन्ट में बजरी और ऐसा सामान गलत लगा दिया कि उसके लिये सरकार से पूछना चाहूंगा कि किस ठेकेदार को उसका ठेका दिया गया। 8 लाख रुपया खर्च हो गये कितना काम हुआ और उसकी क्या उपयोगि

(श्री शंकरलाल)
हुई ? सुरक्षा दिवार बाढ़ आयी और टूट गयी और कहीं नाम तक नहीं उसका। आप पिछली दफा पाली पधारे थे तब उसका निरीक्षण किया था। अब यह कब पूरी होगी। सुरक्षा दिवार यदि बरसात से पहले पूरी नहीं होगी तो आपको इस पर पैसा लगाना ही व्यर्थ है। इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि इतना ही नहीं, पाली जिले में जगह जगह जैसा इसमें छोटे-छोटे बांधों के लिये बताया गया, 75 बांध ऐसे थे जो टूट गये। जो भी टूट गये हैं उनकी सूची मंगाकर देखिये। किसी जगह 75 हजार रुपया लगा दिया, पांच हजार रुपया लगाना बाकी रह गया. वह नहीं लगायेंगे तो आने वाले वर्ष में वह लगा हुआ पैसा ही बेकार जा सकता है। बाढ़ से टूटे हुए अधूरे काम हैं उनको पहले लिया जाय जिससे कि पैसे का सदुपयोग हो और लोग फायदा उठा सकें।

अन्त में, सभापति महोदय, अधिक न कह कर इतना ही कहना चाहूंगा कि सिंचाई के तावान लगाये गये हैं किसानों के ऊपर। संवत् 2018 से 2027 तक हजारों रुपये के तावान किसान के ऊपर लगाये गये हैं और बाकी हैं हजारों रुपये। यह किसानों की गलती से नहीं है। यह पटवारी और इरिगेशन विभाग की गलती की वजह से है। पहले कहा कि इतना ही पानी मिलेगा। किसानों ने कहा कि पानी बांध में है, फसल सूख रही है, इसलिये पानी अभी दिया जाय। इस प्रकार समय पर उन लोगों ने निर्णय नहीं लियें। पटवारी पानी नहीं छोड़ता है और काश्तकार पानी ले लेता तो पटवारी कहता है कि क्यों लिया। वह कहता कि फसल सूख जाती नहीं लेता तो। ऐसे मामलों को गहराई से देखा जाय तो आपको मालूम होगा कि किसानों ने राष्ट्र के लिये अच्छा काम किया है पानी लेकर अन्यथा उनकी फसल सूख जाती। आप समय पर पानी देते नहीं और काश्तकार पानी लेता है तो आप उस पर ऊपर से तावान लगाते हो।

दूसरी बात यह है कि छोटे 2 काश्तकार पानी की आपस में अदला बदली कर लेते हैं। पांच बीघा में पानी मिलता है वह उस जगह लेना चाहता है जहां उसकी वह उपयोगिता समझता है और आप उसको ट्रान्सफर कर दीजिये जहां उसकी उपयोगिता वह समझता है। यह इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा अलाऊ भी किया है। पहली बार आप इसको अलाऊ करते हो तो इसके लिये नीति भी बनानी पड़ेगी। अदला बदली की अनुमति देते हैं तो कन्ट्रोल भी करना पड़ेगा। पानी तो दे दिया और फिर तावान लगाये यह किस बात के ? पाली तहसील में सैंकड़ों किसानों पर हजारों रुपये की रकम के तावान हैं पेंडिंग इसलिये कोई प्रणाली निकाल कर उनके साथ न्याय किया जाय ताकि हमेशा के लिये ऐसी बात समाप्त हो जाय।

श्री सभापति : श्री नानालाल।

श्री नानालाल (राजसमंद) : सभापति महोदय सिंचाई की मांग पर चर्चा के समय मैं भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सभापति महोदय, राजस्थान में 80 पर्सेन्ट लोग कृषि के आधार पर निर्भर हैं। सिंचाई ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिये। राज्य सरकार भी इस ओर अधिक ध्यान दे रही है।

मैं राज्य सरकार का उन बांधों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जिन बांधों के लिये उनकी ओर से किस प्रकार से ढिलाई बरती जा रही है। मेजा फीडर के सम्बन्ध में मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं। 72-73 में इस योजना को शुरू किया 11 लाख

(श्री नानालाल)

15 हजार रुपया खर्च किया। अब उसके बाद 73-74 में 27 लाख खर्च किया गया और इस वर्ष 13 लाख खर्च कर रहे हैं। इस प्रकार की शिथिलता से कार्य करने से योजनायें पूर्ण नहीं हो पाती हैं। इसलिये मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो कार्य करने हैं, उसे जल्दी कर दिया जाय ताकि जो पैसा है वह बरबाद न हो।

मैं पोंग बांध और कडाना बांध के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। जिस प्रकार पोंग बांध में आये हुये लोगों को राज्य सरकार मुआवजा देती है और जमीन के बदले जमीन दी जा रही है तो मेरा सुझाव है जिनकी जमीनें कडाणा बांध की डूब में आई हैं उनको जमीन के बदले जमीन देनी चाहिये। और उसी नहरी क्षेत्र में दी जाय। इसमें राज्य सरकार को पूर्ण जोर लगाना चाहिये। आप अगर उनको जमीन का मुआवजा पैसों में देंगे तो आप जानते हैं पैसा तो बच नहीं सकता है, क्योंकि भीलों और आदिवासियों के पास पैसा किसी भी रूप में चला जाता है। वे लोग शराब या अन्य कुव्यसनों में बरबाद कर देते हैं और उसके बाद राज्य सरकार को उनकी व्यवस्था के बारे में सोचना पड़ता है। मैं आपकी मारफत मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो जमीन उनकी जायेगी उसके बदले जमीन दिलाने की व्यवस्था करेंगे तो बहुत बड़ा उपकार होगा।

मैं कुछ कमाण्ड एरिया के बारे में रेलमगरा की बात बताता हूं। जो कमाण्ड एरिया में जमीन नहीं आई, उनको पानी तो मिलता जा रहा है। गत वर्ष किसानों को परेशानी हो गई। मैं ऐसे गांवों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जिन गांवों की जो जमीन कमाण्ड एरिया में आने योग्य है और जिनको पानी बराबर मिल रहा है उसको कमाण्ड एरिया में लेने की कृपा करेंगे तो बड़ा उपकार होगा।

मैं इसी सम्बन्ध में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। जो एनीकट्स के उपयोगी स्थान हैं वहां एनीकट्स बन जायेंगे तो काफी किसानों को राहत मिल जायगी, सिंचाई की काफी सुविधा हो जायगी। बनास नदी के बारे में एनीकट्स के लिये निवेदन कर चुका हूं। अगर बनास नदी पर एनीकट बन जाय तो पूरी तहसील रेलमगरा को फायदा मिल जायगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा इस ओर ध्यान देने की कृपा करें।

बाढ़ नियंत्रण के लिये जो व्यवस्था की जा रही है, उसके लिये भी मैं सुझाव देना चाहता हूं। कुंवारिया में मुख्य मंत्रीजी देखकर आये थे। बाढ़ से काफी मकानों का नुकसान हुआ है। जितनी सम्पत्ति थी वह बह गई। उनको मुआवजे के रूप में 150-150 रुपये मिले है। क्या उससे उनकी पूर्ति हो जायेगी। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा इस ओर ध्यान दिया जाय और कम से कम पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको अधिक सुविधा दिलाई जाय तो अधिक उपयुक्त होगा।

मैं कुरज के बारे में निवेदन करूगा। सरकार बाढ़ नियंत्रण के बारे में काफी योजनायें बना रही है। बाढ़ के नियंत्रण के लिये हमको क्या क्या कार्य करना चाहिये वह कार्य नहीं हुये हैं। मैं कुरज गांव की बात कहना चाहता हूं, एक ओर नाला है और एक ओर नदी है। बाढ़ आ जाती है तो वहां के लोग

(श्री नानालाल)

बाहर नहीं निकल सकते हैं तो कम से कम गांव की बाढ़ रोकने के लिये दोनों तरफ दिवारें बन जायं तो बाढ़ से बचा जा सकता है। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं बाढ़ को रोकने के लिये आप बरसात के पहले कार्य शुरू कर देंगे तो लोगों को संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। गांव में जाने के लिये उस नाले को पार करके जाना पड़ता है। कम से कम उस पर पुलिया बन जानी चाहिये। यह पी० डब्ल्यू० डी० का काम हो सकता है लेकिन बाढ़ के रूप में इस काम को लिया जा सकता है। वहां स्कूल है, विकास पंचायत समिति का दफ्तर है, पोस्ट आफिस है, परिवार नियोजन केन्द्र है, कन्या शाला है। उस ओर जाने के लिये नाले को पार करके जाना पड़ता है इसलिये माननीय मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा।

मैं कुछ अलाटमेंट के बारे में भी अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। जितने बान्ध बन रहे है अन-कमान्ड एरिया में जो अलाटमेंट किया जा रहा है उसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के किस प्रति शत से अलाटमेंट किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय जब अपना जवाब देंगे उसमें यह बतायेंगे कि उन लोगों को किस अनुपात से अलाटमेंट किया गया है। अगर निश्चित प्रतिशत के हिसाब से अलाटमेंट नहीं किया गया है तो क्या अब जहां जहां जमीन कमान्ड एरिया की है उसमें उन्हें देना चाहते है या नहीं? अगर ऐसा विचार करेंगे तो वाकई इन लोगों को बहुत ही सुविधा मिलेगी और उनके लिये एक अच्छा अवसर प्रदान होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : सभापति महोदय, सिंचाई की मांग के दिन मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, पानी राजस्थान के लिये बहुत बहुत बहुमूल्य वस्तु है और पानी का उपयोग एक एक बून्द का ठीक ढंग से करना आवश्यक है। आज जितनी सिंचाई योजनायें बनती हैं, उन सिंचाई योजनाओं के लिये हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हमारी नहर केवल कच्ची न हो, लाइनें की जानी चाहिये, डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वह किया जाना चाहिये। वाटर बोर्ड से कह कर अगर पक्की करायेंगे तो पानी की सीपेज से उसका और अधिक सिंचाई के लिये उपयोग कर सकते हैं।

राजस्थान केनाल के लिये वहां पर वर्ल्ड बैंक की ओर से इस बात का प्रयास किया जा रहा है कुछ एरिया की भूमि को समतल करने के लिये, पक्का करने के लिये कुछ प्रावधान किया जाय। मुझे खुशी है, राज्य सरकार ने इस बार बराबर सचेष्ट होकर कार्य किया है। आज ही मालूम हुआ है वर्ल्ड बैंक ने 26 करोड़ रुपया इस बात के लिये मंजूर किया है, मैं समझता हूं इस काम को पूरा करने के लिये राज्य सरकार को इस बात की आवश्यकता है कि लैन्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना की जाय और वाटर चेनल्स को पक्का करने का काम तत्परता से किया जाय।

इसके साथ, सभापति महोदय, राजस्थान

(श्री भीमसेन)
केनाल की जो वाटर इन्टेनसिटि है वह 110 प्रतिशत है। इस बात को माननीय सदस्य और सरकार मानेंगी। एक तरफ एक व्यक्ति को बहुत बढ़िया कपड़ा मिलता है और दूसरे व्यक्ति को मोटा कपड़ा भी नहीं मिले। इसी प्रकार ईरिगेशन प्रोजेक्ट की कहीं 60 प्रतिशत, कहीं 70 प्रतिशत और राजस्थान केनाल में 110 प्रतिशत कर रहे हैं। इसमें मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन जितना एरिया ईरिगेशन के लिये मिल रहा है, जितनी सूखी जमीन है और अकाल की समस्या आये दिन रहती है, क्या ऐसे एरिया को प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिये ? मैं समझता हूं और भी ईरिगेशन स्कीम्स लेनी पड़े, जो ड्राट एरिया है, अकाल पड़ता है, उस इलाके को पानी दिया जाना बहुत आवश्यक है जिससे पानी का समाधान हो। हमारी राजस्थान की जनता पानी की समस्या से भयानक रूप से पीड़ित है। अगर हमें कुछ करना है तो जो भी पानी उपलब्ध है, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, उसको मैक्सीमम यूटिलाइज करें। तो मैं चाहता हूं राजस्थान केनाल की इनटेनसिटि जो 110 प्रतिशत कर रखी है, क्या राज्य सरकार इस बात पर विचार नहीं कर सकती है कि उसको 80 प्रतिशत, 90 प्रतिशत करके और इलाकों को पानी दे सकें। मैं समझता हूं इसके बारे में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये।

इसके साथ साथ हमारे राजस्थान केनाल में जो भी जमीन काश्तकारों की डूब में आई है, चाहे मेन केनाल में है, चाहे डिस्ट्रिब्यूशन के सिस्टम में हो, उनको आज तक न किसी को मुआवजा दिया गया है और न उनके लिए जमीन के बदले जमीन दी गई है। उनकी जमीन डूब में आ चुकी है। उनको आज तक पत्र भी नहीं दिया गया, मुआवजे का तो प्रश्न ही नहीं है। इसके बारे में सरकार को विचार करने की आवश्यकता है।

इसके साथ साथ पिछली साल भी सदन में चर्चा हुई थी कि पोंग डैम नीयत समय से अधिक विलम्ब से बनाया जा रहा है और इससे हमारे राजस्थान को जो पानी मिलता उसमें बहुत विलम्ब होता है। पंजाब और दूसरी जगह या पाकिस्तान में वह पानी जा रहा है जिस पानी को राजस्थान के डवलपमेन्ट के काम में ला सकते हैं, यहां की पैदावार बढ़ाने के काम में ला सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस संबंध में हमारा पोंग डैम बन जायेगा लेकिन हमें केनाल कन्सट्रक्शन के बनाने में अभी कई वर्ष लगेंगे। जिस तरह से फण्ड्स उपलब्ध हो रहे हैं राजस्थान केनाल के लिए, सभापति महोदय मुझे सन्देह है कि इस केनाल के बनने में और 15-20 वर्ष लगेंगे। 15-16 साल तो हो गए बनते और 15-20 वर्ष और लगेंगे। तो यह केनाल जिसके लिए कल्पना की थी कि यह प्रोजेक्ट बड़ा इकानामिक प्रोजेक्ट होगा वह अनइकानामिक हो जायेगा। तो मैं समझता हूं कि इस केनाल के कन्सट्रक्शन के लिए कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया इसके बारे में यह जितना जल्दी प्रोजेक्ट पूरा हो उतना जल्दी ही लाभ मिल सकता है और इस संबंध में हमारी राज्य सरकार प्रयत्नशील है और अधिक प्रयत्नशील रहने की आवश्यकता है।

राजस्थान केनाल में जो फर्स्ट स्टेज का एरिया है उसमें मण्डी डवलपमेन्ट के संबंध में कोई तत्परता नहीं दिखाई गई है। कहां कहां मण्डियां बनेंगी उसके बारे में सरकार अभी सक्रिय नजर नहीं आती। तो मैं समझता

(श्री भीमसेन)

हूं कि जहां जहां फसल आनी शुरू हो गई है उन फसलों को अच्छी तरह से काश्तकार अपनी मण्डी तक ला सकें और उनका ठीक तरह से मार्केटिंग किया जा सके इसके लिए न तो सड़कें बनाई गई हैं और न मण्डियों के संबंध में किसी प्रकार का विचार किया गया है। तो मैं समझता हूं कि मण्डी डवलपमेन्ट के संबंध में भी राज्य सरकार को सक्रियता से विचार करना चाहिए।

इसी के साथ साथ मैं एक जिक्र कर रहा था कि पोंग डेम बनाने में देरी हो रही है, और केनाल कन्सट्रक्शन में देरी हो रही है, लेकिन पोंग डेम के बारे में अभी मालूम हुआ है कि जून या सितम्बर तक यह बनकर तैयार हो जायेगा और 12 मासी पानी पेरेनियल वाटर राजस्थान केनाल से मिलने लग जायेगा। लेकिन हमारी राजस्थान को सरकार की तैयारी नहीं है कि जो पानी उपलब्ध हो जायेगा उसका हम किस तरह से उपयोग कर सकेंगे। मैं, सभापति महोदय, सुझाव देना चाहता हूं कि हमारी जो राजस्थान की लेफ्ट बैंक की साइड है और जहां रेतीले टीबे हैं उनको वेजीटेशन से कवर कर सकें, चरागाह विकसित कर सकें और दो तीन वर्ष तक, जब तक राजस्थान केनाल बनकर पूरी नहीं हो जाती, तब तक जो सरप्लस वाटर है उसको हम राजस्थान के बीकानेर जिले और जैसलमेर जिले में जो टीले हैं उनमें वेजीटेशन देने के लिए उसका उपयोग ला सकते हैं। कम से कम फर्स्ट स्टेज में बायां किनारा है उसकी तरफ तो अधिक पानी का उपयोग कर सकते हैं तो इस संबंध में हमारी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है।

इसी तरह से, सभापति महोदय, लिफ्ट केनाल है उसकी गति भी बहुत धीमी है। लिफ्ट केनाल के जो पम्पिंग स्टेशन हैं उनको भी लिफ्ट केनाल के बारे में सरकार ने प्रयास किया था कि अक्टूबर तक तो यह लिफ्ट केनाल पूरी हो जायेगी लेकिन अभी ऐसा मालूम हो रहा है कि जिस गति से काम चल रहा है अभी दो तीन वर्ष और लग जायेंगे। तो मैं समझता हूं कि हमारी लिफ्ट केनाल जो लिफ्ट वाटर पहले से ही बहुत मंहगा होगा और इस केनाल कन्सट्रक्शन को जितनी देरी से करेंगे उतने ही ओवरहैड चार्जेज और बढ़ेंगे और इससे काश्तकारों की कमर टूटेगी। तो मैं समझता हूं कि इस लिफ्ट केनाल का काम तत्काल पूरा किया जाना चाहिए और फर्स्ट और सैकिण्ड स्टेशन लगे जाते हैं तो लिफ्ट केनाल का जो मेजर काम है वह पूरा हो जाता है। सैकिण्ड पम्पिंग स्टेशन तक जो पानी आता है उसमें हमारे 80 हजार एकड़ की जमीन की सिंचाई हो सकेगी और मैं समझता हूं कि दो पम्पिंग स्टेशन और डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को अगर कम्पलीट कर लेते हैं एक साल में तो मैं समझता हूं कि लिफ्ट केनाल का बहुत बड़ा काम पूरा हो जाता है। इसके संबंध में सरकार को तत्परता बरतने की आवश्यकता है।

इसी तरह से लूनकरणसर के पास कालोनाइजेशन विभाग के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि लूनकरणसर में छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन वहां जमीन उपलब्ध नहीं है। तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, कि लूनकरणसर-विजयनगर की रोड है उसके बायीं तरफ सरकारी जमीन पड़ी है। उस जमीन को छोटे छोटे उद्योगों

(श्री भीमसेन)

को देने के लिए उद्योग विभाग को स्थानान्तरित कर दी जाये तो मैं समझता हूं कि काफी उद्योग वहां पर लग सकेंगे।

इसी तरह से वर्कचार्ज एम्पलाइज राजस्थान केनाल पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्कचार्ज एम्पलाइज राजस्थान केनाल में हैं उनके साथ जिस तरह का मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए वह नहीं हो रहा है। उनकी सर्विसेज बारबार ब्रेक कर दी जाती हैं। उनको इसके लिए आन्दोलन करना पड़ता है और फिर उनको सरकार लगाती है। तो मैं समझता हूं कि सरकार की पालिसी के रूप में नीति निर्धारण करने की आवश्यकता है और जो कर्मचारी दस, पन्द्रह वर्षों से काम कर रहे हैं, एक जगह काम खत्म होता है तो उनको ओटोमेटिक जहां दूसरी जगह काम चल रहा हो वहां ट्रान्सफर करना चाहिए जिससे उनका वह आन्दोलन खतम हो जाये और मजदूर जो कार्य कर रहे हैं वह भी मेहनत से कार्य कर सकें। तो मैं समझता हूं कि यह जो सुझाव मैंने सरकार के सामने दिया है उसके ऊपर सरकार विचार करे।

एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे कालोनाइजेशन विभाग की ओर से छतरगढ़ ठिकाने के पुराने काश्तकार थे उनको ठिकाने की तरफ से जमीन मिली थी लेकिन कालोनाइजेशन विभाग ने बिना नोटिस दिये उन काश्तकारों से जिनको संवत् 2017 और 2019 में जमीन मिली थी उनसे ले ली। यह काश्तकारों के ऊपर बड़ा अन्याय हुआ। काश्तकार हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने भी कहा है कि यह जो काश्तकार हैं यह ट्रेसपासर्स नहीं हैं और इसके बारे में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह काश्तकार जो कि ड्राट एरिया के हैं उनको कम से कम मानवीय दृष्टिकोण से टेनेन्सी एक्ट में संशोधन करने से धारा 15 (ए) इन्सर्ट करने की वजह से खातेदारी राइट्स एक्रू नहीं होते हैं तो जो जमीन काश्त करने का अधिकार है उससे आप उनको वंचित नहीं कर सकते। इसलिए राज्य सरकार को इन काश्तकारों के बारे में सोचने की आवश्यकता है कि उन काश्तकारों को कम से कम एक एक मुरब्बा प्रत्येक पांच व्यक्ति के पीछे दें। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस बारे में सहानुभूति पूर्वक विचार करे।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र पटेल।

श्री रामचन्द्र पटेल : सभापति महोदय, मैंने सिंचाई से संबंधित कट मोशन प्रस्तुत किये हैं उनके बारे में कुछ निवेदन करूंगा सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र दौसा में एक झिलमली का बांध है उसकी एक छोटी ब्रांच दस साल पहले शुरू हुई थी लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण वह किसानों के लिए दुखदायी हो गयी। इसके बारे में निवेदन करूंगा कि जब भी उस ब्रांच को निकालने की स्वीकृति हुई होगी तो ओवरसीयर और इन्जीनियर ने देखा होगा। यह ध्यान नहीं दिया गया कि इस ब्रांच के बीच में एक नाला आता है और उसका पक्का इन्तजाम नहीं किया तो इससे पिलाई कैसे हो सकेगी। इसके लिए मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। उस ब्रांच को निकाले दस साल हो गए और इस ब्रांच के लिए एक छोटासा नला कीच करता है जिससे हर साल पहली बरसात

(श्री रामचन्द्र पटेल)
के अन्दर ही, पहली बरसात में ही ब्रांच टूट जाती है। वह ब्रांच को तोड़ देती है और फिर बाद बरसात जाने के अक्टूबर के महीने में काम शुरू करने की तैयारी होती है और किसान अपनी जमीन को तैयार नहीं कर पाते हैं। इस बारे में कई बार लिखा पढ़ी भी की गई कि अक्टूबर से काम शुरू होकर नवम्बर तक सरकार काम करा कर इसको तैयार करवा दे ताकि किसान जमीन पर खेती वगैरा कर सकें। लेकिन बाद में, जब इसको बांधा जाता है तो गवर्नमेंट का हर साल हजारों रुपया लगता है; और बांधने के बाद जब बरसात आती है तो उसमें मिट्टी जमजाती है और वह फिर टूट जाता है। कई दफा तो खेतों में पानी पहुंचने के बाद टूट जाता है। पहली बरसात हुई उससे ही टूट गया। उसके जाने से इतना नुकसान होता है, कि न तो समय पर पानी दे सकते हैं और न किसानों की समय पर बुवाई होती है। किसानों की फसल सूखती रहती है और उसका नतीजा यह होता है कि हर साल गवर्नमेंट का हजारों रुपयों का नुकसान होता है। जब कि मैंने काफी लिखा पढ़ी की लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है और सरकार का पैसा जो लगता है उसका भी दुरुपयोग हो रहा है।

इसी तरह छोटी सी ब्रांच के एक साईड में किसानों की आबादी है एक तरफ किसानों के कुए हैं, चाही जमीन के खेत हैं और किसानों को अपने खेतों पर जाने के लिए, सुबह चार बजे जब वे अपनी महिलाओं के साथ और अपने बच्चों को लेकर जो खेती पर काम करते हैं, उनको लेकर उस पानी में से होकर सर्दी में चार बजे जाना पड़ता है। सभापति महोदय, हर साल अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया कि जब किसानों का यहां आवागमन है और आम रास्ता भी है, और किसानों को अपने खेतों पर जाना पड़ता है तो एक छोटी सी पुलिया बना दी जाय लेकिन दस साल में भी एक छोटी सी पुलिया नहीं बन पाई है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे कामों के लिए मंत्री महोदय तुरन्त ही आदेश प्रदान करेंगे। इस तरह के छोटे से काम के लिए सदन का समय खराब होता है, ऐसे मसलों को तो अधिकारियों द्वारा ही हल कर लेना चाहिए। लेकिन क्या करें जब तंग आ गए तो सदन के अन्दर बात लानी पड़ी है और सदन का मुझे भी समय लेना पड़ा है। जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है, मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा अनुमान तो यह है कि दो साल में उसकी टूटी हुई ब्रांच को दुबारा तैयार करने में खर्चा होता है उतने में तो इसको पक्का किया जा सकता है। दो साल के खर्चे से पूरी हो जाय तो बारिश के अन्दर तैयार रहे। इसलिए इस तरह की व्यवस्था कराई जावे। जो आम रास्ते में रुकावट होती है और दस साल में पुलिया नहीं बन पाई है, किसानों को सर्दी में अपने बाल-बच्चों को और महिलाओं को और बैलों को लेकर जाना पड़ता है।

इसी सम्बन्ध में बांध झिलमिली के नया-गांव माइनर पर साइफन व पुलिया बनाने की बात है। इसकी मोरी से लगी हुई चार किसानों की जमीन है। उन चार किसानों की जमीन तो कुछ नीचे में है और मैन केनाल निकाली गई है खेत से समकक्ष, ऊंचाई पर है। यह बांध झिलमिली सन् 51-52 के आसपास बनाया गया था।

(श्री रामचन्द्र पटेल)

वहां किसानों के चार परिवारों की जमीन है और वहां से नहर चली गई है जिसका पानी झरने से उनके बिलों में खार पैदा हो जाता है और लगातार पानी झरने से उनकी जमीन लगातार अनउपजाऊ हो गई है। आज किसानों को जीने के लिए कोई तरीका नहीं रह गया है कि वे किस तरह से अपने बाल-बच्चों का पालन कर सकें। कहने के लिए बात छोटी सी है लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी जमीन खराब होने से भले ही राजस्थान की बहुत तरक्की हो गई हो लेकिन उन चार आदमियों के लिए तो यह तरक्की किसी काम की नहीं है। मैं आपसे सही निवेदन करता हूं कि उन चार किसानों की जमीन उस बांध की मोरी से लगी हुई है और ज्यादा से ज्यादा एक फर्लांग खेत के पास से जाती है। इस बारे में कई दफा लिखा-पढ़ी भी की गई लेकिन उस एक फर्लांग को भी पक्का नहीं कराया गया। अगर इसको अब भी पक्का करा दिया जाय तो उन चार किसानों के बाल-बच्चे बच सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी अधिकारी मौके पर जाकर देख सकता है और रिपोर्ट कर सकता है। शायद आज तो वहां पर जितना बीज बोते हैं उतना बीज भी पैदा नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा खर्चा करके इसको पक्का करने का आप आदेश फरमायें।

इसी तरह से मेरे क्षेत्र में चूडीयावास का बांध था। जिस समय यह बंध बंधा था उस समय जितनी पिलाई होती थी मैं समझता हूं कि अब शायद तीस परसेंट से ज्यादा पिलाई नहीं होती होगी। इसका कारण यह है कि पानी के प्रवाह से इतनी मिट्टी आ गई है कि वह बांध करीब करीब भर चुका है और इसके बारे में मैंने अधिकारियों को, सिंचाई विभाग को, लिखा-पढ़ी की लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरा निवेदन है कि अगर उसकी ऊंचाई चार फुट और करा दी जाय तो जितनी पिलाई पहले होती थी उतनी पिलाई हो सकती है और किसानों को जमीन के लिए दुबारा पानी मिल सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको चार फुट ऊंचा करने की कृपा फरमायेंगे।

इसी नहर से नया गांव माइना पर साइफन व पुलिया बनाना है जिसके बारे में मैं फिर से निवेदन करूंगा कि उसको इसी साल तैयार करवाया जाय, नहीं तो हर साल जिस तरह से नुकसान होता है और गवर्नमेंट का पैसा जाया होता है, वैसे ही होता रहेगा और किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। पुलिया वाली जो समस्या है और उससे ग्रामवासियों को जो तकलीफ है उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि लोगों की तकलीफ को ध्यान में····

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

रखते हुए बहुत जल्दी पुलिया का निर्माण कराया जाय, यही मैं निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : सभापति महोदय, मेरे कटौती के कुछ प्रस्तावों का तो पहले ही मुख्य मंत्री जी जवाब दे चुके हैं इसलिए मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कह कर इरिगेशन के बारे में निवेदन करूंगा।

सभापति महोदय, पहले बजाज सागर बांध के बारे में निवेदन करूं कि बजाज

(श्री माथूराम)

सागर बांध का करीब 13 साल से निर्माण कार्य चल रहा है। हर साल में प्रशासन, स्टाफ आदि पर जो खर्चा है उसका मूल्यांकन किया जाय। इसके निर्माण कार्यों पर जो खर्चा हुआ है और अन्य खर्चे हुए हैं उनका मूल्यांकन किया जावे तो उसको देखते हुए बहुत ही कम पैसा खर्चा हुआ है। बजाज सागर बांध में कई अनियमितुतायें हैं। मैं विशेष निवेदन नहीं करते हुए यही कहता हूं कि बजाज सागर बांध में जहां करोड़ों का प्रोजेक्ट है, 13 साल में मेन डेम का काम भी संतोषजनक नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह इतना बड़ा करोड़ों का प्रोजेक्ट है और उसमें जो शिथिलता है उसको दूर करके जल्दी से जल्दी काम आरम्भ कराना चाहिए ताकि जो हमारी सरकार और भारत सरकार का जो पैसा खर्चा होता है उसका सही उपयोग होवे। वैसे इस बजाज सागर बांध के सिलसिले में पहले भी कई तरह के, सीमेंट, फर्नीचर वगैरा और टिन्स के बारे में, सामान की खरीद के बारे में, आरोप लगाए गए थे और आज उसका मूल्यांकन किया जावे तो पिछले सालों में जो खर्चा हुआ और उसका आज मूल धन और सूद को जोड़ा जाय तो हमारे हजारों रुपयों का दुरुपयोग मिलेगा। कई तरह के पिछले समय आरोप लगाये गये लेकिन सरकार की तरफ से जांच नहीं हुई। इसलिए इनका मूल्यांकन करके अगर सही जांच होती तो लाखों रुपयों का घोटाला मिलता। पिछले समय में मैंने इस विषय में कई बातें आपके सामने रखी थी। मेरा तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप बजाज सागर जो करोड़ों का प्रोजेक्ट है, आपको एक दो दिन का समय निकाल कर इस प्रोजेक्ट को देखना चाहिए। और जब तक सही जांच नहीं होगी तब तक इस के निर्माण कार्य में शिथिलता रहेगी उसमें कई कर्मचारी पहले ऐसे रखे गए हैं। उन बातों पर मैं आरोप नहीं लगाता लेकिन आज भी ओवरसियर, ए० ई० एन० वगैरा बाहर से आते हैं तो अपने साथ में एल० डी० सी० या और कर्मचारी, छोटा मोटा काम करने वाले कार्यकर्ता बाहर से लाते हैं और उनको वर्कचार्ज पर लगा दिया जाता है। बाद में उनका नाम लिखवा कर उनका वहां पर अपाइन्टमेन्ट कर दिया जाता है। वैसे डिस्ट्रिक्ट एम्पलॉयमेन्ट कमेटी में जिलाधीश महोदय की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया था कि माही प्रोजेक्ट में जितने बाहर के आदमी लगाये गये हैं जो कि टेक्नीकल नहीं है, एल० डी० सी० या अन्य काम करने वाले हैं उनको गवर्नमेन्ट जल्दी से हटा दे। कारण यह है कि वहां वे एम्पालॉईमेन्ट के द्वारा नहीं आये हैं। बाद में उनके नाम लिखवा कर उनका नाम वहां पर रखवा कर नियुक्त कर लिया गया है। बांसवाड़ा जिले में हजारों की तादाद में मैट्रिक से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट आदिवासी युवक इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। माही सागर प्रोजेक्ट में उनको नहीं रखा जा रहा है। धांधली हो रही है। वहां पर बाहर के लोगों को रखा जाता है लोकल व्यक्तियों को नहीं रखा जा रहा है। जब कि हजारों की तादाद में वहां पर पढ़े-लिखे लोग हैं, बैरोजगार हैं। उनको एल० डी० सी०, यू० डी० सी० या वर्क चार्ज के कार्य पर लगाया जाना चाहिये ताकि वहां की बैरोजगारी की समस्या हल हो और काम भी चलता रहे। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि माही डेम में जो काम करने वाले हैं वहां पर लोकल व्यक्तियों

(श्री नाथूराम)

को लगाया जाना चाहिये और यह जब मंत्री महोदय जवाब दें, बता दें। वहां पर किसने बाहर के आदमी लगे हुए। इस प्रकार से पक्षपात हो रहा है, अनियमितता हो रही है। राज्य सरकार की तरफ से जो खर्चा होता है उसकी सही जांच नहीं होती है पिछले समय जो घोटाला था, इस बार उम्मीद करता हूं कि कम होगा। फिर भी जांच करने की जरूरत है। वहां पर लाखों रुपयों का सामान है। उस सामान का दुरुपयोग पिछले समय भी हुआ था।

बजाज सागर बांध से प्रभावित क्षेत्र के लोगों का अभी पुर्नवास नहीं हुआ है। गुजरात से पैसा आएगा और पुर्नवास करेंगे वहां के लोगों का। राजस्थान सरकार को इनका पुर्नवास करना चाहिये। कुछ जमीन वन विभाग से निकाली है। परसों मीटिंग में मैं भी गया था राजस्थान सरकार को पुर्नवास करना है। कुछ शुरुआत की है परन्तु लोगों को नहीं बसाया गया है। बांध का काम पिछले 13 साल से हो रहा है। अभी तक वहां के काश्तकारों को बसाने के लिए ठोस कार्य हाथ में नहीं लिया गया है। लोगों को जमीन देने, मुआवजा देने की संतोषजनक कार्यवाही नहीं चल रही है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आदिवासी क्षेत्र के किसान है जो बजाज सागर डेम से प्रभावित होरहे है उनको जल्दी से जल्दी बसाना चाहिये और जो उनको मुआवजा देना है वह जल्दी से जल्दी देने की व्यवस्था करनी चाहिये। उनको आज आवश्यक सहयोग नहीं मिल रहा है।

एक बात निवेदन करना चाहता हूं। आप पुर्नवास का कार्य हाथ में लें, चाहे वह कडाना या बजाज सागर का हो, उसमें जन प्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिये। जिस स्टेट लेवल कमेटी का गठन किया गया है, उसमें जन-प्रतिनिधि नहीं है। केवल सरकार के मंत्री महोदय और उसके अधिकारी है। जब तक उस क्षेत्र के जन-प्रतिनिधि स्टेट से लेकर लोकल लेवल की कमेटी में नहीं रखे जाएंगे तब तक लोगों को पुर्नवास में सही सहयोग नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिये। इस तरह से मैं बजाज सागर बांध के बारे में यह निवेदन करूंगा कि आज करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। राजस्थान सरकार भारत सरकार से निवेदन करे कि यह एक आदिवासी क्षेत्र है, उसके लिए सिंचाई की बड़ी योजना की मांग करनी चाहिये और राज्य सरकार को भी बजट में विशेष प्रावधान रखना चाहिये ताकि बांध का काम जल्दी से हो सके नहीं तो हर साल लाखों रु० स्टाफ पर खर्च होगा, प्रशासन पर खर्च होगा, बांध का कार्य धीरे धीरे चलेगा और पूरा नहीं होगा। इसलिए तीव्र गति से निर्माण कार्य होना चाहिये। बांसवाड़ा जिले में पिछली वर्षा में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण से छोटे-मोटे बांध, बड़े बड़े तालाब, कई लिफ्ट योजनाएं समाप्त हो गई। माही नदी के किनारे, चाप नदी के किनारे सब बांध टूट गये। मुख्य मंत्री जी ने दौरा किया और जिले की तरफ से राज्य सरकार से मांग भी की गयी थी कि जो बाढ़ से नुकसान हुआ है उस काम को पूरा कराने के लिए धनराशि स्वीकृत होनी चाहिये। वैसे जो अधूरे काम है, जहां पर नुकसान हुआ है, उसकी स्वीकृति हुई है और अब तक काम प्रारंभ नहीं हुआ। छोटी छोटी योजनाएं, लिफ्ट योजनाएं, सिचाई की साधन थी, उससे उत्पादन होता था। चाप नदी के किनारे, माही के किनारे जो लिफ्ट

(श्री नाथूराम)

योजनाएं थी वह समाप्त हो गई। अब जो काम नहीं हो रहा है तो कच्ची मिट्टी से सिंचाई हो रही है। इसलिए निवेदन है कि अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ है और जो लिफ्ट योजनाएं छोटे मोटे बांध हैं उनके निर्माण के लिए, उसको पूरा करने के लिए राज्य सरकार धन-राशि स्वीकृत करके वर्षा ऋतु से पहले पहले इसको पूरा करना चाहिये नहीं तो सिंचाई के साधन वैसे ही ठप्प रहेंगे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) थोड़ा समय और लूंगा। सभापति महोदय, वैसे कडाना, बजाज सागर बांध से हजारों एकड़ जमीन डूब में आ रही है। मेरी मांग है कि माही नदी, चाप नदी, अनास नदी के किनारे जहां पर कि प्रकृति की देन से बारह महीने पानी बहता रहता है, वहां पर लिफ्ट योजना की हमारी मांग है। इसका राज्य सरकार की तरफ से सर्वे नहीं हुआ है, वह होना चाहिये। अनास नदी के किनारे कुशलपुर गांव में सर्वे हुआ है और उससे ढई हजार एकड़ जमीन सिंचित हो सकती है। माही नदी के किनारे खराड़ा, परसोलिया से ये दो लिफ्ट योजना ऐसी हैं जिससे तीन हजार एकड़ जमीन सिंचित हो सकती है। वहां से मांग की जाती है। परन्तु सिंचाई के साधनों के लिए स्वीकृति नहीं होती है और इससे समय पर काम नहीं होता है। इसलिए निवेदन करता हूं कि माही नदी, चाप नदी और अनास नदी के किनारे जहां कि बारह महीने पानी बहता है वहां पर लिफ्ट सिंचाई योजनाएं जल्दी से जल्दी स्वीकृति करके सिंचाई के साधन को जुटाना चाहिये ताकि अनाज पैदा हो सके। जो योजनाएं चल रही है वे अच्छी तरह से नहीं चल रही है। राज्य सरकार को तरफ से इसकी व्यवस्था होनी चाहिये ताकि राहत मिल सके। आदिवासी क्षेत्र अकाल और बाढ़ से पीड़ित है। काम सुरू होने से लोगों को मजदूरी मिल सकेगी और सिंचाई के साधन जुटा सकेंगे जिससे कि अधिक अनाज पैदा हो सकेगा। सभापति महोदय, इसके अलावा भी कुछ छोटे-मोटे बांध है, कटाना, टोडा, ये छोटे-मोटे बांध है। इन तालाबों के डूब में आने वाले किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। कुछ छोटे मोटे नाले है, बांध बांधे जाते हैं, तालाब बन जाते हैं। उनसे नहरें नहीं चलती। इसकी भी मांग करते है। पहले यह बताया गया था कि डी० पी० ए० पी० का पैसा आ रहा है तब देंगे। राज्य सरकार ने यह डी० पी० ए० पी० का पैसा भी खर्च नहीं किया और वह लाखों रुपया वापिस भारत सरकार को देना पड़ा और इस तरह से यह तालाब, बांध वगैरह अधूरे रहे गये। राज्य सरकार को अपने फंड्स् से जल्दी से जल्दी इनको पूरा करना चाहिये। जो नहरें अधूरी हैं उनको बनाना होगा क्योंकि लाखों रुपया खर्च होता है और उसका फायदा किसानों को नहीं मिलता है और राज्य सरकार को भी नहीं मिलता है। इसलिए इनको बनाया जाए ताकि इनका सही उपयोग हो सके। मैं आपके द्वारा राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जो तालाब, बांध हैं छोटे मोटे जिनके नहर नहीं है, उनकी नहर का काम जल्दी करना चाहिये, जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, उनको मुआवजा जल्दी दिलाना चाहिये ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसके अलावा कई तालाब, छोटे-मोटे बांध ऐसे हैं, वहां किसानों की जमीन डूबती है, उनको जमीन के बजाय जमीन नहीं मिली। पांच पांच साल उनके पानी में भरे हो गये। इर्रीगेशन विभाग की तरफ से, रेवेन्यू विभाग की तरफ से इतनी सुस्ती हो रही है। मंत्री,

(श्री नाथूराम)
बागीदोरा, घाटोल क्षेत्र में जो छोटे-मोटे तालाब है, वहां पर गरीब किसानों की जमीन डूब में आई है, उनके लिए जमीन के बजाय जमीन नहीं दी जा रही है और न मुआवजा ही दिया जा रहा है। इसलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि कोई काम हाथ में लेवें तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा करे, सिंचाई के साधन जुटाये जाएं। किसानों को समय पर मुआवजा दिलाया जावे, जमीन दिलाई जावे। यह मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं और हमारे यहां जो डी० पी० ए० पी० की योजना है। जहां आज सरकार की योजना चल रही है वह बनास नदी का बान्ध और सोम नदी का बान्ध। कडाना और बजाज सागर पर हजारों की एकड़ जमीन डूबी हुई है। माही की सहायक नदी बनास है, सोम नदी है। बान्ध ही बान्ध, बना रहे हैं तो लोगों को रास्ता नहीं रहेगा। सोना उगलने वाली जमीन है उसको डूबने नहीं देना चाहिए। लिफ्ट इरिगेशन से ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है। लिफ्ट योजना से लोगों को पूर्ण फायदा मिलता है। बजाज सागर 13 साल से चल रहे हैं लेकिन लोगों को फायदा नहीं मिला है। पहले राजस्थान सरकार ने बिजली का प्रावधान हटा दिया था, लेकिन अब फिर बिजली के प्रावधान की स्वीकृति हो गई है तो अच्छा किया। बिजली पैदा होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा, लेकिन इससे एक लम्बे समय तक लोगों को राहत नहीं मिलती है। छोटे-मोटे जो प्रोजेक्ट उनसे लोगों को जल्दी ही राहत मिलती है? लिफ्ट इरिगेशन से जल्दी राहत मिलती है तो ऐसे कामों को जल्दी से हाथ में लेकर साधन जुटाने चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री अजीत सिंह।

श्री अजीत सिंह (टौंक) : सभापति महोदय, यह मैं समझता हूं कि मेरे प्रस्ताव माननीय मंत्रीजी नही मानेंगे, लेकिन फिर भी जन-भावना को देखते हुए मुझे बनास योजना के बारे में निवेदन करना पड़ रहा है। माननीय मंत्रीजी यह बारामासी है? बनास का कई बार सर्वे हो चुका है और कई बार यहां पर हाउस में डिसकस हो चुका है

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इतने कठोर नहीं है माननीय मंत्रीजी।

श्री अजीत सिंह : लोग जो डिमाण्ड कर रहे हैं उसमें और मेरी में भेद है। माननीय मंत्रीजी, यह जो ब्यावर से आने वाले सदस्य हैं, अजमेर से आने वाले सदस्य हैं और जयपुर से आने वाले सदस्य है यह बनास बान्ध की योजना के लिए जो कह रहे हैं वह अपनी टट्टियां साफ कराने के लिए कह रहे हैं। वह फ्लस में उसका उपयोग करना चाहते हैं।

श्री केसरी मल : हम तो पीने के लिए पानी चाहते हैं।

श्री अजीत सिंह : मंत्री महोदय, मैं बनास के पानी का उपयोग अपनी गरीबी मिटाने के लिए करना चाहता हूं, अपनी खाद्य स्थिति ठीक करने के लिए चाहता हूं, अपनी बहबूदी के लिए चाहता हूं....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : लैट्रीन्स बन रहे हैं जयपुर के अन्दर तो फिर यह तय कर लें कि उसका उद्घाटन कौनसा मंत्री करेगा।

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : आप ही कर लें।

श्री अजीत सिंह : वह योजना इस केटेगरी में नहीं है । आप पानी उनको दें इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे यहां इर्रिगेशन की योजना को पूरा नहीं करते हैं, टौंक जिले की बहबूदी के लिए नहीं करना चाहते है । यही एक नदी है जो कि 12 महीने पानी दे सकती है । उस पर आप बान्ध बना सकते हैं और उससे काफी अन्न का उत्पादन हो सकता है । मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस योजना को ध्यानपूर्वक देखें चाहे पूरी न करें, लेकिन मैं नम्र निवेदन करूंगा कि आप इसको देख तो लें । आप इसको कई स्टेजेज पर पूरा कर सकते हैं । पहले कम पानी लेकर इसको चालू किया जा सकता हैं । फिर धन का प्रावधान जैसे जैसे होता जायगा इसको बढ़ाया जा सकता है । यह बहुत उपयोगी योजना है । तो आप इस योजना को देख लें और पूरा करायें और इसके साथ साथ जो योजनाएं इसके साथ चल रही थी जैसे टोडा सागर टैंक से पानी देने की योजना थी वह भी आपने हटा दी । इसके साथ कई योजनाएं बजट के अन्दर केवल दिखाने को रहती हैं लेकिन इन योजनाओं पर एक पैसा भी खर्च नहीं होता है । पैसा सारा खत्म हो जाता है । अब के बजट में प्रावधान संतरा बान्ध का रखा है, लेकिन मंत्री महोदय मेरी समझ में नहीं जाता कि काम तो होता नहीं है और बजट के अन्दर प्रावधान आप क्यों दिखाते हैं । यह समझ में नहीं आता है । लोग देखते हैं और कहते हैं कि काम क्यों नहीं होता है । एक योजना भी टौंक डिस्ट्रिक्ट में पूरी नहीं की है । अब भी मुझे मालूम है कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में काम हाथ में लेने वाले नहीं है । आप बजट में प्रावधान करते हैं और काम नहीं होता है । हाण्डाजी कहते हैं वह ठीक है कि माननीय राचन्द्रजी ने झूठ बोला था । कई योजनाएं बजट के अन्दर दिखाई थी । किस को झूठ कहें और किस को सच कहें । आप नये मंत्री पधारे हैं । देखें आप कौन सी योजना को पूरा करते हैं । बजट देखते हैं तो उसमें इतना पैसा है लेकिन योजना पर एक पैसे का भी काम नहीं होता है । आप बजट के अन्दर तो हजारों लाखों का प्रावधान करते हैं । यह ऐसी समस्या है इर्रिगेशन की जो कि गरीब जनता से और काश्तकार से जुड़ी हुई है । हमारी समृद्धि उसके बिना नहीं आ सकती है । और आप कितना ही विकास करें उनसे हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं । सड़क बनायें या और भी कुछ काम करें, लेकिन प्रायोरिटी हमारे यहां इर्रिगेशन की होना चाहिए । पानी है तो सब कुछ है । खुशहाली हमारे यहां उससे ही आयेगी । पैसा उससे ही आयेगा । जब पैसा आयेगा तो सब कुछ आयेगा । जब तक पानी खेतों में नहीं होता है तो कोई विकास नहीं, कोई सुविधा नहीं है । आप महरबानी करके मेरे जिले के अन्दर जो कुछ योजना बना रहे हैं उनको पूरा करने का प्रयत्न करें ।

इसके साथ साथ छोटी छोटी योजनाओं के बारे में जो आपने रुख अपना रखा है, उसको छोड़कर उन योजनाओं को पूरा कर दें । कुछ छोटी मोटी योजनाएं अकाल में पूरी हुई हैं, केश में पूरी हुई हैं लेकिन टेक्निकल डिफिकल्टीज है । वह मेटेरियल वगैरह ठीक नहीं लगा रहे हैं इसलिए मोहरियां नहीं बन पाती हैं । उनको लोग काट देते हैं । उनको काटकर बड़ा बड़ा रास्ता बना देते हैं । जो लाखों रुपया उसमें लगा है उसका मिसयूज हो रहा है । मैं चाहूंगा कि जितने बन्धे छोटे छोटे बने हैं और इस तरह के 36 बन्धे हमारे डिस्ट्रिक्ट में है तो वे बगैर माहरियों और नहरों के पड़े हुए हैं ।

(श्री अजीत सिंह)

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वो छोटे छोटे बन्धे मोहरियों की वजह से या नहरों की वजह से बेकार पड़े हुए हैं उनमें वह पूरी करा दें तो आपको भी इनकम होगी और इसके साथ साथ हमारी आर्थिक हालत भी सुधरेगी ।

मैं मंत्री महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि एक बड़ी समस्या हमारे यहां पर उलझी हुई है । उसके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको सुलझायेंगे । वहां पर इनके बारे में तीन तरह की व्यवस्था है—इरिगेशन डिपार्टमेंट, तहसील और पंचायत समिति और पंचायतें । तो म नीय मंत्री जी इनकी व्यवस्था को तहसील से हटा लें और इरिगेशन डिपार्टमेंट को दें । पटवारी के पास पहले से ही बहुत काम है । वह इरिगेशन के काम की परवाह नहीं करता है । घर में बैठा हुआ पिलाई वगैरह दर्ज कर लेता है । इससे रेवेन्यू का भी बड़ा भारी नुकसान रहता है । दूसरे तहसील के बान्धों को सम्हालने का काम भी पटवारी का होता है तो वह पूरी तरह से सम्हालता नहीं है । आपके ओवरसियर रुचि नहीं लेते हैं । रेवेन्यू का रेकार्ड भी नहीं बनाते हैं । उसके कारण से सारा पैसा बिगड़ रहा है और बान्धों का जितना उपयोग होना चाहिए उतना नहीं होता है और रेवेन्यू की दृष्टि से भी नहीं हो पाता है । आप इन बान्धों को अपने डिपार्टमेंट में लेलें वापिस तो बड़ी कृपा होगी ।

इसके साथ साथ पंचायत समितियों के अन्दर भी कुछ बान्ध दे रखे हैं 500 एकड़ तक के, माननीय मंत्रीजी उन बान्धों का उपयोग भी नहीं हो रहा है और न रेवेन्यू कलेक्ट होती है । इन बान्धों को देखते हैं तो सब बान्ध टूटे पड़े हुए हैं । या तो उनकी मोहरियां खराब हो गई हैं या नहरें । पंचायत समिति के पास इतना पैसा नहीं है कि वह उनको ठीक करा सकें । आज उनके ऊपर जो पैसा खर्च किया गया है वह सारे का सारा वेस्टेज हो रहा है । यह एक नीति सम्बन्धी प्रश्न है । मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पर जरूर ध्यान देंगे और सारे के सारे बान्धों की व्यवस्था अपने हाथों में लेंगे ताकि काश्तकारों को उनसे लाभ मिल सके और सरकार को भी रेवेन्यू का फायदा हो ।

इसके साथ माननीय मन्त्री जी, यह जो आपके डिपार्टमेंट में अकाल के अन्दर काम करवाया था, उसका 1 लाख रुपये का मामला अभी रुका पड़ा है । कागज तैयार करना तो आपके डिपार्टमेंट का काम था । काम तो करवा लिया आपने लेकिन उनको पैसे नहीं चुकाये गये हैं । 1 लाख के बिल धक्के खाते फिर रहे हैं । दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा नहरें टूट जाती हैं बरसात में तो गांव वाले नहरों को बन्द करते हैं । लेकिन उनका पेमेन्ट नहीं होता है । साल साल भर मजदूरों को अटकाया जाता है । उनको पता भी नहीं होता है कि हमको पैसा मिलने वाला था वह मिला या नहीं । आपके डिपार्टमेंट वाले ड्रा कर लेते हैं लेकिन मजदूरों को पहुंचता नहीं है । माननीय मन्त्री महोदय, यह व्यवस्था करें कि जिससे उनको वह पैसा मिल जाया करे । लेट तो काम शुरू होता है । फिर जल्दी कराया जाता है। फिर पेमेन्ट होता नहीं है। आप कोई ऐसी योजना बनायें जिससे कि नहरों की मरम्मत हो सके ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जिससे कि समय पर किसानों को पानी

(श्री अजीत सिंह)

मिल सके। और, उनको फायदा हो सके। इसके अलावा एक मोतीसागर बांध है। वहां पक्की नहर के लिए कहना चाहूंगा कि उसका पता ही नहीं पड़ता है। स्वीकृत होने के बाद उसका पेमेन्ट भी हो गया है। ऐसा कहते हैं कि पक्की नहर की मंजूरी हुई थी। वह कहां गई है। मन्त्री महोदय, आपके डिपार्टमेंट में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि आप उसकी व्यवस्था करें। जो कुछ सरकारी पैसा खर्च होता है, उसका पूरा उपयोग होना चाहिए। जहां लीकेज है, वहां की व्यवस्था होनी चाहिए। भ्रष्टाचार बन्द हो, यही मैं निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : श्री जयकिशन।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय..

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आपका नाम बोला गया था। उस समय आप थे नहीं।

श्री जयकिशन लाल (फागी): सभापति महोदय, आज सदन में सिंचाई की मांगें प्रस्तुत की गई हैं। मैं उनके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। आज हमारे राजस्थान की स्थिति विशेष प्रकार की है। राजस्थान के कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जिनको सिंचाई के पूर्ण साधन उपलब्ध हो जायें तो शायद पूरे क्षेत्र की अनाज की समस्या जल्दी से हल हो सकती है। सबसे प्रथम मैं नर्मदा परियोजना के बारे में बता देना चाहता हूं। इस नदी के अन्दर पंजाब की सारी नदियों को मिलाकर यदि उनका सारा पानी एकत्रित कर पहुंचाया जाये तो उससे भी ज्यादा पानी नर्मदा में बहकर समुद्र में चला जाता है। 28 मिलियन एकड़ पानी है। यदि इस पानी को सही रूप में योजना बनाकर कार्य रूप में परिणित किया जाये तो हमारे प्रान्त को पूर्ण रूप से भला हो सकता है। नन्दगांव बांध की ऊंचाई 530 फुट कर दी जाती है तो उस क्षेत्र का पूर्ण रूप से भला हो सकता है। इससे 22 मिलियन एकड़ पानी काम में लिया जा सकता है यदि पानी की उपयोगिता सही रूप में की जाये तो बड़ी आसानी हो सकती है। यह गुजरात और राजस्थान दोनों प्रान्तों के लिए लाभदायक हो सकता है। यह पानी मध्यप्रदेश में जाता है। वहां पर 100 पैसे में से 1 पैसे के बराबर उस पानी का उपयोग लिया जाता है। यदि उस पानी की योजना बनाकर सही रूप में राजस्थान और गुजरात के लिए सही ढंग से योजना बनाई जाये तो हमारे प्रान्त में जो सिंचाई की कमियां हैं, वह आसानी से दूर हो सकती हैं। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस प्रकार की योजना बनाकर मध्य प्रदेश सरकार से वार्तालाप करे और योजना बनाकर चाहे वह आपस में किसी प्रकार का एग्रीमेंट तय नहीं होता है तो केन्द्र में जाकर वहां बड़े बड़े नेताओं से मिलकर, इस प्रकार की योजना सही रूप में बनाई जाये। तो हमारे प्रान्त में पानी की कमी आसानी हल की जा सकती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि आज इस प्रान्त के अन्दर हर स्थान पर नदियां बहती हैं, यदि उन नदियों के सर्वेक्षण किये जायें और वहां पर छोटे छोटे बांध बना दिये जायें तो आसानी से भला हो सकता है। मैं मेरे क्षेत्र की बात बता देना चाहता हूं। वहां पर बांसी नदी के ऊपर ग्राम मेंहदवास के अन्दर एक पुराने जमाने से ही एक बड़ा बांध बंधा हुआ था। 1972 में बाढ़ आ जाने के कारण वह बांध टूट गया है। मैं विभाग के जो उच्च अधिकारी

(श्री जयकिशन लाल)

है, उनसे भी निवेदन करता हूं, मंत्री महोदय से भी निवेदन करता हूं कि बांध को पुनः बनवा दिया जाये। तो वहां के आसपास रहनेवालों को, किसानों का बड़ी सरलता से भला हो सकता है। जब तक उसकी आड़ टूटी हुई नहीं थी तो यह सही था कि साल भर के लिए पानी रुका रहता था। और आस-पास के किसानों के कुओं में पानी पूर्ण रूप से भरा रहता था। किसान लोग उससे अपनी खेती को सींच कर अन्य उत्पादन कर लिया करते थे। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि विभाग को इस प्रकार के ऐसे आदेश दे दिये जायें कि आदेश का तुरन्त पालन करवाया जाये। रेग्युलर कार्यवाही के अन्दर परिणित कर दिया जाये। तो आसानी से बांध बन सकता है। इसमें अधिक खर्चा नहीं है। कुछ ही खर्चा विभाग को भोगना पड़ेगा। इससे साधारण जनता का भला हो सकता है। दूसरा निवेदन मैं यह भी कर देना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के अन्दर जो राजस्थान नाम की नहर बन रही है इस नहर को बनते हुये 16 वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी भी जिस क्षेत्रों की जनता बड़ी आशा लगाये हुए बैठी थी कि राज० नहर की स्कीम बड़ी उच्च है। जो कि हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर जायेगी तो वह क्षेत्र जहां पर केवल मात्र बालू मिट्टी के टीबे नजर आते हैं, गरमी के अन्दर कोई व्यक्ति भ्रमण करने के लिए जाता है तो सिवाय बालू मिट्टी के और कुछ नजर नहीं आता है। तो मिट्टी के अति-रिक्त और कुछ भी दृष्टिगत नहीं हो सकता। ऐसी भयंकर स्थिति के अन्दर यदि नहर पूर्ण रूप से उस क्षेत्र के अन्दर प्रवेश कर दी जाय और शीघ्रातिशीघ्र वह पूरी कर दी जाय तो यह क्षेत्र, जो अत्यन्त गर्म है, रेतीले टीबे हैं, लहलहाती खेती के अन्दर परिणित हो सकता है। मैं सिर्फ यह जानता हूं कि हमारी सरकार के पास इस प्रकार की स्कीम अवश्य है। लेकिन उस स्कीम को धीरे धीरे चलाया जायगा तो जिन किसानों को शीघ्रातिशीघ्र लाभ पहुंचा सकते हैं वह नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम केन्द्र स्कीम के लिए निवेदन कर चुके हैं, केन्द्र की स्कीम को हमारे इससे जोड़ दिया जाय तो यथा शीघ्र यह नहर पूरी हो सकती है, और नहर से होने वाली सुविधायें हो जायं तो गरीब जनता को राहत मिल सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस नहर का यथाशीघ्र काम करवाया जाय। इससे उस क्षेत्र की जनता और इस राजस्थान की जनता को लाभ होगा, राजस्थान की जनता को पैदावार का लाभ पहुंच सकेगा।

साथ साथ मेरा निवेदन है, इस प्रकार की योजना बना कर हम राजस्थान की बिगड़ी हुई हालत को सुधार सकते हैं। जो ज्यादा-तर यहां की जनता है वह गांवों के अन्दर निवास करती है, और इस प्रान्त की 85 प्रति-शत जनता ग्रामीण जनता है। उस ग्रामीण जनता का रोजगार या जीवनयापन कृषि के ऊपर निर्भर है, और वह कृषि सब के लिए लाभप्रद है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी). वर्षा के ऊपर निर्भर है। इसलिए मेरा निवेदन है, मुझे पांच मिनिट भी नहीं हुए हैं......

श्री सभापति : 9 मिनट हो गये हैं। समयाभाव को देखते हुए आप स्पेसिफिक बात कहिए।

श्री जयकिशन लाल : छः मिनिट और दे दीजिये।

श्री सभापति : नहीं, दो मिनिट दे सकता हूं।

श्री जयकिशन लाल : अच्छी बात है।

मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की स्थिति में जो ज्यादा खेती है वह वर्षा पर निर्भर है। यदि इस समस्या को हल कर दें और पूरी करने की कोशिश करें और इस क्षेत्र के अन्दर, प्रान्त के अन्दर नई योजना बना कर हर स्थान पर, हर क्षेत्र में सिंचाई साधन उपलब्ध करा देने चाहिए। गत सत्र में भी मैंने निवेदन किया था और मांग प्रस्तुत की थी। हमारी दूदू तहसील के अन्दर जो वहां कालख का बांध है, उसके पीछे कुछ ऐसी स्थिति दृष्टिगत होती है कि वहां पाताल तोड़ कुए बना दिए जायं और उन कुओं के द्वारा आसपास के क्षेत्र की जमीन को सिंचित करने की योजना यहां पर बना दी जाय, तो उस क्षेत्र को बड़ा लाभ पहुंच सकता है। मेरा निवेदन है कि इसका सर्वेक्षण करा लिया जाय। कुछ व्यक्तियों का कहना है, यहां बहुत अच्छा पानी है और पाताल तोड़ कुए आसानी से बन सकते हैं। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की नई योजना बना कर यदि सही रूप से कार्य-रूप में परिणित करें तो आसानी से इस क्षेत्र की जनता का भला हो सकता है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) दूसरा मेरा निवेदन है, मेरे क्षेत्र फागी-चाकसू में कई ऐसे बांध हैं जो 1972 की बाढ़ आ जाने के कारण टूट गये थे। मेरा निवेदन यह है कि कुछ बांधों के ऊपर इस वर्ष कार्य शुरू हो गया है, कुछ बांध ऐसे हैं जिनसे सिंचाई होती है, उन बांधों का कार्य इस वर्ष पूर्ण कर दिया जाय तो इस वर्षा ऋतु में भर जायेंगे और सिंचाई अच्छी हो सकेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की योजन बना कर इन बांधों को जल्दी से जल्दी पूर्ण करा दिया जाय ताकि आसानी से कार्य रम्भ हो सके।

चाकसू तहसील के अन्दर एक खेजड़ी बांध है, वह अच्छे स्थान पर है। वह पूरा नहीं हुआ है। अकाल के अन्दर उस पर कार्य हुआ था, इसलिए वह अधूरा है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस योजना को जल्दी से जल्दी अपने कार्य के साथ जोड़ दिया जाय और इस कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कर दिया जाय। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसलिए मेरा निवेदन है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! मेरा निवेदन है कि समयाभाव को देखते हुए अधिक समय नहीं दे सकता हूं...

श्री जयकिशन लाल : एक मिनिट।

श्री सभापति : आप जल्दी खत्म कर दें।

श्री जयकिशन लाल : Only for one minute, sir.

मेरा निवेदन है कि इस प्रकार सिंचाई के साधन यदि हमें पूर्ण रूप से ठीक ढंग से उपलब्ध करायें, साथ ही साथ उस प्रकार की योजना बनायें कि राजस्थान के अन्दर किस स्थान पर, कौनसी योजना सही चल सकती है। उस आधार को लेकर सही रूप में चलें, जगह जगह सर्वेक्षण करायें, उसके पश्चात् जो योजना बने, उसका ठीक रूप से क्रियान्वयन हो। यदि सर्वेक्षण करा लिया जाय, और एक बर्ष पड़ा रहे, उसके बाद उसके ऊपर कार्यवाही प्रारम्भ करें। उसमें भी बहुत वर्ष लग जाय, इस प्रकार की ढिलाई चलती है–यह नहीं होना चाहिए। बस मेरा निवेदन है कि इस प्रकार जल्दी से जल्दी राजस्थान के भविष्य को बनाने की कोशिश करेंगे और सिंचाई के साधनों को पूर्ण रूप से जल्दी करायें और शीघ्रातिशीघ्र उनको सही रूप से आगे की ओर बढ़ा कर इस प्रकार की योजना बनानी

(श्री जयकिशन लाल)
चाहिए। बस मैं इन मांगों के उपलक्ष में अपने विचार मैं निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : श्री भैरूलाल।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा नाम था।

श्री सभापति : आप तसल्ली से बोलियेगा।

श्री भैरूलाल : सभापति महोदय, वैसे राजस्थान में सिंचाई के साधन . . .

एक माननीय सदस्य : फिर हम चाय ही पी आयें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, घूम-घाम आयें। आपकी निगाह तो मिलती नहीं है हमसे। कभी निगाह मिला लिया करें।

श्री सभापति : जल्दी ही समय दे दिया जायगा आपको।

श्री गौरीशंकर मुनीम : माननीय सभापति, मैं सुबह से बैठा हुआ हूं। मुझे हर वक्त आखिर में टाइम दिया जाता है . . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अभी बोल रहे हैं। आपको भी समय दिया जायगा मैं कोशिस कर रहा हूं।

श्री गौरीशंकर मुनीम : दस मिनिट दिए जायेंगे।

श्री सभापति : पूरा समय दिया जायगा।

श्री भैरूलाल : झालावाड़ जिले की सिंचाई योजना को देखते हुए मैं महसूस करता हूं कि राजस्थान सरकार झालावाड़ जिले के साथ क्यों सौतेला व्यवहार कर रही है 1954 से . .

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह सौतेली मां है क्या?

श्री भैरूलाल : जो भी आप कहें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य अपनी बात कहें।

श्री भैरूलाल (अकलेरा) : 1954 से भीम सागर, हरीसिंह बांध की योजनायें झालावाड़ में चालू कीं लेकिन बीस साल के बाद भी उनको पूरा नहीं किया गया है, जब कि करोड़ों रुपये बांध पर खर्च हो चुके हैं। अकलेरा में जहलमपुर बांध का सर्वे हो चुका है। योजना पूरी हो सकती है, उसकी कार्यवाही पूरी करनी चाहिए। लेकिन सरकार असमर्थ रही है। नीलमपुर का कार्य शुरू हो जाता है तो उस क्षेत्र की जनता और आस पास के क्षेत्र में पानी सतह के ऊपर आकर सिंचाई का साधन बन सकता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर सरकार फिलहाल में योजनाओं को लागू नहीं करना चाहती है तो कम से कम

(6.47 म. प.)
(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

अकलेरा क्षेत्र के कुओं को बिजली देने के लिए बिजली की संख्या बढ़ाई जाय। दिसम्बर, 70 के बाद, तीन साल के बाद, एक भी गांव को बिजली योजना में नहीं लिया गया है। इसलिए बिजली की भी तादाद बढ़ा दी जाय तो बांधों का अभाव, सिंचाई के साधन कुओं के द्वारा काफी हो सकते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर आप फिलहाल बांधों का काम चालू नहीं करना चाहते हैं तो सिंचाई में वृद्धि करने के लिए, कुओं को बिजली देने के लिए, बिजली विभाग को आदेश दें तो उस क्षेत्र के किसानों को बिजली के द्वारा सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं।

(श्री भैरूलाल)

इसके अलावा यह भी निवेदन करूंगा कि जहलमपुर बांध केवल सिंचाई के लिए पानी नहीं देगा, बिजली भी देगा और राजस्थान में ही नहीं, मध्य प्रदेश तक बिजली जायगी। यह सर्वे से मालूम हुआ है। इसका काम जल्दी चालू कराया जाय। अकलेरा में जाव और बांसखेड़ा में जो पम्पिंग सैट चालू कर दिए गये, डेढ साल से वह वापिस बन्द कर दिए गए हैं जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिजली के लिए उस क्षेत्र के गांवों में कम से कम एक हजार कुए सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिए हैं लेकिन आज तक 70 के बाद तीन साल के अन्दर बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, जब कि 1962 में ही बिजली वहां पहुंच गई है। 10 वर्ष के अन्दर केवल 12 या 13 गांवों को बिजली दी गई है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिए अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम बिजली गांवों को देने के लिए तादाद बढ़ाने की कृपा करें। सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिए हजारों काश्तकारों ने कुओं के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों में दरख्वास्तें दे रखी हैं लेकिन उनको ऐसी कठिनाइयां हैं कि केवल 5 या 10 प्रतिशत काश्तकारों को कुआ खोदने के लिए रकम मंजूर की जाती है। इस समस्या के समाधान का आप प्रयास करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : मैंने सिंचाई की मांगों के संबंध में अपने कटौती के प्रस्ताव पेश किए हैं। वैसे आम तौर से मैं अपने इलाके की समस्याओं को विधानसभा सत्र में कम पेश करता हूं लेकिन आज मजबूरी के अन्दर कुछ बातों को मंत्री महोदय की जानकारी में लाना आवश्यक हो गया है आज से 4-5 वर्ष पहले धौलपुर में राजाखेड़ा तहसील में 4 लघु सिंचाई की योजनाओं की मंजूरी राज्य सरकार ने दी थी। एक का शिलान्यास तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री राम प्रसाद लड्ढा ने किया था और दो का शिलान्यास श्री हरिदेव जोशी ने किया था। उन योजनाओं पर थोड़े बहुत दिन काम चला उसके बाद करीब साल डेढ़ साल से काम बन्द रहा है। मैंने बारबार पत्र लिखा, सिंचाई मंत्री को भी लिखा, मुख्य मंत्री को भी लिखा, पच्चीसों पत्र लिखे उसके बाद कहीं काम शुरू हुआ और आज स्थिति यह है कि एक बांध का काम कतई बन्द पड़ा है, दो बांधों पर थोड़ा बहुत काम चल रहा है और एक बांध पर भी बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। बांध को अगर बरसात से पहले पूरा नहीं किया गया तो राज्य सरकार ने जितना पैसा उस पर खर्च किया है अब तक सब बरबाद हो जाएगा और बरसात के पानी से नाले में पानी बह जाएगा। तो सिंचाई मंत्री को अभी भी उसकी नोलेज में लाना चाहता हूं कि अगर उस बांध को पूरा नहीं कराया गया तो राज्य सरकार ने 5-6 लाख रुपये जो खर्चा किया है, वह बरबाद हो जायगा। इन बांधों के लिए बजट प्रावधान है तो उनको शीघ्र पूरा करने की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, सिंचाई विभाग के अन्दर इस समय दो बहुत बड़ी समस्यायें हैं जिनको हल करने के लिए विभाग की तरफ से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह आपकी नालेज में है कि जो प्रभावशाली लोग होते हैं वे लोग नहर को काटकर या उसमें बंबा लगाकर पानी लेना शुरू कर देते हैं और उस कारण से जो टेल पर लोग हैं या जिनकी जमीनें आगे पड़ती हैं उनको पानी नहीं मिल पाता है। इसके लिए आपने कोई

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

इफेक्टिव स्टेप्स नहीं उठाए । यही बात गंगानगर में सुनने में आती है, कई माननीय सदस्यों ने शिकायत की है कि वहां भी पानी रोका जाता है और गरीब आदमियों को पानी मिलना चाहिए या जिनको नम्बर पर पानी मिलना चाहिए तो आपको व्यवस्था करनी होगी। जो लोग नहर को काटकर जल का उपयोग करें या अनधिकृत रूप से इस्तेमाल करें उसको सजा देने के लिए कोई न कोई कानून बनाना पड़ेगा। कानून है लेकिन इनइफेक्टिव है जिस पर अमल नहीं हो सकता तो हमने पिछली विधान सभा में सुझाव दिया था कि उत्तर प्रदेश की तरह आपको राजस्थान में भी केनाल रजिस्ट्रार्स की नियुक्ति करनी चाहिए तो उन मुकदमों का जिनके लिए चालान पेश किए जाते हैं जब तक जल्दी से जल्दी उन लोगों को सजा नहीं दी जाएगी तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा। अब क्या होता है कि एस० डी० ओ० मुकदमा दायर करता है, वह पहले से ही ओवर-वर्कड है उनके पास समय नहीं है। 3-3, 4-4 साल का समय निकल जाता है, उसके बाद भी इफेक्टिव कार्यवाही अदालत से नहीं हो पाती है तो लोगों को भय पैदा नहीं हुआ है। इसके लिए आप इस साल कोई कदम अवश्य उठायें।

तीसरा बहुत बड़ा सवाल है जो राजस्थान की जनता के सामने और लोगों के सामने आया है वह है राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के बारे में। आज राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को बनते 15-16 साल हो गए, दिनों दिन उसका कास्ट ऑफ कॉन्स्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है, आपके पास फंड्स नहीं हैं, आप उसको पूरा नहीं कर सकते। आपके पास जो फंड्स हैं उसके अन्दर लगता है कि उसकी वजह से दूसरे एरियाज स्ट्राव होते हैं। आज स्थिति यह है कि राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट को 911 करोड़ रुपये दिए हैं। अगर आप दूसरी जगह इस्तेमाल करलें तो कम से कम और इलाकों के अन्दर तरक्की हो सकती थी और रीजनल इम्बैलेन्सेज की बात हम लोगों के दिमाग में जो घर करती जा रही है, वह नहीं रहती।

सभापति महोदय, आज चारों तरफ से मांग आ रही है कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाया जाय। मुझे ध्यान आता है कि एक बार श्री टी० टी० कृष्णामाचारी जब वित्त मंत्री थे उस समय उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि इस प्रोजेक्ट नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में वह मानने के लिए तैयार है लेकिन उसके साथ उन्होंने शर्त यह लगाई थी कि जो लैंड एलाटमेंट का काम है, कालोनाइजेशन का काम है, उसको भारत सरकार अपने हाथ में रखेगी लेकिन राज्य सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई क्योंकि लोगों के वेस्टेड इन्टरेस्ट्स थे, जिन्होंने अनधिकृत कब्जा कर रखा है, जो जमींदार थे जिनके पास 500-500 मुरब्बे जमीन के बेनामी तरीके से ले रखे हैं, उनके इन्टरेस्ट्स क्लैश हो सकते थे, जो उन्होंने गोलमाल किया है, वह खुलते थे और राज्य सरकार ने इस बात के लिए कहा है कि हम लैंड एलॉटमेंट का काम अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इस वजह से मामला रुक गया और राजस्थान कैनाल प्राजेक्ट नेशनल प्राजेक्ट नहीं बन पाया, मुझे याद नहीं, राजस्थान में उस समय कौन सिंचाई मंत्री थे। राजस्थान सरकार की हठधर्मी के कारण उस समय यह नेशनल प्राजेक्ट नहीं बन पाया वरना नेशनल प्राजेक्ट बन जाता। इसके लिए मैंने पिछली बार बजट सेशन में भी कहा था और आज भी स्पेसीफिक सवाल पूछ रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं प्रस्ताव करती हूं कि जब तक मांगें पारित हों तब तक के लिए समय बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि तब तक के लिए समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

मांगों के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप इस प्राजेक्ट को कब तक पूरा करेंगे ? बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए जो आपके पास सीमित फाइनेन्सेज हैं, आप इसके लिए क्या कारगर कदम उठाने जा रहे हैं ? आप कहते हैं कि फर्स्ट फेज में पांचवीं योजना के अंत तक इसको समाप्त कर देंगे। लेकिन मुझे डर है कि आप जिस तरह से समय बढ़ाते जा रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि आपके द्वारा यह 40-50 साल में भी पूरा नहीं होने वाला है और जैसलमेर के लोग जो नजर लगाए बैठे हैं कि हमें कैनाल का पानी मिलेगा, वह बहुत से लोगों के जीवन में मिलने वाला नहीं है। भारत सरकार आपकी बात क्या मानेगी ? पोंग डैम आउस्टीज को आपने जमीनें दी लेकिन कडाना बांध के मामले में गुजरात सरकार ने राजस्थान सरकार से साफ मनाही करदी कि हम आपके आउस्टीज को नहीं बसाना चाहते हैं।

आप इसके लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं। आप इसके लिए प्राइम मिनिस्टर से बीच में पड़ने के लिए कहें। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड देने के लिए कहें। लेकिन उसके पास जाना नहीं चाहे उनसे आपको डर लगता है तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों मामलों के लिये प्राईम मिनिस्टर को बीच बचाव करने के लिये आग्रह करें। एक तो यह राजस्थान कैनाल वाला मामला और दूसरी बात है वह कडाणा वाला मामला। सिंचाई मन्त्री जी आप अपने स्तर और इस मसले को आप पार्लियामेन्ट में राजस्थान के एस० पीज० के थ्रू उठाये। उसमें यह जोर डालें कि कडाणा आउस्टीज को वही फैसीलीटीज मिलनी चाहिये जो कि पोंग डैम के मामले में राजस्थान सरकार ने दी है। आप कडाणा के आउस्टीज को आन दी सेम बेसिस पर फायदा पहुंचावें यही मेरा निवेदन है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप कृपया समाप्त करें। आपको दस मिनट दिया गया था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, मैं थोड़ा और निवेदन करना चाहूंगा। पांच मिनट वैसे तो हमारे कांग्रेस के गिरिराजप्रसाद तिवाड़ी जी नहीं बोले हैं उन्होंने कहा कि आप मेरे बदले बोल लें तो मुझे उनका समय दे दिया जाय।

श्री सभापति : अच्छा आप उनकी तरफ से समय ले रहे हैं तो ठीक है पांच मिनट ले लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह: तो सभापति महोदय, अब जो दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है कि आपके सिंचाई विभाग ने कुछ मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्टस शुरू किए हैं। इनके बारे में मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कि यह मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट आपने कब खोले थे, कब इनका सर्वे हुआ था, कहां कहां पर हुआ था। बजट भाषण से पता पड़ा कि मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट को राज्य सरकार हाथ में ले रही है और उसके लिए आपने दूसरी जगह तो काफी मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट खोले हैं लेकिन हमारे पूर्वी राजस्थान में तो आपने एक गुड़गावां के पास मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट खोला है। वैसे तो सभापति महोदय, पूर्वी राजस्थान में मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स खोलने के काफी स्कोप हैं क्योंकि हमारे पूर्वी राजस्थान में वाटर पोटेंशियलटीज अधिक हैं। और वह सारा का सारा पानी वेस्ट जाता है। तो मेरा निवेदन है कि फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में आप इस ओर अधिक ध्यान दें तो काफी हमारी इस्टर्न राजस्थान की जनता को सुविधा मिल सकती है। सभापति महोदय, हमारे धौलपुर के क्षेत्र में एक पार्वती नदी है उस पर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट खुल सकता है काफी अच्छा स्कोप है और कम खर्चे पर प्रोजेक्ट तैयार हो सकता है, वहां पर काफी गुन्जायश है। इसके लिए मैं मन्त्री महोदय को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1969 में जब मोहनलाल जी सुखाड़िया मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने जब वह धौलपुर आये तो घोषणा भी की इस बान्ध को मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पूरा कराने के लिए। सभापति महोदय, आपको कम खर्चे में बहुत अधिक रिटर्न्स मिल सकते हैं। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बारे में सिंचाई विभाग के कागजात देख सकते हैं, रिकार्ड से जांच कर सकते हैं। जहां पर सर्वे भी हो चुका है। तो सभापति, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां वाटर पोटेंशियलिटीज अधिक हैं वहां तो राज्य सरकार बान्ध बना नहीं रही और दूसरी जगह आप मीडियम इरिगेशन प्रोजक्ट खोल रहे हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पार्वती प्राजक्ट को मीडियम इरिगेशन प्रोजक्ट के अन्तर्गत जल्दी से जल्दी पूरा करावें ताकि इस्टर्न राजस्थान की जो जनता है उसका भी विकास हो सके। इस पार्वती डैम पर आप अगर सेकन्ड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट बनवाते हैं तो आपको यह धौलपुर, भरतपुर और बयाना तक का इलाका सरसब्ज हो जायेगा। इसके अलावा आप चाहें थोड़े रुपयों में कई छोटी छोटी योजनायें बना सकते हैं कम खर्चे पर आप एनीकट के जरिए माइनर इरिगेशन की स्कीमस् को पूरा कर सकते हैं। उससे हजार, डेढ़ हजार बीघा जमीन में कई जगह इरिगेशन हो सकता है।

इसके अलावा एक बात मैं और आपसे निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि अभी आप राजस्थान कैनाल के जरिए लिफ्ट इरिगेशन की योजनायें चालू कर रहे हैं यह अपने लूणकरणसर और फलौदी, चूरू वगैरह में। मैं यह नहीं कहता कि इन इलाकों में यह योजनायें मत रखिये लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यह लिफ्ट इरिगेशन की योजना काफी मंहगी होती है इस पर खर्चा अधिक होता है। मुझे इन जिलों से हमदर्दी है मैं यह मानता हूं कि वहां पर पानी की समस्यायें हैं, ठीक है आप वहां पर लिफ्ट इरिगेशन की योजनायें शुरु करो लेकिन राजस्थान में और भी पूर्वी राजस्थान मेंतो आप चाहें तो चम्बल के अन्दर जब से कोटा का बान्ध बना है काफी पानी वेस्ट जाता है अगर आप चम्बल के पानी में लिफ्ट इरिगेशन के प्रोजेक्ट खोलते हैं तो बहुत ही कम खर्चे में आप वहां पर खोल सकते हैं ताकि यह पूर्वी राजस्थान का यह इलाका भी सरसब्ज हो जाय। इससे सारा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

धौलपुर, भरतपुर और आपके बयाना तथा रूपावास तहसील तक सिंचाई हो सकेगी। सभापति महोदय, मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आप इस बारे में क्या कर रहे हैं। इसके अलावा–सभापति महोदय, उदयपुर डिविजन एक बात के लिए बहुत ही भाग्यशाली रहा है। क्योंकि आज तक जब से राजस्थान बना है ईरिगेशन मन्त्री हमेशा से ही उदयपुर डिविजन वालों के पास ही रहा। थोड़ा बीच में श्री रामचन्द्र जी ने लेलिया था, खैर वह भी मेरे मित्र थे यह भी मेरे मित्र ही हैं लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि वहां आप उदयपुर डिविजन का ध्यान रखें यह मैं मानता हूं कि वह इलाका पिछड़ा हुआ है उसके लिए आप विकास के कार्यक्रम रखें, लेकिन थोड़ा तो हमारे पूर्वी राजस्थान की तरफ भी ध्यान दे दिया करें। ऐसी भी क्या बात है। सभी मिल बांटकर खावो। यह अच्छा नहीं कि आप अपने ही अपनों को परोसो। थोड़ा हमारा भी ध्यान रखो। इसके लिए मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आपका ईरिगेशन डिपार्टमेंट का जो सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशन सेक्शन है वहां पर आपका बहुत ही कम स्टाफ है। उसको आपको बढ़ाना चाहिए क्यों कि सर्वे का पूरा काम नहीं होने से कोई योजना भी पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं वह यह वहां पर जो एक्स० ई० एन० हों उनको आप स्पेशियल पे दें, उनके लिए आप दो तीन नौकरों की व्यवस्था करदें, उन्हें बैठने को मोटर दें, थोड़ा आप इन्सेन्टिव दें ताकि लोग सर्वे एण्ड इनवेस्टीगेशन डिविजन में आवें। अन्यथा आज आपके ईरिगेशन के इन्जीनियर्स सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशन में आना पसन्द नहीं करते हैं या तो वह मेडीकल भेज देते हैं या छुट्टी ले लेते हैं। वह सभी डिविजन चाहते हैं या डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं इसमें आना कोई नहीं चाहता इसलिए मैंने कहा है कि आप इन्हें इसमें आने के लिए इन्सेन्टिव दो। अगर आप ईरिगेशन को अच्छी तरह से विकास पर लाना चाहते हैं तो आपको अपना सर्वे एण्ड इन्वेस्टीगेशन स्टाफ को अच्छा रखना होगा। उसमें कोई रिक्त स्थान नहीं होने चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें जितने भी आज रिक्त स्थान हैं उन्हें भरिये।

(7.04 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पदासीन)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप समाप्त करें। काफी समय हो गया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, मैंने तो दस मिनट एक दूसरे सदस्य के लिए हैं। अभी समाप्त करता हूं। तो मेरा आग्रह है कि मन्त्री महोदय आप हमारे पूर्वी राजस्थान में मीडियम, माईनर ईरिगेशन प्रोजेक्ट्स खोलने की कृपा करें। अगर आप प्रोजेक्ट्स खोल देते हैं तो हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी, अनुकम्पा होगी, हम तो आपसे अर्ज ही कर सकते हैं। सिर्फ भीख ही मांग सकते हैं इसके लिए।

श्री सभापति : श्री हाजी जान मोहम्मद।

श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा) : सदरे मोहतरम, मैं भी कुछ गुजारिश करना चाहता हूं। आज यहां पर सिंचाई के बारे में चर्चा चल रही है उसमें मैं भी कुछ गुजारिश करूंगा। सदरेमोहतरम, मैं झालावाड़ जिले के उस हिस्से से आता हूं जो कि इलाका काफी पिछड़ा हुआ है। उसका हमेशा से कोई गौर

(श्री हाजी जानमोहम्मद)

नहीं किया गया है सदरे मोहतरम, मैं राजस्थान, के उस इलाके से आता हूं जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है वहां पर आज तक कोई विकास का कार्य नहीं किया है पुराने जमाने के कुछ बान्ध वगैरह झालावाड़ जिले में कोई थे वही चले आ रहे हैं। मगर मैं जिस इलाके से आता हूं पिड़ावा से, वह पहले टोंक नवाब के स्टेट के अन्दर आता था इसलिए नवाबों के जमाने की बात तो आप जानते हैं कि उन लोगों ने वहां पर कोई काम विकास के नहीं किये। हमारे पिछड़े इलाके के लिए आपके पास कोई बजट नहीं है। एक डेम झालावाड़ के अन्दर भीमसागर डेम था जिस पर चालीस लाख रुपये खर्च किये गये थे। पर मेरे इलाके में तो कोई काम नहीं हुआ। सदरे मोहतरम, आखिर हम भी वहां से जीत कर आते हैं वहां की जनता को कोई डेवलपमेन्ट आप करते नहीं हैं आखिर यह क्या बात है। वैसे जिसमें आप इन्टरेस्टेड होते हैं उसके लिए राज्य सरकार चाहे जो खर्च कर सकती है। मैं आपको एक बात सदन के सामने गुजारिश करना चाहता हूं, सदरे मोहतरम, कि हमने पूरे बजट भाषण में कोई छोटी-मोटी ईरिगेशन की योजना हमारे वहां चालू करवाने की नहीं देखी। वैसे आप पिड़ावा के जो पहले एम० एल० ए० थे उनके लिए उनके फार्म पर बिजली पहुंचाई थी उस पर राज्य सरकार का करीब डेढ़ लाख रुपया खर्च हुआ। इस प्रकार आप जनता का पैसा एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए खर्च कर देते हैं पर दूसरी जनता के लिए आपने कोई योजना शुरू नहीं की है। वहां पर और किसी काश्तकार का फायदा नहीं हुआ। 1½ लाख रुपये एक व्यक्ति के लिए लगा दिए। जब कि हजारों किसानों के लिए कुछ नहीं किया। जनता का पैसा था लेकिन एक व्यक्ति के फायदे के लिए खर्च कर दिया।

हमारे जिले में आपने एक भी बड़ा तालाब नहीं बंधवाया है। हमारे यहां पर बड़ी बड़ी नदियां जरूर हैं। आपके पास इतना बड़ा आबपाशी का बजट है। कुछ न कुछ तो झालावाड़ को भी दीजिये। करोड़ों रुपया आप दूसरी दूसरी जगह लगाते हैं कुछ तो हमारे यहां भी लगाइये। हम तो हकदार हैं उसके लिए। हमारे लिए आप एक पैसा खर्च नहीं करो तो इसको कौन बर्दाश्त करेगा? कोई करने वाला नहीं है। इसलिए मैं निहायत अदब के साथ निवेदन करूंगा कि आप इसको नोट तो कर लीजिये ताकि मालूम पड़े कि आपने नोट तो किया है कम से कम। मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जिले में बड़े बड़े नाले हैं यदि एक एक लाख रुपया भी खर्चा किया जाय तो वहां के किसान काफी खुश हो जायेंगे।

आशा और उम्मीदों के साथ मैं एक लाख जनता की आवाज को आपके सामने रख रहा हूं। इसको भी राजस्थान का एक अंग समझिये, आप हिस्सा समझिये। हम कोई गैर नहीं हैं।

हमारा इलाका एम०पी०के इलाके से मिला हुआ। वहां पर बड़ी 2 योजनायें हैं। हमारे यहां हम देखते हैं कि एक भी योजना नहीं है। कितने अफसोस की बात है? महरबानी करके कुछ तो करो। हमें आप समझें कि हम हिस्से हैं आपके। अफसोस इसी बात का है कि हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई तरक्की नहीं। महाराजा झालावाड़ होते तो कुछ तो तरक्की होती। एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए आपने डेढ लाख रुपया खर्च कर दिया और लाखों आदमियों के लिए कुछ नहीं। तालाब नहीं, नहर नहीं।

(श्री हाजीजान मोहम्मद)
जमीन अच्छी है, कुओं में पानी अच्छा है। पैदावार भी जमीन अच्छी होने से खूब हो सकती है।

योजना तो बहुत हैं। साबरिया गांव है, पांच छः वर्ष पहले वहां पर उस योजना के लिए ½ लाख रुपये का प्रावधान किया था वह यों की यों ही पड़ी है। पांच हजार बोरी सीमेन्ट की पानी से जम गयीं। जिला झालावाड़ को आप इग्नोर करते हैं यह अच्छी बात नहीं है। कोई न कोई योजना तो वहां पर होनी चाहिये ही। और तो क्या खरीफ की फसलें गल गयीं। रबी की योजना है। आप बिजली मंत्री भी हैं। आपने वहां पर बिजली भी नहीं दी। एक पैसा भी नहीं दिया। आखिर आपकी जिला झालावाड़ के साथ ऐसी क्या नाराजगी है? पांच एम०एल०एज० वहां से यहां मौजूद हैं और पांचों आपके साथ हैं। गवर्नमेन्ट की मदद करते हैं। उसके बावजूद भी कोई कीमत नहीं एम०एल०एज० की। हमारे यहां की जनता बहुत गरीब है। गंगानगर के रहने वाले तो भाषण भी देना जानते हैं और लड़ना झगड़ना भी जानते हैं। हमारे यहां के तो सीधे सादे आदमी हैं। सीधे सादे एम० एल० एज० हैं। हमारे यहां के किसान महनती हैं। आप छोटी 2 योजनायें बना कर ही आबपाशी का तो किसानों को मौका दीजिये, देखिये आप फिर कि किस कदर पैदावार में इजाफा होता है। इस तरफ आप कदम उठाइये जिससे कि जिला झालावाड़ की पिछड़ी हुई जनता है उसका फायदा हो सके।

हमारे यहां बड़े बड़े देह भरे हुए हैं जो बारह महीनों पानी से भरे हुए रहते हैं नह पर योजना बना कर आबपाशी करायें। विधान सभा भी खत्म हो जावेगी और आप भी हमेशा मंत्री रहने वाले नहीं हैं। मौका आया है तो काम कर जाओ। अच्छा काम कर जाओ हमारी इलाके की जनता में अच्छा नाम भी कमा जाओ। मैं निवेदन करता हूं कि आप अच्छी स्कीम्स को लागू करेंगे, जिला झालावाड़ में आपका नाम रोशन होगा और हमेशा आपको जनता याद रखेगी।

श्री सभापति : श्री सुरेशचन्द्र।

श्री सुरेन्द्रसिंह : आज सिंचाई की मांग के सिलसिले में, सभापति महोदय, चर्चा कर रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। खाद्यान्न की जो बहुत बड़ी समस्या है उसको हल करने के अन्दर यह विभाग काफी मदद कर सकता है।

काफी माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में अपने विचार प्रकट कर दिये हैं और अधिक उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है। सन् 1952 से लेकर 74 तक यदि सिंचाई बजट पर नजर डालें ईमानदारी से तो, माननीय सभापति महोदय, तो आप पायेंगे कि पूर्वी राजस्थान की क्या हालत है। खास कर यदि जयपुर जिले की ओर नजर डालें तो और हालत बदतर मिलेगी। जब जब आप से पूर्व सिंचायी मंत्री थे उन्होंने माना है कि जयपुर डिविजन में बहुत कम खर्चा किया गया है। सिंचायी मंत्री और मुख्य मंत्री हमेशा उदयपुर डिविजन के रहने से जयपुर डिविजन पर उनकी नजर बहुत कम है। यहां का किसान महनती है। जमीन भी उपजाऊ है। नहरें, बांध या बिजली से सिंचाई के साधन उपलब्ध करायें, जो भी साधन सिंचायी के आप उपलब्ध करायेंगे तो यहां पर उत्पादन काफी बढ़ सकता है। बांध बंधाने की काफी गुन्जाइश है। थोड़ा सा

(श्री सुरेन्द्रसिंह)
पैसा लगावें और काफी आबपाशी उससे हो सकती है ।

मेरे क्षेत्र में एक बांध है । तत्कालीन सिचायी मंत्रीजी लड्ढा साहब ने उस बांध को बंधवाने का आश्वासन भी दिया था, मिट्टी से भर गया है उसकी ऊंचाई बढ़ाने की थी । तीन तीन, चार-चार आश्वासन दिये । मंत्रीजी चले गये, आश्वासन भी चले गये । मौजूदा मंत्रीजी उस आश्वासन को पूरा करेंगे क्योंकि सरकार का आश्वासन है । एक्जामिन कराया गया तो यह कहा कि ऊंचा किया जा सकता है । यह निर्णय काफी अर्से पहले ले लिया । निर्णय लिये चार साल हो गये । आश्वासन दिये जा रहे हैं कि ऊंचाई कर रहे हैं । आज तक नहीं कराया गया । टेन्डर टेन्डर में माल भर तो निकल गया । उस बांध के लिये अब क्या करने जा रहे हैं ?

आपके इन्जीनियर ने बनाई बांध की योजना बनाई, कोटापूतली क्षेत्र का । हजारों बीघों की सिचायी हो सकती है । यह कहा पंचवर्षीय योजना में शुरू कर दिया जावेगा । अगले वर्ष योजना शुरू होने वाली है । आप इसको करवायेंगे पहले वर्ष में ही योजना के तो सही लाभ मिल सकता है ।

एक लाख, के एक बांध की योजना है । एक लाख, दो लाख का काम तो आप जब चाहें तब करा सकते हैं । यह कहा जाता है कि पैसा नहीं है वित्तीय संकट है । यह सब टालू मिक्सचर का सा जवाब है । पहले सिचायी मंत्री टालूमिक्स्चर थे । इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिन जगहों पर काम कराना चाहते हैं उनकी निश्चित घोषणा कीजिये । निश्चित रूप से काम कीजिये और घोषणा ही नहीं. घोषणायें तो बहुत होती हैं, आश्वासन बहुत होते हैं । मौके पर तत्कालीन मंत्री महोदयन ने जाकर कहा था काम शीघ्र शुरू होगा लेकिन आपके शीघ्र की कोई परिभाषा नहीं है । एक साल, दो साल तो आपके शीघ्र की श्रेणी में आते ही नहीं हैं । मैं कहता हूं अब भी शीघ्र काम शुरू करवा दीजिये ।

इसके अलावा चित्तोली बांध है । बैराठ को काफी जमीन की इस बांध से सिचाई की जाती है । बाकी जो पानी बचता है वह मेरी तहसील में आता है । हमेशा झगड़े होते हैं, क्योंकि पानी का काम शुरू में पड़ता है और शुरू शुरू में वे कर लेते हैं । मेरी तहसील दूर पड़ती है इसलिये वहां तक पानी पहुंच नहीं पाता है । सारी नहर रेतीली है. मिट्टी की है, उसमें पानी आते आते सूख जाता है । उसकी कभी सफाई नहीं होती है वास्तव में उसकी सफाई होनी चाहिये । आये दिन इस नहर के पानी के लिये झगड़े होते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है जब तक पक्की नहीं करवायेंगे तब तक झगड़े होंगे । पक्की करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यही है कि एक लाख कम खर्च होगा, मेरा निवेदन है उस बांध में जितना पानी है उसका पूरा उपयोग हो सकता है । नहर कच्ची होने से उत्पादन में रुकावट आती है । इस बार भी झगड़ा हुआ । पानी मिला नहीं है । कहा यह गया था कि पानी का निर्णय कर दिया गया है । निर्णय आपका न मालूम कहां पड़ा हुआ है । उनकी फसल सूख रही है । आपके विभाग के अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया था, उनको भी आज तक पानी नहीं दिया जा रहा है । इसलिये, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं इस चितोली बांध को पूरा करना चाहिये ।

सभापति महोदय, मुझे जानकारी मिली है भारत सरकार ने एक पत्र लिखा है और

(श्री सुरेन्द्रसिंह)

कहा है साबी नदी में बाढ़ आती है। उसको रोकने के लिये भारत सरकार पूरा खर्चा देगी। मैं कहना चाहूंगा जब भारत सरकार पूरा पैसा देती है तो उसका उपयोग क्यों नहीं करें। चितोली बांध मुख्य रूप से छोटी-मोटी तीन नदियों से मिलकर साबी नदी में जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि वे इस क्षेत्र का सर्वे करें। जो आपका वित्तीय संकट का बहाना है वह समाप्त हो जाता है, क्योंकि भारत सरकार पूरा पैसा दे रही है। अभी तक उस पैसे को लेने के लिये आपके विभाग ने कोई योजना नहीं बनाई। इसलिये आप अधिकारियों को निर्देश दें, जो पत्र आया है उसका लाभ लेने के लिये कुछ करें। राजस्थान सरकार को पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और हमारी समस्या का भी हल हो जायगा। इसके लिये भी सर्वे किया गया था 7-8 साल पहले, बहरोड़ पर बांध बनाने की योजना थी। बांध आप बना देंगे तो आपके विभाग के अधिकारी भी जानते हैं और आप भी जानते हैं पानी आ जायगा और सिंचाई में काफी मदद मिलेगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं वित्तीय संकट की जो आपकी हालत है वह सही है किन्तु भारत सरकार से पत्र आया है। दो दो बांधों की योजना आप बना देंगे जिनकी बहुत थोड़ी थोड़ी लागत के हैं तो आपकी भी परेशानी दूर हो जायगी और हमारी भी परेशानी दूर हो जायगी।

माननीय सिंचाई मंत्री से निवेदन करूंगा जो अब तक उदासीनता की दृष्टि रही उस पर गौर करेंगे। अभी एक कमेटी बनी थी मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, मुख्य सचिव भी हैं, आप भी हैं, कांग्रेस के और भी हैं तो मैं समझता हूं कमेटी के नाते आप विशेष ध्यान देंगे। आपने आंकड़ों से भी महसूस किया होगा, बजट से भी महसूस किया होगा जयपुर जिले के लिये बहुत कम खर्चा किया गया है। अब आप कुछ पैसा देकर इस जिले की तरक्की के लिये खर्च करें और अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभायें। इस बार इधर दे दीजिये ताकि हमारा भी काम हो जाय और अगली साल, क्योंकि चुनावों के दिन आ जायेंगे आप अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में दे दीजिये ताकि आपका भी काम चल जायगा।

श्री सभापति : हरिशचन्द्र पल्लीवाल।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान सवाई माधोपुर जिले की ओर ले जाना चाहता हूं। वैसे कहते यह हैं कि सवाई माधोपुर के साथ सौतेला व्यवहार रहता, है सवाई माधोपुर जिला जिसमें गंगापुर उप-खण्ड है और वह उप-खण्ड राजस्थान में खाद्यान्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तिलहन में राजस्थान में सर्व प्रथम और खाद्यान्न में द्वितीय स्थान आता है। हमारे यहां सिंचाई के दो प्रकार के साधन हैं। एक तो कुआ और दूसरा तालाब। किन्तु कुआ है तो बिजली नहीं है और तालाब है तो पानी नहीं है। सभापति महोदय, 1972 के अन्दर हमारे इस जिले के अन्दर भयंकर अतिवृष्टि हुई और बाढ़ आई। उससे मेरे क्षेत्र में कुल 106 तालाब हैं वे सब नष्ट भ्रष्ट हो गये थे। हमने भगवान का शुक्रिया किया कि जो तालाब पहले से टूटे हुये पड़े थे, जिनकी बड़ी दुर्दशा थी वह शायद ठीक हो जायेंगे लेकिन हमारा जो उप-खण्ड है गंगापुर का उसको अकाल के अन्दर पैसा भी मिला लेकिन उन तालाबों की पूर्ण रूप से मरम्मत नहीं हो पाई है। अब इसके

(श्री हरिशचन्द्र पल्लीवाल)

कई कारण हो सकते हैं। ऐसे ठेकेदार को ठेका दिया जिसने जिन्दगी में कभी ठेका नहीं लिया। मैं इस विवाद में तो नहीं पड़ना चाहता हूं कि इस तरह हुआ या नहीं हुआ लेकिन मुझे इस क्षेत्र के लिये इतना निवेदन करना है सवाई माधोपुर में कई ऐसी योजनायें हैं जिनकी तरफ अगर सरकार ध्यान देना चाहे तो काफी हद तक समस्या हल हो सकती है। मैं समझता हूं सरकार की निगाह में बड़ी बड़ी योजनायें है लेकिन जितनी बड़ी बड़ी योजनायें चलती हैं उनका देर से ही रिटर्न निकलता है तो मेरा निवेदन है इसके साथ साथ छोटी छोटी योजनाओं को भी हाथ में ले लिया जाय जिसमें खर्च भी कम होगा और रिटर्न भी जल्दी निकलेगा। सरकार का ध्यान बड़ी बड़ी योजनाओं में रहता है। अभी इस पंचवर्षीय योजना में मेहरबानी करके करौली का बान्ध ले तो लिया है लेकिन मैं निवेदन करूंगा उस योजना को शीघ्र शुरू करवा दिया जाय ताकि उस क्षेत्र को लाभ शीघ्र पहुंच सकता है।

दूसरे मेरे क्षेत्र में रायपुर की नदी है इसे पहले भी वहां के कृषकों ने भूतपूर्व मंत्री को लिखा था कि यदि इस नदी पर अभी बान्ध नहीं भी बनवाना चाहते हैं तो सर्वे करा लीजिये लेकिन सर्वे कराने का उनको उत्तर भी नहीं मिलता है। अगर उस नदी पर बांध बन जाता है तो एक हजार एकड़ भूमि सिंचाई हो सकती है। यह देखने का काम है, आप सर्वे अवश्य करालें ताकि हमें तसल्ली हो जायगी कि जो हमारा प्रस्ताव है वह मान लिया गया है और आपको भी इस क्षेत्र के लिये तसल्ली हो जायगी।

दूसरा, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है हमारे सवाई माधोपुर में दो तरह के तालाब हैं, एक प्राईवेट और दूसरे सरकारी। जो प्राईवेट तालाब होते हैं वे गांव के निजी तालाब होते हैं, अभी तक यही होता है जो पंचायत समिति होती है वह उस तालाब के लिये पैसा देती है लेकिन पंचायत समिति से हमें कोई उम्मीद नहीं हैं और न उनके पास फन्ड है लेकिन अब हमारे जो किसान भाई हैं वे इस बात को समझने लगे हैं जो हमारे प्राईवेट तालाब हैं सरकार उनको लेना चाहें तो सरकारी तालाब में कनवर्ट किया जा सकता है और इसके लिये वहां के किसान भाई सहर्ष तैयार हैं। 7-8 तालाब पानी के ऐसे हैं जो सरकारी तालाब में घोषित कर दिये जाते हैं तो ठीक रहे। 3-4-तालाब हैं जिनके लिये मैंने निवेदन किया था सरकारी तालाब घोषित कर दिया जाय। गांव वालों ने कई बार उच्च अधिकारियों को लिखकर भेज दिया जैसे केवरा, रेवका तलाब है जिनसे हजार, दो-दो हजार बीघे जमीन की पिलाई हो सकती है लेकिन सरकार का ध्यान नहीं गया है। बार बार लिखने के बाद भी यह कहती है कर रहे हैं, कर रहे हैं। जो प्राईवेट तालाब हैं अगर सरकारी में परिवर्तित हो सकते हैं तो अवश्य किये जांय। उधर गांव वालों की इसके लिये एप्लीकेशन आई हुई है तो उन तालाबों को शीघ्र से शीघ्र सरकारी तालाब में घोषित कर दिया जाय और जो तालाब टूटे हुये पड़े हैं उनकी मरम्मत करादी जाय।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन करना है वह यह है कि सवाई माधोपुर के अन्दर बनास नदी है जो कि बारहों महीने बहने वाली है। यह मेरे खयाल से राजस्थान के अन्दर दूसरे नम्बर की नदी है जिसमें कि 12 महीने पानी रहता है। इस बनास नदी के ऊपर भी बांध बना दिया जाये तो सवाई

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

माधोपुर जिला भी अन्न के मामले में काफी हद तक फायदा पहुंचा सकता है। इससे हमें उत्पादन में काफी हद तक मदद मिल सकती है।

सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन और है और वह यह है कि गंगापुर क्षेत्र के अन्दर सन् 1972 में तालाबों की मरम्मत का काम हाथ में लिया था; लेकिन 1972 में बाढ़ आ जाने के कारण से उनके काम अधूरे छोड़ दिये गये और अधूरे इसलिए छोड़ दिये गये कि वह 72 से पहले के बने हुए थे। उनकी मरम्मत के लिए सरकार ने बजट में प्रावधान रखा था और अकाल सहायता से पैसा मिला था। उस पैसे को उन्होंने लगाया लेकिन 72 के अन्दर जिनका कार्य चल रहा था वह अधूरे पड़े हुए हैं। इसके कारण से जो वहां के कृषक हैं उनको परेशानियां हो रही हैं। कारण यह है कि जैसे खंडीत का तालाब है वह अधूरा पड़ा है, इसलिए मेरा निवेदन है कि जो इस तरह के तालाब हैं अगर उनको इस साल के भी बजट में ले लिया जाये तो उससे किसानों को बहुत राहत पहुंचेगी।

दूसरा निवेदन यह है कि मोरेल बांध है उसकी कई नहरें ऐसी हैं कि उनसे समय पर पिलाई नहीं होती है और इसके कारण से किसानों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बारे में एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर से भी निवेदन किया और वहां के कृषक भी मंत्री महोदय के पास आते हैं और मंत्री महोदय आर्डर लिख देते हैं लेकिन उसके आगे कोई कार्यवाही नहीं होती है इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है।

बस, सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने मेरे क्षेत्र के बारे में बातें रखी हैं उनकी ओर सरकार द्वारा ध्यान दिया जाये और सवाई माधोपुर जो पिछड़ा हुआ जिला है उसके विकास का पूरा ध्यान रखा जाये जिससे देश के अन्दर खाद्यान्न की समस्या जो उत्पन्न है उसको हल करने में सवाई माधोपुर जिला भी अपना सहयोग दे सके और अपना हाथ बंटा सके।

श्री सभापति : श्री लूणाराम।

श्री लूणाराम (डूंगरपुर) : सभापति महोदय, मांग संख्या 45 सिंचाई के संबंध में मुझे भी निवेदन करना है। धरती माता की सिंचाई मानव मात्र की सरसाई है पर इस प्रदेश का दुर्भाग्य कहें या अहोभाग्य—पर हमारे प्रदेश में कोई नदी का उद्गम स्थान नहीं है फिर भी इस धरती माता की सेवा का व्रत लेने वालों ने हमेशा इसे हरीभरी देखने की जिज्ञासा अपने दिलों में संजोये रखी और आजादी मिलने पर हमें विरासत में चम्बल, माही, बनास, पार्वती, जवाई, लूणी एवं गंग केनाल जैसे स्थायी एवं अस्थायी नदी व नहरें मिलीं व इसके अलावा छोटे मोटे बंधे व कुए आदि भी मिले हैं। पर हम भी इस बारे में निष्क्रिय रहे हों ऐसी बात नहीं है। हमने भी समय समय पर राजस्थान नहर जैसी बड़ी योजनाओं को हाथ में लिया और उनके ऊपर हम आज भी पूर्ण क्षेत्र के लिए डटे हुए हैं। राजस्थान निर्माण के बाद राजस्थान नहर, भाखरा, कडाणा, गांधीसागर, राणा प्रताप सागर व पोंग डेम, बंधों, तालाबों व कुओं का निर्माण हुआ जिसके परिणाम स्वरूप आज अनोपगढ, सूरतगढ राजस्थान नहर से व कुओं से सीकर, झुंझुनू जैसे जिले हरियाली से लहलहा रहे हैं। सभापति महोदय, जो हमने भाखरा, कडाणा, गांधीसागर, राणा प्रताप सागर आदि बड़े बड़े बांध बनाए तो

(श्री लूणाराम)

इनको भी हमें नजरअन्दाज नहीं करना चाहिये। पर इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो प्राथमिकता सिंचाई को मिलनी चाहिए थी वह हमारी तरफ से नहीं दी गई; अपितु यह भी कहना पड़ेगा कि हमने सिंचाई के लघु साधन जुटाने वालों को प्रोत्साहन तक भी नहीं दिया उसी के परिणामस्वरूप आज सिद्धमुख जैसी केनाल का काम अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है जो शीघ्रातिशीघ्र किया जाना अति आवश्यक है।

इसी प्रकार से, सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आज राजस्थान नहर के प्रताप से राजस्थान के बारे में यह कहा जाये कि अन्न के मामले में देश की शान रखी जा रही है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी और आज यह इलाका अपनी एक अनूठी शान लिए हुए अपने पैरों पर खड़ा है। यह राजस्थान केनाल का ही प्रताप है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ आज राजस्थान नहर का जिस गति से कार्य होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। उसके अन्दर हम चाहते हैं कि चाहे हमारी और छोटी मोटी योजनायें बन्द की जायें लेकिन राजस्थान नहर की योजना को सबसे पहले पूरा कर दिया जाये जिससे हमारा प्रदेश अन्न से भरा पूरा हो जाये। सभापति महोदय, आज देखा जाता है कि हमारे कार्य करने की गति क्या है। राजस्थान नहर के अन्दर खुदाई का कार्य आरम्भ किया जाता है और इसका पेमेन्ट दे दिया जाता है। सभापति महोदय, यह खुदाई का कार्य गर्मियों के पहले कराया जाता है और मई जून में गर्मियां आती हैं और आंधियां चलती हैं और वापिस खुदी हुई नहर भर जाती है और वापिस वैसी की वैसी खुदाई करनी पड़ती है और दुबारा मिट्टी के पेमेन्ट भी फिर किया जाता है। तो, सभापति महोदय, इस संबंध में मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए यही निवेदन करूंगा कि जो भी नहर की खुदाई का कार्य कराया जाये उसका साथ ही साथ चिनाई का कार्य भी लगते लगते करवाया जाये, जिससे जो हमारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है वह नहीं होगा और कार्य को भी गति मिलेगी और उस कार्य की उपयोगिता भी भविष्य में हमारे सामने होगी। इसी तरह से राजस्थान नहर का निर्माण कराया गया है, उस समय पर भी नहरों की चिनाई नहीं होने से बहुत पानी का दुरुपयोग होता है, जिससे हमारी फसल के ऊपर भी और अन्न के उत्पादन पर भी काफी असर पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी पीछे के जो इस तरह के काम हो सकते हैं छोटी नहरों के यह भी करवायें जायें जिससे कि इसके अन्दर किसी प्रकार की पानी की किल्लत नहीं आये।

अब इस संबंध में यह यह भी कहूंगा कि गरीबों का शोषण होता है और भ्रष्टाचार फैलता है। उसके बारे में निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, कि राजस्थान नहर के अन्दर काम आने वाली चीजें और बिकने वाली सीमेन्ट जो बाहर बिकती है उसको भी रोका जाये। अगर, सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में सीमेन्ट कहीं नहीं मिले तो भी ब्लैक के अन्दर राजस्थान केनाल के ठेकेदारों से सीमेन्ट मिल जाती है। तो इस ओर भी हमें सतर्कता बरतनी चाहिए और इस चीज की रुकावट करने कि जो सामान सीमेन्ट है वह पूरा की पूरी नहर में लगे इसके बारे में हमें इन्जीनियर्स को अधिक चौकस करना पड़ेगा। यह भी मैं मंत्री महोदय से

(श्री लूणाराम)

निवेदन करना चाहता हूं ।

इसी के साथ साथ, सभापति महोदय, नहर खुदाई के ठेके दिए जाते हैं, भट्टे बनाने के लिए भी ठेके दिए जाते हैं । ठेकेदारों द्वारा गरीबों का किस प्रकार से शोषण किया जाता है यह बात भी अपने आप में दिल दहला देने वाली बात है । हम आये दिन देखते हैं । हमारा जिला सूखा होने के कारण और नहर के नजदीक होने के कारण नहर के कार्य पर मजदूर मजदूरी करने के लिए जाते हैं । ठेकेदारों ने ऐसा षडयन्त्र कर रखा है कि जाते ही मजदूर को चंगुल में फंसा लिया जाता है और जो भी मजदूर ऊंट लेकर जाता है उसको सौ, पचास रुपया एडवान्स दे देता है और ऊंट व गाड़ा अपने नाम करा लेता है और उसको कहते हैं कि तुमको सिर्फ इतना ही अधिकार है कि तुम ढुलाई का काम किये जाओ और हमारा हिस्सा कटवाते जाओ । सभापति महोदय, इस प्रकार से डराकर उसकी हालत यह की जाती है कि मजदूर अपने ऊंट का भरणपोषण नहीं कर पाते, परिवार का भरणपोषण करना तो दरकिनार रहा और नतीजा यह होता है कि ऊंट बीच में ही मर जाता है । यह आपके ठेकेदारों ने हालत कर रखी है । अगर वह वहां से छुट्टी न मिलने से भागने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊंट तो छीन ही लेते हैं लेकिन उनको पुलिस में पकड़वा कर उनकी बेइज्जती की जाती है । चोरी के मुकदमे दर्ज किये जाते हैं इसी बारे में मैं दूसरा निवेदन करूं कि जो सिर पर ढुलाई करते हैं उनके बारे में बताऊं कि उन गरीब मजदूरों के साथ क्या व्यवहार होता है । उन मजदूरों के साथ ठेकेदारों के जो गिरोह रखे जाते हैं जो काम होता है उनका पांच रुपये का और नपाई करते हैं दो रुपये की और इस प्रकार से उनका शोषण करते हैं । ये साधारण गरीब मजदूर गए तो थे कमाई करने के लिए लेकिन उन पर सैकड़ों का कर्जा हो जाता है जिसको वे उतार नहीं सकते हैं । नतीजा यह होता है कि वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं और गांव वापस आने की कोशिस करते हैं । जब वे वहां से आने लगते हैं तो उनको कहते हैं कि तेरी औरत को छोड़ जा और तू चला जा । आज ऐसे उदाहरण अनेकों आपको वहां पर मिलेंगे । नौजवान औरतें, बीस बीस, पच्चीस पच्चीस साल की औरतें उन गरीब मजदूर की औरतें उनको ये ठेकेदार लोग वहां पर रख लेते हैं और जैसे ठाकुर लोग किया करते थे उन औरतों के साथ में उस प्रकार से आज हमारे सामने दुर्व्यवहार के दृश्य देखने को मिलते हैं ।

सभापति महोदय, इस बारे के अन्दर कोई एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं । एक गरीब आदमी मेरे क्षेत्र का, जिसको टी० बी० हो गई, उसको तीन साल तक नहीं छोड़ा गया । आखिर वह भाग कर अपने गांव आ गया, अपने बच्चों को ले आया लेकिन उसकी औरत को नहीं आने दिया । उसके बाप ने आकर सारी हालत मुझ से कही । मैं तो किसी ठेकेदार को जानता नहीं था । मैंने इतना जरूर किया कि वहां जो कमिश्नर साहब थे कोलोनाईजेशन के श्री रस्तोगीजी, वे किसी समय में हमारे यहां पर एस० डी० ओ० रहे थे, इसलिए मैं उनको थोड़ा बहुत जानता था, मैंने उनको पत्र दिया कि इस तरह से अन्याय हो रहा है । यहां तक हुआ कि उस आदमी की डेथ हो गई थी पर फिर भी उसकी औरत को नहीं जाने दिया गया । सारी हिस्ट्री लिख कर उन कमिश्नर साहब

(श्री लूणाराम)

को दी तो न मालूम कमिश्नर साहब ने क्या किया, किस प्रकार से व्यवस्था की, यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन आखिर में जाकर उस ठेकेदार के आदमी आकर उस औरत को गांव में पहुंचा गए। आज वहां पर एक उदाहरण नहीं ऐसे सैंकड़ों उदाहरण मालुम हो सकते हैं कि न जाने कितनी स्त्रियों के साथ इस प्रकार से राजस्थान कैनाल के ठेकेदारों द्वारा ज्यादती की जाती है कि जिसकी वजह से सुनकर शर्म के मारे हमारा सिर नीचा हो जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस प्रकार से ठेकेदारों को जो ठेका दिया जाता है उसका मतलब यह नहीं हो जाना चाहिए कि यह कोई उनकी जागीर हो गई है; बल्कि उन पर नियंत्रण रखना चाहिए और जो उनकी नपाई वगैरा की जाती है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, यही मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है।

सभापति महोदय, मैं इसके अलावा कोलोनाईजेशन के सम्बन्ध में भी निवेदन करूंगा कि आज कोलोनाईजेशन के बारे में यह हाल है कि उसी राजस्थान नहर क्षेत्र के अन्दर छतरगढ़ स्टेट के समय हमारे बीकानेर के महाराजकुमार विजयसिंहजी की एक जागीर थी, उस समय उस जागीर के अन्दर बीकानेर और चूरू जिले के जो हजारों काश्तकारों ने जमीनें लीं सं० 2028 के लगभग जैसे जागीरदारों से लिया करते थे, जमीनें लीं और जब खालसा होने पर सम्वत् 2011-12 के अन्दर हमारी स्टेट के रूप में रिकार्ड पर राजस्थान सरकार का कब्जा रहा। सब कुछ होने के बाद सम्वत् 2013 में उस समय रेवेन्यू तहसीलदार, अनूपगढ़ ने तमाम की तमाम जमीन खारिज कर दी। होना तो यह चाहिए था कि सम्वत् 2012 की गिरदावरी का राज्य सरकार ने निर्णय लिया था, उस गिरदावरी के हिसाब से खातेदारी दी जाती। ऐसा नहीं करके उल्टे उस पर लाल स्याही फेर दी और सारे किसान भूमि से वंचित रह गए। सभापति महोदय, इसके अन्दर एकाध नहीं अनेकों उदाहरण पेश कर सकता हूं। उस समय यहां तक किया गया कि एक महीने का आर्डीनेंस जारी करवाया कि अगर किसी को इन जमीनों की खातेदारी लेनी हो तो दो गुणा या दस गुणा रकम जमा करावें तो उसको खातेदारी सारी जमीनों की दी जा सकती है। नतीजा यह हुआ कि उस समय के जितने भी गंगानगर में आफिसर थे, और भी किसी डिपार्टमेंट में आदमी थे उन्होंने इस प्रकार की जो जमीनें ले रखी थी उन जमीनों की, उसकी रकम भर दी। और तीन दिनों में खातेदारी दी गई। परिणाम यह हुआ कि आज वे खातेदारी लिए बैठे हैं और दूसरे किसान आज उसी किस्म की जमीन के बिना बर्बाद हो गए हैं। उनकी जमीनें खारिज कर दी गई। यही नहीं हुआ सभापति महोदय, कि उनकी खातेदारी छिन गई बल्कि जो उनके काश्तकारी अधिकार थे वे भी उनसे छीन लिए गए। होना तो यह चाहिए था कि सम्वत् 2012 की गिरदावरी के अनुसार उनको खातेदारी राइट दिए जाते लेकिन उनको काश्तकारी राइट से भी वंचित कर दिया गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, हमारे इलाके का यह अहम् सवाल है जो हजारों किसानों से सम्बद्ध है इसलिए मैं थोड़ा निवेदन करूंगा। इस सम्बन्ध में मैं माननीय उपनिवेशन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आज

(श्री लूणाराम)

वहां पर हजारों किसान जमीन से वंचित है और उनकी रोजी का कोई साधन नहीं है। दूसरा इसके अन्दर यह हुआ कि इसके अन्दर आदमी थे वे सब आ गए और जो खारिज की हुई जमीनें थीं उन पर बड़े बड़े सेठों ने कब्जा छोड़ा नहीं। एक तो कोई सेठ बांगड़ हैं जो डीडवाना के हैं या लाडनू के और दूसरे नोहर के, कोई कलाना के मालपाणी हैं उन्होंने उन खारिज की हुई जमीनों पर उनके व उनके रिश्तेदारों के नाम से कब्जा कर लिया। ये दो सेठ ही नहीं और भी बहुत से सेठ होंगे मैं यह पूछता हूं कि इन सेठों को जमीनों की आवश्यकता है या नहीं ? इस रूप में दो सेठों का जिक्र तो मैंने किया जिनके बारे में सुना जाता है कि उनके पास डेढ़ सौ, दो सौ मुरब्बे जमीन है जिसके खातेदारी अधिकार उन्होंने हासिल नहीं करे हैं मैं यह कहता हूं कि ऐसी खारिज की जमीनें किन लोगों को आपने दे रखी हैं। आज जिनका खेती से कोई वास्ता नहीं है, जो बीकानेर के अन्दर शहरों में रहने वाले हैं, उनके बाप दादे ही नहीं, उनकी पीढ़ियों ने कभी कोई कृषि से सम्बन्ध नहीं रखा, उनको आज ये जमीनें अलाट की गई हैं। पीढी दर पीढ़ी से जिनको देख रहे हैं कि उनका खेती से सम्बन्ध नहीं रहा है उनको आज जमीनें दे रखी हैं और आज वे फसलें ले रहे हैं। इस प्रकार से जिन किसानों का सन् 1955 तक का कब्जा था उनका कब्जा खारिज करके ऐसे आदमियों को अलाट की गई हैं, जिनका काश्तकार होने का वास्ता नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा और यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर पुनः विचार किया जाय। दूसरे रूप में आप देखें कि या तो पंजाब से आए हैं या दूसरी जगहों से आए हैं उनके पास गंगानगर की जमीनें हैं और वहां के भूमिहीन किसान बिना जमीन के बर्बाद हो रहे हैं। आज बीकानेर स्टेट के टाइम से राजस्थान बनने के बाद जो भी कोई अधिकारी गंगानगर जिले में रहा है उसमें से दस परसेंट ऐसे अधिकारी मिलेंगे उसमें चाहे कोई भी अधिकारी हो, पुलिस का सिपाही हो, तहसील का चपरासी हो, रेल्वे का बाबू हो, उन्होंने वहां पर किसी न किसी तरह से अपनी औरत के नाम पर, अपने भाइयों के नाम पर, अपने पिता के नाम पर, अपने बेटे के नाम पर या अपने किसी रिश्तेदार के नाम पर जमीन न ली हो। इस तरह से सारी की सारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। दूसरे रूप में जो भूतपूर्व जागीरदार थे जिनका राजस्थान में कहीं पर भी कोई जागीर का भाग रहा हो और खुदकाश्त भूमि दर्ज हुई है। इस प्रकार से अपनी जागीरों को खुदकाश्त भूमि या तो अपनी औरतों बच्चों के नाम पर ट्रांसफर कर दिया या उनको बेच कर भूमिहीन कहला कर यहां पर गंगानगर आकर खुदकाश्त की जमीन मंजूर करा कर कब्जा कर लिया है। आज यह गंगानगर जिले की हालत है। इस प्रकार से सारी जमीनों पर ऐसे लोग कब्जा किए बैठे हैं जिनका कभी इन जमीनों से कोई वास्ता नहीं रहा है। मैं माननीय उपनिवेशन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के मामलों की जांच की जाय और काश्तकारों को जमीन दिलाई जावे जो वास्तव में काश्तकार हैं जिनका धन्धा काश्तकारी है, और जिनके पास सं० 2012 में भी दी जाए और जागीरदार लोग जिस तरह पहले रहा करते थे उनकी जमीनों पर दूसरे काश्त करते थे और अपना बांटा लिया करते

(श्री लूणाराम)

थे, उसी तरह से आज वे बम्बई में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, बीकानेर में रहते हैं कोई सर्विस में है, कोई धोलपुर में एस० डी० ओ० है तो कोई बांसवाड़ा में कलेक्टर बना हुआ है। यह तो मैंने उदाहरण के तौर पर कहा है, किसी का नाम नहीं लिया है। तो भूमि अलाट कराकर वोट लेते हैं तो इस प्रकार की हालत वहां पर हो रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उस इलाके के अन्दर जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी से यहां पर सम्बन्ध रहा है, यहां पर रहते आए हैं, जो किसान हैं मजदूर हैं वे बिना जमीन के हैं और उनका गुजारा मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इसके बारे में निवेदन किया है।

इसी प्रकार से आज अनकमाण्ड जमीन के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : संक्षेप में, जल्दी करिए।

श्री लूणाराम : आप कहते हैं तो आपके आदेश का पालन करते हुए यहीं समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मैं अधिक नहीं बोलना चाहता हूं, केवल पोइन्ट्स नरेट करूंगा क्योंकि समय नहीं है। मान्यवर मैं मंत्री महोदय से....

श्री उम्मेदीलाल : सभापति महोदय, मेरा भी नम्बर।

श्री सभापति : [illegible] राजिये।

श्री केदारनाथ : क्योंकि आपने जब से यह विभाग सम्भाला है, अभी मेरे से पहले हमारे सूरतगढ़ से आने वाले माननीय साथी ने गंग कैनाल और राजस्थान कैनाल के संबंध में काफी बातें कहीं हैं और माननीय साथी पदमपुर से आने वालों ने भी अपनी निजी जानकारी के आधार पर काफी बातें कहीं हैं। मैं उनका रिपीट नहीं करना चाहता। मैं एक ही निवेदन करूंगा कि अगर जब इण्डस वाटर ट्रीटी समाप्त होने के बाद सन् 70 में राजस्थान नहर और पौंग डैम की सारी चैनल्स का प्लग करने के बाद उस पानी का उपयोग करते तो कितना पानी राजस्थान कैनाल को मिलता। आपने 1700 करोड़ व्हीट को इम्पोर्ट करने में लगा दिया। पी० एल० 480 पर जो आपने पैसा लगाया, उस पैसे का अगर इस कैनाल पर खर्च करते तो मेरे खयाल से देश को सैल्फ सफिशियेंसी की ओर ले जा सकते थे। अभी मान्यवर, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता था कि आप एक बहुत अच्छी पावरफुल लाबी क्रिएट कीजिए, एक बार दिल्ली में जाकर एम० पीज० की कांफिडेंस में लेकर प्रेस का फ्रेस के जरिए इस केस को प्रेस कीजिए।

राजस्थान कैनाल का केस, जो हमारे इन्टर-स्टेट डिस्प्युट है, हमें आपकी रिपोर्ट से यह मालूम नहीं पड़ता कि कौनसे डिस्प्युट आउटस्टेंडिंग हैं और कौन से डिस्प्युट को आपने हल कर लिया है। कम से कम तीन महीने के बाद आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट एम० एल० ए० को मिलती रहे तो हमें भी पूरी जानकारी हो और हम भी इस जानकारी के बिना पर सजेशन दें।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। जितने हैड वर्क्स हैं उनको आप निजी तौर पर इन्जीनियर को साथ लेकर स्टैडी कीजिये।

(श्री केदारनाथ)

जब तक क्लोज कान्टेक्ट में स्टैडी नहीं करते हैं, आपकी अन्डरस्टेन्डिंग ठीक है, जो आत्म विश्वास पैदा हाता है, वह स्टडी के बाद पैदा होगा और यह तब होगा जब कि आप निजी तौर पर स्टेडी करलें। कल आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था गंग कैनाल कागजों के अन्दर बीकानेर कैनाल है। एग्रीमेन्ट के मुताबिक पंजाब सरकार उस पर अन-आथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन कर रही है। आपका रिप्लाई कमेन्शींग है। आज इस डिमान्ड के ऊपर आप रिप्लाइ देने जा रहे हैं। इसका हमारे स्टेट पर और पंजाब पर अधिक असर पड़ेगा। यह पंजाब सरकार एग्रीमेन्ट को वायलेट कर रही है। यह उसका वाइलेशन है। मेन्टीनेन्स का काम है। पंजाब से एग्रीमेन्ट है। जो 20 लाख रुपया आप देंगें मेरे खयाल से 70·76 लाख का खर्चा होगा। आपने 20 लाख रुपया दिया। कब तक रिपेअर्स का काम करेंगे। पंजाब सरकार हाफ-हार्टेड है इस काम को करने में। कभी कहती है सीमेन्ट नहीं है, कभी कहती है ईटें नहीं हैं। राजस्थान कैनाल चैयरमेन ने कहा हम ये चीजें आपको मुहैय्या करेंगे। आपने भी कहा। मगर पंजाब सरकार रिपेअर्स के काम में हाफ-हार्टेड है। गलती क्या हुई ? जो नॉन-पेरिनियल है, उसका बिना केपेसिटी दिये ही डाइवरजन कर दिया। उसकी केपेसिटी पूरी नहीं है। जितना शेयर है जनवरी, फरवरी और मार्च का, हम एक्चुअल शेयर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। 50 परसेन्ट आज की हालत में है। फसलें तबाह हो रही हैं। कितना बड़ा नुकसान है। इसके बारे में जैसा कल आपने रिप्लाई दिया इनटर स्टेट मसले में पंजाब की सरकार अनआथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन किया है यह गलत किया है।

राजस्थान कैनाल के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। आपने इस साल 11 करोड़ का अलोकेशन किया है। लास्ट ईयर वायदा किया 16 करोड़ का, और खर्च हुआ 12 करोड़। इस साल 11 करोड़ दिया जा रहा है और 9 करोड़ खर्च होगा। आप इस प्रोग्रेस के साथ सोचते होंगे कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में या उसके एन्ड तक राजस्थान कैनाल को कम्पलीट कर लेंगे। यह नहीं होगी। इसके लिए जितना भी अच्छा वातावरण पैदा करें, करें। आप इसके योग्य हैं, कमीटेन्ट हैं, तब जाकर इसका नेशनल प्रोजेक्ट बना पायेंगे वरना यह कम्पलीट नहीं होगी।

अब तीसरी बात कहना चाहता हूं। सिक्सथ फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट आपके पास है। मैं मानता हूं, काफी खर्चा हुआ। असेट्स पैदा हुए और रिटर्न कम हुआ है। एक बात, एक एकड़ पर एक हजार का खर्च है। 300 करोड़ का खर्चा होगा और 30 लाख एकड़ जमीन इरिगेशन के नीचे आएगी। इसका मतलब एक एकड़ पर एक हजार का खर्चा हुआ। एक हजार पर एक परसेन्ट ब्याज रिटर्न होना चाहिये और आप टैक्स के तौर पर चार्ज करते हैं 12-13 रुपये। सिक्स्थ फाइनेन्स कमीशन ने कहा एक पर-सेन्ट का ब्याज वसूल करो। तो आपको पांच साल में 11 करोड़ की रकम मिलेगी। तो फाइनेन्स की कमी नहीं आएगी। राजस्थान कैनाल को कम्पलीट करने में तभी आप सकसेसफुल हो सकते हैं।

अन्त में, कई बार यहां पर कहा गया है कि मास्टर प्लान बनाया जायेगा। मास्टर प्लान के बारे में पिछले चार साल से सुनता आ रहा हूं। आखिर हमें मालूम तो पड़े कि मास्टर प्लान की स्ट्रेटेजिज क्या हैं। राज्य सरकार दिल्ली की सरकार को यह कह दे कि वाटर एक नेशनल वेल्थ के रूप में माना जाए

(श्री केदारनाथ)

तो हम लोगों को कोई एतराज नहीं होगा। जहां पर सरप्लस है और जिन स्टेट्स के अन्दर डेफिसिट है वाटर का, वहां पर वह ट्रान्सफर होना चाहिये। पानी नेशनल प्रोपर्टी बननी चाहिये। तब पानी के ट्रान्सफर करने के मसले ट्रिब्यूनल में नहीं जायेंगे और इन्टर-स्टेट मसले भी कम होंगे। इसलिये जब भी इरिगेशन मिनिस्टर की मीटिंग हो, प्लानिंग कमीशन को केस पेश करें, यह सुझावें कि पानी को नेशनल वेल्थ मानकर चला जाय। इसके लिए एक पुराना एक्ट है। 15-20 साल पहले यह बना था। स्टेट के वक्त की बात है। मामूली सा अमेण्डमेंट हुआ है। कई बार इन्जीनियरों की मीटिंग भी बुलाई। एक्स० ई०एन० वाटर सेंक्शन कर देता है और कलक्टर उस पर स्टे दे देता है। कलक्टर के फैसले पर सिवाय हाई कोर्ट में रिट दायर करने के और कोई गुंजाइश नहीं है। कहीं इसकी और अपील नहीं है। एक्स० ई० एन० प्रोपर आथोरिटी है। वह एक्सपर्ट है। कलक्टर एक्सपर्ट नहीं है परन्तु सारी पावर कलक्टर को दे दी है। एक्ट में काफी खामी है। इरिगेशन के बारे में इतनी बातें हुईं। इस सेशन के बाद एम०एल०ए० को साथ लेकर हैड वर्क्स में जाकर पूरी जानकारी हासिल करें।

कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट की दो बातें हैं। एक तो हमारी हाई पावर कमेटी बनी। पिछली बार क्या हुआ। लगातार आंधी के कारण हमारे काम्युनिकेशन के रास्ते बन्द हो गये, मीटिंग न हो सकी। फिर भरतपुर का इलेक्शन आ गया। इसके बाद यू० पी० का इलेक्शन आ गया। अब यह सेशन हो रहा है। एम० एल० ए० मेम्बर थे, हम कन्सन्ट्रेट नहीं कर पाये। इसलिये इसकी मियाद बढ़ाई जाए, तीन महीने, 6 महीने। मैं एम० एल० एज० की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तीन महीने के अन्दर यह कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। दूसरी बात यह है, पौंग डेम की जो शिकायत है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं। काफी डिसकशन हो चुका है। एक बात थी, जमीन का अलाटमेंट उन लोगों को करेंगे, परन्तु अलाटमेंट कर दो, काफी लोगों को हो गया। परन्तु शर्त यह है कि अगर वह खुदकाश्त करेगा, अपने गुजर के लिए, वहां पर रहेगा तब तक वह पाने का अधिकारी है। अगर वह व्यक्ति वहां नहीं रहता है तो वह जमीन स्टेट गवर्नमेंट में वैस्ट करेगी। अब क्या हो रहा है। जो फेमिली आ रही है उसमें से दो परसेन्ट बस रही है वह परमानेन्ट सेटल हुई बाकी फेमिलीज पांच हजार, सात हजार रुपया लेकर वापिस जा रही है। इसलिए वे पैसा इस ढंग से कमा रहे हैं। एग्रीमेन्ट में साफ शर्त है जमीन गुजारे के लिये है, रहने के लिये है ...

(7.57 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वे तब तक रह सकते हैं, अगर वे खुदकाश्त करें अगर वे जमीन को बेचते हैं तो वह स्टेट में वेस्ट है। यह इन्टर-स्टेट मामला है। हिमाचल प्रदेश ताकतवर है। मगर यह एग्रीमेंट की शर्तें आप लागू करेंगे। तो ठीक है वरना 6 महीने के अन्दर यह सारी की सारी जमीन इस चीज के हाथ से निकल कर दूसरे के हाथ में आएगी। कानून और व्यवस्था का प्रश्न बन जायगा। जमीन आपमें वैस्ट है। भूमिहीनों को एलाट करेंगे तब जाकर मालूम होगा। एग्रीमेन्ट के मुताबिक सख्त कदम उठाया जाए इसके लिए कहता हूं।

दूसरी बात जो चल रही है राजस्थान कैनाल में, कोलोनाइजेशन हमारे हाथ में है।

(श्री केदारनाथ)

आपने इकोनोमी आस्पेक्ट को देखते हुए लेन्डलैस को जमीन देने का फैसला किया है।

मान्यवर, पिछले दिनों लैण्डलेस में कौन लोग बसे। कई लोग वहां पर काश्त करते हैं क्या आप सोचते हैं कि जो खेत में मजदूरी करता है, क्राप शेयरर है, सीरी है, नौकर का काम करता है उसको आपने 25 बीघा जमीन दे दी। तो दो-तीन साल काश्त करने के बाद वह जमीन पैदावार देने की पोजीशन में बनती है। कितना इन्वेस्टमेंट होगा? वहां पर लैण्ड पर कितना खर्चा होगा? कास्ट आफ कल्टीवेशन कितनी है। वह सीरी या नौकर के बूते की बात नहीं है। जब तक कि आप क्रेडिट फेसिलिटीज नहीं दे पायेंगे कोई भी लैण्डलेस और ज्यादातर शेड्यूल्ड कास्ट के लोग आपकी इस राजस्थान कैनाल पर नहीं बस पायेंगे। हमारा यह एक्सपीरियन्स है। गंग कैनाल में और भाखरा कैनाल में आपने जिन लैण्डलेस लोगों को जमीनें दीं उसका अगर आप सर्वे करायें तो आपको मालूम पड़ेगा कि जिन लोगों को आपने जमीनें दी हैं उनमें से 95 पर्सेन्ट ने जमीनें बेच दी हैं या सबलेट कर दी है या छोड़ दी है। इसलिए यह एक्सपीरियन्स आपके सामने है। अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान कैनाल में लैण्डलेस लोग बसें—हम मानते हैं कि जो सेवा का काम करते हैं, जो खेतों पर जमदूरी करते हैं वे लोग बसें, लेकिन उनको बसाने का हमें तरीका बदलना पड़ेगा।

आपने वहां पर लैण्डलेस के नाते कुछ लोगों को जमीन एलाट कर दीं परमानेन्ट और वह भी 2-2, 3-3 मुरब्बा। उनकी किश्त का जो बोझ तो बरडन का जो क्वान्टम था वह इतना था कि वह उसके कारण किश्तें भर नहीं पाये और एरियर्स में फाल इन कर गये। अब आप कहते हैं कि दो किश्तें इकट्ठी दो। मान्यवर, दो किश्तों का 9 हजार रुपया होता है। एक एलाटी वह 9 हजार रुपया एट-ए स्टेज दे यह उसके बूते की बात नहीं है। उसकी जमीनें कैंसिल हो जाती है। आपने 10 साल पहले जिन लोगों को बसाया आप उसी क्रम में उनकी जमीनें कैन्सिल करते जो रहे हैं। वह पहले भी लैण्डलेस थे और अब फिर वह लैण्डलेस हो जायेंगे। यह क्या पर्सपेक्टिव आफ कोलोनाइजेशन है।

मैं निवेदन करूंगा कि एक मिसाल यह है आपके सामने। दूसरी मिसाल यह है कि हमारे एजीटेशन के समय माननीय सुखाड़ियाजी ने जो उस वक्त मुख्य मंत्री थे उन्होंने वहां पर घोषणा की थी कि जिनके पास में 15 बीघे से कम जमीन है उसको पूरा एक मुरब्बा कर देंगे। 15 की जगह अब साढ़े बारह कर दी है। दूसरा यह कहा था कि 55 से पहले के जो एलाटीज हैं अगर उनकी लगातार काश्त है और लगातार काश्त में अगर दो साल का ब्रेक हो जाय तो उसको कन्डोन कर दिया जाय। इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्स भी निकाले गये। कलेक्टर्स को को वह आर्डर्स दे दिये गये। उन्होंने कम्प्लायन्स भी शुरू कर दिया। मगर पिछले साल लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत राज्य सरकार के जो अधिकार थे वे रेवेन्यू बोर्ड को डेलिगेट कर दिये। अब, मान्यवर, जब तक ला में उसके मुताबिक तबदीली नहीं लाते हैं तब तक रेवेन्यू बोर्ड आपकी घोषणाओं को, असेम्बली के फ्लोर पर क्या हुआ और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्स क्या हैं रेवेन्यू बोर्ड उनको कतई तरजीह नहीं देता है, नहीं मानता है। इसलिए यह हजारों आदमी ऐसे हैं जिन्होंने 55 के बाद कन्डोन की दरख्वास्तें नहीं दीं। वह सोचते थे कि दो साल का कन्डोनेशन मिल

(श्री केदारनाथ)

जायगा । आज जब रेवेन्यू बोर्ड के सामने जाते हैं तो वह कहते हैं कि आप की जमीनें कैंसिल कर देंगे । 20-20 साल से जो काविज हैं उनको उस लैण्ड से डिसपजेस करना एक बड़ी हार्डशिप उनके साथ होगी ।

अब मैं कहना चाहता था कि रिव्युअल के केसेज चल रहे हैं । उनमें एक बड़ी समस्या आज आ रही है वेरिफिकेशन की । आपने यह कह दिया है कि जमीन पाने का केवल वही हकदार होगा जो कि काश्तकारी पेशा हो । मान्यवर 59-60 में ग्रो मोर फूड में एलाटमेंट हुआ । अगर आप देखेंगे रिपोर्ट तो सारे के सारे वह लोग जमीन के हकदार बन गये जिन्होंने ग्रो मोर फूड के नाम पर जमीनें लीं जो की गैरकाश्तकारी पेशा थे । उन्होंने सैंकड़ों बीघा जमीन लेली ग्रो मोर फूड के नाम पर । उसके पश्चात् आपने यह आर्डर पास कर दिया कि 31-12-69 तक जिसने सरप्लस जमीन लेली और जिस व्यक्ति के हाथ में है चाहे वह काश्तकारी पेशा हो या गैरकाश्तकारी पेशा हो तो सारे के सारे ट्रान्सफर्स को वेलिड कर दें । वहां पर काश्तकारी पेशा नहीं देखा । जितने 10-12 साल में एलाटमेंट हुए हैं उनमें 70 पर्सेन्ट वह हैं जो कि काश्तकारी पेशा नहीं हैं । अब आप कह रहे हैं कि 5 साल पहले एलाटमेंट कर दिया तो वेरिफिकेशन के द्वारा एलिजिबल उसको डिक्लेयर किया जाय जो कि भूमिहीन हैं, जिनका पुराना धन्धा काश्तकारी है । तो उसमें शेड्यूल्ड कास्ट को एक्जेम्प्ट कीजिये, बैकवर्ड क्लास के लोगों को एक्जेम्प्ट कर दें, महनतकश मजदूरी करने वाले लोगों को एक्जेम्प्ट कर दें । जब तक आप यह एप्रोच नहीं लेंगे, या तो यह कह दें कि लैण्ड पर केवल टिलर रहे, और लैण्ड पर जो काश्त न करें चाहे वह जाति से कुछ हो, पेशे से कुछ हो, परेन्टेज उसकी कुछ हो, मौजूद में काश्त नहीं करता है, किसी भी केटेगरी में हो जमीन पाने का हकदार नहीं है, इसलिए यह प्रिन्सीपल लें तो कोई बात नहीं है । इसलिए इसको लिनियन्सी से लेना पड़ेगा । वेरीफिकेशन में बहुत कुछ झगड़ा है । गंग कैनाल में जो लोग 10-12 साल से जो काबिज रहे हैं तो आप कहते हैं कि 55 की वोटर्स लिस्ट से लेना चाहते हैं । मैं कहता हूं कि 55 की वोटर्स लिस्ट में जिसका नाम था, उसके अलावा गिरदावरी हो, वोटर्स लिस्ट के अलावा रेकार्डेड डाक्युमेंट हो जिससे यह साबित करदे कि वह राजस्थान का निवासी है उसको मान लें । केवल वोटर्स लिस्ट को ही नहीं रखना चाहिए । इसलिए इसमें यह चैन्ज लाना चाहिए ।

मैं पिछले सालों से कालोनाइजेशन के मामले में एक चीज हमेशा निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान कैनाल में पास्चर लैण्ड नहीं बनायेंगे और रिजर्वेशन नहीं करेंगे । लिफ्ट इर्रिगेशन में जितना खर्चा आता है उसको पास्चर लैण्ड के लिए रिजर्व कर दें । उस पर इतना खर्चा किया जाय ताकि फेमीन की रेवेजेज हैं उनको कम कर पायेंगे । हम उससे एक नई इकोनामी पैदा करेंगे । मान्यवर, अब क्या हो रहा है कि मैं हमेशा कहता आ रहा हूं कि हमें पास्चर लैण्ड और कोआपरेटिव फार्मिंग के लिए राजस्थान कैनाल के पास में जमीन रिजर्व की जाय और यह उन लोगों को दी जाय तो कोआपरेटिव फार्मिंग में विश्वास करने वाले लैण्डलेस की सोसाईटी हो, या एक्स-सर्विसमैन की सोसाईटी हो । कम से कम इस बात के लिए तो प्रयास करें । आप उनको मीन्स आफ कल्टीवेशन दें । क्रेडिट फेसिलिटीज दें और ऐसी टीम तैयार करें कि जिससे

(श्री केदारनाथ)

मालूम पड़े कि कोआपरेटिव फार्मिंग सफल हो सकता है, इस देश में।

अब मैं समझता हूं कि बाकी बातें बहुत सी हैं। माननीय मंत्रीजी के पास पहले भी कालोनाइजेशन विभाग रहा है। जमीनें कैन्सिल कर रहे हैं क्योंकि मौके पर काश्त नहीं की। पानी नहीं पहुंचा तो काश्त कैसे हो पाती। उनकी जमीन कैन्सिल कर दी, 5-4-73 के बाद जिन लोगों का एलॉटमेंट था उनको परमानेंट एलाटमेंट नहीं किया जा रहा है। जिनकी जमीने रिजर्वेशन में आती हैं उनका परमानेंट एलाटमेंट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको टीलों में एलाटमेंट किया गया तो उन्होंने रिन्यूअल के फार्म नहीं भरे क्योंकि गरीब काश्तकारों ने जाकर देखा कि यहां पर तो टीले खड़े हैं और आगे 100 साल तक वह ठीक नहीं होंगे तो ऐसे लोगों को परमिशन दें। टीले थे, जिन्होंने फार्म नहीं भरे रिन्यूअल के, काश्तकारों ने मौके पर काश्त नहीं की, उनकी जमीनें कन्सिल करदीं, इन्स्टालमेंट के बेसिस पर जमीनें कैंसिल करदीं। ऐसे कुछ मसले हैं जो कि इमीजियेट अटेन्शन सरकार की चाहते हैं। इनका इमीजियेट हल निकालें और कालोनाइजेशन डिपार्टमेंट को इन्स्ट्रक्शन्स दें तब तो इनका भला होगा। माननीय सभापति महोदय (उपाध्यक्ष) इन्हीं शब्दों के साथ में जो आपने मुझे समय दिया है उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जेठमल।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गये)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्षजी। कोटा जिले को टाइम नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप तशरीफ रखिये। श्री जेठमल।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, सिचाई विभाग ....

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो नन्दलालजी है, जेठमलजी नहीं हैं।

श्री केदारनाथ शर्मा : भारतीयाजी के पड़ोसी हैं।

श्री नन्दलाल बैरवा (केशोराय पाटन) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने सिंचाई पर कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मैं सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। जो कुछ अभी माननीय सदस्यों ने राजस्थान कैनाल, कडाना बांध और अन्य छोटे-मोटे बान्धों का जो जिक्र किया है उसी के अनुसार राजस्थान में चम्बल से कैनाल निकाली गई है। चम्बल पर बान्ध बनाकर, तो उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। क्योंकि सिंचाई के साधन उपलब्ध करने के लिए यह किया जाता है। इससे किसानों को सुविधा हो जिससे कि वह अनाज उत्पादन कर सकें। इसी दृष्टि का लेकर चम्बल नहर बनाई गई है। चम्बल नहर से कितने लाख एकड़ जमीन की सिंचाई अब तक होती रही है। लेकिन जिस वक्त चम्बल नहर का निर्माण किया गया था। जो योजना की गई थी, उसके पूरी हाने से पहले ही सिंचाई शुरू करदी गई थी। आज चम्बल नहर का किसानों को पानी जाता है। चम्बल नहर के द्वारा एक लाख एकड़ जमीन 71-72 और 73 में सिंचाई की गई थी। इसके साथ साथ इस चम्बल नहर का पानी हमेशा भरा रहने से

Page No. 172

172

(श्री नन्दलाल बैरवा)

कितने ही गांव इससे परेशान है। वह आंकड़े मैं प्रस्तुत करूंगा। मांगरोल में 6 हजार एकड़, बीगोद में 19,319 एकड़, इस प्रकार से 25,850 एकड़ जमीन मांगरोल, पीपलदा में पानी भरा रहने से खराब होती है? बूंदी, केशोराय पाटन में चम्बल नहर का पानी भरा रहने से 22,203 एकड़ जमीन खराब हुई। टोटल 48,080 एकड़ जमीन में पानी भरा रहता है। 175 गांव इस पानी से प्रभावित हुये हैं। इसलिए इतने हजार एकड़ जमीन खराब हो जाने जितने अनाज का उत्पादन होने वाला था, वह नुकसान हुआ है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि 48,800 बीघा में पानी भरा रहता है। उस जमीन का सिंचाई विभाग के द्वारा पैसा लिया जाता है। विभाग द्वारा यह आदेश दिये जाते हैं कि जो किसान हैं वह सीमित मात्रा में पानी लेते हैं। आपके यहां बराबर पानी भरा रहता है। इसलिए इस आधार पर पिलाई वसूल करेंगे। साथ ही साथ इतना होने के बाद यह नुकसान होने के कई लोग अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस गये हैं। हम बराबर यह मांग करते रहे हैं कि यह पूल माफ किया जाये। और, जहां आदमी रह सकें, ऐसी जगह पर उनको जमीन दी जाये। लेकिन उसके बाद भी उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों को कहीं भी जमीन नहीं दी गई है। ताकि वह खेती करके रह सकें। उसके बाद यह विचार करने के लिए यह योजना बनाई है। योजना बनाने के बाद काफी प्रयास करने के बाद आपने वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों को भेजा। उन्होंने वहां पर जाकर निरीक्षण किया। सम्बन्धित अधिकारी, राज्य सरकार के मंत्री और विभाग के अधिकारी इन्होंने सारे इलाके का निरीक्षण किया। वहीं मैंने आपके सामने आंकड़े रखे हैं। इसके बाद, यह सब देखने के बाद उन्होंने इस बात को माना है कि इस चम्बल नहर से हजारों एकड़ जमीन खराब हुई, हो चुकी है। किसान एक दाना भी पैदा नहीं कर सकते हैं। कितने बीघे में पानी भरा रहता है। बरसात के दिनों में बैठकर नहीं जा सकते हैं। इन सारी बातों को देखकर ही वर्ल्ड बैंक के लोगों ने इस योजना को बनाने के लिए जो योजना रखी, उसको स्वीकार किया। इसके लिए राज्य सरकार और सम्बन्धित विभाग के अधिकारी वर्ग को अपनी ओर से बधाई दिये बिना नहीं रह सकता हूं। हालांकि केवल योजना बनाकर ही रह जाना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। वर्ल्ड बैंक टीम के सामने 20 करोड़ 47 लाख रुपये की योजना बना कर रखी है। उसमें से 15 करोड़ राजस्थान को मिले हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि केशोराय पाटन, बून्दी केनाल वहां के लिए बनाई जहां से मुख्य कैनाल आकर मिल जाती है। मुख्य कैनाल से अगर हम मानकर चलें तो 48 हजार एकड़ रख सकते हैं। तो यह मानकर चल सकते हैं कि योजना सफल हो सकती है। गत वर्ष केवल चम्बल के पानी के लिए 12 लाख रुपये दिये हैं। 12 लाख रुपये तो मजदूरों की तनखाह में ही समाप्त हो जाते हैं। हम देखते हैं, सम्बन्धित अधिकारी, अधीक्षक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता है। तो यह कहा जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम गांवों में जाते हैं तो किसान कहते हैं कि हमारी जमीन से धान उत्पादन न होकर हजारों बीघा जमीन खराब हो गई है। मेरा निवेदन यह है कि 15 करोड़ की योजना हमारे अधिकारियों ने पेश की है। इसमें मैं निवेदन करूंगा कि केवल कोटा बैराज से और केशोराय पाटन,

(श्री भवकलाल बैरवा)

तालेड़ा, पीपलदा, बीगोद मुख्य कैनाल के रखे हैं। तो यह समस्या ज्यों की त्यों रहेगी। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि मुख्य कैनाल माइनर जो है, उतनी ही नहीं बनेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से अगर यह विभाग और राजस्थान सरकार योजना बनायेगी, तब तक यह समस्या समाप्त नहीं हो सकती है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप कभी मौके पर पधारें और वहां निरीक्षण करें। वहां पर आने वाले 10 वर्षों में एक बीघा में भी खेती नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज यह मानकर चलें। राज्य सरकार यह मानकर चले कि केवल 3 साल में 15 करोड़ रुपया खर्च करें तो भी यह समस्या हल होने वाली नहीं है। इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चम्बल नहर बनने के बाद इस नहर को और बनाकर जो योजना सरकार ने बनाई थी, उससे हर गांव में किसान अपनी 2 फसल को ठीक तरह से नहीं कर सकता है। साथ ही बहुत खुशी की बात है, उस इलाके में सहकार समिति का शुगर मिल, केशोराय पाटन शुगर मिल कायम है। वहां शुगर मिल चालू है। केशोराय पाटन शुगर मिल वहां स्थापित क्यों किया गया, क्यों राज्य सरकार ने सुझाव दिया। वह इसलिए दिया कि केशोराय पाटन में ज्यादा से ज्यादा गन्ना पैदा होगा। केशोराय पाटन में मामूली गन्ना आज मिलता है और दूसरी तहसीलों से गन्ना आ जाता है। फिर भी क्या कारण है कि वहां पर गन्ना लाने के लिए रास्ते नहीं हैं? जो किसान गन्ने का उत्पादन करता है, वह बैल गाड़ियों से, ट्रक से, गन्ना लाये, उसके लिए रास्ते नहीं है इसलिए मेरा निवेदन करना है कि इस शुगर मिल को चलाना है और ज्यादा लाभ उठाना है तो केशोराय पाटन से इस मिल को तालेड़ा के पास ले जाना पड़ेगा। किसान कहते हैं कि हम गन्ना कितना ही लगा सकते हैं, लेकिन मिल तक गन्ने को ले जाने के लिए रास्ते नहीं हैं। इस मिल के बीस मील, पच्चीस मील के रास्ते में, हर नहर पर जब तक रास्ता नहीं देंगे तब तक जो उत्पादन की क्षमता बढ़नी चाहिए, वह नहीं बढ़ेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस चम्बल को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक योजना 1962 में बनाई थी, लूनी से खटकड़ होकर तक्वी और खटकड़, लाखेरी, सवाई माधोपुर की जमीन की सिंचाई करती है। 1962 में इसका सर्वे किया गया था और 65 हजार एकड़ जमीन बूंदी जिला, कोटा जिला और सवाई माधोपुर जिले की सिंचाई करने के लिए राज्य सरकार और विभाग ने योजना बनाई थी। 2,69,50,000 की राशि की योजना बनी हुई है। यदि चम्बल खटकड़, बूंदी से आगे सवाई माधोपुर तक आती है और जिससे 65 हजार जमीन सारी सिंचित होती है तो उससे राष्ट्र का उत्पादन बढ़ता है। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, 1962 की यह योजना है, यह अब तक कार्यान्वित नहीं हो सकी है। हमको बराबर कहा जाता है, हमारे पास धनाभाव है। मैं निवेदन करना चाहूंगा (समय-समाप्ति सूचक घंटी) इस योजना को चालू पंचवर्षीय योजना में लेकर पूरा करने के लिए कोशिश करनी चाहिये।

मैं थोड़ी ही देर में समाप्त कर रहा हूं।

Page No. 174

174

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये ।

श्री नन्दलाल बैरवा : इसी तरीके से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि तहसील नैनवा, जिला बूंदी में अभी पीपल्या गांव में तालाब बनाया गया लघु सिंचाई योजना में, 8 हजार रुपये तालाब पर खर्च किये गये। मैन रोड पर है। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय वहां पधारे थे। मंत्री महोदय को उसका निरीक्षण कराया था। आपकी गाड़ी वहां होकर गुजरी थी। लेकिन आठ दस हजार रुपया लगा, वह पानी में बह गया। इंजीनियर और सम्बन्धित अधिकारियों ने परवाह नहीं की, बांध को किस तरह बांधना चाहिए, बांधने से कितना पानी रुकेगा और पानी रुकने से बांध में कितना पानी कायम रह सकता है। मेरा मंत्री महादय से निवेदन है कि आठ दस हजार रुपया पानी में बह गया। मालूम नहीं सीमेंट में मिट्टी थी, या क्या थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सरकार हजारों, लाखों, करोड़ रुपया खर्च करती है, उसका सदुपयोग नहीं हो तब तक योजना सफल होना मुश्किल है। (समय-समाप्ति- सूचक घंटी) दो मिनिट और लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। थोड़ा समय का ध्यान रखिये ।

श्री नन्दलाल बैरवा : दूसरा निवेदन यह है ....

श्री उम्मेदीलाल : मैं थोड़ा अर्ज करना चाहूंगा, जिन पार्टी का समय रहा है, उनको दीजिये समय। जिनका नहीं रहा है, उनका समाप्त कर दीजिये ।

श्री नन्दलाल बैरवा : इसी प्रकार तहसील नैनवा में ग्राम खजूरी है, उसमें 500 एकड़ भूमि की सिंचाई होने के लिए दस साल पहले सर्वे हुआ था, लेकिन अभी तक वह सर्वे का काम वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि पीपल्या और खजूरा बांध का एक्जामिनेशन करके काम चालू करना चाहिए ।

इतना कहते हुए अंत में मैं निवेदन करूंगा कि चम्बल कमाण्ड एरिया में जिस प्रकार की समस्या है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मंत्री महोदय उनको देखें और निरीक्षण करके सारी सुविधायें देने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) : एक माननीय सदस्य को ही समय दे सकता हूं एक बार में, आप जानते हैं ।

श्री रामलाल ।

श्री उम्मेदीलाल : पांच मिनिट से ज्यादा समय नहीं चाहता हूं ।

श्री रामलाल (बाड़ी) : तकलीफ है। भर्ती हो जाओ अगर तकलीफ है।

मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा हमारे उस क्षेत्र में बाड़ी में पार्वती डेम बना हुआ है। इसकी केनाल है, वहां जमीन में सीपेज इतना बढ़ रहा है कि लाखो, हजारों बीघा में सीपेज बढ़ने से फसल नष्ट हो जाती है। सीपेज इतना बढ़ता गया तो किसानों में इतनी भुखमरी पैदा हो जायगी जो आगे जाकर दुखदायी होगी। बसेड़ी इलाके में नहर पहुंचाने के लिए कई गांवों का सर्वे हो चुका है और सर्वे होने के बाद भी आज तक पानी नहीं पहुंचा है, सर्वे रिपोर्ट वैसे ही पड़ी है। मैं चाहता हूं कि वहां पानी पहुंचाया जाय। मैं नाम आपको बता देता हूं, जाड़ला में सर्वे

(श्री रामलाल)

हो चुकी है, चोनी में सर्वे हो चुकी है, बाड़ी की सर्वे हो चुकी है। लेकिन बसेड़ी क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचा है। बहुत दुःख है। यह क्या इन्साफ है कि यू० पी० प्रदेश में पानी जा रहा है और हमारे यहां पानी नहीं दे रहे हैं। इस साल पानी दे दें, कह नहीं सकता, कौनसी सूरत में दें, कौनसी सूरत में न दें।

उपाध्यक्ष महोदय, पार्वती डेम, तीन चार करोड़ रुपये लग कर बना है। लेकिन हर साल वर्षा में यह नौबत हो जाती है कि इस साल टूट न जाय, इस साल टूट न जाय। थोड़ा इस बारे में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, इस डेम के ऊपर ध्यान लगायें, दूसरे बांधों को बनवाया जाय और उनकी सर्वे करवाई जाय और जब पानी की जरूरत पड़े तब पानी बांध में से छोड़ दिया जाय ताकि किसानों को बारह महीने पानी मिल सके। इस बांध में से होकर पानी निकलता है, काफी पानी निकलता है। उसके ऊपर दूसरा बांध बने तो यह समस्या नहीं रह जायगी और किसानों को बारह महीने पानी मिल सकेगा। गिलोनी गांव है, उसमें सर्वे कराया जाय, नदी के दोनों तरफ पहाड़ है। थोड़ा सर्वे करा कर दो लाख रुपये लगा कर बांध में इतना पानी रोक दें क्योंकि काफी मात्रा में पानी आता है। दूसरे खरौली गांव है, उसकी सर्वे कराई जाय। दो पहाड़ों के बीच में नदी है, लाख डेड़ लाख में वह बांध बन जायगा। वहां काफी मात्रा में पानी है। कुछ सिंचाई उससे हो जायगी। बाकी बचा पानी बांध में छोड़ें तो बारह महीने किसानों को पानी मिल-सकता है।

सरमथुरा से ढोणी गांव है, वहां सर्वे कराया जाय। दोनों तरफ पहाड़ हैं और बीच में नदी है। थोड़ी लागत से बांध बन जायगा। ऐसी सूरत है कि बारह महीने किसानों को पानी मिल सकता है ....

रामसागर बंधे में काफी पानी बाहर निकल जाता है उसके ऊपर और एक बंधा बनाया जाय। इससे बंधे पर जोर नहीं पड़ेगा, किसानों के लिए लाभप्रद होगा। पानी ओवर फ्लो हो जाता है। जब बंधे के ऊपर बंधा बन जाएगा तो काफी मात्रा में पानी मिलेगा। मेरे क्षेत्र में किनारे से लगी हुई चंबल नदी है, वहां से लिफ्ट इरिगेशन हो तो बाड़ी तहसील और राजा खेड़ा को काफी मात्रा में पानी मिल सकेगा जबकि चंबल नदी 12 महीने ही बहती है। 4-5 करोड़ रुपए के बंधे बनवाये जाय तो भी तीनों तहसीलों को पानी नहीं पहुंचेगा। लेकिन लिफ्ट इरिगेशन के जरिए तीनों तहसीलों को पानी पहुंचा सकता है। तो इसका सर्वे कराया जाए।

राम सागर बंधे में एक ही मालिक जोत रहा है जबकि कानून यह है कि एलॉट की जाए एक एक साल के लिए लेकिन एक आदमी 10 साल से 400-500 बीघा जमीन जोत रहा है। मेरा निवेदन है कि किनारे की जमीन शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स को दी जाए।

ऐसी बहुत कठिनाइयां हैं। हमारा दूसरा बांध है तलाउसाई, वहां पानी ओवर फ्लो होकर निकल जाता है। रियासत के जमाने का बांध है खानपुर गांव में ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो इसका सर्वे कराया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम गोपाल ।

श्री उम्मेदी लाल (हिंडौन) : मैं सिर्फ 5 मिनट बोलूंगा, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा । मैं जिला सवाई माधोपुर तहसील हिंडौन के जगन बांध के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । जब से जगन बांध बना है वहां के क्षेत्र के लोगो को खुशी हुई । जिस के पास दो बीघा खेत था वह भी सोचता था कि हमें पानी मिलेगा । खैर । हुआ यह कि पानी जो गया उधर के गांव को मिला । 2-4 साल से बांध से काश्तकारों को जो पानी मिला उस पानी से काफी उपज की । 4-5 साल के बाद वहां सीपेज के कारण किसान परेशान हैं जो कि बार बार सरकार से निवेदन करते हैं और कहते हैं कि हमारी इन नहरों की जो सीपेज से जमीन खराब होती है उसको पक्की किया जाए लेकिन इस बात को पहले भी मैंने कहा था, पिछले साल भी कहा था, करीबन उस नहर से 3।।-4 हजार एकड़ जमीन सिंचित होती है जिसमें से 1200 एकड़ जमीन नष्ट हो जाती है । उसमें किसान बीज डालते हैं और मेहनत करते हैं उसके बावजूद आपके द्वारा मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि वह सारा पानी अनापशनाप जाता है और सारी जमीन नष्ट हो जाती है । तो जो जमीन आज से 10 वर्ष पहले अच्छी फसल देती थी, आज वह सारी जमीन पानी से भर गई । तो क्या मंत्री महोदय इन नहरों को पक्का बनाने की सदन में घोषणा करेंगे ?

वर्तमान में जो व्यवस्था है, बहुत से किसानों और गरीब लोगों को जो पानी मिलता है वह तो ठीक लेकिन जिनको नहीं मिलता है और झगड़ा होता है उसके बाद एस० डी० ओ० के पास जाते हैं, वह कहता है यह इरिगेशन का मामला है । इंजीनीयर के पास जायं तो वह कहता है कि हमारा काम नहर से खेतों को पानी पहुंचाने का नहीं है । तो आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस नहर को सही ढंग से चलाने की व्यवस्था करे ।

आपने जगन बांध के लिए 50,000) रु० रखे हैं उससे कोई काम चलने वाला नहीं है, इसलिए आप इसमें कोई संशोधन करके और इस नहर को पक्की बनवाने की घोषणा करें ।

मेरे क्षेत्र में एक बनेरा पंचायत है, उसके आसपास 10 गांव हैं और 10 गांवों के बीच में रियासत के जमाने का पुराना बांध था और वह टूटने के कारण पानी सतह के करीब 40 फीट नीचे चला गया । उस बांध को बांधने के लिए जनता ने और मैंने आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन किया कि उसका सर्वे कराकर देखा जाए । जहां से पानी की सतह ऊपर आ जाए और जहां लोगो को रोजी रोटी का धंधा हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनट से अधिक हो गया ।

श्री उम्मेदीलाल : 5 मिनट नहीं हुए अन्नदाता । दो मिनट लूंगा बिजली के बारे में

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री उम्मेदीलाल : खेती या तो नहरों से होती है या बिजली से होती है । मेरा क्षेत्र ऐसा है जहां कुछ नहरों से होती हैं, कुछ बिजली से होती है । गढ़ी ग्राम के लोगों ने बिजली के लिए दरखास्तें दीं, मंजूर हुई तो बांध बह गया ।

(श्री उम्मेदी लाल)

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां से कुछ लोगों ने यहां पर आपके आफिस में एक दो साल से जिन जिन लोगों ने दरखास्तें दी हैं वह बिजली लेने के वास्ते दी हैं, उसके वास्ते आप जल्दी से जल्दी बिजली मन्जूर करावें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली सिंचाई के लिये बहुत ही जरूरी है।

(घन्टी)

उपाध्यक्षजी, मैं एक मिनट और बोलूंगा, सिर्फ एक मिनट फिर बैठ जाऊंगा। वैसे तो उपाध्यक्ष जी मेरे साथी जो गंगापुर से आये हैं श्री हरिश्चन्द्रजी, उन्होंने कुछ गम्भीरी नदी के बारे में कहा था। उन्होंने करौली के पास में गम्भीरी नदी पर योजना मन्जूर करने के लिये कहा था उसके बारे में मैंने एक प्रश्न पिछले इसी सदन में पूछा था उसमें आपने जवाब में जो कहा था, उसके लिये अभी तक कोई काम आरम्भ नहीं हुआ है। अगर आप गम्भीरी नदी पर डेम बना दें तो हमारे यहां पर गंगापुर-नादोती का इलाका, गंगापुर का हिस्सा टोडा भीम, और हमारे हिन्डौन का इलाका जो है वह पूरा सिंचित हो जायगा इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत सिंचाई मंत्री जी से कहूंगा कि वह आज अभी हाउस के अन्दर सदन में जैसे कि मैंने सुझाव दिये हैं उसकी घोषणा करें कि गम्भीरी नदी पर डेम का कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू किया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम गोपाल मीणा।

श्री रामगोपाल मीणा (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, म कोटा जिले की सिंचाई व्यवस्था के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। वैसे तो सिंचाई मंत्रीजी उठ गये हैं और वित्त मंत्री जी बाहर गये हुए हैं लेकिन मैं समझता हूं कि वह मेरी बात बैठ कर सुनेंगे। और स्वीकार भी करेंगे ऐसी मैं उनसे आशा करके चलता हूं। उपाध्यक्ष महोदय मेरे से पूर्व वक्ता जो कि बून्दी से आये थे उन्होंने चम्बल की सिंचाई व्यवस्था के बारे में कहा था उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने सदन में सीपेज के बारे में काफी कुछ कहा था। उपाध्यक्ष जी जैसा कि उन्होंने आंकड़े देकर बताये कि इतने हजार एकड़ जमीन आज चम्बल की सिंचाई योजना में सीपेज होने से खराब हो सकती है, और इतनी हजार एकड़ सीपेज के कारण हमारे इलाके के पास की जमीन खराब हो चुकी है। उससे उस जमीन की उर्वरा शक्ति भी खराब हो गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे कोटा जिले में चम्बल के अन्दर सीपेज की वजह से कई गांवों के रास्ते खराब हो गये हैं, सड़कें खराब हो गयी हैं, और लोगों को इससे काफी तकलीफ हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय इतना ही नहीं खेत खलिहान वगैरह सभी के रास्ते खराब हो गये हैं। आज सीपेज का जो पानी बह कर जाता है उससे वहां के आस पास की जगहों में काफी पानी इक्टठा हो जाता है जो छोटे छोटे नदी नालों के रूप में इक्ट्ठे हो जाते है। इसका नतीजा यह होता है उपाध्यक्ष महोदय कि कोटा के आसपास के गांवों में यातायात अवरुद्ध हो जाता है, मन्डियों से लोगों का सम्पर्क टूट जाता है, गांवों से कस्बों में जा नहीं सकते हैं रास्ते ब्लोक हो जाते हैं और इससे खेत खलिहान वगैरह बरबाद होते जा रहे हैं। इसलिये मेरा राज्य सरकार से आपके माध्यम से यह निवेदन है कि वर्ल्ड बैंक से जिसके बारे में धनराशि लाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं, उन्हे तुरन्त लाकर इस सीपेज का कार्य जल्दी से बन्द किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह सीपेज की समस्या वाली चीज ऐसी हो गयी

(श्री रामगोपाल मीणा)

है कि हमारे यहां पर अगर आप इसे ठीक नहीं कराते हैं तो हमारे यहां का खासतौर से यह इलाका जिसमें मांगरोल से मऊ तथा सामोरी कलां का पूरा इलाका ऐसा हो जाता है कि वहां पर यातायात का कोई साधन नहीं रहता, खेत खलिहान सभी खराब हो गये है, उसके लिये उपाध्यक्ष महोदय पहले सर्वे भी किया जा चुका है उन्हें पूरा कराया जाय। वहां जो सीपेज के कारण नदी नाले से बन गये हु और उसके लिये राज्य सरकार ने जो पुलिये बनाने की स्वीकृति दी है उन्हें पहले जल्दी से जल्दी बनाया जाय ताकि उन गांवों का जिनका कि कनेक्शन बिलकुल टूट जाता है वह कायम हो सके। इसलिये मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि आज वहां के काश्तकारों को, वहां की जनता को काफी दिक्कत हो रही है वह समाप्त हो। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर नहरें पक्की कराने की बात हो उसे भी पक्की करायी जाय। क्योंकि इस सीपेज की वजह से वहां पर नदी नाले बन जाने से लोगों को जैसा कि मैंने कहा कि यातायात के रास्ते बन्द हो जाते हैं और लोगों को दो तीन चार मील का चक्कर काट कर जाना पड़ता है। तो उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर जनता को व काश्तकारों को बहुत तकलीफ होती है। गांवों से जो ट्रेक्टर्स वगैरह आते हैं वह भी तीन तीन मील का चक्कर काट कर आते हैं। पैदल रास्ते वालों को भी तीन तीन मील का चक्कर काटकर आना पड़ता है। तो मेरा सिंचाई मंत्री जी को निवेदन है कि वह इस सीपेज के कार्य के लिये वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर इन नहरों को व पुलियों को पक्की बनवा कर यह वहां की जनता के लिये जो कठिनाई है उससे समाप्त कराये।

(8.43 रात्रि).

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

मैं, सभापति महोदय, इसके अलावा मैं आपको चम्बल की जो सिंचाई की जो योजनायें हैं उसमें जो चम्बल का जो कमान्ड एरिया है और उसमें अभी तक सिंचाई का काम चालू नहीं किया गया है, उसके बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। आप उन स्कीम्स जो, अधूरी है, को पूरी करने के लिये वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर पूरा किया जाना चाहिये क्योंकि इससे पानी का नुकसान भी होता है अगर आप इन योजनाओं को पूरी करके चालू करते हैं तो आपको काफी फायदा होगा। वहां के लोगों को व वहां के काश्तकारों को लाभ होगा, उससे उत्पादन बढ़ेगा, अन्न की समस्या का हल होगा और सरकार को अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसलिये मैं आपके मारफत सभापति महोदय, राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि सीपेज की समस्या जो कि कोटा और बूंदी जिले की समस्या है उसको गम्भीरता से लेना चाहिये। दूसरा जो मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा वह पार्वती नहर के बारे में। सभापति महोदय, हमारे यहां पर एक पार्वती डेम बना हुआ है जिससे कि लगभग 50 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। लेकिन सभापति महोदय, जब से वह नहर बनी है, इसकी आज तक सफाई नहीं हुई है। बजट में इसके लिये जो प्रावधान आप रखते हैं उसके लिये मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि वह तो वहां के जो सरकारी अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह में ही समाप्त हो जाता है। और जो हमारी समस्या चाहे सीपेज की हो, चाहे नहर बनाने के लिये हो चाहे किसी

(श्री रामगोपाल मीणा)

डेम को बनाने की बात हो, वह आपको पूरा जल्दी करनी चाहिये । सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस नहर की सफाई करायी जाय और इस नहर की खुदाई भी की जानी चाहिये । सभापति महोदय, बहुत अर्से पहले यह नहर बनी थी, तब से खुदाई नहीं हुई और न ही इसकी सफाई हुई है ।

सभापति महोदय, दूसरी समस्या और है जिसके लिए मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पार्वती नहर का रजवाड़ा नं० 1 'अ' सर्वे कराने के बारे में इसका सर्वे कार्य जो कि वहां से 11 मील आगे से समाप्त होता है इस स्कीम को सरकार को चाहिये कि उसे जल्दी ही पूरा किया जावे । इसी प्रकार के मेरे क्षेत्र में एक चार मील का टुकड़ा और है अगर वह पूरा किया जाय तो वहां के काश्तकारों को फायदा हो सकता है। इसके लिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । सभापति महोदय, हमारा यह इलाका शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का इलाका है, आदिवासी क्षेत्र है, काफी पिछड़ा हुआ है आप अगर इस स्कीम को शुरू कर देते हैं तो हमारे यहां के काश्तकारों को फायदा हो सकता है । सभापति महोदय, इस विषय में मैं ज्यादा नहीं जाकर अभी यही कहूंगा कि जो योजनायें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं जो वर्षों से चल रही है जिन पर राज्य सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च कर दिये हैं । आपने उनके लिये डिविजन तक खोल रखे हैं । जिसमें आपके लाखों रुपये हर साल वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों को तनख्वाह देने में ही खतम हो जाते हैं पर अभी तक जो काम होना चाहिये था वह पूरा नहीं हो पाया है जो काम जहां थे, वह कुछ तो शुरू नहीं हुए धन की कमी के कारण, दूसरे अगर कुछ धन आवंटित होता है तो वहां पर वह पूरा काम नहीं हो पाता है । इसलिये मैं आपके मारफत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक गोपालपुरा परियोजना है, वहां पर कई अर्से से काम चल रहे है लेकिन वहां पर काम पूरे अभी तक नहीं हुए हैं । इसका एक कारण यह भी है कि वहां पर गर्मी में तो बजट लेट आने से काम हो नहीं सकता, बरसात में पार्वती नदी की वजह से वह सारा इलाका एक टापू की तरह हो जाता है । वहां के लोगों का दूसरे हिस्सों से संबंध खतम हो जाता है । सभापति महोदय, साल भर सिर्फ दो-तीन माह काम चलता है और बाद में फिर बन्द हो जाता है ।

माननीय सभापति महोदय, इस बारे मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि ज्योंही बजट की स्वीकृति हो वह काम तुरन्त चालू कर दिया जावे । काम की जो गति चल रही है उससे तो काम पूरा होने वाला नहीं है । मशीनों की व्यवस्था की जाय ताकि परियोजना मशीन के जरिये से पूरी हो सके ।

एक प्रोजेक्ट है, खटका । इसके लिये अलग से सब-डिविजन है । उस खटका प्रोजेक्ट में छः स्कीमें आती हैं--बगदेव, छतरपुर, नारायण खेड़ा, जानपुर, महोरोब, खटका--कोई 15 लाख की है कोई 20 लाख की है, कोई 12 लाख की है । जो स्कीम चालू हुई थी उनमें हजारों लाखों रुपया तो खर्च हो गया लेकिन उनका नाम निशान भी नहीं । रास्ते तक नहीं जाने के लिये । यह जो प्रोजेक्ट है, इस पर जो छोटी छोटी स्कीमें हैं नाम मात्र का बजट लेते हैं ।

(श्री रामगोपाल मीणा)

धन का दुरुपयोग हो जाता है और काम कुछ होता नहीं । माननीय मंत्रीजी से जोर देकर कहना पड़ेगा । आप जब कोटा पधारे थे तो सर्किट हाउस, कोटा में आप से इस के बारे में चर्चा की थी । सुझाव भी दिये गये थे । तीन चार स्कीमें है, उनको एक एक को पूरा कर दीजिये । ताकि रिटर्न भी मिलेगा और काश्तकारों को भी फायदा मिलेगा । अच्छी बात है, यह कहा । अधिकारी पूरा फायदा उठा रहे हैं । तनख्वाह वगैरा उनकी लग ही रही है । क्यों नहीं पूरा बजट अलोकेट करके छोटी छोटी योजनाओं को पूरा करें । पिछड़े जाति के लोगों का, आदिवासियों का एरिया है । उनको पूरा करके गरीब लोगों को फायदा दिलावें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, कोटा डिविजन में से एक ही बोल रहा हूं । उदारता तो दिखाइये । घंटी न बजायें आप ।

शाहबाद की समस्या को रखूंगा । पंचायत समिति में गरड़ा का तालाब है । उस व्यवस्था में अव्यवस्था हर साल नजर आती है । पानी की कमी नहीं है । बरसात भी अच्छी होती है । अकाल का समय कभी कभी आता है, यों ही निकल जाता है । खास बात नहीं । जब से यह नहर चालू की गयी थी न तो सफाई हुई, न ही कुछ मरम्मत, पानी का लिकेज होता है । काश्तकारों को टाइम पर पानी नहीं पहुंच पाता है । दस दस बीघा वालों को पानी नहीं मिलता है । हजारों बीघा वालों को तो मिल जाता है पानी, क्योंकि वे इन्फल्युएन्शियल लोग होते हैं । मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यह व्यवस्था होनी चाहिये कि नहर की सफाई हो और लोगों को, काश्तकारों को. छोटे छोटे काश्तकारों को पानी समय पर मिलना चाहिये । इस सिलसिले में आन्दोलन भी हुआ था और सहायक अभियन्ता का पुतला भी जलाया गया था । जिनकी जमीनें इस नहर से सिंचित होती हैं उनमें बड़ा असंतोष है । टाइम पर किसानों को पानी नहीं मिल पाता है । मैं इस ओर ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा । माननीय मंत्रीजी ने इशारे में ही समझ लिया है और नोट कर लिया है ।

छोटे-छोटे से पोइन्ट हैं दो चार और हैं । शाहबाद के अन्दर कोटा जिले में काफी सर्वे की हुई स्कीमें हैं जो कि चम्बल का मुकाबला करने वाली स्कीमें है । इस ओर सरकार ध्यान दे तो काश्तकार को और हमारी सरकार को फायदा हो सकता है । पिछले साल विधान सभा में मैंने प्रश्न पूछा था और जानकारी दी थी । राज्य मंत्रीजी ने जवाब दिया था । उन्होंने कहा था कि सर्वे हो चुका है । टेक्निकल जांच के लिये गयी हुई है । साल भर हो गया है । टेक्निकल जांच पूरी हुई या नहीं । किशनगंज तहसील का काफी हिस्सा आदिवासी गरीबों का है । वहां सिंचायी हो सकती है । पीने के पानी की भी समस्या पूरी हो सकती है । वहां विरमासी नदी बांध है । मैंने सारे क्षेत्र का का दौरा किया था । मीलों तक पैदल चल कर उस हिस्से को देखा था । कृपा कर आप इस ओर ध्यान देंगे ।

दूसरी स्कीम है गुगेर बांध की । बड़ी भारी स्कीम है । मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच की स्कीम है । प्रश्न के उत्तर में यह जवाब दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार को लिख दिया है कि सर्वे करवा दें । इसके लिये

(श्री रामगोपाल मीणा)
तो धन्यवाद देता हूं। मध्य प्रदेश का और जल्दी से जल्दी सर्वे करने के लिये ध्यान आकर्षित किया जाय।

दो-तीन पाइन्ट और कह दूं। माननीय सभापति जी, सर्वे कराया गया, तालाब बादीपुरा, किशनगंज तहसील में है। दो-तीन फीट की ऊंचाई और करा दी जाय तो सैकड़ों बीघा में सिंचायी हो सकती है। आपसे डेपुटेशन भी मिला था। 22 तारीख को और आने वाला है, यह सूचना के लिये निवेदन कर देता हूं।

किशनगंज तहसील में छतरगंज पंचायत है। वहां लिफ्ट ईरिगेशन की दो साल से समस्या बनी हुई है। न तो सरकार की ओर से कोई व्यवस्था, न कुछ काश्तकार अपनी ओर से टेल ले जाते हैं। फिर भी सरकार उनसे पूरी की पूरी पिलाई ले रही है। उनसे वसूल कर रही है। यह काश्तकार के साथ अन्याय है। काश्तकार ने व्यवस्था की, उसने खर्चा किया फिर भी उनसे पिलाई ली जा रही है। किस बात की पिलाई? आपने कोई खर्चा ही नहीं किया। यह गम्भीर समस्या है। इसको लेकर हर साल काश्तकारों में असंतोष फैलता है। आप किसानों के खर्चों को काटकर पिलाई वसूल करने की कृपा करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक पाइन्ट और है छोटा-सा। किशनगंज शाहबाद पंचायत समिति में समाज कल्याण विभाग की ओर से हटवाड़ी व सिरमीपुर का तालाब बनाया, पैसा भी लगा दिया। मुश्किल से 15-20 हजार का काम है। टूटे हुए तालाब हैं। कुछ पैसा अलॉट करके काम पूरा कराया जाय। माननीय सभापतिजी, एक समस्या और गंभीर है और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपके सामने झालावाड़ के विधायक हैं वे कहते हैं जिले में सिचाई के सम्बन्ध में उपेक्षा की जा रही है। हमारे यहां सिंचाई व्यवस्था का काम चालू करें। आपका एक्स० ई० एन० का आफिस है वह झालावाड़ में कायम कर रखा है। जो भी काम होता है, झालावाड़ जाना पड़ता है और वह काफी दूर पड़ता है। बीच में पार्वती नदी और परवन नदी पड़ती है इसको पार करके जाना पड़ता है। इस प्रकार माननीय मंत्रीजी काफी बड़ी दिक्कत होती है। काफी आपके कर्मचारियों और अधिकारियों के टी० ए०, डी० ए० में खर्च हो जाता है और आने जाने में भारी परेशानी होती है। वह आफिस है, उसको बदल दिया जाय। बार बार आना जाना पड़ता है। वे कहते हैं हमारे यहां सिंचाई का कोई काम नहीं चल रहा है। बारां या कोटा डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर स्थापित कर दिया जाए। सरकार को भी फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरी मांग पर ध्यान दीजिये। धन्यवाद।

(दो माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री सभापति : दो में से एक।

श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा) : सभापति महोदय, हमारे जिले डूंगरपुर में कई अधूरे तालाब पड़े हुये हैं। मैं उनकी चर्चा करूंगा। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। डूंगरपुर में दो-चार अकाल में छोटे-छोटे तालाब बने, वे सब अधूरे हैं। उन तालाबों में न तो नहरें हैं, न उनके अन्दर पक्का काम हुआ है। जब तक उन तालाबों की नहरें नहीं बन जायंगी और

(श्री महेन्द्रकुमार)
निकास की व्यवस्था नहीं की जायगी तब तक तालाब उपयोगी नहीं होंगें। इसलिये मैं आपके द्वारा मंत्रीजी को निवेदन करूंगा, डूंगरपुर जिला आदिवासी जिला है और वैसे ही आदिवासियों के पास जमीन बहुत कम होती है, सिंचाई के साधन नहीं होते हैं। सरकार के द्वारा जो योजनायें बनाई जाती हैं वह बड़ी बड़ी योजनायें बनाई जाती हैं और जहां बड़े-बड़े किसान होते हैं, वहां बड़ी बड़ी योजनायें बनाई जाती हैं लेकिन आदिवासी एरिया में कोई ऐसी योजना नहीं है।

डूंगरपुर जिला एक पथरीला जिला है। अच्छी जमीन नहीं होने से जो छोटे छोटे तालाब होते हैं वे बड़े उपयोगी होते हैं। सभापति महोदय, डूंगरपुर जिले में पांच पंचायत समितियां हैं। पांचों में कई छोटे छोटे तालाब हैं लेकिन पंचायत समिति उनको अपने खर्चे से नहीं बना सकती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा जिन तालाबों से 500 बीघा या 200 बीघा, 300 बीघा सिंचाई हो सके, ऐसे जितने तालाब हैं सिंचाई विभाग को अपने हाथ में लेने चाहिये ताकि आदिवासियों को लाभ मिल सके। अब तक डूंगरपुर में जितने भी तालाब बने हुये हैं अगर औसतन देखें तो आदिवासियों को उनसे बहुत कम लाभ मिला है। बड़े बड़े किसानों को, पटेलों को ज्यादा लाभ मिला है फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं जितने हमारे तालाब हैं, वे बना दिये जायेंगे तो आदिवासियों को उसका पूरा लाभ मिलेगा। उन तालाबों में अभी तक नहरें बाकी है और निकास के लिये जो मोरी बनानी पड़ती है वह भी नहीं है। बड़े बड़े तालाब जो रिलीफ में शुरू किये गये थे, उन पर मिट्टी का सारा काम हुआ है लेकिन पक्का नहीं हुआ है, मैं आपके द्वारा सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, अकाल के अन्दर जितनी बड़ी योजनाओं में काम हुआ है उनको भी बजट देकर चालू करवाना चाहिये ताकि वे भी बन जायं।

इसके बाद में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा क्योंकि उधर के एरिया से वे वाकिफ हैं, उनको दौरा करके देखना चाहिये, आदिवासियों के लिये कौनसा तालाब उपयोगी होगा और कौनसा उपयोगी नहीं होगा। वैसे सिंचाई विभाग का काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मैं तारीफ करूंगा। सोमनेर में और बोराकान में काम हो रहा है। मगर जो छोटे काम हैं उसके लिये हम सदन में चर्चा करते हैं और ये छोटे छोटे काम अधूरे रहते हैं तो कम से कम आदिवासियों के उत्थान के लिये सिंचाई विभाग की ज्यादा व्यवस्था होनी चाहिये। छोटे तालाबों का जितना काम है, वह हाथ में लेना चाहिये और उनकी नहरें वगैरह बनाकर काश्तकार को लाभ पहुंचाना चाहिये। गलियाना, सिगोड़िया, अकरसोल, मेवाना, खोजो का नाका, मांगली, जितने अधूरे तालाब हैं उन सब में मिट्टी का काम हुआ है और काफी बड़े बड़े तालाब हैं --कोई पांच लाख का है, कोई सात लाख का है और सर्वेगुदा तालाब हैं, रिलीफ में काफी काम हुआ है आखिर सरकार ने खर्चे किये हैं तो उनका उपयोग भी होना चाहिये। अगर नहीं बांधे जायेंगे तो जो पैसा खर्च किया है वह बेकार जायगा। इसलिये इन तालाबों को विभाग से बजट अलॉट करके शुरू करवाना चाहिये।

एक तो माजो की पाल का तालाब टूट गया, अतिवृष्टि से। मुझे कहना पड़ता है उस तालाब का इन्तजाम माइन्स वालों के हाथ में है या इरिगेशन के हाथ में है, जब अतिवृष्टि हो रही थी तब रेडियो में एलान हो गया था कि ज्यादा पानी बरसने वाला है तो जहां

(श्री महेन्द्रकुमार)
तालाब बने हुये हैं वहां एक एक आदमी तैनात कर देते या निगरानी के लिये रख देते तो जो 5-7 लाख के तालाब टूट गये वे नहीं टूटते। समय पर उनकी मोरियां खोल देते और भी ज्यादा पानी आने पर दरवाजा खोल दिया होता तो तालाब टूटते नहीं और नुकसान नहीं होता। सभापति महोदय, मैं बताऊं उसके टूटने से 25 आदिवासी किसानों की जमीन बरबाद हो गई। 10 कुयें, रहट, कपड़े आदि किसी भी चीज का नाम निशान नहीं रहा। एक आदिवासी का सारा घर बह गया। उसका नाम पद्मा था। तालाब टूटने से जमीन चली गई, घर चला गया, उसका सारा का सारा घर बह गया। लेकिन मैं आपको बताऊं इसकी सूचना सिंचाई विभाग को दी, कलेक्टर साहब को दी, इसको आकर देखना चाहिये कितना नुकसान हुआ, लेकिन आज तक, सभापति महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है न जिलाधीश ने उसको देखा, न सिंचाई विभाग के किसी अधिकारी ने देखा। मैं यह कहूंगा माननीय मंत्री महोदय अपने जवाब में इस तालाब के टूटने के बारे में जिक्र अवश्य करें, इसका जिक्र जरूर ही आना चाहिये कि यह किसके हाथ में था, माइन्स वालों के हाथ में था, उन्होंने बनवाया या इरिगेशन ने बनवाया। जब हमने माइन्स वालों से पूछा तो जवाब मिला इसका चार्ज हमारे पास में नहीं है इसलिये हम क्या करें। इरिगेशन वाले मना करते हैं तो फिर किसकी गलती से टूटा है। इसका पता लगना आवश्यक है। उस तालाब के टूटने से जिन आदिवासियों का नुकसान हुआ है, उसका हर्जाना कौन दे? मैं चाहता हूं सिंचाई विभाग सर्वे करालें और जो आदिवासियों का नुकसान हुआ, वापिस आबाद होने के लिये सिंचाई विभाग से व्यवस्था होनी चाहिये, चाहे एनीकट बना दें। उनके घर बह गये, उनके रहट चले गये, उनके फलदार वृक्ष चले गये, उनके कपड़े-लत्ते सब चले गये। तो उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने आज तक कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं सिंचाई मंत्री जी से चाहूंगा कि उन आदिवासियों के नुकसान का सर्वे कराकर जल्दी से जल्दी कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए। आदिवासी चाहते हैं कि हम मेहनत करें लेकिन हमको सरकार थोड़ी मजदूरी दे तो हमारे जितने भी खेत चले गये हैं, कुए चले गये हैं उनको वापिस आबाद कर सकें। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात और निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर जिले के अन्दर जितने भी तालाब हैं चाहे वह छोटे हों या बड़े हों, उन सभी तालाबों की जल्दी से जल्दी सर्वे करा कर जितना भी पैसा बजट में दे सकें वह दे कर आदिवासियों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री सभापति : श्री चेतराम !

श्री चेतराम (टोडाभीम) : सभापति महोदय, मैंने आज मांग संख्या 45 के ऊपर एक कटौती प्रस्ताव रखा है। यह कटौती प्रस्ताव भरतपुर जिले में अगस्त, 1972 में आई बाढ़ के बारे में है। सभापति महोदय, आज भारत की खाद्य व्यवस्था कृषि पर निर्भर है या हम यों कहें कि कृषि सिंचाई पर पर निर्भर है, और वह चाहे मानसून पर हो या मानव के बनाये हुए साधनों पर।

सभापति महोदय, सवाई माधोपुर जिला भूतपूर्व जयपुर स्टेट का एक हिस्सा है। वहां पर तीन तरह के तालाब और बांध हैं। एक तो वह हैं जो कि सरकार के अधिकार में हैं सिंचाई विभाग के। दूसरे तालाब वह हैं जो कि पंचायत समितियां के हैं और तीसरे तालाब वह हैं जो कि गांवई हैं। सभापति महोदय, 1972 में आई बाढ़ के कारण सवाई

(श्री चेतराम)

माधोपुर जिले का 50 प्रतिशत हिस्सा ऐसा था जो कि बाढ़ से प्रभावित हुआ। तालाब टूटे, गांव के गांव बह गए और जो भूमि थी वह कृषि योग्य नहीं रही। सभापति जी, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं पर मैं इतना निवेदन करूंगा कि जो भयंकर बाढ़ आई वह दैवी प्रकोप था। कुछ सहायता करने के लिए राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार ने मदद की लेकिन केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने जो मदद की उसका सही सदुपयोग नहीं हुआ।

सभापति महोदय, दैवी प्रकोप के साथ साथ मानवीय प्रकोप भी हुआ। मैं आपकी सेवा में मानवीय प्रकोप के बारे में विधान सभा के प्रश्नों के द्वारा, मंत्रालय की कन्सल्टेटिव कमेटी के द्वारा और लिखित में कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन प्रस्तावों पर, उन प्रश्नों पर और लिखित में दी गई चीज पर क्या हुआ, पता ही नहीं। आज तक उसका एक्नालेजमेन्ट तक नहीं है। मुझे तो शक होता है कि इसमें जो सुझाव या शिकायत मैंने रखी हैं उनके ऊपर सरकार द्वारा ध्यान तक नहीं दिया गया। सन् 1972 के बारे में बड़ी खूबसूरती के साथ टाल दिया गया।

सभापति महोदय, सन् 72 में जो बाढ़ आई। बांधों के लिए केन्द्रीय सरकार ने मदद दी और बांधों के निर्माण के लिए मदद इस प्रकार की थी कि जो भी सिंचाई विभाग के इन्जीनियर्स ने एस्टीमेट्स बनाकर दिये, सरकार ने बिना आपत्ति के उनकी स्वीकृति दे दी। जब निवेदन किया कि कार्य पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि पैसा तो मिला। मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि जितने एस्टीमेट्स सिंचाई विभाग के आफिसर्स ने बनाकर दिये उतना ही केन्द्रीय सरकार ने स्वीकार कर लिया तो समझ में नहीं आता कि पैसा कहां गया? यह हो सकता है कि उन आफिसर्स की इन-एफीशियेन्सी है जिसके कारण से यह पैसा कम रहा। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे अकुशल कर्मचारियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाये। मैं निवेदन करूंगा कि वहां के अधिशासी अभियन्ता श्री कल्ला साहब इसके लिए दोषी हैं। मैंने कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया। लिखित में दिया और प्रश्नों के द्वारा भी ध्यान आकर्षित किया लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

श्री मनोहर लाल : यह कल्ला साहब वही अजमेर के रिजेक्टेड माल हैं।

श्री चेतराम : सन् 1971 में सस्पेण्ड हुए थे वही हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि यह कल्ला साहब 1971 में सस्पेण्ड हुए थे और 1972 में बहाल किये गये और उनको सवाई माधोपुर में लगा दिया गया। वह अजमेर में थे तो आज भी उनके खिलाफ वहां की इन्क्वायरी चल रही है। सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान आपके मार्फत दिलाना चाहता हूं, बांध पर बिलकुल कार्य नहीं हुआ और कुछ बांध ऐसे थे कि जिनके ऊपर थोड़ा कार्य किया और उनको पूर्ण बता दिया गया। कुछ बांध ऐसे थे कि बरसात के थोड़े दिन पहले काम पूरा दिखा दिया गया और फिर बरसात के बाद कह दिया कि बह गए। मैं बिसनपुरा के बांध के लिए निवेदन करूंगा कि इसके बारे में जांच कर ली जाये।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो कार्य सिंचाई विभाग के आफिसर्स ने कराये वह तीन तरह के ठेकेदारों से कराये। कुछ ठेकेदार ऐसे थे जो कि

(श्री मनोहरलाल)

वास्तव में रजिस्टर्ड ठेकेदार नहीं थे और उनके द्वारा कार्य कराए गए। कुछ ऐसे ठेकेदार थे कि उनकी क्षमता नहीं थी काम करने की, लेकिन उनसे काम कराया गया। इसके बारे में मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि वह ठेकेदार श्री चेनाराम जी हैं जिनके बारे में मैं कहूंगा कि वह सवाई माधोपुर में ठेकेदार नहीं थे। सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान श्री चेनाराम जी के द्वारा किये गये कार्यों की ओर दिलाना चाहता हूं। कालीसिंध और डगर का ठेका हुआ। उसको हाई रेट पर उससे भरवाया गया और चेनाराम को दे दिया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कालीसिंध के ऊपर चेनाराम ने जो काम किया है वह दो तरह का किया। कच्चा काम और पक्का। ठेका एक साथ हुआ दोनों तरह के कामों का लेकिन कच्चा कार्य करने का नम्बर आया तो उसने छोड़ दिया। वहां के सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी खूबी के साथ स्वीकार कर लिया और उससे उन्होंने वह काम नहीं कराया।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि सवाई माधोपुर में बांधों के कार्यों पर मस्टर रोल झूठे बनाये गये। इसके बारे में दो तरह के घोटाले किये गये। प्रथम तो मस्टर रोल में जितने मजदूर कार्य करते थे, उससे संख्या दुगनी या ढाई गुनी लिखी और दूसरे जितना पेमेन्ट करना था वह नहीं किया और उससे कम किया गया। इसके लिए भी मैंने सरकार से निवेदन किया है। इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मस्टर रोल के ऊपर, वहां के ए०ई०एन० ने दो बिलों के ऊपर आब्जेक्शन लगाये लेकिन एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने उनको स्वीकार किया। जब ज्यादा बात बढ़ गयी तो असिस्टेन्ट इन्जीनियर का वहां से ट्रान्सफर कर दिया।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रेनी सीजन वगैरह के लिए सामान खरीदा जाता है, वह बरसात से पहले खरीदा जाता है लेकिन सन् 73 में जो माल खरीदा गया वह रेनी सीजन के बाद खरीदा गया। ऐसे बहुत से मामले हैं लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन एलीगेशन्स की जांच किसी उच्च०अधिकारी से करायें। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस जांच करने के लिए एक तो एक्सपर्ट हो और एक कोई आई०ए०एस०अधिकारी हो, इनसे जांच कराई जाये जिससे समस्या का सही निराकरण हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैं सवाई माधोपुर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि सरकार को विदित है। सवाई माधोपुर की जन संख्या 60 पर्सेंट अनुसूचित जाति और जन-जाति की है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि सवाई माधोपुर की सिंचाई के बारे में पूर्णरूप से उपेक्षा की गई है। भूतपूर्व जयपुर स्टेट के टाइम के बाद कोई इरिगेशन कार्य नहीं हुआ है और जो पुराने बांध बने हुए हैं उनका भी पुनर्निर्माण नहीं हुआ है और उनका दो तरह से नाश हुआ है। एक तो बांधों की सीमा ठोकर से नीचे है और दूसरा जो पहाड़ों से पानी आता था उनकी सोरें टूट जाने से केपेसिटी बिल्कुल नहीं रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इनके पुनर्निर्माण का कार्य सरकार शीघ्र ही करावे।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर जिले की सिकराय तहसील में एक गांव है, वहां से पानी बह कर जाता है। और वह

(श्री मनोहरलाल)
पानी उस जिले में फैल कर बाढ़ का रूप ले लेता है। मैं निवेदन करूंगा कि लाड़पुरा बांध का निर्माण कराया जाय जिससे सिंचाई का काम भी हो सके और फ्लड कंट्रोल के रूप में भी काम में आ सके।

सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि सवाई माधोपुर में करौली डिवीजन में एक भाखरी बांध का सर्वे हो चुका है। उस स्कीम को शीघ्र ही क्रियान्वित कराया जावे ताकि करौली और धौलपुर सब डिवीजन का कल्याण हो सके।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बनास नदी के पास बांध बनाने की योजना का सर्वे हो चुका है। उसका कार्य शीघ्र शुरू किया जाय। इसका भी सर्वे हो चुका है इसलिये शीघ्रातिशीघ्र यह कार्य भी शुरू करवाया जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: श्री गौरीशंकर मुनीम।

श्री गौरीशंकर मुनीम (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे आज इस मांग पर बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं पहले झालावाड़ जिले के विषय में कुछ आपके सामने प्रकाश डालूं। झालावाड़ जिला सबसे पिछड़ा हुआ जिला है और झालावाड़ जिला सन् 50 के पहले जो था उस हालत में आज तक वैसे का वैसा है। मैं आपसे निवेदन करूं कि यह क्यों? यह इस वास्ते कि वहां के मिनिस्टर साहबान थे, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। वह अपने दूसरे प्रपंचों में रहे और उसके बाद सुखाड़ियाजी से निवेदन किया कि आप तो यहां जन्मे हैं, यहां के लिये ध्यान दें। यहां पर कोई रोजगार नहीं है, कोई धन्धा नहीं है, लोग भूखों मरते हैं और इतनी खराब हालत झालावाड़ की हो रही है। मैं राजस्थान के हरएक जिले में घूम चुका हूं लेकिन सबसे ज्यादा खराब हालत झालावाड़ की है। सुखाडियाजी मुख्य मंत्री थे तब उनसे कहा था, मेरा निवेदन है कि सुखाड़िया साहब आप तो इस तरफ ध्यान दो। तो सुखाड़िया साहब ने कहा कि भाई आपके झालावाड़ महाराजा वहीं जन्मे हैं, बड़े बड़े विभाग उनको दिए थे फिर भी अगर आपके यहां का सुधार नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। मैंने उनसे कहा, कि झालावाड़ में आप जन्मे हैं सुखाड़िया साहब महाराजा झालावाड़ का जन्म स्थान तो लन्दन है। इसलिये आपको ध्यान देना चाहिये और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस पर ध्यान दूंगा। इत्तफाक की बात है कि वे मुख्य मंत्री नहीं रहे और राज्यपाल होकर चले गए।

श्री सभापति: आप तो बात बताइये।

श्री गौरीशंकर मुनीम: मैं अर्ज कर रहा हूं, सुन लीजिए। मैं आपसे निवेदन करूं कि झालावाड़ जिले में आज भी ऐसी चीजें मौजूद हैं जहां पर काफी उद्योग धन्धे खोले जा सकते हैं, फैक्ट्री खोली जा सकती है परन्तु वहां के मिनिस्टर कोई हों तो कुछ सोचें।

श्री सभापति: सिंचाई के बारे में क्या कहना है वह फरमाइये।

श्री गौरीशंकर मुनीम: मेरी अर्ज सुन लीजिए। मुझे क्यों मना करते हैं। हरएक अपनी बात कहते हैं उनको आप मना नहीं करते। मुझे ही क्यों मना कर रहे हैं?

श्री सभापति: मैं तो आप से यह कह रहा हूं कि आप सिंचाई के बारे में कहें।

श्री गौरीशंकर मुनीम: यहां पर हरएक

(श्री गौरीशंकर मुनीम)

आदमी ने हर एक चीज रखी है फिर मुझे ही क्यों मना करते हैं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आपस में बात मत करिये।

श्री गौरीशंकर मुनीम : मेरा निवेदन है कि झालावाड़ जिले का मंत्री नहीं होने से मुख्य मंत्रीजी को ध्यान देना चाहिए क्योंकि झालावाड़ की हालत बहुत खराब है। अभी हमारे बोहराजी, जान मोहम्मदजी और लल्लू जी हालत बता चुके हैं इसलिए ज्यादा नहीं बोल कर इतना ही कहूंगा कि वहां की हालत बहुत खराब है, बहुत गरीब लोग हैं, वहां पर कुछ उद्योग-धन्धे लगें तो वहां की उन्नति हो। मेरा निवेदन है कि वहां पर पत्थर की खानें हैं जहां लाखों करोड़ों रुपये का पत्थर निकल सकता है, इस पर ध्यान दिया जावे तो वहां बहुत अच्छी तरक्की हो सकती है। दूसरा तिलहन वहां बहुत पैदा होता है इसलिए डालडा का कारखाना लगने से गरीबों को लाभ हो सकता है। फिर वहां पर गन्ना इतना पैदा होता है कि शक्कर का कारखाना खुल सकता है। लेकिन कौन परवाह करे। क्योंकि हमारे पांचों एम० एल० एज० में भी एकता नहीं है। अगर एकता हो तो क्या झालावाड़ में काम नहीं हो सके, सब कुछ हो सकता है। एक किधर जाता है, एक किधर जाता है इसलिए काम नहीं होता। मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि यहां पर मुख्य मंत्रीजी मौजूद नहीं है पर आप मौजूद हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि झालावाड़ के विषय में कुछ सोचिए। सब जिलों में तरक्की हुई है हमारे झालावाड़ जिले में क्यों नहीं हो, यह तो आप सोचिए। यह तो आपको सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि झालावाड़ तरक्की नहीं कर सका, इस विषय में मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर अगर रेल हो जाय तो भी तरक्की हो सकती है। इसके बारे में मैंने सुखाड़ियाजी से कहा तो वे कहने लगे कि यह केन्द्र का विषय है। मैंने निवेदन किया कि आप केन्द्र को लिखें तो सही, अगर वहां पर रेल हो जाय तो जो वहां पर लोहा है, सीमेन्ट का पत्थर है, ताम्बा है, वहां पर अल्मूनियम है, उनका उपयोग हो सकता है और लोगों को रोजगार धन्धा मिल सकता है, पर कोई परवाह ही नहीं करता। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं ध्यान देते हैं। झालावाड़ के विषय में जो कुछ हालात हैं वह मैंने आपके सामने रखे और आप इस पर अवश्य ध्यान देंगे।

श्री सभापति : आप सिंचाई के बारे में बतावें।

श्री गौरीशंकर मुनीम : सिंचाई के विषय में मेरा निवेदन है कि मुझे कहना तो बहुत है लेकिन सिंचाई के विषय में भी अर्ज करूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगा आप बहुत ही बुजुर्ग हैं। कल उद्योग और खनिज के बारे में डिमाण्ड है उस समय मुख्य मंत्रीजी भी मौजूद होंगे इसलिए आप कल उद्योग-धन्धों के बारे में बोलेंगे। इसलिए आज सिंचाई के बारे में कुछ बोलना चाहें तो बोलें नहीं तो मैं दूसरे सदस्यों को मौका देता हूं।

श्री गौरीशंकर मुनीम : अच्छा है, लेकिन मुझे तो कभी मौका ही नहीं दिया जाता है। आज मौका दिया है और वह भी

(श्री गौरीशंकर मुनीम)

रात को साढे नो बजे। तो मैं सिंचाई के विषय में निवेदन कर दूं और बाकी छोड़ देता हूं कल के लिए। आपने फर्मा दिया है कि कल मुझे आप मौका देंगे। कल टाइम देने के लिए कहा है तो कल जरूर टाइम देना।

सिंचाई के लिये निवेदन करूं कि झालावाड़ जिले में मेरे क्षेत्र में खानपुरा में ऐसा क्षेत्र है राजस्थान के अन्दर कि जहां सबसे ज्यादा अनाज पैदा होता है। खानपुरा ऐसा क्षेत्र है कि इस क्षेत्र के एक किसान ने राष्ट्रपति से पदक हासिल किया है। ऐसे क्षेत्र की आप परवाह नहीं करें, जहां पर कि सबसे ज्यादा अनाज पैदा होता है और आज अनाज की इतनी कठिन समस्या है। इस कठिन समस्या को हल करने की जो चीज है उसकी आप परवाह नहीं करना चाहते हैं। खानपुरा तहसील के अन्दर दो बांध हैं। एक भीमसागर और दूसरा हरिश्चन्द्र बांध। इन दोनों बांधों के बारे में हमारे जान मोहम्मद जी, बोहरा जी ने काफी ध्यान दिला दिया है, काफी रोशनी डाल दी है। इन बांधों पर काफी पैसा खर्च कर दिया और इन बांधों से अगर एक लाख बीघा जमीन में सिंचाई हो सके तो दस लाख मण गेहूं ज्यादा पैदा होगा और आपकी जितनी समस्या है, अनाज की उसका हल होगा। आप बड़े बड़े बांध बांधते हैं। मैं यह नहीं कहता कि इनको मत बंधाओ या आप राजस्थान नहर पर पैसा मत लगाओ पर राजस्थान नहर में मेरे ख्याल में 10/15 साल और लगा देंगे तब कहीं लाभ मिल सकेगा और 1½ अरब रुपया खर्च होगा तब। लेकिन अब आप इन छोटे बांधों को बनवा देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा होगा, आपको माल ज्यादा मिलेगा। रिटर्न भी उसी वक्त मिलने लग जायेगा। मेरा निवेदन यह है कि गये सत्र में भूतपूर्व सिंचाई मंत्री जी ने इन दो बांधों के बारे में घोषणा की थी। इन दोनों बांधों को पंचवर्षीय योजना में लिया जाएगा और इनको पूरा कराया जाएगा। मुझे यह सुन कर खुशी हुई और मैंने मेरे क्षेत्र में इसका एलान कर दिया। लोगों से कहा आपका जीवन अब सार्थक हो गया। अब जब यह बजट सामने आया तो उसमें भीमसागर बांध के आगे जीरो लिखा हुआ मिला और हरिश्चन्द्र बांध का नाम तो कहीं है ही नहीं। जहां आमदनी का जरिया है, किसानों को फायदा होता हो, सरकार को भी फायदा होता हो और जनता को अनाज मिलता हो, वह काम तो आप नहीं कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह हरिश्चन्द्र बांध कौनसा है?

श्री गौरीशंकर मुनीम : अर्ज कर रहा हूं और मतलब ही क्या है कहने का? इन दोनों बांधों को बांधने से सरकार को फायदा है और ऐसी भारी मंहगाई में बांधों को बंधाने से गरीबों को मजदूरी मिलेगी और अन्न की जो समस्या है वह भी हल होगी।

माननीय मंत्री महोदय को, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरूर इस पर ध्यान देंगे और ध्यान नहीं देंगे तो मैं हाउस में घोषणा करता हूं कि 200 आदमी हड़ताल कर देंगे। मेरे को जनता खा रही है। आपने इसमें जीरो लगा दिया है और आप कहते हैं कि फिक्र मत करो। मैंने जनता को आश्वासन दिया है, आप धैर्य मत छोड़ो, मैं कोशिश करूंगा और मुख्य मंत्री जी से भी कहूंगा। यहां पर दस पन्द्रह आदमी आये हैं। वे मंत्रियों से मिले हैं। कम से कम उनका 1500 रुपया का खर्चा

(श्री गौरीशंकर मुनीम)

हो गया है इस मंहगाई में ओर आप ध्यान नहीं देवें। यह बात कैसे हो सकती है। आप ध्यान नहीं देंगे तो 200 आदमी यहां पर आ जाएंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इससे गरीब किसानों को फायदा है। जो फायदे का काम है वह आप नहीं कर रहे हैं। इसलिये आप से निवेदन है कि इस ओर आप ध्यान दो। थोड़ा पैसा लगाते ही इससे आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। सन् 54 में इस हरिश्चन्द्र बांध का काम शुरू कराया गया है। भीम सागर का काम सन् 38 से चल रहा है। वह राजाओं का जमाना था। 48-49 में हमारी सरकार आ गयी, फिर 54 से काम शुरू किया, इन्जीनियर लाखों रुपये तनख्वाह के लेते आ रहे हैं और नतीजे में जीरो। इस बांध को हर साल बांधा गया और हर साल वह बह गया। यह हर साल होता है। तो यह किसी की जिम्मेदारी है या नहीं ?

श्री सभापति : इस पर गंभीरता से विचार करेंगे।

श्री गौरीशंकर मुनीम : मेरा निवेदन यह है कि आप यहां घोषणा करें और यह आश्वासन दें कि आप यह काम पूरा करा रहे हैं या नहीं। दूसरी बात यह है कि सन् 66 से 68 तक हरिश्चन्द्र बांध से किसानों को पानी दिया गया और 69 से आज तक बांध से पानी दिया जाता बन्द है। फिर यह लगान क्यों लिया जा रहा है? क्या यह न्याय है? कलेक्टर, इन्जीनियर जो हजारों रुपया तनख्वाह के ले रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। आखिर हम वोट लेकर आए हैं जनता से। वह पूछती है। 6 साल से पानी का लगान लिया जा रहा है। एक बात और बतला दूं। नहरें बना दीं। क्यों कि खूब पैसा खाने को मिलता है, यह काम पहले करा दिया। आज वे सब नहरें टूट गयी हैं। भर गई हैं। नतीजा कुछ नहीं निकला। मेरा निवेदन यह है कि पानी नहीं था बांध में तो ये पहले से ही नहरें क्यों बनवा दी गयीं। मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में क्यों नहीं सोचते हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आसन ग्रहण करिये।

श्री गौरीशंकर मुनीम : जल्दी ही खत्म कर रहा हूं। मेरा निवेदन है कि नहरें बनायी गई। कुछ नतीजा नहीं निकला। इस हरिश्चन्द्र बांध में बहुत कम पैसा लगेगा। करीब 25/30 लाख में ही इसका काम हो जाएगा और इससे किसानों को ज्यादा फायदा होगा।

इसके बाद निवेदन करता हूं भीमसागर बांध के बारे में। इसके बन्ध जाने से आपको शीघ्र ही रिटर्न मिल जायगी। यह मैं आपको चैलेन्ज के साथ कह रहा हूं। आपको भी फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य!

श्री गौरीशंकर मुनीम : दो मिनिट ठहरिये।

मैं यह निवेदन करूं कि पंचायत समिति, बकानी में ऐसे बांध पड़े हुए हैं छोटे छोटे जिनको बांध दिया जाए तो हजारों मन अनाज पैदा हो सकता है। आप छोटे बांध भी नहीं बनवा सकते, ताज्जुब होता है। क्यों नहीं करते हैं यह काम? क्यों हमको गलत समझ रखा है। पहले तो यह था कि एक भी कांग्रेसी चुन कर नहीं आता था। अब तो हम पांचों कांग्रेसी एम० एल०ए० चुनकर आये हैं। अब तो ध्यान दीजिये। पहले तो यह कहते थे कि कांग्रेस के चुन कर नहीं आए, हम काम नहीं करते। अब तो हम सारे ही कांग्रेसी के आ गये हैं। मैं वहां की हालत को बता रहा हूं। यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य, अब आप बहुत थक गये हैं। हाउस कल भी चलेगा। आप कल बोल सकते हैं। आपकी बात को समझ गये हैं।

श्री गौरीशंकर मुनीम : इरिगेशन विभाग में सीमेन्ट की हजारों बोरियां पड़ी हुई हैं। सैकड़ों बोरियां बेच दी गयीं। खा गये। भीमसागर बांध की हजारों बोरियां सीमेन्ट की बेच दी गयी हैं और कुछ नहीं हो रहा है। सैकड़ों बोरियां वहां पर भीग गयी। अब तो आप मंत्रिमंडल में आ गये हो। क्यों नहीं ध्यान देते हैं। यह नुकसान क्यों हो रहा है ? किस की वजह से हो रहा है? यह पैसा जनता का है। आप इसकी इन्क्वायरी करवाइये। मैंने सीमेन्ट की बोरियां ले जाते हुए ट्रक पकड़वाया है। मगर इस मामले को दबा दिया गया। मैंने लिखित में रामचन्द्रजी चौधरी को दिया मगर इसका मुझे कोई उत्तर नहीं मिला।

श्री सभापति : कृपया शीघ्र समाप्त करें।

श्री गौरीशंकर मुनीम : अब एक आखरी बात कह देता हूं। एक बात का बहुत ही दुःख है, भारी दुःख है। कल हांडा साहब ने हमारे धर्म पर कुठाराघात किया। उसे सुन कर अत्यन्त ही दुःख हुआ। आचार्य तुलसी पर मनमाने आरोप लगाये। उनको बुरे शब्द कहे। रामस्नेही सम्प्रदाय के महाराज श्री रामकिशोरजी महाराज पर बिल्कुल झूठे आरोप लगाए। मगर हांडा साहब सच साबित कर दें तो मैं क्षमा याचना करूंगा। यहां उन्होंने यह कहा रामकिशोरजी महाराज झूठा खिलाते हैं। यह अव्वल दर्जे की झूठी बात है। मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि वे साबित कर दें कि झूठा खिलाते हैं और झूठा खाते हैं। दूसरी बात रामस्नेही जो मत है वह कोई आज का नहीं है। यह 200 वर्ष पुराना है। यह ऐसा मत है जिसको हर बिरादरी के लोग बड़ी इज्जत से देखते है। श्री रामकिशोरजी को भी महान पुरुष के रूप में देखते हैं। शाहपुरा मेवाड़ (राजस्थान) में फूलडोल पर मेला लगता है उसमें हजारों लोग आते हैं। वहां पर उनके लिये ठहरने का खास तौर पर इन्तजाम किया जाता है। हांडा साहब को क्या अधिकार है कि हमारे धर्म पर कुठाराघात करें ? यह दुःख की बात है कि वे झूठी बात यहां पर कहते हैं। झूठी है। यह भी कहा गया कि वे हर साल विलायत जाते हैं। उनके पास करोड़ों रुपया है। यह बिल्कुल झूठ है। हां एक दफा वे गये हैं जब कि वहां के लोगों के 50 पत्र श्री महाराज को बुलाने को आये। आज राजस्थान ही नहीं सारे हिन्दुस्तान की जनता श्री रामकिशोर महाराज की इज्जत करती है, जिनके विषय में हांडा साहब ऐसी गलत बातें कहते हैं। श्री हांडा साहब को अपनी गल्त बयानी के लिये क्षमा मांगनी चाहिये। कृपा कर के आइन्दा वे ऐसा कभी नहीं कहें।

श्री सभापति : श्री गोपीलाल, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दो-दो मिनिट में अपनी बात कह दें। पौने 10 बजे सरकार की तरफ से जवाब शुरू हो जायगा।

श्री गोपीलाल (पीपलदा) : सभापति, महोदय, मैं आज के कटौती प्रस्तावों पर कुछ बोलना चाहूंगा। मैं चम्बल क्षेत्र से आता हूं। वहां की जो कुछ समस्यायें हैं उनके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैंने प्रगति रिपोर्ट को पढा है। प्रगति रिपोर्ट को पढ़ने से बड़ा आश्चर्य हुआ। तहसील इन्दरगढ़ में शिवदानपुरा ग्राम के नाम के बन्धे का काम चार साल पूर्व चालू हुआ था। मैं

(श्री गोपीलाल)

तत्कालीन सिंचाई मंत्री महोदय से मिला था। तो उन्होंने उस बन्धे के काम को अगली योजना में लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन प्रगति रिपोर्ट में उस बन्धे का नाम भी नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस बन्धे की बुनियाद तीन साल पहले भरी गई थी, लेकिन अचानक उसका काम धनाभाव के कारण रोक दिया गया है। वह अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। ठेकेदार की छोलदारी लगी हुई है। पता नहीं काम कब चालू होगा। माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उसके काम को इस वर्ष में चालू कराने की कृपा करें।

चम्बल में होने वाली कई समस्याओं की ओर मैं सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। लखमीपुर, मांगरोल, सालपुरा के बीच चार पुलिया टूटकर नहर के अन्दर गिर गयी हैं। दो साल से उनको नहर वालों ने नहीं उठाया तो मैंने इस किस्से को जिला परिषद् में उठाया तो नहर वालों को दो साल पहले ही बतलाया था।

उसके बाद पीपलदा के रास्ते में खरंजा 10 वर्ष से अधूरा पड़ा हुआ है। उस पर केवल पत्थर डालने बाकी हैं। उस पर अधिक खर्चा नहीं होने का है। उसके कारण से लोग 4-5 मील का चक्कर काटकर अपने खेतों से खलिहानों में जाते हैं और खलिहानों से मंडियों में जाते हैं। झाड़ोड़ा ग्राम से मांगरोल के रास्ते में लक्ष्मीपुर के रास्ते में लुहावद के रास्ते में नहरें जगह जगह से टूटी पड़ी हैं और उनमें 6-5 फीट पानी बारह मास भरा रहता है इसलिये पचासों गांवों के आदमियों को और स्त्रियों को कपड़े उतार उतार कर उन खड्डों को पार करना पड़ता है।

तो यह समस्याएं नहरों के द्वारा उठी हुई हैं तो नहर वालों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि अपने यहां पर इसका एस्टीमेट बना कर इन पर छोटी मोटी पुलियाएं बनाई जायें ताकि आने-जाने वालों के लिए रास्ता सुगम हो और काश्तकारों को अपना माल मण्डियों में ले जाने में सुविधा हो।

इसके अलावा समेरपुरा और किशनपुरा गांव के अन्दर जो नहरों में पाइप लगा रखे हैं और वहां पर हैड नहीं बना पाये हैं। इससे हर साल 200-300 बीघा में खड़ी हुई फसल खराब हो जाती है। नहर डिपार्टमेंट ध्यान नहीं देता है। हर साल मिलते हैं तो जिला परिषद् में बात करते हैं और पंचायत समिति में बात करते हैं नहर वालों से, तो वह बजट में प्रावधान नहीं है यह कह कर टाल देते हैं। उससे गरीब किसानों को बहुत बड़ा नुकसान है।

इसके साथ ही कुछ मेरे क्षेत्र में चम्बल नदी, पार्वती नदी और काली सिंध नदी बहती हैं। इन तीनों नदियों में अनावश्यक पानी छोड़ देते हैं जिससे जमीन पर कीर लोग ककड़ी और खरबूजा पैदा करते हैं। जून के महीने में नहरों को खाली करने के लिए नहर डिपार्टमेंट के लोग बिना किसी प्रकार की सूचना दिये नहरों का पानी इन नदियों में छोड़ देते हैं जिससे हजारों बीघा में ककड़ी और खरबूजे की फसलें नष्ट हो जाती हैं और नहर वाले इसका कोई मुआवजा नहीं देते हैं। वे लोग दो दो चार-चार बीघे में सब्जी वगैरह करते हैं तो उनकी फसल पकते पकते नष्ट हो जाती है ? व नहर विभाग पर दावा करने की क्षमता नहीं रखते। मैं नहर डिपार्टमेंट से कहना चाहूंगा कि वह पानी छोड़ें तो बंध से छोड़ें जिससे फसलें नष्ट नहीं हों।

श्री सभापति : श्री जेठमल बरवड़। दो मिनिट में कोई विशेष बात कहनी हो तो कह दें।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : सभापति महोदय, परबतसर तहसील है उसके में अन्दर जो बान्ध बन्धे हुए हैं उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। सभापति महोदय, हमारी परबतसर तहसील के अन्दर यह है कि वह एक पहाड़ी इलाका है। इसमें हमारे नागौर जिले के अन्दर सबसे ज्यादा परबतसर के अन्दर पहाड़ हैं और वहां पर छोटे-छोटे काफी बान्ध बन्धे हुए हैं। सिंचाई विभाग ने काफी काम किया है, और फेमीन के अन्दर भी काफी बान्ध बन्धे हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी से यही निवेदन करूंगा कि जो बान्ध बन्धे हैं और अधूरे रह गये हैं उन अधूरे बान्धों को सरकार को पूरा करना चाहिए, क्योंकि सरकार का जितना रुपया उनमें खर्च हुआ है वह वर्षा होने पर उन बान्धों के बह जाने से खराब हो जायगा। इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि परबतसर तहसील में जो अधूरे बान्ध हैं, उनको पूरा किया जाय।

एक बात और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस तहसील के अन्दर जो सर्वे यहां विभाग के द्वारा नये बान्धों के बन्धवाने के लिए कराया गया था उस पर सरकार विचार करे, क्योंकि हमारे इलाके के अन्दर इन बान्धों से इतना फायदा हुआ है कि जिन गांवों के अन्दर पानी बहुत गहरा था वहां पर कुओं के अन्दर पानी बहुत ही ऊंचा आ गया है, और आज उससे किसानों को काफी फायदा हो रहा है। बिजली हर गांव में पहुंच गई है। बिजली पहुंच जाने से और बान्धों के बन्धे होने की वजह से किसानों को [illegible] रहा हुआ है। इसलिए माननीय मंत्रीजी से मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो बान्ध अधूरे पड़े हुए हैं उनको पूरा करायें और नये बान्धों के लिए जो सर्वे कराया गया है, उसके ऊपर आगे सरकार काम करे।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा (उपनिवेशन-मंत्री) : सभापति महोदय,.....

श्री मनोहर लाल : मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं। कल भी आपने टाइम नहीं दिया था।

श्री सभापति : कल भी समय समाप्त हो गया था। मंत्रीजी बोल लें, उसके बाद में आप प्रश्न पूछ लें।

श्री मनोहर लाल : उसके बाद क्या प्रश्न करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, कालोनाइजेशन के संबंध में कटौती प्रस्तावों की संख्या को देखते हुए आसानी से यह परिणाम निकाला जा सकता है कि गंगानगर एजीटेशन के वक्त में जो कुछ भी असन्तोष और जन आक्रोश के मुद्दे थे उनके समाधान के लिए सरकार ने पोजीटिव और इफेक्टिव स्टेप्स लिये हैं। इसलिए आज जितने माननीय सदस्य यहां पर बोले हैं उनमें से भूमि के एलॉटमेंट के सम्बन्ध में कम ही माननीय सदस्यों ने यहां पर चर्चा की है। यह बात सही है कि इतने बड़े एलॉटमेंट का काम है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका फर्स्ट फेज भी अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है। मेरे सहयोगी सिंचाई मंत्रीजी जितनी जल्दी राजस्थान केनाल को पूर्ण करने चले जायेंगे वे सदन के माननीय

(श्री परसराम मदेरणा)

सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि एलॉटमेंट का काम तेज रफ्तार के साथ साथ चलता जायेगा। जितनी जमीन लिखित इन्होंने मुझे दी है, आज इरिगेशन डिपार्टमेंट ने 7,56,000 एकड़ जमीन आपने दी है उसमें से 4,61,000 का परमानेन्ट एलॉटमेंट किया जा चुका है। 1,17,000 परमानेन्ट लीज होल्ड पर है और कुछ रिजर्वेशन में है, और बाकी ओल्ड खातेदार हैं उनके पास में 1,03,000 ऑलरेडी उनके पजेशन में है, उनकी काश्त में है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इतने बड़े काम के अन्दर असिस्टेन्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एलॉटमेंट रूल्स के अन्डर जिनको कलेक्टर्स की पावर्स हैं उनके काम में, एलॉटमेंट के काम में गलतियां और खामियां भी रह सकती हैं, उसके लिए अपील का प्रावधान है। अपील की बाद रिवीजन का प्रावधान है। माननीय सदस्यों के पास में कोई ऐसा व्यक्ति आये जो कलेक्टर के ऑर्डर से एग्रीव्ड है और कलेक्टर की पावर्स डेलिगेट की हुई है, असिस्टेन्ट कमिश्नर को और डिप्टी कमिश्नर को भी की हुई हैं तो वह कमिश्नर के पास में अपील कर सकता है और रिवीजन रेवेन्यू बोर्ड में कर सकता है।

उसके बाद में यह होते हुए भी करणपुर से आने वाले माननीय सदस्य, वह तो आज उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के प्रोफेसर साहब यहां पर मौजूद हैं, उन्होंने खास तौर से एक स्पेसिफिक आरोप लगाया है कोलोनाइजेशन डिपार्टमेंट के ऊपर कि सिक्खों के साथ में एलॉटमेंट के मामले में बड़ा भारी भेदभाव किया जा रहा है, एलॉटमेंट पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने कुछ मुद्दे भी दिए ह। उन मद्दों पर खास तौर से नहीं जाना चाहता, लेकिन वह लिखते रहे हैं तो मैंने फाइल्स को भी एक्जामिन किया है। और जो उन्होंने 3-4 मुद्दे यहां पर उठाये एक तो उन्होंने यह कहा कि 32 सिक्खों को जो भूमि एलॉटमेंट की थी वह डिप्टी कमिश्नर ने कैंसिल कर दी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह विजयनगर तहसील का मामला है ?

श्री परसराम मदेरणा : हां।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह बिल्कुल गलत है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने अपील की थी। कमिश्नर सैटिसफाई नहीं हुआ। दूसरे डिप्टी कमिश्नर को दिया। जब उसने यह जांच रिपोर्ट में कहा कि ये एन्टाइटल नहीं थे तो कैंसिल कर दी। 22 तो उसमें से अपील में चले गये हैं। लेकिन देखने से ऐसा मालूम होता है कि जिन गांवों के नाम लिए थे, जहां का वह अपने आप को डोमीसाइल, राजस्थानी बताते हैं इस प्रकार के कोई गांव राजस्थान में नहीं हैं। यह कोई सिक्खों का प्रश्न नहीं है। सिक्ख हिन्दुस्तान की एक बहादुर कौम है। सिक्खों के साथ यह कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य के दिमाग में इस प्रकार से बैठ गई है। सिक्खों के साथ में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मैं गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य और करनपुर से आने वाले माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सिक्खों के साथ कोई भेदभाव नहीं है। एक भूरासिंह का नाम दिया है। 1974 के बाद की बात तो

(श्री परसराम मदेरणा)
वह अपील में जा सकते हैं। गंग कैनाल एरिया में एस० डी० ओ० ने एलॉटमेंट कर दिया था। वह स्थगित प्रश्न पूछा था, उसका जवाब दे दिया। कलेक्टर कोलोनाइजेशन ने धारा 11-14 के अन्दर कैंसिल कर दिया। इसी प्रकार से गंग कैनाल में एलॉटमेंट के रूल्स की बात कही गई है। 1960 के बाद के लोग एन्टाइटल नहीं थे। यह प्रश्न पूछा था, वह भी उत्तर दे दिया। इस बारे में जिलाधीश को आदेश दिए गए हैं कि इस मामले में नोटिस देकर जो सन् 1960 के बाद के एन्टाइटल नहीं हैं तो उनको भूमि का आवण्टन कानूनी तौर पर कैंसिल किया जाना चाहिए।

इसी तरह से जोधपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने किसानों के बारे में कहा कि संवत् 12 से खरीद ली गई। संवत् 12 में भी काश्त थी और संवत् 13 में कैंसिल कर दी गई। उसके बाद कुछ लोगों को खातेदारी मिल गई। वह डिस्प्यूट करने वाले बड़े बड़े ऑफिसर थे, यह ठीक है। राजस्थान टिनेंसी एक्ट की धारा 15 'ए' के अधीन कालोनी एरिया में खातेदारी राइट नहीं हो सकते हैं। 15 'ए' के ऊपर संशोधन के आधार पर मैं इस बात के आदेश दे रहा हूं कि कोई इल्लीगल कार्यवाही हुई हो तो वह कैंसिल होनी चाहिए। छतरगढ़ के मामले को लेकर भी बहुत से लोगों ने हाई कोर्ट में रिट की थी। वह रिट खारिज हो गई। बाद में राज्य सरकार रिव्यू में गई। एग्रीव्ड पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई है। महाराजा हिम्मत सिंह उसके बाद में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को जब तक कोई फैसला नहीं मिलेगा कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। लेकिन जो जमीन को अभी अपना कहा है, पिछले तीन महीने में शिष्टमण्डल भी मिले हैं। उन्हें राज्य सरकार ने यह बात कही है। राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं कि मैरिट पर केस डिसाइड करना चाहिए। 355 में खातेदारी सबूत देने चाहिए। वह पीरियड हमने एक्सटेण्ड कर दिया है। पर्टीक्यूलर टाइम दिया है। उनको प्रतिवेदन कर देना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: राजा हिम्मतसिंह, बांगड, मालपाणी, ये बहुत बड़े सेठ हैं। 31वां अमेण्डमेंट कान्स्टीट्यूशन में हो चुका है। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बोगस खातेदारी बनाकर 20-25 हजार एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है। राज्य सरकार इस दिक्कत में पड़ती क्यों है? फौरन उनकी जमीन ले लेनी चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा: अभी माननीय सदस्य ने एडवाइज दी है। ऑफ हैण्ड में कुछ नहीं कह सकता हूं। देखूंगा। सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। उसके बाद भी गवर्नमेन्ट अधिकृत है या नहीं। इस संबंध में मैं ओपन करना ठीक नहीं समझता।

यहां गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने हाई कोर्ट कमेटी की मियाद बढाने की बात कही है। हाई कोर्ट कमेटी के अभी 10 दिन बाकी हैं। इस बारे में मेरा कहना है कि हाई कोर्ट कमेटी की मियाद आगे बढा दी जायेगी। कितनी बढा दी जायेगी, यह अभी नहीं कह सकता हूं।

इसके अलावा यहां जो आउस्टीज पौंग डैम के आये हैं वे यहां से वापिस चले जाते हैं। उन्होंने कहा है कि उनका कैंसिलेशन नहीं करते हैं, एलॉटमेण्ट का। मैं इस बात

(श्री परसराम मदेरणा)

से सहमत हूं लेकिन मेरा यह मानना है, उसके बाद कई प्राबलम्स खड़ी हो जायेंगी। पोस्ट और प्री 355 कैनाल के रूल्स से ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। जिनको 20 साल की खातेदारी मिल गई। उसमें यह लिखा है:—

"During Gair Khatedari, the allottee shall have no any alienable right on the land and shall not transfer to any person in any way that is by sale or mortgage....."

(10.00 रात्रि)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यह लॉ में पर्मिसिबल नहीं है। इस प्रकार के नोटिस दिए गए हैं, कुछ केन्सिलेशन भी हो गए हैं। मैं फिर फरदर आदेश दे रहा हूं कि जो इन कन्डीशन्स का एलॉटमेंट के बाद ब्रीच करता है, उसके खिलाफ इमीजियेटली एक्शन लिया जाना चाहिए।

गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने दूसरी बात कही। उन्होंने यह बात कही कि जिन किसानों के पास में 1955 के बाद जो खेती कर रहे थे, उनके पास 15 बीघा जो भूमि थी, उस 15 बीघा के बदले में 25 बीघा भूमि आवंटित की जायगी। इस प्रकार का आश्वासन तत्कालीन मुख्य मंत्री ने 25 मार्च, 70 को इस सदन के प्रांगण पर दिया था। लेकिन कार्यवाही नहीं की गई। मुझे बताया है कि कमी की पूर्ति की जा रही है, इसमें प्रॉयोरिटी है उसमें देने की नम्बर 2 प्रॉयरिटी है। जो ऐसे स्पेसिफिक मामले हैं, उनमें देख लिया जायगा और गवर्नमेंट का जो आश्वासन है। वह अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है।

दूसरी बात सदन के माननीय सदस्य मुझसे मिले भी थे, डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य और गंगानगर से आनेवाले माननीय सदस्य ने आवेदन-पत्र भी दिये थे। वह आवेदन-पत्र इस विषय में था कि 1955 के आरजी काश्तकार हैं, बीच में उनके पजेशन का कुछ ब्रेक हो गया था, उस ब्रेक को कन्डोन भी किया जायगा। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि कन्डोन अवधि के अनुसार नहीं किया जा रहा है। इसको अभी मैं एक्जामिन कर रहा हूं। राज्य सरकार के स्तर पर मैंने उन पत्रावली को मंगा रखा है। मैं आपसे भी बात करूंगा। मैं यह जरूर पहले निवेदन कर दूं कि पहले भी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य की मेरे प्रेडिसेसर से मीटिंग हुई थी। उसके इम्प्लीमेंट में डिफिकल्टी हुई, और कानून में सशोधन करना पड़ा तो वह करने के बाद राज्य सरकार के सामने डिफिकल्टी आ गई, वह काबिज तो नहीं हैं, काबिज काश्त। इसमें है, उपरोक्त 1955 के आरजी काश्तकार को उपरोक्त अधिकार उस अवस्था में दिया जायगा जब भूमि 1955 से पहले बराबर काबिज काश्त में चली आ रही है। परन्तु काबिज काश्तकार यदि काबिज नहीं रहा है तो दो वर्ष की अवधि को माफ किया जायगा। कल्टीवेटर पजेशन और पजेशन का प्रश्न है। कल्टीवेटर का प्रश्न इसमें आ गया है, केवल पजेशन हो और कल्टीवेशन नहीं हो, इसलिए पजेशन जरूरी है और कल्टीवेशन भी होना चाहिए। यह प्रश्न आ गया था। मैं इसको एक्जामिन कर रहा हूं और आवश्यकता हुई तो इस मसले को मैं मंत्रिमण्डल में ले जाऊंगा। यहां पर डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने और गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो परमानन्ट अलॉटमेंट हो रहा है, जो

(श्री परसराम मदेरणा)

पोस्ट 1955 का टीनेन्ट है, टेम्प्रेरी लीज होल्डर है, उन्होंने कहा कि लैंडलेस की डेफिनेशन है और कल्टीवेटर की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में जिसके पास काश्त होनी चाहिये और काश्त के पेशे से ग्रामदनी है उसको एलीजेबल रखा गया है, एलॉटमेंट के लिये। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जब 1952-53 के अन्दर ग्रो मोर फूड के नाम पर कुछ लोगों को जमीन दे दी, जो काश्तकार नहीं थे और उसके बाद खातेदारी राइट कन्फर हो गये, ऐसे कई मुरब्बे हैं। डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, यह कानून बिल्कुल ठीक है, इसलिये जिसका काश्त से वास्ता नहीं था, उनको जमीन किसे मिलनी चाहिये। हमारी जो इस संबंध में डेफिनेशन है, वह बहुत साफ है :

"Landless person means a person who is a *bona fide* resident of Rajasthan since 1st April, 1955, any *bona fide* agriculturist, agriculture labour and who has agriculture as source of income."

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह बिल्कुल सही डेफिनेशन है।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात आप मानेंगे.......

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : डेफिनेशन में फ्ला नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : जिसका काश्त से संबंध नहीं है, किसी तरह टेम्प्रेरी लीज होल्डर बन गया, उसके बाद लीज होल्डर बनने के बाद रूल्स डिफरेन्ट हैं, उसमें लैंड लेस परसन की डेफिनेशन डिफरेन्ट है। इसमें कहीं रसगुल्ले कोई बना रहा था या किसी काम में था उसके बाद चाहते हैं कि ऐसे सभी लोगों को एलीजेबल बनाना चाहिये, तो मैं समझता हूं वह ठीक नहीं रहेगा। इसमें खुदकाश्त का प्रश्न है। डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही है कि कुछ जागीरदारों ने, खुद के पास जमीन थी, वह पत्नी के नाम से कर दी, माता के नाम से कर दी, छोटे बच्चों और बच्चियों के नाम से कर दी और खुद भूमिहीन बन गये। गंगानगर में एक मुरब्बा बन गया। भाखरा प्राजेक्ट गंग एरिया, कैनाल प्रॉजेक्ट एरिया में इस प्रकार के केसेज हुए हैं। यह पहले जब डिपार्टमेंट मेरे पास आया था, स्पेशली मैंने जागीर रिजम्पशन एक्ट में जिस प्रकार संशोधन किया जा सकता है, 1971 में मैंने यह मामला उठाया था और वह फाईल पर लिखा हुआ है। अब लॉ डिपार्टमेंट में एक्जामिन करने के बाद फाइनल राय आई है, ऐसी खुदकाश्त जिन लोगों ने कुछ फैक्ट कन्सील करके एलॉट कर ली है, मुझे याद नहीं है, मुझे पूरा पता नहीं है, 40 या 41–ए जागीर रिजम्प्शन एक्ट में है उसमें सुओ मोटो कमिश्नर कैसे रिओपन कर सकता है। उसमें अवधि नहीं है। जो केस शिकायत के रूप में मेरे पास पड़े हुए थे, उन सभी केसेज, करीब 25, कमिश्नर खुदकाश्त, जागीर को वापिस भेजे हैं ये केस रिओपन किये जाने चाहिये। ऐसे स्पेसिफिक केसेज आयेंगे तो वे रिओपन किये जायेंगे। उसके बाद किसी दूसरे संशोधन की आवश्यकता हुई तो सदन के सामने मैं संशोधन लेकर आऊंगा; लेकिन जो लोग एलीजेबल नहीं थे, जिनके पास में जमीन है और जमीन होते हुए कहीं भूमिहीन बन गये और एक मुरब्ब

(श्री परसराम मदेरणा)
दो मुरब्बा ले लिया और लोगों को ऐलीनियेट कर दिया तो प्राबलम खड़ी वहां होगी, उन्होंने अगर बेच दी है, बेचने की परिभाषा का सवाल है, वह कब बेचता है, जब लीज में लिखा हुआ है, उसमें रूल्स बने हुए हैं कि सात साल पहले एलीनीयेट नहीं करेगा, बेच भले ही दे, लेकिन ट्रान्सफर करता है सात साल बीतने के बाद तो वह डिफिकल्टी है। यह डिफिकल्टी होते हुए भी जो जेनुइन कैसेज स्पेसिफिक केसेज ध्यान में लाये जायेंगे उनको रिग्रोपन करने में सरकार कतई मात्र नहीं हिचकेगी। इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि इरिगेशन मिनिस्टर की है, मेरा पार्ट है इसलिये उनका उत्तर सुनने के बाद इस मांग को पास करें।

श्री लूणाराम : मेरा निवेदन है, जो मामले कमिश्नर, जागीर रिजम्प्शन में सुने जायं, उनको तब तक भूमि एलाट नहीं की जाय, और हुई है तो स्थायी नहीं की जाय, यह आश्वासन मिल जाय।

श्री परसराम मदेरणा : यह आश्वासन मुझसे लेना ऐसी चीज होगी कि कुछ कैसेज जेनुइन हो सकते हैं, और कुछ लोगों ने जागीर से जमीन खरीदी हो और रिकार्ड बनाया हो, फर्जी–इसलिये में सबको एट पार ट्रीट करके जनरल कोई आश्वासन इस समय नहीं दे सकता ब्लेकेट, लेकिन जेनुइन कैसेज में शामिल करने के लिये देखा जा सकता है। मैं इस मामले को निजी तौर पर एक्जामिन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सिंचाई मंत्री।

श्री हीरालाल देवपुरा (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई की मांग...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल देवपुरा : 34 माननीय सदस्यों ने बहस में भाग लिया और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव इस सदन में रखे, जिनके आधार पर राजस्थान में सिंचाई व्यवस्था को सुधारा जा सकता है और राजस्थान में सिंचाई की दृष्टि से अधिक प्रगति की जा सकेगी। मैं उन सब माननीय सदस्यों का आभार प्रेषित करते हुए उन्हें धन्यवाद देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि राजस्थान का विकास राजस्थान की सिंचाई सुविधाओं को आगे बढ़ाने पर बहुत आधारित है और खास तौर से राजस्थान जब एक खेतीहर राज्य है, वहां पर निश्चित रूप से सिंचाई के बारे में लोगों की इच्छायें काफी आगे हों, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में सिंचाई के क्या साधन हो सकते हैं वर्तमान में उनके यहां पर क्या साधन उपलब्ध हैं, उनमें क्या कमियां हैं, किस प्रकार उनको दूर किया जा सकता है, उस ओर अपने विचार व्यक्त किए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में सिंचाई की दृष्टि से सर्फेस वाटर धरातल पर बह कर आने वाले पानी उतना उपलब्ध है, उस सब पानी को केटर नहीं कर पाते हैं, हमें बहुत कुछ पानी को उपयोग में लेना है। हम अभी यह कहकर नहीं चल रहे हैं कि राजस्थान में जितना भी पानी इस प्रकार उपलब्ध है, हमने उसका उपयोग कर लिया हो, जिससे कि भविष्य में जो कुछ भी माननीय सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्र के अन्दर बहते हुए पानी को उपयोग में लाने की बात कही गई, उसका भविष्य में उपयोग नहीं करना हो, ऐसा कहीं भी तय नहीं किया गया है, उस पानी को उपयोग में लाना है। राजस्थान में धरातल पर बहने वाला पानी 648 टी० एम० सी० फीट है जो भारत

(श्री हीरालाल देवपुरा)

वर्ष के कुल पानी का 1:35 प्रतिशत है। इसमें से 288 टी० एम० सी० फीट पानी इस प्रकार का है कि जो तकनीकी दृष्टि से उपयोग में नहीं लिया जा सकता और 70 टी० एम० सी० फीट पानी राजस्थान बनने से पहले उपयोग में लिया जाता रहा है। राजस्थान बनने के बाद चौथी योजना के अंत तक हम 158 टी० एम०सी० फुट पानी विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से जिसमें बड़ी सिंचाई योजनायें भी हैं, मध्यम व लघु सिंचाई की योजनायें भी हैं, उनके माध्यम से हम उपयोग कर पाए हैं। अब हमारे पास 92 टी० एम० सी० फीट पानी उपयोग में और लाना शेष रहता है, जो राजस्थान के विभिन्न भागों में राजस्थान की नदियों के माध्यम से बहकर आगे निकल जाता है। राज्य सरकार चाहती है कि उस पानी को हम जल्दी से जल्दी उपयोग में लें; लेकिन उपाध्यक्ष, महोदय, इस पानी को उपयोग में लेने के लिये अब 300 करोड़ रुपये के लगभग की आवश्यकता रहती है और आज राजस्थान वित्तीय व्यवस्था व वित्तीय स्थिति देश की है, राजस्थान की है, उसमें मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात से इत्तफाक करेंगे कि जितना जल्दी वे इस पानी का उपयोग चाहते हैं, उतना जल्दी संभवतः हम उस पानी का उपयोग नहीं कर सकें।

बहरहाल हम चाहते हैं कि इस पानी का उपयोग जितना जल्दी हो सके करें; लेकिन सारे हमारे वित्तीय साधन समय समय पर जो उपलब्ध हो सकते हैं उसी पर आधारित हैं और उसके आधार पर हम योजनाओं को आगे लेकर चल सकते हैं। जो कुछ भी उपलब्धियां अब तक हम सिंचाई के माध्यम से कर पाए हैं उसके आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में कुल कल्चरेबल एरिया जमीन की दृष्टि से 662 लाख एकड़ है, उसमें से 375 लाख एकड़ जमीन अंडर कल्टीवेशन है और उसमें से राजस्थान बनने से पहले 9 लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई होती थी और अब तक जो हमने सिंचाई की विभिन्न योजनायें–मेजर, मध्यम और माइनर–तैयार की, उससे 30।। लाख एकड़ भूमि को इरिगेट कर पाए हैं। अभी हमें और बहुत कुछ करना है क्योंकि जो आंकड़े मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं उससे भी आप अंदाजा लगायेंगे कि जो पानी उपलब्ध है उसमें अभी बहुत कुछ करना है।

माननीय सदस्यों ने जो अपने अपने क्षेत्रों की विभिन्न योजनाओं पर जो विचार रखे, मैं उनसे यही निवेदन कर सकता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर हम उन योजनाओं में से बहुत सी योजनाओं को लेने के बारे में कोशिश करेंगे। कुछ योजनायें इस वर्ष ली जायेंगी, पांचवी योजना में भी पूरी की जा सकेगी; लेकिन सब की सब योजनायें पूरी नहीं की जा सकती क्योंकि प्रत्येक सदस्य अपने अपने क्षेत्र का ज्यादा अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं, वहां की भौगोलिक स्थिति को ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी दृष्टि से कई जगह इस तरह के बांध बनाना लाभप्रद है, लेकिन सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्रों में एक साथ सभी योजनाओं को लेकर पूरा नहीं कर सकते। जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उनके आधार पर हमें प्राथमिकतायें निश्चित करनी होगी और प्राथमिकताओं के आधार पर ही हम उन योजनाओं को हाथ में ले सकेंगे।

दूसरी कठिनाई जो नई सिंचाई योजनाओं को लेने में आती है वह है सिंचाई योजनाओं पर लगने वाली लागत की। उससे होने वाले लाभ की दृष्टि से कितना उससे लाभ

(श्री हीरालाल देवपुरा)

मिल सकता है, वह चीज भी देखनी होती है। अब तक जितनी सुलभ योजनायें हो सकती थीं जिन पर व्यय कम और लाभ ज्यादा मिल सकता था वे योजनायें बड़ी, मध्यम और छोटी सब की सब लगभग बनाई जा चुकी हैं और जो रह गई हैं वे राजस्थान के उन कठिन भागों में हैं, जहां लागत ज्यादा होगी और पहाड़ी क्षेत्रों में योजनायें हैं जिनके नीचे जो सिंचित भूमि आने वाली है वह कम्पैरेटिवली अब तक जो योजनायें बनीं, उनके मुकावले में कम भूमि आने वाली है। उस दृष्टि से हमारे जो नार्म्स बने हुए हैं बेनीफिट-कास्ट-रेश्यो उसके अंतर्गत बैठ नहीं पाती, इसलिए कठिनाई आ जाती है कि कई योजनायें जो माननीय सदस्यों की दृष्टि से लाभप्रद हैं क्योंकि वे देखते हैं, अपने क्षेत्र के सीमित लाभ को लेकिन हम लार्जर इन्टरेस्ट्स को देखते हैं कि वे लाभप्रद होंगी या नहीं। अगर लाभप्रद नहीं होती हैं तो कठिनाई होती है। आज की वित्तीय स्थिति में हम उन योजनाओं को हाथ में नहीं ले सकते।

कई योजनाओं के बारे में यहां जिक्र किया गया, उनमें कई बातें ऐसी हैं जिनमें जांच कराई, सर्वे कराया। सर्वे के बाद मालूम मालूम पड़ता है कि उन योजनाओं से पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। कहा जा सकता है कि जो योजनायें बाकी बची हैं वे योजनायें मूलत: उन लोगों के लिए लाभ देने वाली होंगी जिन लोगों को अब तक लाभ नहीं मिला है। वास्तव में जो लोग समाज में पिछड़े हुए हैं या शिडयूल्ड कास्ट के लोग हैं, खराब स्थिति में रहते आए हैं, गरीब काश्तकार हैं जिनको अब तक इन योजनाओं से लाभ नहीं मिल सका।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि हम निश्चित रूप से यह चाहते है कि इन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये ये योजनायें चालू करें। हालांकि वहां पर ये योजनायें कोस्टली हैं फिर भी हमें चूंकि इन लोगों को जोकि शोषित वर्ग के हैं पिछड़ी जाति के लोग हैं आदिवासी हैं, जिन्हें कि हमें ऊपर उठाना है ये योजनायें चालू करने के लिये राज्य सरकार ने अपने हाथ में ली है। हमें इन्हें हाथ में लेना पड़ेगा। उसके लिये वित्तीय स्थिति चाहे हमारी खराब है तो भी उन जगहों पर हमें इन योजनाओं को चालू करना ही होगा। हो सकता है दूसरी जगहों पर हम अगर वे योजनायें हाथ में लें तो थोड़ा ज्यादा लाभप्रद हो सकती है। पर पहले हम पिछड़े क्षेत्र में जो योजनायें हैं उन्हें हाथ में लेंगे हालांकि हर माननीय सदस्य ने अपने अपने क्षेत्र की योजनाओं को हाथ में लेने के लिये कहा। कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि वहां पर अगर हम योजनायें चालू करते हैं तो कम खर्च के अन्दर भी वहां पर योजनायें पूरी कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों ने जिन्होंने अपने कट मोशन्स दिये हैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके पास सभी के विस्तृत लिखित उत्तर पहुंच जावेंगे। और वे उत्तर ऐसे पहुंचेंगे कि उन्हें उनसे सन्तोष होगा। साथ में मैं उन्हें यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हम उनकी योजनाओं को कब पूरी कर सकेंगे इसका उत्तर भी उसमें मिल जायेगा। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्यों ने इस बात की शिकायत की उनके क्षेत्र में जो दो परियोजनायें चलती थी भीमसागर और हरिश्चन्द्र सागर डैम की वह काम बन्द क्यों कर दिये गये। और उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय। इसके लिये

(श्री हीरालाल देवपुरा)
मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भीमसागर की जो योजना है उसे पूरी करने के लिये हमें एक दिक्कत यह आयी कि उसके अन्दर अचनावर का कस्बा डूब में आता था। इससे वहां के लोगों ने आकर राज्य सरकार के सामने रिप्रजेनटेशन दिये। तब राज्य सरकार ने भीमसागर डैम के लिये उसका दूसरी तरह सर्वे कराने के लिये कार्यवाही की तब उस योजना की कीमत काफी अधिक हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, उस डैम की 331 लाख रुपये की कोस्ट हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, इतने ज्यादा खर्च में हम और भी कई योजनायें छोटी मोटी पूरी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि उस योजना को अभी हम हाथ में ले सकें। और उससे जो लाभ मिलने वाला है वह उसके खर्चे के अनुरूप में हमें कम मिलेगा। फिर भी माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं वह योजना हमने समाप्त नहीं कर दी है वह अभी भी राज्य सरकार के विचाराधीन है। हम इसे पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा कर सकेंगे ऐसा मेरा अनुमान है। इसके अलावा इकलेरा और खानपुर की तरफ से आने वाले माननीय सदस्यों ने हरिश्चन्द्र सागर डैम को पूरा करने के लिये जोर दिया। इसके लिये उन माननीय सदस्यों को यह जानकारी के लिये कह देता हूं कि वह डैम थोड़ा शुरू भी किया गया; लेकिन उसमें टेक्नीकली डिफेक्ट होने के कारण उसमें मिट्टी में कुछ खराबी होने के कारण वह बांध टूट गया। इसके लिये हमने मिट्टी में क्या दोष है, उसको लेबोरेट्री में टेस्ट के लिये भेजा है। उसके डिजाइन के बारे में भी जांच के लिये कार्यवाही चालू है उसके रिजल्ट चूंकि अभी क आये नहीं हैं इसलिये इस पर इसके रिजल्ट्स आने पर ही विचार किया जा सकेगा। इसके अलावा टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने बिशलपुर के पास बनास नदी पर बांध बनाने के बारे में जिकर किया। माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि पहले यह बनास नदी की जो योजना थी वह सिर्फ सिंचाई के लिये ही बनायी गयी थी; लेकिन बाद में उसमें ऐसी और योजना भी एड की गयी कि इसका पीने के लिये भी उपयोग किया जावे। दोनों ही दृष्टि से इस बांध को बनाने की बात हुई। अगर यह बान्ध पीने के पानी के लिये तैयार हो जाता है तो इस बांध से अजमेर, ब्यावर और जयपुर के लोगों को पीने के लिये पानी की उपलब्धि हो सकेगी। उसके लिये सर्वे किया गया है पर वह योजना बाद में सिंचाई के लिये कम लाभप्रद होती है। तो उस दृष्टि से जब वह पीने के पानी के लिये काम आयेगा तो वह काम पब्लिक हैल्थ इन्जीनियरिंग डिपार्टमेन्ट के तहत होगा। जिसका कि संबंध इरिगेशन विभाग से नहीं है। इसलिये यह डिमाण्ड जब पब्लिक हैल्थ इन्जीनियरिंग की हो, उस दिन उसे उठायें तो अच्छा रहेगा।

उपाध्यक्ष, महोदय, यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि फैमीन और फ्लड के वक्त और क्रेश प्रोग्राम्स के अन्तर्गत तथा डी० पी० ए० पी० प्रोग्राम्स के अन्तर्गत कई तालाब वगैरा बनाये गये थे जो वह काम बन्द हो जाने से अधूरे ही रह गये, उन्हे पूरा कराने के लिये कहा। उपाध्यक्ष महोदय, यह काम इतने अधिक धनराशि के हैं कि उन्हें एक साथ पूरा नहीं कराया जा सकता है। उनके लिये हमें प्रायोरिटी के अनुसार धीरे धीरे हाथ में लेना पड़ेगा। इसके लिये पहले उन सब कामों की स्क्रूटिनी होगी और बाद में देखना पड़ेगा कि

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कौनसी योजना कम खर्च में ज्यादा लाभ देने वाली होगी; उसे ही हाथ में लिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो फैमीन और फ्लड के समय छोटे छोटे तालाब रह गये वे तो कुछ तो पंचायत समितियों के क्षेत्र में आते हैं और वही उन्हें पूरा करायेगी। लेकिन चूंकि पंचायत समितियों के पास इतना पैसा नहीं है। अब इन्हें कैसे पूरा करायें इसके लिये राज्य सरकार जब धन उपलब्ध करा सकेगी तब पूरा करायेंगी। यह छोटी योजनायें भी विचाराधीन हैं। इसके लिये निर्णय लेने पर सूचित कर दिया जायेगा। इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर सीपेज के बारे में और ड्रेनेज को ठीक करवाने के लिये कहा था। यह मैं मानता हूं कि कई जगहों पर सीपेज की वजह से काफी नुकसान हो रहा है और वहां की जनता इससे परेशान है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये मेरा यही निवेदन है कि इसकी जांच करवाकर प्राथमिकता निर्धारित करके उन कामों को भी हाथ में लिया जायेगा। इसके लिये भी प्रयत्न किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की कुछ बड़ी परियोजनाओं के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहले माही परियोजना के बारे में जिकर करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह माही परियोजना का ऐसा मामला है जो कि कडाणा बान्ध से ताल्लुक रखता है। इसको कई बार सदन में माननीय सदस्यों ने प्रश्न के रूप में और आधे घन्टे की चर्चा के रूप में सदन में उठाया है। आज भी हाउस में इसके लिये चर्चा की गयी थी और बाद में हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने इस सबंध में सारी स्थिति सदन में स्पष्ट करदी। इसलिये मैं समझता हूं कि अब मुझे उसमें बोलने से कोई फायदा नहीं। अब इसके अलावा दूसरी जो हमारी माही बजाज सागर परियोजना के बारे में हमारे श्री नाथूरामजी माननीय सदस्य हैं उन्होंने काफी बार सदन में इस प्रश्न को उठाया और कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय हम भी इसे जल्दी पूरा करना चाहते हैं। इसके लिये एस्टीमेट्स बनाये गये हैं लेकिन इस जमाने में जब कि कॉस्ट आफ कन्स्ट्रक्शन बढ़ रही है तब इन परियोजनाओं के एस्टीमेट भी बदलते रहते हैं। उनकी कॉस्ट भी बदलती है। इसमें जो अगर काम धीरे चलता है तो धनाभाव के कारण। वैसे राज्य सरकार इसे तत्काल पूरा करने की कोशिश कर रही है। इसके अन्दर एक बात और है कि इस डैम के बनने से काफी गांव बांसवाड़ा और डूंगरपुर के डूब में आते हैं। उनकी भी एक प्रोबलम है। लेकिन यह बान्ध पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिये गुजरात और राजस्थान सरकार दोनों ही मिलजुल कर बना रहे हैं। इसके लिये एक बोर्ड बना हुआ है। इस बोर्ड के चेअरमैन भारत सरकार के सिंचाई और विद्युत मंत्री है। इस बोर्ड की गये महीने में भी मीटिंग हुई और जनवरी में इसकी रूप रेखा तैयार की गयी। आधार तैयार किया है और उसके आधार पर इस पंचम पंचवर्षीय योजना में इस माही बजाज सागर योजना को पूरा करना चाहते हैं। जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है सिंचाई वाला पार्ट तो इससे पूरा हो जायगा और बिजली उत्पन्न करने वाला जो पार्ट है उसको आगे लेकर पूरा करने की योजना है।

दूसरी दिक्कत माननीय सदस्यों ने यह बतायी कि इतनी बड़ी योजना होते हुए भी

(श्री हीरालाल देवपुरा)
स्थानीय लोगों को इसमें काम मिलना चाहिये वह उन को नहीं मिल पा रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी स्थिति आज की स्थिति में तो नहीं है। प्रारम्भ में यह स्थिति रही हो। आज जो नॉन-टेक्निकल लेबर काम कर रहा है उसमें लगभग 80 प्रतिशत लोग उस क्षेत्र के काम करने वाले हैं और 20 परसेन्ट बाहर के जरूर हैं। कभी कभी हमारे सामने डिफिकल्टी आती है । आज राजस्थान में चम्बल परि-योजना का काम पूरा हुआ । वहां से काफी लोग बेरोजगार होंगे । यदि उनको दूसरी जगह काम पर नहीं लगाते हैं तो उनको पृथक करना होगा। हम नहीं चाहते कि इतने वर्षों तक जिन लोगों ने हमारे यहां काम किया काम की समाप्ति होते ही हम उनको घर भेज दें । इस प्रकार की योजनाओं में जो लोग काम कर चुके हैं यदि इस प्रकार की योजनायें हमारे यहां चल रही हों तो उनको उन पर काम पर लगाना हो तो उनको इंकार तो नहीं कर सकते हैं। इधर उधर करके कुछ करना हुआ एडजस्टमेंट तो कर लेंगे । राजस्थान कैनाल, माही योजना पर भेजना पड़े तो भेज सकते हैं। विद्युत् मंडल है, ट्रान्सपोर्ट यातायात का परिवहन निगम है, वहां पर इस प्रकार के लोग काम कर सकते ह, तो उनको वहां पर एडजस्ट किया जा सकता है । अन्यथा हमारा यही प्रयत्न रहता है कि जो स्थानीय लोग काम कर सकते हैं उनको इन योजनाओं पर काम मिलता रहे ।

श्री नाथूराम : कमेटी ने निर्णय लिया है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसके साथ साथ माननीय सदस्यों ने कुछ घोटालों के बारे में भी जिक्र किया। इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि कुछ स्पेसिफिक बातें जिनमें आप समझते हैं कि फलां काम में भ्रष्टाचार है, गड़बड़ी हुई है तो आप मुझे दें, मैं निश्चित रूप से उनकी जांच करवाऊंगा और सदन में मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जहां कहीं मालूम हो चाहे अधिकारी हो, कान्ट्रैक्टर हो, कोई हो जिसके माध्यम से गड़बड़ी हुई है उसको सजा देने में मेरी तरफ से कतई गुरेज नहीं होगा । हम यह नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार विभाग में और अधिकारियों में रहे । मैं चाहूंगा, कई माननीय सदस्यो ने राजस्थान कैनाल की दृष्टि हो, अपने अपने क्षेत्रों में सिंचायी की दृष्टि से हो, एक्स०ई० एन०, ए० ई० एन०, ओवरसीयर की दृष्टि से कहा हो, मैं चाहूंगा कि जनरल रूप में कहने की अपेक्षा स्पेसिफिक बातें मुझे बतायें तो आपकी बात भी ठीक रहेगी और हमें भी कहने का मौका मिलेगा कि स्पेसिफिक बात आयी है और हमने उस पर कार्यवाही की है और सम्बन्धित व्यक्ति को हमने सजा दी है । तो उसका एक इम्पैक्ट होगा और जिस भ्रष्टाचार को दूर करने में आप और हम उत्सुक हैं उसमें आपका सहयोग मिलेगा। इसमें आपके सहयोग की अपेक्षा करके चलना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल के बारे में माननीय सदस्यों ने यहां पर जिक्र किया । सबसे पहला चार्ज तो माननीय सदस्यों का यह था कि राजस्थान कैनाल दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जो कम खर्च में सबसे अधिक लाभ देने वाली है । दुनिया में इसके मुकाबले की दूसरी योजना नहीं है। उस योजना में इतना लम्बा समय नहीं लगना चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की भावना की मैं कद्र करता हूं, स्वागत करता हूं । मैं स्वयं चाहता हूं मेरा स्वयं का यह दृष्टिकोण रहा है

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कि राजस्थान कैनाल जैसी योजना को इतने समय तक लम्बा नहीं किया जानी चाहिये, काफी समय पहले ही पूरी हो जानी चाहिये थी जिससे न केवल राजस्थान को बल्कि सारे देश को खाद्यान्न की दृष्टि से लाभ मिलता और अनाज की दृष्टि में स्पष्ट लाभ दृष्टिगोचर होता । यही स्थिति दूसरी योजना के लिये भी कही जा सकती है ।

आर्थिक स्थिति हमारे सामने हमेशा डिफिकल्टी के रूप में आती रही है और यही कारण रहा है कि यह योजना आज तक पूरी नहीं हो पायी है । इस योजना को राष्ट्रीय योजना के रूप में स्वीकार करके राजस्थान प्लान के बाहर भारत सरकार के माध्यम से करें । इस सम्बन्ध में भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । यह सही है कि इस योजना को राष्ट्रीय योजना के रूप में मान कर लिया जाना चाहिये था । राज्य सरकार भी बराबर इस प्रयत्न में रही है और आज भी राज्य सरकार चाहती है कि भारत सरकार इस योजना को राजस्थान के प्लान से बाहर स्वयं के प्लान में पूरा करें । इसको केवल राजस्थान की ही योजना न माने, किन्तु इसको राष्ट्रीय योजना मान कर पूरा करें; परन्तु इसमें अब तक जो सफलता मिलनी चाहिये वह सफलता नहीं मिली है। मैं इसको स्वीकार करता हूं । सफलता नहीं मिले तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि प्रति वर्ष योजना के लिये जो रुपया मिलता है केवल इस दृष्टि से कि इसको राष्ट्रीय योजना स्वीकार नहीं किया जाता है इसलिये उसका उपयोग न करें । यदि उसका उपयोग नहीं करेंगे तो इसको चलाने के अन्दर और भी अधिक समय लगेगा और यह लम्बी हो जावेगी ।

आज इस योजना का प्रथम चरण लगभग समाप्ति की ओर आ रहा है । इस वर्ष प्रथम चरण के लिये 8 करोड़ का प्रावधान हुआ है । इस योजना के प्रथम चरण को इसी वर्ष में पूरा करने के लिये 45 करोड़ की कुल आवश्यकता है । उसमें से विश्व बैंक की एक योजना बन रही है जो लगभग पूर्ति की तरफ आगे बढ़ रही है, 26 करोड़ रुपया राजस्थान कैनाल माइनर की लाइनिंग की दृष्टि से, सॉइल कन्जरवेशन आदि इम्प्रूवमेंट की दृष्टि से खर्च किये जावेंगे। उसको निकालने के बाद 19 करोड़ की आवश्यकता रहती है उसमें से 8 करोड़ इस वर्ष के लिये मंजूर किये हुए हैं। 11 करोड़ और चाहिये । इसकी बात प्लानिंग कमीशन, भारत सरकार के आयोजना मंत्री से चल रही है । उन्होंने विश्वास दिलाया है और भारत सरकार के विद्युत् एवं सिंचाई मंत्रीजी ने भी इसमें सहयोग करने की बात कही है। 11 करोड़ रुपया और मिल गया तो राजस्थान नहर का प्रथम चरण चालू वर्ष में 74-75 में पूरा कर देंगे और प्रथम चरण में जो लाभ मिलने वाला है, वह पूरा मिल जावेगा।

लिफ्ट योजना लूणकरणसर की चल रही है वह भी इसमें शामिल हो जाती है । अगर 11 करोड़ रुपया नहीं मिलता तो प्रथम चरण पूरा नहीं हो पायेगा । अगले वर्ष में प्रथम चरण को पूरा कर सकेंगे ।

राजस्थान कैनाल का द्वितीय चरण भी हमारी बातचीत के अनुसार प्लानिंग कमीशन और भारत सरकार के आयोजना मंत्रीजी से बात हुई है जिन्होंने हमें यह कहा कि टाइम बाउन्ड प्रोग्राम बना कर दें तो पंचम पंचवर्षीय योजना में रुपया दे देंगे । राजस्थान सरकार ने उसको स्वीकार कर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

लिया है । 137 करोड़ की आवश्यकता है। राजस्थान सरकार राजस्थान कैनाल के दूसरे चरण को इतनी सक्षम है कि पांचवीं योजना में पूरा कर सकती है । अगर यह रुपया मिल गया तो जो 70 करोड़ मिला हुआ है उसके अलावा जो चाहिये तो निश्चित रूप से हम इस राजस्थान कैनाल योजना का दूसरा चरण भी पांचवीं योजना के अन्त तक पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे और जो लाभ आंका है वह मिलने लग जायगा । राजस्थान कैनाल के लिये बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया, इससे एक योजना थी जो नाचना तलवाड़ा से काण्डला तक ले जाने वाली कुछ वर्षों पूर्व जरूर बनी थी । वह योजना लाभप्रद नहीं मिली थी । उससे वह लाभ नहीं मिल सकता था जो राजस्थान कैनाल के द्वितीय चरण में जो सिंचाई से लाभ मिलता है । वह भी कम हो जाता है उसको हाथ में लेना सम्भव नहीं है । राजस्थान कैनाल की रामगढ़ तक बनने वाली योजना हाथ में ली जा सकती है । गंगा का पानी अगर मिल गया तो उस योजना पर विचार किया जा सकता है । इसको लूनी के माध्यम से काण्डला तक पहुंचाई जा सकती है । उससे नेवीगेशन का काम हो सकेगा, इरिगेशन भी हो सकें और पीने का पानी भी उपलब्ध किया जा सकता है ।

इसके साथ ही साथ माननीय सदस्यों ने गंग नहर के बारे में कुछ मुद्दे उठाये । उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के रूप में तीन दिन पहले इस सदन में यह मुद्दा उठाया गया था । उस दिन भी मैंने स्थिति स्पष्ट की थी । माननीय सदस्यों को भय है। गंग नहर से मिलने वाला पानी जिसकी वे कल्पना करके चल रहे हैं, तो वह पानी नहीं मिल पायेगा। उपाध्यक्ष महोदय मैंने उस दिन भी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाया था और मैं आज पुनः दोहराना चाहता हूं उनके माध्यम से जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके मन में से वे इस भय को निकाल दें । इंजीनियर और चीफ इंजीनियर स्वयं उस केनाल को देखकर आये हैं । सही है। नहर मरम्मत मांगती है । मैं यह नहीं कहता मरम्मत की आवश्यकता नहीं हैं । कुछ हिस्से में मरम्मत की जा रही है । 1-2 तारीख तक जो कुछ मरम्मत की जा सकेगी उसके बाद उस नहर से जो टेन डेज का फार्मूला बना हुआ है उसका पानी बराबर आ सकेगा । यह मैं मानता हूं उनको पानी मिलता रहेगा । उसमें कमी नहीं आने वाली है । उस नहर के लिये यह जरूरी है कि इतने समय पहले हो जानी चाहिये, नहीं हो पाई इसका हमें खेद है । राजस्थान सरकार को जितना पैसा पंजाब सरकार को दिया जाना चाहिये था वह नहीं दिया गया, यह सही है कि 70-75 लाख का एस्टीमेट पंजाब सरकार ने बनाया था और हमारे अधिकारियों द्वारा जो एस्टीमेट बना वह 62 से 65 लाख के बीच में था । उतना पैसा हम एक साथ खर्च नहीं कर सकते थे और इतना पैसा नहीं दे सकते थे लेकिन 30 लाख रुपया हमारा उनके पास है । सीमेन्ट की समस्या आई, कोयले की समस्या आई तो जो हमारे पास समय पर उपलब्ध था इस नहर की तत्काल आवश्यकता को समझते हुये उनको मुहैया कराया गया । जो कुछ हमें आगे करना चाहिये उसमें किसी प्रकार कमी करने की हिचकिचाहट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वे यह कह सकें कि राजस्थान सरकार के कारण उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है । अगले वर्ष....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 10 दिन का रोटेशन का पानी किस तरह प्राप्त हो जायगा । रिपेयर हो रही है जो बोटलनेक हो गये हैं ।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

30 दिन के रोटेशन का पानी का करीब हिसाब बैठता है। 100 क्यूसेक को आप डिस्ट्रिब्यूट कीजिये। सात लाख एकड़ जमीन को इरिगेट करने के लिये यह तो बल्कि 40 तक पहुंच जाता है। यह तो अरिथमैटिक का सवाल है, आप इसको केलकुलेट कर लीजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : शंका सही है। उससे इन्कार नहीं करता। जो नहर है और जहां इस वक्त पानी चल रहा है और नहर जहां रिपेयर हो रही है, जो पंजाब की नॉन-पेरेनियल कैनाल है, जिस जगह मरम्मत हो रही है, उसको क्लोजर करके इस वक्त पानी दिया जा रहा है। लेकिन 1 या 2 तारीख तक पंजाब की इस्टर्न पेरेनियल कैनाल बन जाती है, उस समय पानी कहां से मिलेगा और इस पर शंका है। इस सम्बन्ध में मैंने पूरी जानकारी की है जो हमारी नहर है और जो रिपेयर हो रही है वह उस समय बन्द हो जायगी और हमारी अपनी केनाल से पानी चलना प्रारम्भ हो जायगा। अपनी स्वयं की केनाल से पानी मिलने के बाद पंजाब की इस्टर्न कैनाल से पानी लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

दूसरी बात जो मुझे बताई है वहां के काश्तकार, उन्होंने स्वयं ने मंजर किया था एक से पन्द्रह तक या एक या दो तारीख तक उनका कहना है 15 तारीख तक इस पानी की आवश्यकता नहीं रहेगी 15 तक कहते हैं क्लोजर कर सकते हैं और जो रिपेयर करनी चाहिये वह कर लीजिये, वह भी कर ली जायगी। माननीय सदस्य समझते हैं उस समय पानी की जरूरत रहेगी तो क्लोजर नहीं किया जायगा और इस नहर से बराबर पानी दिया जाता रहेगा। उस हिसाब से प्रोग्राम बनाकर वहां के काश्तकारों के साथ बैठकर उस पीरियड का क्लोजर करके कार्य करेंगे, यह कार्यक्रम निर्धारित किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप यह कल्पना करते हैं पंजाब जिसका डबल कमान्डेड एरिया और फिर उसका कोई ऑफिसर चूकने वाला है कि उसका पानी मिल जाय और वह युटिलाइज नहीं करे और शायद आपके आफिसर्स ने इनफार्म नहीं किया। उनकी केनाल रिचली उस समय तक हो नहीं और अब आपके जो बोटलनेक से चली है....

श्री हीरालाल देवपुरा : मुझे जो फैक्ट्स बताये हैं। मैं निवेदन कर रहा था मैं स्वयं चाहता हूं एक बार ज्योंही सदन समाप्त हो जाय, माननीय सदस्यों के साथ बैठकर देखूं। अगर पंजाब सरकार के मिनिस्टर से बात करनी है, वह करें, भारत सरकार का इन्टरवेन्सन करायें लेकिन हम यह नहीं चाहेंगे राजस्थान को जो मिलने वाला पानी है उसमें कमी हो और हमारे यहां के लोगों को किसी प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े। अब एक सवाल और उठा कनियावाली केनाल पर हैड बनाया जाय। पंजाब सरकार नहर निकालकर 24 क्यूसेक पानी लेना चाहती है। मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया, ज्योंही राज्य सरकार को मालूम हुआ राज्य सरकार ने विरोध किया, राज्य सरकार ने पंजाब सरकार को लिखा, भारत सरकार को लिखा, भारत सरकार के मारफत पंजाब सरकार को लिखवाया और उसके बाद भी काम होते नहीं देखा तो जो पंजाब के सिंचाई मंत्री हैं, उनको पर्सनल लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, भारत सरकार को लिखा, भारत सरकार सिंचाई और विद्युत मंत्री से कहा कि पर्सनल लेवल पर पंजाब से तय करवायेंगे। इस प्रकार अनआथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन पंजाब सरकार का।

(श्री हीरा ा ; देवपुरा)
नहीं होते हुये और राजस्थान का मानते हुये वे कर रहे हैं। उन्होंने कहा है राजस्थान को पानी दिलाने में मदद करेंगे और अनआथो-राइज्ड कन्स्ट्रक्शन को रुकवायेंगे राजस्थान सरकार जागरुक है। हमारे अधिकारों पर किसी प्रकार का कुठाराघात न हो जिससे हमारे यहां के लोगों को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो सके।

इसी प्रकार गंग कैनाल के सम्बन्ध में जो शंकाय थीं, मैंने निवेदन किया। कुछ दूसरी बातें भी माननीय सदस्यों ने कही हैं। पौंग डेम में जो अगले साल पानी इकट्ठा किया जायगा, राजस्थान कैनाल में जो मौजूदा आता है उससे अधिक पानी आयेगा और जब कैनाल बनी नहीं तो उसको इस प्रकार युटिलाइज करेंगे। उसकी भी योजना बना ली गयी है। माननीय सदस्यों को जो गंगानगर से आने वाले हैं उनको सबको मालूम है कि हम उस अतिरिक्त पानी को गंग कैनाल सिस्टम में और भाखरा सिस्टम में यूटीलाइज करेंगे। गंग कैनाल के माध्यम से और भाखरा कैनाल के माध्यम से हम हमारे हक के पानी को किसी भी प्रकार दूसरे राज्यों के उपयोग में नहीं आने देंगे। यह विश्वास मैं सदन को देकर चलना चाहता हूं।

सिद्धमुख के लिए और नोहर फीडर के बारे में यहां चर्चा की गयी। कुछ वर्षों पहले योजना बनी थी। अभी योजना विचाराधीन है। प्लानिंग कमीशन से अभी उसकी एप्रूवल होनी है और जब प्लानिंग कमीशन से इस योजना का एप्रूवल हो जायेगा तो उसके बाद इसके ऊपर हम कार्यवाही करना प्रारम्भ कर सकेंगे।

श्री बिरदाराम: नर्बदा के लिए आपने छ नहीं कहा।

श्री हीरालाल देवपुरा: एक बात जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कही नर्बदा के बारे में क्योंकि उनका सीधा संबंध पड़ता है। वास्तव में बात ही सही है। माही परियोजना के आधार पर राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार का जो एग्रीमेन्ट हुआ है उस एग्रीमेन्ट के आधार पर और जो नर्बदा से मिलने वाले पानी का शेयर है और जो अभी अवार्ड जारी नही हुआ लेकिन तय सा लगभग है। तो यह निश्चित किया गया है कि जब कडाना डैम बन जायेगा और उस कडाना डैम से गुजरात की सिंचाई प्रारम्भ हो जायेगी और उधर नर्बदा का पानी जब गुजरात को मिलना प्रारम्भ हो जायेगा तो जो राजस्थान का शेयर नर्बदा में है वह नर्बदा का शेयर गुजरात उपयोग करेगा और कडाना में जो 429 फुट की स्तर का बनने वाला है उसके ऊपर एक हाई लेवल नहर बनाकर उतने ही पानी का उपयोग जालोर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में किया जायेगा। तो यह एग्रीमेंट गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में हो चुका है कि जब कडाना और नर्बदा दोनों बांध तैयार हो जायेंगे तो उस पानी का उपयोग इसमें बराबर किया जाता रहेगा. वह पानी आपको हमको मिल सकेगा।

माननीय सदस्यों ने जो यहां कई मुद्दे उठाये उस संबंध में मैंने निवेदन किया। बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सिद्धान्त का प्रश्न यहां पर रखा कि जो हमारा ड्रेनेज एक्ट है, वह बहुत पुराना है और उस एक्ट में अब तक कोई तबदीली नहीं की गयी है। मुझे पता नहीं जैसा उन्होंने बताया कि इस सदन में कई बार इस संबंध में विश्वास भी दिलाया गया है कि हम उसमें तबदीली करेंगे लेकिन मैं निश्चित रूप से इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वाकई हमारा एक्ट बहुत पुराना है और उस समय की

(श्री हीरालाल देवपुरा)

परिस्थितियों के आधार पर बना हुआ है और आज की परिस्थितियों में उसमें बहुत बड़ी तबदीली की आवश्यकता है। तो मैं निश्चित रूप से इसके ऊपर विचार करूंगा और इसमें जो संशोधन आज की परिस्थितियों के हिसाब से किये जाने चाहिए वह करके सदन के समक्ष बहुत शीघ्र इसको लाने वाला हूं जो माननीय सदस्यों के विचारार्थ आ ही जायेगा।

इसके साथ साथ पाली से आने वाले माननीय सदस्यों ने पानी के वितरण के ऊपर कुछ शंकायें उपस्थित कीं कि जो तालाबों के पानी का डिस्ट्रिब्यूशन होता है वह प्रापर नहीं होता और जो लोग कमजोर हैं उनको पूरा पानी नहीं मिल पाता है और पानी का डिस्ट्रिब्यूशन आज के इस युग में जो समाजवादी ढंग से होना चाहिए वह नहीं हो पाता। उस संबंध में उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पानी के डिस्ट्रिब्यूशन के लिए जो बड़ी योजनायें हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई हुई है। जिसमें स्थानीय एम० एल० ए०, स्थानीय प्रधान और जिस क्षेत्र में पानी जाता है वहां के प्रमुख काश्तकारों के प्रतिनिधि बैठकर उसका डिस्ट्रिब्यूशन करते हैं। छोटी योजनाओं के लिए इसी प्रकार की एस०डी०ओ० स्तर की एक कमेटी बनाई हुई है। वह कमेटी इस पानी का डिस्ट्रिब्यूशन करती है। उसमें हमारे सामने इस प्रकार की शिकायतें अभी नहीं आईं कि कहीं किसी प्रकार को कोई गड़बड़ी हुई है। शिकायत आयेगी तो उस पर विचार करके उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। जहां तक समाजवादी रूप से पानी के डिस्ट्रिब्यूशन का प्रश्न है यह प्रश्न तब सामने आता है जबकि तालाब में पानी की कमी हो। जब पानी पूरा है तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता लेकिन जब कमी है तो हमने सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया कि जहां पानी की कमी है और जिस प्रकार की टैंक की व्यवस्था है और उस क्षेत्र के लोगों की होल्डिंग है उस आधार पर मीडियम होल्डिंग है उनको पूरा पानी दिया जाये और 5 बीघा तक की जमीन को पूरा पानी दिया जाये। और जहां छोटी होल्डिंग है उसके अनुपात से कम करके उनको पानी दिया जाये और बड़ी होल्डिंग वाले जितने काश्तकार हैं उनको प्रापर डिस्ट्रिब्यूशन के हिसाब से उन लोगों की परसेन्टेज कम करके पानी दिया जाये ताकि छोटी जोत वालों को पूरा पानी मिल सके और उनको नुकसान नहीं हो और जो बड़ी जोत वाले हैं उनको पानी मिल सके जिससे उनकी पूर्ति हो सके और उसमें यह भी नहीं कहा जाये कि छोटे लोगों को पूरा पानी नहीं मिलता। इस प्रकार माननीय सदस्यों ने इस सदन में जो भी मुद्दे उठाये...

श्री मीठालाल : मैंने अर्ज किया था कि जयपुर जिले के बंध सवाई माधोपुर में लगा रखे हैं उनको जयपुर जिले में लगा दें....

श्री उपाध्यक्ष : अभी आप सुन लीजिए।

श्री बिरदाराम : मैं निवेदन करूंगा कि साही नदी का काम कब तक पूरा होगा ?

श्री उपाध्यक्ष (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) : आर्डर प्लीज। क्वश्चन आवर नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल परियोजना के बारे में कुछ बातें कहनी रह गयी थीं। उस संबंध में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य नन्दलालजी ने एक प्रश्न यहां उठाया था और वह समस्या वास्तव में उनकी एक जटिल समस्या है जिसका समाधान जल्दी निकलना चाहिए। नहर से जो सीपेज हुआ वाटर

(श्री हीरालाल देवपुरा)
लाँगिग की वजह से पानी फैल गया जिससे काफी जमीन को नुकसान हुआ है। उसके लि एक बात कही कि उस जमीन का लगान और सिंचाई दोनों वसूल की जाती हैं जबकि उस जमीन का उपयोग नहीं हो रहा है। तो मैं लगान के संबंध में तो कुछ नहीं कह सकता कि क्या व्यवस्था है क्योंकि वह चर्चा राजस्व मंत्रीजी से करती है और उनकी डिमाण्ड के दिन उनसे पूछें वह बतायेंगे; लेकिन मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस जमीन में पानी नहीं लगेगा, जिस जमीन में किसान पानी नहीं लेगा उस जमीन से सिंचाई की दर वसूल नहीं करेंगे, यह मैं विश्वास लेकर चल सकता हूं। लेकिन जिस जमीन में नहर का पानी लगेगा वहां जरूर सिंचाई वसूल होगी, उसको नहीं रोक सकते। जहां तक सवाल सीपेज को रोकने का है तो उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि हम राजस्थान कैनाल के लिए एक योजना विश्व बैंक के माध्यम से बना रहे हैं ठीक उसी प्रकार से योजना चम्बल क्षेत्र के लिए भी बना रहे हैं और यह लगभग 20 करोड़ की योजना है। जिस योजना से उस क्षेत्र की कैनाल की लाइनिंग पूरी करनी है, जिसकी वजह से साइल कन्जर्वेशन के मैयड्स एडाप्ट करने हैं और रोड्स के लिए कहा गया वह रोड्स बनाने की योजना है और जहां जहां पर नहर की वजह से रास्ते रुक गये हैं उनको पूर कराने की बात है वह सब इस योजना में हैं। तो वह योजना मैं समझता हूं शीघ्र प्रारम्भ होगी। अगर वह प्रारम्भ नहीं हो सकेगी तो हम इसको फेस्ड प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत कर हाथ में लेकर जो जिनाइन डिफिकल्टी है इसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। तो कुछ बातें माननीय सदस्यों ने और उठाई हैं। यह भी बताया गया कि जहां से नहरें निकली हैं वहां पर कुछ पुलिया वगैरा टूट गई हैं। मैं स्वयं इसको देख लूंगा कि कौनसी पुलिया टूट गई है जिसकी वजह से आवागमन में रुकावट पैदा हो गई है। उनको हम दुरुस्त करवा देंगे। और भी कुछ छोटी 2 बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं, उनका उत्तर मैं उनको लिखित में भिजवा रहा हूं.....

(श्री चतुर्भुज के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप नहीं बोलेंगे, आप बैठिए। आप इस तरह अशिष्टता का प्रदर्शन नहीं करेंगे।

श्री चतुर्भुज : मेरे कटौती के प्रस्ताव हैं उनके बारे में मैं जानकारी चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : (सिंचाई मंत्रीजी की ओर मुखापेक्ष) : आप समाप्त कर चुके ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि सिंचाई विभाग की मांग संख्या 45 जो मैंने आज प्रातः प्रस्तुत की है, उसको स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग सं० 45 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष के निमित्त व्यय करने हेतु राज्यपाल महोदय को 49,47,49,000) रु० की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 22 मार्च, 1974 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के 11.02 बजे शुक्रवार दिनांक 22 मार्च, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट—1

(तारांकित प्रश्न संख्या 344 की सूची)

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में हरिजन (मेहतर) छात्रों की जिलेवार सूची

क्र० संख्या	नाम जिला	जिले में संचालित छात्रावासों की संख्या	जिले में संचालित राजकीय छात्रावासों में स्वीकृत छात्र संख्या	छात्रावासों में हरिजन (मेहतर) छात्रों की संख्या
1.	जोधपुर	7	258	23
2.	नागौर	3	116	15
3.	पाली	6	212	7
4.	चित्तौड़गढ़	4	180	13
5.	भीलवाड़ा	5	175	20
6.	सवाई माधोपुर	4	162	2
7.	अजमेर	7	250	25
8.	भरतपुर	8	240	8
9.	चूरू	1	70	5
10.	अलवर	6	248	10
11.	बाड़मेर	7	258	6
12.	बांसवाड़ा	8	415	—
13.	बीकानेर	4	160	8
14.	बून्दी	4	178	2
15.	डूंगरपुर	6	340	—
16.	गंगानगर	3	162	6
17.	जयपुर	10	460	24
18.	जालोर	1	45	3
19.	जैसलमेर	5	185	—
20.	झालावाड़	4	150	8
21.	झुन्झुनू	1	45	—
22.	कोटा	13	465	12
23.	सीकर	2	65	2
24.	सिरोही	3	150	—
25.	टोंक	2	105	—
26.	उदयपुर	9	370	7
	योग ..	133	5466	206

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 348 की सूची)

परमिट नम्बर	परमिट जिसको जारी किया गया		परमिट जारी करने की तिथि	परमिट ट्रान्सफर की जानकारी	गाड़ी नं०
1.	श्रीमती सोहन बाई	2129	1-3-62	—	आर० आर० एल० 6711
2.	श्री वली मोहम्मद	2130	"	श्री सुभाष चन्द्र 1-1-73	एम० आर० जे० 109
3.	श्री बालबक्स टाँक	2149	13-3-62	श्री जगदीश प्रसाद 1972	आर० एस० एल० 591 मॉडल-1959
4.	श्री अब्दुल रशीद	2753	10-6-66	—	आर० एस० एल० 5211 मॉडल-1961
5.	मै० सत्यनारायण बस सर्विस	जे० पी० (1) 69	20-3-69	—	आर० एस० एल० 9851 मॉडल-1963

परिशिष्ट-3

स्थगित प्रश्न

दिनांक 6-3-74

(तारांकित प्रश्न संख्या 82 की सूची)

सूची 'अ'

क्र० सं०	नाम पंचायत समिति	सीमेन्ट आवंटन माहवार			
		अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	योग
1.	पाली	400	—	1000	1400
2	रोहट	200	—	400	600
3	बाली	1500	2000	1500	5000
4	सुमेरपुर	2400	3000	500	5900
5	देसूरी	1000	500	400	1900
6.	रानी	1000	1000	500	2500
7.	सोजत	400	—	500	900
8.	मारवी	300	—	500	800
9.	जैतारण	250	—	300	550
10.	रायपुर	256	300	300	856
	कुल योग ..	7706	26800	5900	20406

सूची 'ब'

सुमेरपुर पंचायत समिति क्षेत्र में सीमेन्ट वितरण की सूची

क्र०सं०	नाम पंचायत	नाम ग्राम	वितरित मात्रा
1	2	3	4
1	सुमेरपुर	सुमेरपुर	1592
2	एरिनपुरा रोड	1 एरिनपुरा रोड	54
		2 बलवना	170
		3 सोनपुरा	5
		4 गलथना	77
		5 रामनगर	38
		6 मणगोर	1

1	2	3	4
3	कोलीवाड़ा	1 कोलीवाड़ा	100
		2 जाखोड़ा	111
4	नेतरा	1 नेतरा	49
		2 रोजड़ा	30
		3 पराखिया	23
5	सिन्दरू	1 सिन्दरू	150
		2 खिदारा	8
6	सांडेराव	1 सांडेराव	355
7	देवतड़ा	1 देवतड़ा	14
		2 आमदड़ा	11
8	बिरामी	1 बिरामी	130
9	ढोला	1 ढोला	74
		2 केनपुरा	5
10	अनोपपुरा	1 अनोपपुरा	35
		2 भाचन्दा	21
		3 बिठड़ा	59
		4 धाणदा	5
11	चाणोद	1 चाणोद	216
12	लापोद	1 लापोद	68
		2 वडगावड़ा	5
13	धणा	1 धणा	129
		2 दलपुरा	5
14	कोसेलाव	1 कोसेलाव	326
15	वसंत	1 वसंत	138
		2 बावा गांव	37
16	पावा	1 पावा	188
17	खिमाड़ा	1 खिमाड़ा	88
		2 खागड़ी	67
		3 बांगड़ी	75

Page No. 213

213

1	2	3	4
18	दुजाणा	1 दुजाणा	124
19	बलाणा	1 बलाणा	917
		2 गडिया	8
20	गोगरा	1 गोगरा	86
		2 राजमरा	4
		3 नया खेड़ा	16
		4 हिंगोला	3
21	तखतगढ़	1 तखतगढ़	1055
22	बांकली	1 बांकली	273
23	भारुंदा	1 भारुंदा	100
24	खिवांदी	1 खिवांदी	164
		2 मोरडू	8
25	नोवी	—	153
26	कोरट	—	132
27	बामनेरा	1 बामनेरा	85
		2 धनापुरा	4
		3 पोयणा	17
28	पालड़ी	1 पालड़ी	129
		2 पनतापुरा	9
29	पोमावा	1 पोमावा	270
		2 पुरड़ा	49
30	सलोदरिया	1 सलोदरिया	77
		2 कानपुरा	103
31	बलपुरा	1 बलपुरा	96
		2 बिठिया	31
		3 जाणा	17
	कुल योग ..		7526

परिशिष्ट-4

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

ओवरसियरों की पदोन्नति हेतु विभागीय कमेटी

359. श्री गणेशलाल (गंगरार) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ओवरसियर्स (अधिदर्शक) की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई विभागीय कमेटी बनाई हुई है ? यदि हां, तो इसकी बैठक कब कब हुई तथा कितने अधिदर्शकों को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया है ? यदि नहीं किया गया तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि डिग्री होल्डर व डिप्लोमा होल्डर्स के लिए कोई निर्धारित कोटा तय किया हुआ है ? यदि हां, तो कितना कितना व अब तक कोटे के अनुसार कितने ओवरसियर्स (अधिदर्शक) को पदोन्नत किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । अधिदर्शकों की पदोन्नति राजस्थान सर्विस आफ इंजीनियर्स रूल्स, 1954 के नियम 23, 24 तथा 27 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है । प्रावधानों में एक चयन समिति के बैठने का भी प्रावधान है ।

(2) अभी कोई निश्चित कोटा तय किया हुआ नहीं है । किन्तु भविष्य के लिये यह प्रश्न विचाराधीन है ।

नियोजन सेवा निदेशालय के कार्यालय में अस्पृश्यता का व्यवहार

360. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि नियोजन कार्यालय के एक अनुसूचित जाति के कर्मचारी ने श्री आर० एन० भण्डारी वर्तमान में उप-निदेशक, नियोजन सेवा निदेशालय के विरुद्ध उसके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करने के सम्बन्ध में शिकायत की थी तथा श्री भण्डारीजी के हस्ताक्षरशुदा अभिलेख भी इस सम्बन्ध में पेश किया था ? यदि हां, तो क्या उस पर जांच हुई ? यदि हुई तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । और यदि जांच नहीं हुई तो क्यों ?

उत्तर

इस विभाग के एक वरिष्ठ लिपिक श्रीराम चन्द्र धोलपुरिया ने भूतपूर्व श्रम मंत्री के माध्यम से अपने पत्र दिनांक 27-6-73 के द्वारा यह शिकायत पेश की थी कि जिस समय वे जिला नियोजन, कार्यालय पाली में (वर्ष 1967 से पूर्व) कार्यरत थे उस समय कार्यालय के अन्य सदस्यगण ने उनके विरुद्ध उस समय यह शिकायत पेश की थी कि पीने को पानी का एक सम्मिलित गिलास नहीं रखा जावे क्योंकि श्री धोलपुरिया भी उससे पानी पीते हैं, अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये । उक्त शिकायत पत्र प्राप्त होने के पश्चात् निदेशालय द्वारा इस मामले में जांच जारी है एवं जांच के दरम्यान श्री धोलपुरिया को सुनवाई का मौका भी दिया गया है । जांच के दरम्यान श्री धोलपुरिया ने एक अभिलेख

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

(शिकायत पत्र) भी पेश किया है जिसकी फोटोस्टेट कॉपी पेश की गई थी। इस विषय में श्री आर० एन० भण्डारी जिला नियोजन अधिकारी, पाली से भी टिप्पणी ली गई है। अभी जांच जारी है।

भ्रष्टाचार विरोधक विभाग में विचाराधीन मामले

361. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा 1973 में कितने केस दर्ज किये गये तथा कितने केस ट्रैप किये गये ?

(2) उक्त अवधि में कितने केसों का चालान हुआ एवम् इसमें से कितने कामयाब हुए?

(3) विभाग में इस समय कुल कितने केस पैंडिंग पड़े हुए हैं ? तथा इनको जल्दी निपटाने के लिये सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) सन् 1973 में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा 111 अपराध पंजीबद्ध किये जिनमें से 60 मामले ट्रैप के थे।

(2) उक्त अवधि में 40 अपराधों में अनुसंधान पूर्ण कर चालान कर दिया गया जिनमें 1 (एक) मामला न्यायालय द्वारा बरी किया गया व शेष मामले अदालत में विचाराधीन है।

(3) सन् 1973 के अन्त में 242 केस पेन्डिग थे तथा 902 परिवाद प्रारम्भिक जांच हेतु शेष रहे, जिनका शीघ्र निस्तारण हेतु अनुसंधानकर्ताओं को समय समय पर हिदायतें दी जाती रहीं और सरकार ने कई नए पद भी स्वीकृत किये हैं।

जोधपुर नगर की पाठशालाओं को अनुदान की राशि

362. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जोधपुर नगर में स्थित राजकीय सहायता प्राप्त पाठशालाओं को 1973 के अनुदान नियम के अन्तर्गत उन्हें मिलने वाली अनुदान की राशि का पुन: वर्गीकरण किया गया ? कृपया इन सभी पाठशालाओं के नाम और उपरोक्त नियमों के लागू होने के पूर्व और पश्चात् के व्यय का अनुदान के रूप में मिलने वाला प्रतिशत, की पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ. 2(41) ई.डी.यू.सी। 6166 दिनांक 24 मार्च, 1971 द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गई कि उपरोक्त पाठशालाओं को पुन: वर्गीकरण के पूर्व जिस प्रतिशत पर अनुदान मिलता रहा था तथा जिस प्रतिशत में अब इनका वर्गीकरण किया गया है उस अन्तर प्रतिशत का अलग से अनुदान संस्थाओं को दिया जाय ? यदि हां तो महाराजा विद्यालय, जोधपुर एवं बाल विद्या भवन उच्च प्राथमिक विद्यालय, जोधपुर का उपरोक्त अन्तर प्रतिशत का अलग से अनुदान पिछले कई वर्षों का क्यों नहीं दिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां । महाराजा विद्यालय, जोधपुर को इस वर्ष के अन्तर की राशि एवं बाल विद्या भवन उच्च प्राथमिक विद्यालय, जोधपुर को इस वर्ष एवं पिछले वर्ष की अन्तर की राशि अनुदान रूप में दिये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला जालोर में आयुर्वेद चिकित्सा की व्यवस्था

363. श्री रघुनाथ विशनोई (सांचोर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि आयुर्वेद चिकित्सा व्यवस्था की दृष्टि से जिला जालोर सबसे पिछड़ा है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं तो सबसे पिछड़ा जिला कौनसा है एवं सबसे अग्रणी जिला कौनसा है ?

(2) जिला जालौर की चिकित्सा व्यवस्था के पिछड़ेपन को मद्देनजर रखते हुए क्या राज्य सरकार भविष्य में इस जिले में आयुर्वेद अस्पताल ज्यादा खोलने का विचार रखती है ? अगर हां, तो पंचायत समितिवार अगले बजट साल में कितने आयुर्वेद अस्पताल खोलने का निर्णय लेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । सबसे कम औषधालय जैसलमेर जिले में तथा सबसे अधिक जयपुर जिले में हैं ।

(2) वर्ष 74-75 में राज्य में 25 नवीन औषधालय खोलने का प्रावधान है । जिनके स्थानों का निर्णय यथासमय राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा ।

डूंगरपुर व बांसवाड़ा में बी० एस० टी० सी० के प्रशिक्षणार्थी

364. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बी. एस. टी. सी. डूंगरपुर व बांसवाड़ा में कितने कितने छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और उनमें कितने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के हैं? सूची मय छात्र के निवासस्थान दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के निर्देश होने पर भी इन केन्द्रों पर अनुसूचित जाति, जन जाति के छात्रों के लिए आरक्षित कोटे में अन्य वर्ग के छात्रों को लिया गया है ? यदि नहीं तो इन केन्द्रों पर अन्य वर्गों की संख्या इतनी क्यों और किस आदेश से है ? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में जांच चल रही है यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) बी. एस. टी. सी., डूंगरपुर व बांसवाड़ा में कुल 175 छात्र प्रत्येक विद्यालय में प्रशिक्षण पा रहे हैं । बी. एस. टी. सी., डूंगरपुर में 58 अनुसूचित जन जाति व 15 अनुसूचित जाति के व बांसवाड़ा में अनुसूचित जन जाति के 27 व अनुसूचित जाति के 85 छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों के आरक्षित कोटे में से अन्य वर्ग के छात्रों को नहीं लिया गया है ।

(शिक्षा मंत्री)

(3) इस संबध में कोई जांच नहीं चल रही है । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सनवाड़ (मावली) का बापा छात्रावास

365. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बापा छात्रावास सनवाड़ (तहसील मावली) की जमीन अब किसके कब्जे में है और उसके कुए से किस व्यक्ति की जमीन की पिलाई की जाती रही है?

(2) क्या यह सही है कि बापा छात्रावास का सारा सामान समाज कल्याण विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? सामान का विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो छात्रावास का सामान अब किसके कब्जे में है?

(3) क्या यह सही है कि बापा छात्रावास बन्द कर दिया गया? यदि हां, तो कब और क्यों?

उत्तर

(1) बापा छात्रावास सनवाड़ की जमीन इस समय छात्रावास के अध्यक्ष श्री किशनलाल आर्य के कब्जे में है। उसमें निर्मित कुए से श्री किशनलाल आर्य अपनी स्वयं की जमीन की पिलाई करते हैं।

(2) जी नहीं? संस्था के अध्यक्ष श्री किशनलाल आर्य ने छात्रावास का कोई भी सामान इस विभाग को चार्ज में नहीं दिया है। सभी सामान उन्हीं की तहवील में है।

(3) इस छात्रावास की सहायता में से महालेखाकार द्वारा 3000) रुपये की कटौती के फलस्वरूप आर्थिक कठिनाई के कारण यह छात्रावास जुलाई 1967 से बन्द है।

विराटनगर में पुलिस स्टेशन

366. **श्री हनुमान सहाय व्यास** (बैराठ): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि तहसील मुख्यावास विराटनगर (बैराठ) में पुलिस स्टेशन का भवन एवं क्वार्टर बने हुए हैं? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सच है कि विराटनगर में पूर्व में पुलिस स्टेशन था? यदि हां, तो कब से कब तक? क्या सरकार वहां पुनः पुलिस स्टेशन कायम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सन् 1929 से यहां भवन बना हुआ है।

(2) जी हां। रियासत के समय से जौलाई, 63 तक बैराठ में पुलिस थाना रहा। पुलिस रिआर्गेनाईजेशन कमेटी ने वहां पुनः थाना स्थापित करने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है।

जयपुर में राजकीय स्कूलों के भवन

367. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर नगर में चलने वाले सभी राजकीय स्कूलों के भवन पर्याप्त हैं?

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
यदि नहीं तो सरकार की इस संबंध में क्या योजना है?

(2) क्या राजकीय स्कूलों के भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं? यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रयास किये जा रहे हैं? इन भवनों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जयपुर में चलने वाली अधिकतर राजकीय विद्यालयों के भवन अपर्याप्त हैं। पैसा सरकार के पास उपलब्ध होने पर इस संबंध में मैचिंग ग्रान्ट द्वारा विद्यालय भवनों की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा सकेगा।

(2) जी हां। कुछ भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। मैचिंग ग्रान्ट द्वारा शाला भवनों को ठीक करवाये जा रहे हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चम्बल कमाण्ड एरिया की कृषि भूमि में सीपेज की समस्या

368. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा एवं बून्दी जिलों में चम्बल कमान्ड एरिया में अब तक ऐसी कितनी कृषि योग्य भूमि हैं जो सीपेज एवं हमेशा पानी भरे रहने से उसर एवं खराब हो गई है? तहसील एवं ग्रामवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जिनकी कृषि-भूमि उक्त सीपेज आदि से खराब हो गई है उस पर लगान एवं सिंचाई भी वसूल की जा रही है? यदि हां, तो कहां कहां और क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सीपेज एवं अन्य कारणों से खराब होने वाली कृषि योग्य भूमि को बचाने की राज्य सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो कहां कहां की क्या योजना है?

उत्तर

(1) चम्बल कमाण्ड में कृषि योग्य भूमि जो सीपेज एवं पानी में रहने से प्रभावित हुई है वह 48,090 एकड़ है। ग्राम एवं तहसीलवार सूची संलग्न है।

(2) लगान वसूली का संबंध सिंचाई विभाग से नहीं है। यदि कोई काश्तकार भूमि में काश्त करके नहरों का पानी लगाता है तो सिंचाई दर नियमानुसार ली जाती है।

(3) जी हां। विश्व बैंक को एक योजना बना कर दी गई है जिसके अन्तर्गत चम्बल कमाण्ड में प्रभावित समस्त क्षेत्र के जल निकास कार्य करवाने का तथा वर्तमान नहरों को पक्का बनाने का प्रावधान है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गंगानगर-बीकानेर की डिफेंस रोड

369. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर से बीकानेर डिफेंस रोड से रतनगढ़ तहसील के गांव ढबा होती हुई, पीली बंगा तक सड़क काफी समय पहले मंजूर हो चुकी थी? यदि हां तो कब?

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

(2) क्या यह सही है कि डिफेंस रोड से ढबा तक कुछ निर्माण कार्य हुआ भी है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस सड़क को जल्दी पूर्ण कराने की कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) ढबा से सूरतगढ़ गंगानगर रोड के 3 किलोमीटर के निर्माण की स्वीकृति 8-11-71 को दी गई थी, पीली बंगा से ढबा के भाग की स्वीकृति नहीं दी गई है।

(2) डिफेन्स रोड से ग्राम ढबा तक मिट्टी का कार्य ईंट सीलिंग का कार्य क्रमशः 1.5 किलोमीटर व 1.25 किलोमीटर में हुआ है। यह कार्य जनवरी, 1974 से क्रेश योजना में प्रगति पर है। क्रेश योजना में धनराशि उपलब्ध होने पर वर्ष 74-75 में पूर्ण होने की आशा है।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा में हिन्दी का प्रश्न-पत्र

370. श्री मोहरसिंह (चूरू): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा की लिखित परीक्षा में हिन्दी का प्रश्न-पत्र अनिवार्य था? यदि हां, तो यह अनिवार्य प्रश्न-पत्र कब और क्यों हटाया गया है?

(2) क्या सरकार पुनः हिन्दी का प्रश्न-पत्र अनिवार्य करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सन् 1958 में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गई अल्प भाषायी समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति हेतु दिनांक 1-12-1958 से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिखित परीक्षा से हिन्दी का अनिवार्य प्रश्न-पत्र हटाया गया था।

(2) विद्यार्थियों की यह मांग कि राज्य सेवाओं के लिये आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेजी के विषय को अनिवार्य न रक्खा जाय, राज्य सरकार के विचाराधीन है। इसी सन्दर्भ में हिन्दी के विषय को उक्त परीक्षाओं में पुनः अनिवार्य रूप से रक्खे जाने के संबंध में भी सरकार विचार करेगी।

हायर सैकेण्डरी स्कूल, इटावा का क्रीडा स्थल

371. श्री राम गोपाल (किशनगंज): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि हायर सैकेन्ड्री स्कूल, इटावा जिला कोटा में वॉलीबाल खेलने का मैदान प्रधानाध्यापक के निवास स्थान के समीप लगा हुआ है, और उस क्रीड़ास्थल को एक वर्ष पूर्व थाना इटावा के तत्कालीन एस० एच० ओ० श्री किशोर सिंह ने अतिक्रमण करके थाने के अधिकार क्षेत्र में ले लिया है तथा उस पर लोहे के तारों से सीमा बन्दी करदी है?

(2) क्या उपरोक्त क्रीडा स्थल से पुलिस विभाग को बेदखल करने के लिये प्रधानाध्यापक इटावा द्वारा तहसील पीपलदा व परगना अधिकारी कोटा के यहां कार्यवाही की जा चुकी है? यदि हां तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है? यदि निर्णय नहीं लिया गया तो विलम्ब के क्या कारण है?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। इस मामले में यह कम्प्रोमाइज हो गया है कि स्कूल बिल्डिंग से लगा हुआ आधा मैदान स्कूल का वॉलीबाल फील्ड रहेगा।

तहसील छबड़ा व छीपा बड़ोद में सिंचाई योजना

372. श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील छबड़ा व छीपा बड़ोद में पिछले 26 वर्षों में एक भी सिंचाई योजना नहीं बनाई गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि हिंगलोट मध्यम सिंचाई योजना (Medium Irrigation Project) का सर्वे किया गया था? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या पंचम पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार इसे प्राथमिकता देने का विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील छबड़ा व छीपाबड़ोद क्षेत्र में योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी। इनका सर्वेक्षण कार्य चालू है।

(2) जी हां। हिंगलोट सिंचाई योजना के सर्वेक्षण के तखमीने की तकनीकी रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है। इस योजना का विस्तृत तखमीना भी बनाया जा रहा है।

(3) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना को सम्मिलित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

ESTIMATE FOR INVESTIGATION OF HINGLOT IRRIGATION PROJECT, TEHSIL CHHABRA

TECHNICAL REPORT

An estimate amounting to Rs. 9940.00 has been framed to cover the probable cost of survey and investigation of the Hinglot Irrigation Project on the river Retri which is an important tributary of the river Parbati.

The approximate co-ordinates of the site are latitue 24° 33' 30" N and long tank 76° 56'—0' E. The total catchment area of the dam site is 444 sq. mile, whole of which is free. The annual rainfall as per hydel map of the area is 33". The expected mean annual run off at the site is 756 mcft. It is to provide a live storage of 610 mcft to irrigate an area of 7000 acres of land in a normal year. The approximate cost of the project may be Rs. 51 lacs.

The following investigations are to be done in this project. 1. Spill way details and commanded area survey. The submergence

of bund line survey has already been completed. The remaining commanded area surveys provision has been made in the estimate. Provision for the S/A is kept with view as the records of commanded area of submergence are to be collected and project report is to be finalised.

Provision for collection of commanded area statistics preparation of Sajra and Khasra and purchase of kind, point has been made in the estimate. W. C. staff provision is kept for 12 months.

The estimate is chargeable to :- 44 NED.

———

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 273 की सूची)

सन 1973-74 में प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत शालाओं की सूची

क०सं०	जिला	उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
1.	जयपुर	129
2.	अजमेर	61
3.	गंगानगर	75
4.	सीकर	56
5.	भरतपुर	87
6.	उदयपुर	114
7.	नागौर	69
8.	सवाई माधोपुर	73
9.	चूरू	50
10.	बूंदी	32
11.	टोंक	39
12.	जालोर	42
13.	बांसवाड़ा	45
14.	झालावाड़	41
15.	पाली	50
16.	भीलवाड़ा	64
17.	बाड़मेर	47
18.	बीकानेर	34
19.	झुन्झुनू	46
20.	अलवर	82
21.	चित्तौड़गढ़	62
22.	जोधपुर	53
23.	डूंगरपुर	33
24.	जैसलमेर	19
25.	सिरोही	25
26.	कोटा	71
	योग...	1499

परिशिष्ट—21 मार्च, 1974—परिशिष्ट [438

सत्र 1973-74 में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की सूची

		प्राथमिक विद्यालय				
		ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		कुल
		बालक	बालिकायें	बालक	बालिकायें	
1.	अजमेर	22	—	13	1	36
2.	अलवर	31	1	2	4	38
3.	भरतपुर	39	—	5	2	46
4.	जयपुर	40	7	16	4	67
5.	झुन्झुनू	19	4	5	1	29
6.	सीकर	28	—	7	—	35
7.	सवाई माधोपुर	38	—	6	1	45
8.	टोंक	29	—	5	—	34
9.	बीकानेर	12	4	8	1	25
10.	चूरू	27	—	9	—	36
11.	गंगानगर	32	4	8	—	44
12.	बाड़मेर	38	2	2	2	44
13.	जैसलमेर	20	2	2	1	25
14.	जोधपुर	27	—	9	2	38
15.	जालोर	36	—	4	—	40
16.	सिरोही	27	—	4	—	31
17.	नागौर	39	—	7	—	46
18.	पाली	35	—	3	1	39
19.	कोटा	27	—	9	—	36
20.	बून्दी	27	—	3	—	30
21.	झालावाड़	23	2	3	—	28
22.	बांसवाड़ा	28	5	3	—	36
23.	भीलवाड़ा	36	—	6	—	42
24.	डूंगरपुर	31	—	3	—	34
25.	चित्तौड़गढ़	36	—	4	—	40
26.	उदयपुर	46	—	9	—	55
	योग ..	793	31	155	20	999

224.

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न सं० 275 की सूची)

नाम सड़क	कार्य विवरण	मरम्मत विवरण
(1) अकलेरा से बकानी वाया माल्ता	यह सड़क अकलेरा से आसलपुर तक डामर रोड है। आसलपुर बकानी वाया माल्ता फेयर वेदर रोड है, जो विभागीय मरम्मत सूची पर नहीं है। इस सड़क पर वर्ष 1972-73 तथा 73-74 में सहायता कार्यों में 13 किलो मीटर में अर्थ वर्क 1 किलोमीटर में बलास्ट कन्सोलिडेशन कराया है।	आसलपुर बकानी रोड फेयर वेदर रोड है, और सार्वजनिक निर्माण विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है अत: विभाग द्वारा मरम्मत नहीं की जाती है।
(2) मनोहर थाना हुरनावदा वाया जावर	इस सड़क पर वर्ष 72-73 तथा 73-74 में अर्थ वर्क एक किलोमीटर में कराया है।	मनोहर थाना-हुरनावदा फेयर वेदर रोड है, और सार्वजनिक निर्माण विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।
(3) घाटोली से चुरेलिया वाया सरखनडिया	—	यह फेयर वेदर रोड है, और विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।
(4) बोरखेडी से सरडा	वर्ष 72-73 में क्रेश योजना में 2 किलोमीटर अर्थ वर्क हुआ है।	,, ,,
(5) अकलेरा से मनोहर थाना वाया लहासा	वर्ष 72-73 तथा 73-74 में अकाल राहत कार्यों में $2\frac{1}{2}$ किलोमीटर बलास्ट कन्सोलिडेशन हो चुका है।	सहायता विभाग से बाढ़ मद में प्राप्त धनराशि से मरम्मत कार्य कराया जा रहा है।
(6) अकलेरा से खिलचीपुर वाया घाटोली	यह डामर रोड है।	बाढ़ सहायता मद से मरम्मत कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न सं० 288 की सूची)

Statement showing the number of candidates placed during the year 1972–73.

S. No.	Name of post	Number of candidates placed	
		1972	1973
1	2	3	
1.	Dentists	1	1
2.	General Nurse	13	—
3.	Midwife	283	105
4.	Lady Health Visitor	59	23
5.	Nursing Attendant	9	14
6.	Pharmacist	44	15
7.	Vaccinator	37	4
8.	Occupational Therapy Tech.	1	—
9.	X- Ray Technician	20	1
10.	Secondary School Teacher	20	48
11.	Primary School Teacher	362	27
12.	Manual Training Teacher	27	3
13.	Economic Investigator	2	—
14.	Painter	3	—
15.	Singer	1	—
16.	Draughtsman- Electrical	2	—
17.	Laboratory Assistant- Chemical	6	4
18.	Laboratory Assistant- Clinical	8	—
19.	Teachers- Other	3	—
20.	Tracer	4	2
21.	Laboratory Attendant	7	7
22.	Librarian	1	—
23.	Panchayat Secretary	8	—
24.	Patwari	1	—
25.	Stenographer	8	16
26.	Typist	8	3
27.	Teleprinter Operator	1	—
28.	Office Assistant	1	7

226

1	2	3	
29.	Clerk-General	109	170
30.	Clerk-Library	1	—
31.	Peon	152	89
32.	Dusting Man, Office	1	—
33.	Process Server	2	—
34.	Unskilled Office Workers-Other	3	—
35.	Stockman	7	—
36.	Stableman	1	—
37.	Gardner-General	1	3
38.	Fieldman	7	—
39.	Fieldmen (Fish)	1	—
40.	Lascar	1	—
41.	Driver-Car	8	10
42.	Driver-Bus	20	24
43.	Driver-Auto Rickshaw	1	—
44.	Telephone Operator (P.B.X.)	6	—
45.	Bus Conductor	11	1
46.	Upholsterer	1	—
47.	Tailor-General	1	—
48.	Fitter-General	8	16
49.	Turner	3	—
50.	Mechanic-Automobile	3	—
51.	Welder-Electric	2	—
52.	Glazer	1	—
53.	Electrician-General	7	15
54.	Electrician-Aircraft	4	—
55.	Rolling Mail Operatives	3	—
56.	Switch Board Attendant	1	—
57.	Compositor-Hand	9	—
58.	Handpressman	1	—
59.	Book Binder	1	—
60.	Mukadam-Salt Production	30	—
61.	Pump Operator	1	7
62.	Cleaner, Vehicles	17	—
63.	Labourers	28	39
64,	Fire Fighter	8	—
65.	Inspector, Police	3	—
66.	Watchman	23	6
67.	Guards	8	10
68.	Cook Bearer	2	—
69.	Sweeper Wet	6	23
70.	Water Carrier	7	
71.	Carpenter	1	—
72.	Meter Reader & Junior Filter Attendant	14	—
73.	Civil Engineer, General	—	1

1	2		3
74.	Overseer, Civil Engineering	—	2
75.	Surveyor, Topographical	—	1
76.	Medical and Surgical Specialists Physiotheraphy Technician	—	4
77.	Sanitary Inspector	—	7
78.	Draughtsman Civil	—	10
79.	Laboratory Assistants, Other	—	7
80.	Manager Other Service	—	4
81.	Cashier, General	—	3
82.	Stenographer Secretary	—	1
83.	Octroi Clerk	—	4
84.	Personnel Clerk	—	1
85.	Dusting Man, Office	—	2
86.	Commercial Clerk	—	5
87.	Jamadar	—	2
88.	Tractor Operator	—	1
89.	Well Drilling Operatives	—	3
90.	Overhauling and Repairing Operative	—	2
91.	Welder, Gas	—	5
92.	Wireman Light and Power	—	10
93.	Carpenter, Structural	—	13
94.	Loaders and Unloaders	—	5
95.	Cook Institutional	—	3
96.	Washerman	—	1
97.	P. T. I.	—	3
98.	Hakim	—	1
99.	Nurse	—	2
100.	Electrical Engineer	—	5
101.	Physiotheraphist	—	2
102.	Chemist General	—	12
103.	Laboratory Assistant	—	3
104.	N. Y. A	—	57
	TOTAL ..	1465	880

228

शुद्धि पत्र

(21 मार्च, 1974)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
7	ऊपर से 9	70	12
25	नीचे से 6	गोवोला	गोंटेवाला
30	ऊपर से 5	भी	को
45	ऊपर से 15	भीमसिंह	भीमसेन
73	ऊपर से 1	(उद्योग यंत्री)	(उद्योग मंत्री)
77	नीचे से 5	श्रो	श्री
79	ऊपर से 9	स्मगलिंज	स्मगलिंग
79	ऊपर से 16	लिया	दिया
86	नीचे से 11	में	मैं
89	नीचे से 4	माकटटियर्स	मार्केटियर्स
89	ऊपर से 8	ग्रास्वस्थ	ग्राश्वस्त
89	ऊपर से 20	राजथान	राजस्थान
97	नीचे से 2	सुरतगढ	सूरतगढ़
96	नीचे से 5	जिम्मेम्मदारी	जिम्मेदारी
97	ऊपर से 1	(मोहम्मद गफ्फार ग्रली)	(श्री मोहम्मद गफ्फारग्रली)
103	नीचे से 16	25	250
107	नीचे से 3	हड़ताल	हड़ताल
108	शीर्षक	वयवस्था	व्यवस्था
109	नीचे से 13.	ग्रतनी	ग्रपनी
113	ऊपर से 13	उगने	उगलने
122	ऊपर से 10	सोमानी	सोगानी
125	ऊपर से 6	महत्वपूर्ण प्रश्न	महत्वपूर्ण
125	ऊपर से 8/9	व्यविस्थापितों	विस्थापितों
129	नीचे से 4/3	प्रति के	के प्रति
168	नीचे से 15	जो	--
241	ऊपर से 4	श्री जयकिशन तोसावड़ा	श्री जयकिशनलाल

229

2

1	2	3	4
251	ऊपर से 3	इंदिया	इंदलिया
262	नीचे से 6	होल्डिग्ज	होल्डिंग्स
263	ऊपर से 17	ामदानी	ग्रामदनी
269	नीचे से 22	दफ्फतर	दफ्तर
278	ऊपर से 6	ड़ता	पड़ता
295	ऊपर से 11	ग्रन्य	ग्रन्न
300	ऊपर से 2	भैंरुाल	भैंरुलाल
314	ऊपर से 10	श्री सुरेन्द्रसिह	श्री सुरेशचन्द्र
315	ऊपर से प्रथम पंक्ति	श्री सुरेन्द्रसिह	श्री सुरेशचन्द्र
317	ऊपर से प्रथम पंक्ति	श्री सुरेन्द्रसिह	श्री सुरेशचन्द्र
347	ऊपर से 18	श्री उम्मेदो ाल	श्री उम्मेदीलाल
379	नीचे से 9	श्री गोपीला	श्री गोपीलाल
421	नीच से 7	4 हिगोल	4 हिंगोला